दशमाला, खंड 43, अंक 8

बुधवार, 9 अगस्त, 1995
18 श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 43 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद नही माना जाएगा)

विषय सूची

दशम माला, खंड 43, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 8, बुधवार, 9 अगस्त, 1995/18 श्रावण, 1917 (शक)

		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	141 और 143	2-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या :	142 और 144 से 160	25-36
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1410-1471 और	
	1473 से 1583	36-238
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराये जाने की पचासवीं वर्षगांठ के बारे में संकल्प - स्वीकृत		238-239
भारत छोड़ो आन्दोलन की तिरपनवीं वर्षगांठ		239-240
सभा पटल पर रखे गये पत्र		262-264
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
चवालीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		264
लोक लेखा समिति		
एक सौ बारवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		265
संचार संबंधी स्थायी समिति		
बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत		265
राज्य सभा से संदेश		265-266
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक		
राज्य सभा द्वारा यथा पारित - सभा पटल पर रखा गया		266
कार्य मंत्रणा समिति		
तिरपनवां प्रतिवेदन - स्वीकृत		266
नियम 377 के अधीन मामले		266-270
(एक) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी नियमों में विसंगतियों को दूर किये जाने की आवश्यकता		
	डा. विश्वनाथम कैनिथी	266-267

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

कालम

(दो) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम लागू करने हेतु विधान बनाये जाने की आवश्यकता

श्री के. प्रधानी 267

(तीन) कोलार गोल्ड फोल्डस, कर्नाटक के दोहन के लिए परियोजना स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता

श्री के.एच. मुनियप्पा 267-268

(चार) केरल के कन्नानौर जिले में अजीक्कल पत्तन को बारहमासी पत्तन के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लपल्ली रामचन्द्रन 268

(पांच) बरेली, उत्तर प्रदेश को डीजल और मिट्टी के तेल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार 269

(छः) सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को पेंशन में एक बार वृद्धि की योजना में विसंगतियों को दूर किये जाने की आवश्यकता

प्रो. प्रेम धूमल 269

(सात) सिक्किम में नेपाली माध्यम से शिक्षा देने वाले और अधिक खुले विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी 270

(आठ) उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय क्षेत्र में दूर संचार सुविधाओं को बेहतर बनाये जाने की आवश्यकता

डा. एस.पी. यादव 270

ारूप कृषि नीति संकल्प (यथा उपान्तरित) पर विचार करने के बारे में प्रस्ताव - जारी 271-366

श्री ए. वेंकट रेड्डी 271-273

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 273-283

श्री याइमा सिंह युमनाम 283-287

श्री शिवराज सिंह चौहान 287-296

श्री अनंतराव देशमुख 296-299

श्री जायनल आबेदिन 299-302

श्रीमती डा.के. तारादेवी सिद्धार्थ 302-306

श्री एस. मल्लिकारजुनय्या 306-308

श्री राम प्रसाद सिंह 308-312

श्री हरि किशोर सिंह 312-317

श्री मोहन रावले 317-319

डा. कार्तिकेश्वर पात्र 320-323

डा. लक्ष्मण सिंह 323-324

श्री राम नगीना मिश्र 325-326

श्री विश्वनाथ शास्त्री 326-328

श्री पी.सी. थामस 328-330

श्री पी.सी. चाको 330-333

श्री अनादि चरण दास 333-335

		कालम
	प्रो. उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु	335-337
	डा. छत्रपाल सिंह	339-341
	श्री बृजभूषण शरण सिंह	341-342
	श्री आनन्द रत्न मौर्य	342-343
	श्री श्याम बिहारी मिश्र	343-344
	श्री कमला मिश्र मधुकर	344-345
	श्री सत्यदेव सिंह	345-346
	श्री अर्जुन सिंह	346-347
	श्री बलराम जाखड़	347-365
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		367-376
	श्री सुख राम	367-369
	मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी	369-370
	श्री सत्यदेव सिंह	370-371
	श्री जार्ज फर्नान्डीज	371-373
	श्रीमती सुशीला गोपालन	374-375

लोक सभा

बुधवार, 9 अगस्त, 1995/18 श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 म.पू. पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, बडे दुख के साथ मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी चौधरी सुन्दर सिंह के दुखद निधन की सूचना देनी है।

चौधरी सुन्दर सिंह 1980-89 के दौरान सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने फिल्लौर संसदयी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले वे 1946-80 के दौरान पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। अपने तीन दशकों से भी अधिक समय तक पंजाब विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1946-47 के दौरान वे पंजाब सरकार के संसदीय सचिव रहे। उनकी प्रशासनिक प्रतिभा का परिचय तब मिला जब उन्होंने 1952-56 के दौरान आवकारी, कर और 1962-66 के दौरान पंजाब राज्य सरकार के अबकारी और कर विभाग के मंत्री का पदभार धारण किया।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध गांधीवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने दलितों तथा भूतिहीन काश्तकारों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने ''अनश्चेवल्स'' नामक पुस्तक लिखी जो एक विचारोतेजक तथा सामाजिक दस्तावेज है।

उन्होंने देश-विदेश का भ्रमण किया। उनकी स्वामी विवेकानन्द, गुरूनानक और महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकों में विशेष रुचि थी।

चौधरी सुन्दर सिंह का निधन 89 वर्ष की आयु में पंजाब के गुरूदासपुर जिले के दलिया रमजानपुर गांव में 5 अगस्त, 1995 को हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेक्षा व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन खड़ी हों।

11.02 म.पू.

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहे

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नकाल के तुरंत बाद हिरोशिमा और नागासाकी की घटना की पांचवीं वर्षगांठ और 9 अगस्त, 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के यादगार के संदर्भों को लेगें।

11.03 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयुर्वेदिक कालेज

* 14.1 **श्री फूलचन्द वर्मा :**

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने आयुर्वेदिक कालेज हैं और इन कालेजों में प्रतिवर्ष कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है;

(ख) देश में पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा एलोपैथी के विकल्प के रूप में पता लगाई गई पारम्परिक चिकित्सा पद्धति कौन सी हैं;

(घ) क्या देश और विदेशों में आयुर्वेदिक सिद्ध ओर पारम्परिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार)

(क) से (च) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) ।।। आयुर्वेदिक कालेज जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 5056 है।

(ख) 31.12.1993 को देश में पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या 3,61,268 थी।

(ग) एलोपैथी के अतिरिक्त आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति न होकर स्वतंत्र चिकित्सा पद्धतियां हैं।

(घ) से (च) इन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा प्रचार करने की महत्वपूर्ण योजनाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के पृथक विभाग की स्थापना करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी की शिक्षण

संस्थाओं का सुदृढ़िकरण।

(ii) अनुसंधान संस्थाओं को सुदृढ करके भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी में अनुसंधान का पुनर्जीवीकरण।

(iii) (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी का मानकीकरण तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति में औषध नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी औषधी के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी में भेषण संग्रह संबंधी कार्य का सुदृढ़ीकरण।

(घ) योग और प्राकृतिक चिकित्सा का विकास अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा संस्थागत विकास।

(iv) चिकित्सीय पादपों का विकास तथा खेती।

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के विशेषीकृत उपचार केन्द्रों की स्थापना करना।

(हिन्दी)

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद करीब 5 हजार साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति है और उसका एक वृहद्ध चिकित्सा विज्ञान है जिसका चरक संहिता तथा प्राचीन ग्रन्थो के अंदर उल्लेख है और उद्भूत हुआ है। आज भी इस चिकित्सा विज्ञान की अपनी उपयोगिता है और इस आधुनिक युग में भी आयुर्वेद चिकित्सा को मान्यता मिली हुई है। आज आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा ऐसे असाध्य रोगों का इलाज हो रहा है जो एलोपैथी में संभव नहीं है। लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार की भेदभवपूर्ण नीति के कारण आज तक आयुर्वेद के साथ न्याय नहीं किया गया है और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जितना बढ़ावा दिया जाना चाहिए उतना बढ़ावा नहीं दिया गया है। आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी यहां बैठे है।

मैं उन्हें बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन में उन्होंने कहा था ... (व्यावधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आयें

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया सीधे प्रश्न पूछें।

(हिन्दी)

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। आप कृपया प्रश्न पर आयें।

(हिन्दी)

श्री फूलचन्द वर्मा : आप सुन तो लें। भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन में, जो नागपुर में 1993 में हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिये अलग से एक मंत्रालय या निर्देशाल बनाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक इस दिशा में क्या प्रोग्रेस हुई है, इस संबंध में उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की है, उसका ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अब आप बैठ जाईये।

(अनुवाद)

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, हमारे प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद सम्मेलन में जो वायदा किया था उसी के अनुसार उन्होंने एक अलग भारतीय चिकित्सा प्रणाली विभाग का सृजन किया है और इस विभाग ने हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में एक अलग विभाग के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है।

(हिन्दी)

श्री फूलचन्द वर्मा : शायद मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाये। मैंने विभाग की बात नहीं की है। मैने प्रधानमंत्री जी के ब्यान को कोट किया है प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिये अलग से एक मंत्रालय स्थापित होगा या फिर एक निर्देशालय स्थापित किया जायेगा। मैं 28 दिसम्बर, 1993 के अखबार में आये उनके ब्यान को यहां कोट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आपको अखबार से कोट नहीं करना है। क्या मुझे यह चीज आपको समझानी पड़ेगी।

श्री फूलचन्द वर्मा : मै आपसे सहमत हूं लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां बैठे है, वे बतायें कि उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं। मैं विभाग की

बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मंत्रालय की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं, वे स्पष्ट कर दें।

(अनुवाद)

प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव : में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। एक अलग मंत्रालय के बारे में बात करने का मेरा इरादा कदापि नहीं था। मैंने केवल यह कहा था, कि एक मंत्री की अध्यक्षता में एक विभाग पूर्णकालिक आधार पर खोला जाएगा। उक्त मंत्री को अभी नियुक्त नहीं किया गया है, लेकिन विभाग स्वंत्रतरूप से कार्य कर रहा है और वे अनुसंधान और इसी तरह के अन्य कार्यों को काफी महत्व दे रहे हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते है, पूरा ब्यौरा दिया जा सकता है लेकिन महोदय, मैंने किसी मंत्रालय का वायदा नहीं किया था।

(हिन्दी)

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी सप्लीमेटरी पूछना चाहता हूं।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : यह तीसरा, प्रश्न है फिर भी मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(हिन्दी)

श्री फूलचन्द वर्मा : प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद भी मामला साफ नहीं हुआ है, स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मैं अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से कैंसर का भी इलाज हो रहा है लेकिन फिर भी उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? आपको अलग से मंत्रालय बनाने में क्या दिक्कत है। यदि आप अलग मंत्रालय बना देते है तो लोग आपको याद करेंगे कि आपके कार्यकाल में भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ न्याय किया।

अध्यक्ष महोदय : दर्द बायें हाथ को है और दवा दायें हाथ में लगाई जा रही है।

श्री फूलचन्द वर्मा : प्रधानमंत्री जी के कथन का यही मतलब निकलता है लेकिन आज वे घुमाकर क्यों कह रहे है। उन्होंने उस दिन सीधी बात कही थी।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: सीधे प्रश्न पर आयें। मैं इस प्रकार के वाद-विवाद की अनुमती नहीं दूंगा।

(हिन्दी)

श्री फूलचन्द वर्मा : आयुर्वेदिक औषधियों का आधार जड़ी-बूटियां है जो जंगलों और वनों में पायी जाती है लेकिन जिस ढंग से आज वनों और जंगलों की कटाई हो रही है, उसके कारण जड़ी-बूटियों का उत्पादन निरन्तर घटता जा रहा है। इस कारण आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। आज न केवल भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, आयुर्वेदिक दवाइयों की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में, माननीय मंत्री जी वन और पर्यावरण मंत्री के साथ मिलकर क्या कोई ऐसी कार्य योजना बनायेंगे जिससे देश में वनों की कटाई रूक सके, जड़ी-बूटियों का उत्पादन देश में बढ़ाया जा सके और हम विश्व की आयुर्वेदिक दवाइयों की मांग को पूरा कर सके।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : माननीय सदस्य को यह पता होगा कि पिछले हफ्ते, आज ही के दिन, आयुर्वेदाचार्य जी के एक सवाल के जवाब में मैंने यह कहा था कि आयुर्वेद में जितनी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्ग निर्देशन में हम कोशिश कर रहे हैं।

नया डिपार्टमेंट खुल चुका है। उसके लिए जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा, एक अलग से मंत्री भी इंडिपेंडेंट चार्ज वाला अपाइंट करेंगे। ये तीन बातें हो गई है।

जहां तक जड़ी बूटी का ताल्लुक है, मैंने यह भी कहा था कि इंसान की, मानव की बनाई हुई लैबोरेट्री से ज्यादा अच्छी ऊपर वाले द्वारा बनाई गई लैबोरेट्री होती है। मैंने उस वक्त भी यह कहा था कि जहां तक आयुर्वेद का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा फाउंडेशन उसके सिलसिले में हम तैयार कर रहे है और प्रयास कर रहे हैं कि वह बहुत बड़ा आयुर्वेद का फाउंडेशन हो और मैंने यह भी कहा कि यू.एस. के अंदर भी आज जो चिकित्सा हो रही है, रिसर्च हो रही है आयुर्वेद की हम भी आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं और मैं बताना चाहता हूं कि फारेस्ट के सिलसिले में, एनवायरनमेंट के सिलसिले में, साफ और सुथरे पानी के सिलसिले में, जो जल की बाते हैं, उस सिलसिले में, हम एक हाई लैवल कमेटी बनाने की सोच रहे है और वह जल्दी बनेगी और इसमें जो इंडिपेंडेंट काम करने वाले लोग हैं उनको समाविष्ट किया जाएगा। हम तीनों चीजों, चाहे वह पर्यावरण का सवाल हो, फारेस्ट का सवाल हो, पीने के पानी का सवाल हो, जड़ी-बूटी तो फारेस्ट में आ ही जाती हैं, इन सारी चीजों के लिए हम एक कमेटी मुकर्रर कर रहे है, उसका अभ्यास करने के बाद वह कमेटी हमें अपनी रिपोर्ट देगी। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के पास स्टडी ग्रुप के रिजल्ट्स को ले जाएंगे। कैबीनेट नोट तैयार किए जाएंगे और अगर जरूरत होगी, तो नये लेजिस्लेशन को भी आपके सामने लेकर आएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

(अनुवाद)

प्रो उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : मुझे खुशी है कि भारतीय चिकित्सा

प्रणाली को अपनाने के लिए एक नया विभाग का सृजन किया गया है। जैसाकि मैं समझ सकता हूं कि एक अलग मंत्री को इस मंत्रालय का प्रभारी भी बनाया जायेगा। भारतीय चिकिसा प्रणाली का इतिहास पांच हजार वर्ष पुराना है। प्राचीन साहित्य में काफी सामग्री उपलब्ध है लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली सम्पूर्ण इतिहास का पता लगाने के लिए किसी अति महत्वपूर्ण पद का कहीं भी सृजन नहीं किया गया है। प्रसिद्ध ऐलौपैथी के संस्कृति के विकास के साथ इसकी अधिक लागत के कारण, लोग भारतीय चिकित्सा प्रणली को अपना रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी उच्चतर स्तर पर अनुसंधान क्रियाकलापों और शैक्षणिक सुविधाओं को दिया जाएगा ताकि विश्वविद्यालयों में ऐसे (चेयर) पदों का सृजन किया जा सके और प्राचीन साहित्य का पता लगाया जा सके जिससे इस क्षेत्र में भविष्य में अनुसंधान और विकास की नींव डाली जा सके।

दूसरा, चिकित्सा संबंधी जड़ी-बूटियां यद्यपि यह समझा जाता हैं कि वनों में बहुतायत में उपलब्ध हैं तथापि ये विलुप्त हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन जड़ी-बूटियों की खेती के लिए कोई अनुसंधान केन्द्र शुरू करने के बारे में सोच रही है ताकि इन दवाईयों को तैयार करने के उससे कच्चा माल उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले से ही विधभाव है।

(हिन्दी)

श्री ए.आर. अन्तुले : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में पहले जवाब दिया है। मैंने कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के मार्गदर्शन में हम एक फाउंडेशन रिसर्च कायम करना चाहते है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने बतलाया है, वो फाउंडेशन के अंदर जड़ी-बूटी तो आना जरूरी है वनो आयुर्वेद का क्या रिसर्च होगा और उसके अंदर यह भी आएगा कि अगर कोई चीज पांच हजार साल पहले अमल में लाई जाती थी, चाहे वह लिखित हो या अलिखित तो भी उसके ऊपर अनुसंधान करने के लिए हम कार्य करेंगे ओर जल्दी ही पहला कदम उठा है, ऐसा आपको नजर आयेगा।

(अनुवाद)

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सच नहीं है कि आयुर्वेद पर साहित्य उपलब्ध नहीं है। बल्कि यह विडम्बना ही है कि विदेशी विद्वानों और अन्य देशों के विद्वानों, डाक्टरों और एलोपेथों ने काफी मात्रा में साहित्य प्रस्तुत किया है। मैने डॉ भलकोटे, जो लोक सभा के दो बार सदस्य रहे हैं, उनके निवास हैदराबाद में आयुर्वेद पर, आयुर्वेद के सभी पहलुओं पर लिखे पांच सौ बड़े-बड़े ग्रंथों को स्वयं देखा है। इस तरह बहुत सारा साहित्य आयुर्वेद पर उपलब्ध है। दुर्भाग्यवश, यह सारी भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। यह या तो संस्कृत में है और या अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में है लेकिन हमारी भाषाओं में नहीं है। अत: एक बार यह विभाग कार्य शुरू कर देता है तो मुझे विश्वास है कि यह उनके काम का एक हिस्सा हो जाएगा और इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करके जनसाधारण को उपलब्ध कराया जा सकता है। यही एक तरीका है जिससे हम लोगों को उनकी स्वयं की परम्परागत चिकित्सा से अवगत करा सकते हैं। और यह होगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है।

(हिन्दी)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान भर में 46 आयुर्वेदिक कालेज चल रहे है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से ऐलोपैथिक के कालेज चल रहे हैं, उसमें से कितने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है और कितने निजी क्षेत्र में चल रहे हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि निजी क्षेत्र में जो कालेज चल रहे हैं, उसमें केपीटेशन फीस बहुत तादाद में ली जाती है। इसी के साथ निजी क्षेत्र में जो कालेज चल रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से कोई संरक्षण व सहायता प्राप्त नहीं होती। क्या हिन्दुस्तान के सभी प्रमुख शहरों में केन्द्र सरकार अपने खर्चे से आयुर्वेदिक कालेज प्रारम्भ करने का विचार रखती है। यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों?

(अनुवाद)

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, आयुर्वेद में उच्चतर शिक्षा के लिए तीन केन्द्रीय संस्थान हैं। एक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय है। यह मानव संसाधान विकास मंत्रालय के अधीन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है और गुजरात आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद में स्मान्तकोत्तर पढ़ाई और अनुसंधान संस्थान, जामनगर भी सीधे केन्द्रीय सरकार अर्थात् स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है और हम इन संस्थानों को देश में आयुर्वेद शिक्षा के विकास के लिए हर-सम्भव सहायता दे रहे हैं।

(हिन्दी)

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह पर्याप्त नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में एलोपैथिक कालेज बड़ी तादाद में हैं जबकि आयुर्वेदिक कालेज...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा यही प्रश्न था कि क्या केन्द्र सरकार शहरों में आयुर्वेदिक कालेज चालू करेगी?... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ये जड़ी-बूटी के बारे में सबसे ज्यादा जानते है।...

(व्यावधान)

श्री गोविन्द चन्द मुण्डा : अध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हिन्दी में बोलिये। अगर आप अपने प्रश्न का रिप्लाई चाहते है और आपने उनको पहले नहीं बताया तो आप हिन्दी में पूछिये।

(अनुवाद)

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : महोदय, यहां पर कई उड़िया जानने वाले संसद सदस्य हैं। वे उड़िया समझ सकते हैं। वे अंग्रेजी भी जानते हैं।

क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कितने विद्यार्थियों को कालेजों में दाखिला दिया जाता है, उनकी योग्यता क्या है और कितने पास होते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जनजातिय लोगों और विद्यार्थियों को इस बारे में प्रोत्साहित करेगी। पूरे देश में इन वर्गों के कितने निदेशक हैं? क्या यह अलग है या एलोपैथिक और आयुर्वेद के साथ मिला है?

(हिन्दी)

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आजकल हिन्दुस्तान में एड्स बहुत फैला हुआ है। जितने भी हास्पिटल है, उन सबकी हमने इंक्वायरी की और वे सब यही कहते है कि हमारे पास मेडीसन की कमी है तो सरकार को आयुर्वेदिक में क्या तकलीफ है?

(अनुवाद)

एड्स के बारे में केन्द्रीय सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मेरे लिखित उत्तर में, मैंने उल्लेख किया है कि देश में 111 आयुर्वेद कालेज हैं। उनमें प्रतिवर्ष 5,056 विद्यार्थी दाखिला लेते हैं।

(हिन्दी)

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, चाहे यूनानी हो, आयुर्वेद हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो या कोई और हो, ये सारे सिस्टम अपनी-अपनी जगह अपना महत्व रखते है और एक ही पैथी में सारे रोगों के इलाज नहीं मिलते। किसी एक पैथी में किसी रोग का इलाज अच्छा होता है, दूसरी पैथी में और किसी रोग का इलाज अच्छा होता है। जैसे लिवर सिरोसिस के बारे में कहते है कि माडर्न मैडीसन या ऐलोपैथी में ऐसा कहा जाता है। ऐस्थमा के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ऐक्यूप्रेशर से ज्यादा रिलीफ मिलता है। जितने भी जवाब दिए गए हैं, हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कालेजों में उसका सबजैक्ट कैसे रखने वाले हैं, क्या रिसर्च करने वाले हैं, यह सारा इसमें दिया जाता है। लेकिन आज हालत यह है कि मरीज अलग-अलग पैथी की दवाई लेने के लिए अलग-अलग डाक्टर के पास जाता है। जितने भी सरकारी अस्पाल हैं, उनमें यह हो सकता है कि हम सारी पैथीज़ का इलाज या उसके एक्सपर्टस किसी एक अस्पताल में रखने की कोशिश करें। ऐसा प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ने बम्बई और दूसरी जगह में शुरू किया है और उसका अच्छा रिसपौंस आ रहा है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अंडर वन कवर अलग-अलग पैथीज के एक्सपर्टस हो और जिसको जो इलाज ठीक लगता हो, उसका वैसा इलाज किया जाए। नहीं तो यह होता है कि ऐलोपैथी के इलाज के लिए मरीज वहां जाता है तो उसके सारे ऐग्जामिनेशन जैसे स्टूल, यूटीन, ब्लड वगैरह हो जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ऐसा विचार कर सकती है?

श्री ए.आर. अन्तुले : अध्यक्ष महोदय, यदि हम हर पैथी में मिक्स अप करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा नहीं होगा। यदि माननीय सदस्या को यह कहना है कि डिसिप्लीन को बढ़ावा दिया जाए तो फिर वह ऐलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो या आयुर्वेद हो या सिद्धा हो बढ़ावा हर एक को दिया जायेगा और एक पैथी में जरूर दिया जाएगा और एक छत के नीचे हर किसी को लाया जाएगा। उसमें यदि यहां इलाज नहीं है तो मरीज दूसरे डिपार्टमैंट में जा सकता है, जैसा माननीय सदस्या ने ठीक ही कहा। लेकिन एक ही ट्रेनिंग में और एक ही कोई डिसीपलीन, पैथी में हम मिक्सचर इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनकी वजह से यह पता नहीं लगेगा कि वो मिक्सचर भला आयुर्वेद है या कोई और है। हर किसी की तालीम और डिसिपलीन और पैथी अलग होगी लेकिन एक छत के नीचे अलग-अलग तरीके में लेकिन हर एक डिसीपलीन डिपार्टमेंट या पैथी को लाने के बारे में जरूर सोचना है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की ओर भी ध्यान दिया है जिसके माध्यम से इलाज करने में खर्च नहीं होता या बहुत कम होता है? क्या सरकार ने भिन्न-भिन्न जगहों पर कोई ऐसा केन्द्र स्थापित किया है जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा इलाज किया जा रहा हो?

(अनुवाद)

श्री पवन सिंह घाटोवार : इस विभाग के अंतर्गत सरकार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का भी विकास कर रही है। पूना में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति केन्द्र है। हम केन्द्र का विकास करने का प्रयास कर रही है।

(हिन्दी)

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष जी, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का ह्रास इस कारण से हो रहा है कि प्राचीन पद्धति से जो आयुर्वेद के महाविद्यालय चलते थे, उनमें संशोधन कर दिया गया है। जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि एक छत के नीचे दोनों व्यवस्थाएं नहीं चल सकती, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और जामनगर, जितने भी आयुर्वेदिक कालेज हैं, उनमें आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों साथ-साथ पढ़ाये जाते है। उसका नतीजा यह होता है कि वहां का निकला हुआ छात्र न तो आयुर्वेद का ज्ञाता बन पाता है और न ही एलोपैथी का ज्ञाता बन पाता है और बाहर निकलने के बाद वह अपने आगे लिखता है, डा. फलां, ए.डी.एम.एस. इसलिए आयुर्वेद का ह्रास होता जो रहा है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से स्पष्ट यह जानना चाहूंगा कि जैसे प्राचीन काल में आयुर्वेद महाविद्यालय चलते थे और दिल्ली में आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ चलता था, इस

प्रकार का शुद्ध आयुर्वेद का ज्ञान दिलाने के लिए आप आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना करेंगे, जिनमें कि वनस्पति विज्ञान की जानकारी लेकर, जड़ी बूटियों की जानकारी लेकर शुद्ध आयुर्वेद पद्धति के ज्ञाता निकल सके और उससे देश को लाभ प्राप्त हो सके?

(अनुवाद)

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, हम राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ का विकास कर रहे हैं और माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि विद्यापीठ के अंतर्गत सरकार गुरू-शिष्य परम्परा को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार ने देश के कुछ आयुर्वेदिक आचार्यों को चुना है और उनसे अनुरोध किया है कि वे कुछ विद्यार्थियों को दो वर्षों तक अपने साथ रखें, और इनको साथ दो वर्ष के लिये रखें। हमने देश में सात-आठ प्रसिद्ध आयुर्वेदिक आचार्यों को चुना है। अति बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अनुरोध किया है कि वे इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिये, सरकार विद्यार्थियों का चयन करके इनको दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिये आचार्यों के पास भेज रही है।

डा. कृपासिन्धु भोई : महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिये एक पृथक विभाग का गठन करने के लिये मुबारकबाद देता हूं। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज अर्थात 'द कन्ट्री प्रोफाइल ऑफ इंडिया - डब्लू.एच.ओ. रीजिनल सेमीनार आन ट्रेडीशनल मेडिसन प्रोग्राम-77 कोलम्बो' में उल्लिखित है कि 1976-77 में आयुर्वेदिक कालेजों की संख्या 108 थी और इनकी संख्या अब 111 है। वर्ष 1976-77 में योजना परिव्यय 25.6 करोड़ रुपये था और वर्ष 1994-95 में सिर्फ 1.40 करोड़ रूपये है। गैर-योजना क्षेत्र में परिव्यय 37 लाख रुपये है। इसके बावजूद भी योजना परिव्यय को कहीं और खर्च कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या उद्देश्य है जबकि वह कहती है कि इस वर्ष योजना परिव्यय बढ़ाया जाएगा।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ने 1984 में 4 नई योजनाओं को मंजूरी दी थी? यह प्रश्न में भी पूछा गया है और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। नई योजनाएं हैं:-

(एक) रसशास्त्र (धात्विक और खनिजीय निर्माण)

(दो) आयुर्वेदिक साहित्य और उल्लेखनीय कृतियों के प्रलेखन की योजना।

(तीन) भारतीय चिकित्सा पद्धति के तहत अंतर्राष्ट्रीय कक्षा शीर्षक के अन्तर्गत शाक टीके को विकसित करने की नई योजना जैसा कि चीन ने बड़ पैमाने पर आप्रातकालिक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये किया है।

माननीय महोदया कह रही थीं कि हमारे देश या विश्व में ऐसी कोई पद्धति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण मत दीजिये।

डा. कृपासिन्धु भोई : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं अपितु माननीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान दीजिये कि हमने आधा घन्टा एक प्रश्न पर लगा दिया है।

डा. कृपासिन्धु भोई : मैं अपना ध्यान कहीं और केन्द्रित नहीं कर रहा हूं। मैं मूल प्रश्न से सम्बद्ध एक सुस्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि 1984 से चारों योजनाओं को मंजूरी क्यों नहीं दी गई है और योजना परिव्यय को क्यों इतना ज्यादा कम कर दिया गया है? हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, यह सही नहीं है कि योजना परिव्यय में कमी की गयी है। नए विभाग का गठन करके माननीय प्रधान मंत्री जी ने अधिक धनराशि दी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 88 करोड़ रुपये दिये गए थे और अब यह बढ़ाकर 108 करोड़ रुपये कर दिया है। मेरे विचार में देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिये धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

(हिन्दी)

श्री बृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद पद्धति से निश्चित तौर पर बहुत सारे असाध्य रोगों का इलाज होता है। इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी चिन्तित है। जब एक ही विभाग में एलोपैथी के चिकित्सक और आयुर्वेद के चिकित्सक की नियुक्ति का सवाल आता है तब सरकार जो सैलरी तय करती है वह एलोपैथी के चिकित्सक के लिए चार हजार रुपये और आयुर्वेद के चिकित्सक के लिए दो हजार रुपये ही तय करती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार इस विषमता को दूर करने का प्रयास करेगी?

(अनुवाद)

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, निश्चिय ही सरकार इस पक्ष को देखेगी।

राष्ट्रीय पेयजल प्राधिकरण

*143 **श्री रवि राय** :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल प्राधिकरण गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्राधिकरण के सम्भावित गठन, शक्तियों तथा कार्यकरण संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देश के समूचे जलरहित क्षेत्रों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र) :

(क) से (ग) देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पेयजल प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) देश में प्रत्येक बसावट में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराने का प्रस्ताव है।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 01.04.1995 तक ऐसी 1,17,429 बसावटें थीं जिनमें स्वच्छ पेयजल सप्लाई का कोई सार्वजनिक स्रोत नहीं था। वर्तमान वर्ष में इन बसावटों में से 55,996 को कवर करने का लक्ष्य है और शेष 61,433 बसावटों को 15 अगस्त, 1997 तक कवर कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

(हिन्दी)

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे देश में पीने का पानी करोड़ों लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्वच्छ पीने के पानी के क्या नार्म्स सरकार ने रखे हैं और उस लिहाज से पर-केपिटा कितना पानी यूज होता है और कितने लोग स्वच्छ पीने के पानी से वंचित है?

डा. जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, इस देश में 13 लाख बसे हुए इलाके हैं जिनमें आठ लाख बसावटों में शुद्ध पानी की पूरी व्यवस्था की गई है, परंतु उनमें से चार लाख ऐसे गांव हैं जहां पर प्रति व्यक्ति चालीस लिटर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। एक तो यह कमी है, दूसरा गुणात्मक पक्ष भी है। एक लाख चालीस हजार बसावटें ऐसी हैं जहां पानी की आपूर्ति की गई है, लेकिन उसमें क्वालिटी प्राब्लम भी है। इस वजह से प्रधान मंत्रीजी ने हम सबकों कहा और 4 जुलाई को उन्होंने पूरे विभाग की समीक्षा की और निर्देश दिया कि जो गुणात्मक ह्रास या गुणात्मक कमजोरी है उसे तत्काल ठीक किया जाये। राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में फ्लोराइड के बारे में समस्या अधिक है। इसलिए विभाग से चेष्टा हो रही है कि जो एक लाख चालीस हजार बसावटें है वहां पानी में जो दोष है, वे दूर किये जायें और पानी की क्वालिटी में सुधार किया जाये। जो एक लाख चालीस हजार बस्तियां शुद्ध पानी से वंचित हैं वहां पानी की आपूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी वजह से प्रधान मंत्री जी के साथ जो वार्ता हुई है उसमें विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकारें तत्परतापूर्वक केन्द्रीय आबंटन का उपयोग नहीं कर रही है इसलिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण कायम किया जाये। उसके अधीन सारे कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाये। उस प्राधिकरण में मुख्य मंत्रियों को सदस्य बनाया जाये। चूंकि यह राजय सरकार की जिम्मेदारी है इसलिए वे ही इसमें कमी करती रही है, इसे हम दूर कर रहे है।

श्री रवि राय : मेरा एक ठोस सवाल था कि क्वालिटी का क्या नाम रखा है?

डा. जगन्नाथ मिश्र : हम पानी को टैस्ट करते रहते है, जो फ्लोराइड है या अर्सेनिक है, इन सारी चीजों से मुक्त पानी की क्वालिटी की जांच करते है कि पानी में यह दोष है या नहीं, अगर दोष नहीं है तो पानी शुद्ध है। उसी तरह से हमारे विशेषज्ञों ने सारे देश में सर्वेक्षण करके बताया है कि एक लाख चालीस हजार बस्तियों में पानी की आपूर्ति की गई है यह गुणात्मक ढंग से ठीक नहीं है, उनमें दोष दूर किये जाने चाहिए।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं :

(अनुवाद)

जैविक सदूषण (नहरुआ, हैजा, टाइफाइड) रसायनिक संदूषण (फ्लोराइड की अधिकता, खारेपन, लोहे की अधिकता, अरसायनिक और नाइट्रेट) से मुक्त जल को पेय जल माना जाता है।

(हिन्दी)

यह आपका ही मापदंड हैं। उस पृष्ठभूमि में कितने हैबीटेशन को आप पीने का पानी नहीं दे पाये है, यह बतायें, फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा।

डा. जगन्नाथ मिश्र : भिन्न-भिन्न राज्यों में पानी की जांच के लिए हमने प्रयोशालाएं बनाई हुई है। वहां हम पानी की किस्म की जांच करते है। उसी से हम चिन्हित करते है कि पानी में क्या दोष है।

हम पानी को दोष से मुक्त करने के लिए उपाय कर रहे है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बैठक में हिदायत दी है। उसके बाद हमने एक टीम राजस्थान और गुजरात में भेजी है कि वे वहां जाकर देखें कि पानी को कैसे दोष से मुक्त करेंगे। माननीय सदस्य जो जानना चाहते है उसके लिए मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उसकी जांच के लिए सब राज्यों में प्रयोगशालाएं बनी हुई हैं और उस जांच से पता चलता है कि पानी में क्या दोष है?

श्री रवि राय : अध्यक्ष जी, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 'डिसेलिनेशन' प्लांट है, कितने राज्यों में इस प्लांट का इस्तेमाल हो रहा है और कितनी राज्य सरकारें इस प्लांट का इस्तेमाल नहीं कर रही है। जहां यह प्लांट नहीं होता है

वहां सेफ ड्रिंकिग वाटर उपलब्ध होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन की ओर से जो सब-कमीशन बिठाया गया, उसने पिछले 2-4 साल में सेफ ड्रिंकिंग वाटर को उपलब्ध कराने के लिए क्या किया है? यहां हैल्थ मिनिस्टर बैठे है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अभाव में हर साल लाखों लोग मरते है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अभाव में लोगों को कई प्रकार की बीमारियां, जैसे कोलरा आदि बीमारियां हो जाती है और इस कारण से लाखों लोग हर साल मरते हैं।

मेरा कहना यह है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अभाव से जो बीमारियां होती हैं उनसे कितने लोग हिन्दुस्तान में मरते हैं, इसकी भी हमको जानकारी चाहिए? ... (**व्यवधान**)

डा. जगन्नाथ मिश्र : इसके आंकड़े अभी हमारे पास नहीं है। हम सदन को बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पूरी दिलचस्पी ली है कि जहां-जहां पानी में दोष है, वहां जो कमजोरियां हैं उनको ठीक किया जाए। ... (**व्यवधान**) मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 4858 गांव चिन्हित किए गए हैं। उनके बाद राजस्थान में सबसे अधिक 14643 गांव हैं जिनको चिन्हित किया गया है, गुजरात में 2413 गांव ऐसे हैं। इसलिए हम इन सारे राज्यों में प्रयोगशालाओं के जरिए इस पानी की जांच तो कर ही रहे हैं उसके साथ-साथ एक और उपाय भी निकाल रहे हैं कि उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। मंत्रालय ने जो कार्यक्रम तय किया है, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि आजादी के 50वें साल, 15 अगस्त तक इस देश में जहां पर पानी नहीं है वहां पानी की आपूर्ति करेंगे और जिन गांवों में पानी के गुणात्मक दोष है उनको दूर किया जाएगा। हर गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक पानी का स्रोत और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रालय ने यह कार्यक्रम निर्धारित किया है कि 15 अगस्त, 97 तक इस समस्या का समाधान हम निकालेंगे। ... (**व्यवधान**)

श्री रवि राय : महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। मेरा एक ठोस सवाल था, डिसेलिनेशन संयंत्र ... (**व्यवधान**)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : खारेपन को खत्म करने का संयंत्र और जल को शुद्ध बनाने का संयंत्र पृथक-पृथक चीजें हैं। ... (**व्यवधान**)

(हिन्दी)

श्री रवि राय : मैं यही पूछ रहा हूं कि यह कितने राज्यों में नहीं हुआ है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास जानकारी है तो दे दीजिये अथवा एकत्र करके माननीय सदस्य को भेज दीजिये।

(हिन्दी)

डा. जगन्नाथ मिश्र : इस समय यह इनफोरमेशन नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संख्या जानना चाहते हैं।... (**व्यवधान**)

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : कितने गांवों में वाटर प्यूरीफिकेशन प्लांट्स लग गए हैं, इसका इनफोरमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के पास होना मुश्किल है। आप इसको बाद में कलेक्ट करके दे दीजिए।... (**व्यवधान**)

डा. जगन्नाथ मिश्र : वह तो हम दे देंगे। हम इस समय इतनी ही सूचना देना चाहते हैं, चूंकि राज्यों ने यह कार्यवाही नहीं की है इसी वजह से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोग बना कर, इसको रिव्यू करके हम काम करेंगे। हम सारे राज्यों से सूचना एकत्र करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिन राज्यों का जिक्र किया है, उसमें मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बताया गया है।

(अनुवाद)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, कई राज्यों विशेषत: राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में फ्लुरोसिस की समस्या है। कई वर्षों से यह समस्या बनी हुई है। समुद्री मछली पालन के कारण तटीय क्षेत्रों में एक और समस्या पैदा हो गई है। कई गांवों के जल स्रोत खारे होते जा रहे हैं। इन गांवों में उचित पेय जल की सुविधाएं नहीं हैं। इस समस्या के चलते माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि जिन गांवों को इसके अंतर्गत नहीं लाया गया है उनमें दो वर्ष के भीतर पेयजल की आपूर्ति कर दी जाएगी। यह कहा गया है कि सवा लाख ....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये। हमने 45 मिनट में डेढ़ प्रश्न भी पूरा नहीं किया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं जानना चाहता हूं कि कितने गांवों में उचित पेयजल की सुविधा नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की जानकारी सम्भवत: मंत्री महोदय के पास नहीं होगी। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं सुस्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अगले दो वर्षों में आन्ध्र प्रदेश के कितने गांवों को इसके अंतर्गत नहीं लाया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे सकते हैं।

(हिन्दी)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिन

राज्यों का जिक्र किया है, उसमें मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेटवाइज प्रश्न नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं प्वाइंटेड प्रश्न पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का जल-स्तर गिर गया है और वहां के कई जिलों में नारू रोग फैल गया है। राजय शासन 9 जिलों की योजना स्वीकृति के लिए आपके पास भेजी है। मैं जानना चाहता हूं कि नारू रोग की रोक-थाम के लिए क्या आप इस योजना को स्वीकृत करेंगे?

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : अगर जानकारी है तो दे दीजिये अन्यथा एकत्र करके माननीय सदस्य को भेज दीजिये।

(हिन्दी)

श्री जगन्नाथ मिश्र : जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैंने सारे राज्यों की सूची नहीं पढ़ी थी, इसलिए मध्य प्रदेश का नाम नहीं आया। मैंने सिर्फ 3 राज्यों की सूची पढ़ी थी। मध्य प्रदेश के बारे में 200 गांवों की सूचना हमारे पास है और जहां तक नारू रोग का सवाल है, उसके बारे में भी उपाय किए जा रहे है।

अध्यक्ष महोदय : वन मिनट प्लीज, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक एरिया के बारे में प्रश्न पूछा है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : यह जानकारी इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

(अनुवाद)

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : मैं फ्लुरोसिस के संबंध में सभा को खुशखबरी देना चाहता हूं। कई वर्षों से कई राज्यों के कई गांवों में चली आ रही इस समस्या का अन्त होने वाला है। हमने इसका उपचार ढूंढ लिया है।

उन्होंने कोई रसायन अथवा कोई वस्तु तैयार करी है जिसमें से अगर पानी को गुजारा जाये तो पानी फ्लोराइड-मुक्त हो जाता है। समस्या सिर्फ इसकी भारी लागत है। जलाशय अथवा पूरे गांव को लिया जाए तो लागत बहुत अधिक आएगी जो कि गांव अथवा गांव के लोग वहन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटे जार की तरह का माडल तैयार किया है जिसके दो सिरे है जिसके बीच में पदार्थ या सामग्री रखी जाती है। यह पीने के पानी के लिए है। फ्लोरिन युक्त पानी नहाने और अन्य कार्यों के प्रयोग में लाया जा सकता है, और योजना यह है कि सिर्फ पीने के लिये फ्लोराइड मुक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। आकलन के मुताबिक जार की कीमत 1,500 रुपये है और एक बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है तो कीमत कम हो जाएगी। मैंने पूरे देश, चाहे राजस्थान हो या आन्ध्र प्रदेश हो, के लिये निर्देश दिये हैं। पहले हमको फ्लुरोसिस को समाप्त करना है सबसे पहलें हमको पेय जल को फ्लुरोसिस से मुक्त करना है जैसा कि सरकार ने नहरूआ नामक - कृमि के मामले में सीढीदार कुओं को पानी खींच कर निकालने वाले कुओं में परिवर्तित करके किया है। महोदय, यही प्रयास है। अधिक से अधिक परिवारों को यह देना है और उनको बताया है कि किस प्रकार फिल्टर को बदलना है और अन्य चीजें करनी हैं। इसके जिए अधिक धन की आवश्यकता है परन्तु हम इस कार्य के लिए अधिक धनराशि जुटा पायेंगें। सरकार ने इसको पहली प्राथमिकता दी है और अगले दो वर्षों में इसको पूरा भी करना है, इसलिये इसको पूरा करने के लिये धन एकत्र कर लिया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि तकनीकी समस्या, जो कि वास्तविक चुनौती थी, को हल कर लिया गया है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर हमको सभा में रिहायशी इलाकों से संबंधित आकड़ें दिये गए हैं, जिनमें पूरी आवश्यकता पूर्ण करने, आंशिक रूप से आवश्यकता पूर्ण करने और जहां पर कुछ भी नहीं किया गया है, से संबद्ध हैं। महोदय, मैं दूसरी श्रेणी अर्थात आंशिक रूप से पूर्ण करने के संबंध में कहना चाहता हूं कि ये आकड़ें भ्रामक हैं। इनसे सभा भ्रमित हो जाती है। भ्रमित इसलिये क्योंकि अगर एक गांव में एक हजार की जनसंख्या है और वहां पर सिर्फ एक भी पेयजल का स्रोत उपलब्ध है तो माननीय मंत्री महोदय दावा करेंगे कि उस रिहायशी इलाके को इसके अंतर्गत लाया जा चुका है। इसलिये, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रिहायशी इलाकों की संख्या के विपरीत देश की कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के पास नियमित पेयजल के साधन उपलब्ध हैं - आंकड़ें दें और यह भी आंकड़ें दें कि कितने प्रतिशत को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, क्या अगले दो वर्षों में उन लोगों को जिनको अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, यह सुविधा उपलब्ध करादी जायगी?

(हिन्दी)

श्री जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा है कि हमने तो परिभाषा ही यह की है कि जितना शुद्ध पानी दिया जा रहा है आवश्यकता के अनुसार 40 लीटर...।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आप गांव की बात करते हैं, मैं आदमी की बात करता हूं।

श्री जगन्नाथ मिश्र : एवरेज तो हम तो पूरे गांव का ही कह रहे हैं। 40 लीटर पानी एक मानव की आवश्यकता है। दूसरा, जो 40 लीटर से नीचे है। तीसरा, जो 10 लीटर से नीचे है। अभी जो कार्यक्रम हमने निर्धारित किया है वह यह है कि 10 लीटर से 40 लीटर के बीच में हम लोगों को पानी की आपूर्ति करेंगे और वहीं हम कर भी रहे हैं। अभी 13 लाख बोसाबास में से 8 लाख बासोबास में व्यवस्था की गई है। उनमें से 4 लाख ऐसे बासोबास है जिन्हें आवश्यकता के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है, उन्हें ही हम पानी देने जा रहे हैं। अभी 1 लाख 48 हजार

बस्तियों को हम पहले देंगे। दूसरे 4 लाख बासोबास जिन्हें हमने आपूर्ति की है लेकिन कुछ आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे गांवों को हम दूसरी प्राथमिकता दे रहे है तथा प्रति व्यक्ति औसत जो है उसी हिसाब से हमने कार्यक्रम निर्धारित किया है।

(अनुवाद)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैने जनसंख्या का प्रतिशत पूछा था लेकिन वह केवल गांवों का प्रतिशत दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो...

(हिन्दी)

श्री जगन्नाथ मिश्र : पापुलेशन के हिसाब से इस देश के 52 करोड़ लोगों के पीने के पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है।

(अनुवाद)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, आधी जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्रीमति चन्द्र प्रभा अर्स : माननीय अध्यक्ष महोदय, मनुष्य की मूल आवश्यकता पेय जल है। इस समय हम दो तरह की समस्याओं का सामना कर रहे है। पहली समस्या पीने के लिए उपलब्ध भू जल की है जो पीने योग्य या स्वास्थ्यकर नहीं है और दूसरी समस्या यह है कि हमें पानी साफ करने के संयत्रों के माध्यम से भू-जल में से फ्लोराइड निकालना पड़ता है। गांवों में एन.आर.डब्ल्यू.एस. योजनाऐं ठीक से चल रही हैं। मैं समझती हूं कि इस काम को बड़े पैमाने पर लिया गया है और यह काम चरण बद्ध तरीके से चल रहा है। लेकिन महानगर और अधिक जनसंख्या वाले कस्बे अब चिन्ता का विषय हैं क्योंकि इन्हें इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं पिछली जनगणना 10 या 12 वर्ष पहले हुई थी। 1991 की जनगणना के अनुसार महानगरों और नगर निगम क्षेत्रों में जहां आंत्रशोथ और हैजा जैसी महामारी फैलना आम बात हो गई है, पीने के पानी के कुछ स्थाई स्रोत होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए और यह बताइये कि आप ''महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं?''

श्रीमति चन्द्र प्रभा अर्स : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार से यह जान सकती हूं कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे कि महानगर में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए कुछ योजनाएं....

अध्यक्ष महोदय : ठीक यही बात मैने आपकी ओर से पूछी है।

श्रीमति चन्द्र प्रभा अर्स : महोदय, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : *महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?*

(हिन्दी)

डा. जगन्नाथ मिश्र : यह तो ग्रामीण मंत्रालय का विषय नहीं हैं, यह तो शहरी मंत्रालय का विषय है।

(अनुवाद)

श्रीमति चन्द्र प्रभा अर्स : महोदय, मैं यह माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहती हूं।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, क्योंकि आपने इस बारे में प्रश्न किया है उम्हें इस बारे में विचार करना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें जानकारी नहीं देता हूं।

(हिन्दी)

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि बहुत से प्रदेशों में जहां पीनी के नमूनों को जांचने की प्रयोगशालाएं है, वहां प्रयोगशाला तो है लेकिन जो कैमिकल्स टैस्ट करने के लिए चाहिए वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या आप आगे से सुनिश्चित करेंगे कि जब गर्मी और बरसात का मौसम शुरू होता है उससे पहले पानी का क्लोरिनेशन कर दिया जाए।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : हमें यह समझना चाहिए कि यह प्रश्न मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। आप हर बोझ केन्द्र सरकार पर डाल रहे हैं। वे योजना बनाते है और इसके लिए धन देते हैं। इस बारे में निर्णय राज्य सरकार को लेना है।

प्रो. प्रेम धूमल : क्या वह धन देंगे?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। क्या उन कार्यों के लिए अपेक्षित धन आपने उपलब्ध है? यदि हो, तो क्या आप यह धन उन्हें देने जा रहे हैं?

(हिन्दी)

श्री जगन्नाथ मिश्र : पूरे ग्रामीण पानी की आवश्यकता की पूर्ति करना, उनके गुणात्मक दोषों को दूर करने के लिए 18 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता आंकी गई है।

प्रो. प्रेम धूमल : आप देंगे कितना? आंकड़ो की बात अलग है।

सवाल का जवाब आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा नहीं और फिर बार-बार बोलते हैं।

(अनुवाद)

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि राष्ट्रीय जल नीति राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा 1987 में बनाई गई थी जिसमें पीने के पानी को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, उस नीति में यह सुझाव दिया गया था कि सभी सिंचाई परियोजनाओं में निर्विवाद रूप से पेयजल संघटक होना चाहिए।

यहां पर मैं दो प्रश्न पूछना चाहती हूं (क) क्या पिछले आठ वर्षों के दौरान तदनुसार इस नीति को कार्यान्वित किया गया। यदि हां, तो उपलब्धियां क्या रही? और (ख) क्या सरकार ने पीने के पानी के स्रोतों का पता लगाने के लिए निभ्नर करने योग्य राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करवाया है। यदि हां, तो उसकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या परिणाम निकले? यदि कोई परिणाम निकला है तो सरकार क्या कार्यवाई कर रहीं है?

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है।

(हिन्दी)

श्री जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष जी, 85 प्रतिशत पानी हम नीचे से लेते हैं और 15 प्रतिशत पानी सतह का होता है। इसी वजह से जो राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई, जिसकी चर्चा माननीय सदस्या ने की है। उस संदर्भ में हम लोगों ने अनुभव किया है कि राज्य सरकारों को राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में, चूंकि यह जल संसाधन का विषय है, राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकारें पानी का उपयोग राष्ट्रीय नीति के हिसाब से नहीं कर पा रहीं हैं। बहुत सी जगह सतही पानी नीचे जा रहा है, इसलिए जो राष्ट्रीय जल नीति है उसका कार्यान्वयन सही रूप में हो और इसकी आपूर्ति की जाए। अभी हाल ही में सिचाई मंत्रियों की बैठक जल संसाधन मंत्रालय ने बुलाई है। उस बैठक में हम अपने मंत्रालय की ओर से जल आपूर्ति के संबंध में जो कमिया आई हैं या सिंचाई योजनाओं की वजह से जो कठिनाईयां जल आपूर्ति में हो रही है, इस विषय को राज्यों के मंत्रियों के समक्ष अपने मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत करने वाले हैं।

(अनुवाद)

श्रीमती दिल कुमारी : मेरे दूसरे प्रश्न का क्या हुआ? मैने जानना चाहा था कि कया कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करवाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर दिया जाना चाहिए। क्या पेय जल के निभ्नर करने योग्य स्रोतों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया गया है?

(हिन्दी)

श्री जगन्नाथ मिश्र : इसकी सूचना अभी नहीं है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे उन्हें भेज सकते हैं।

(हिन्दी)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि इस देश में सभी बीमारियों की जड़ दूषित पानी है। अगर शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, डाइरेक्ट क्वश्चन पर आ जाइये।

श्री राम विलास पासवान : सर, मैं माननीय मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाया हूं। ये बार-बार ड्रिंकिंग वाटर के लिए कह रहे थे। जहां जानवर पानी पीते है वही आदमी भी जाकर पानी पी लेता है और मर जाता है। यह ड्रिंकिंग वाटर का मामला नहीं है। जो वर्मा जी ने कहा कि जो विशुद्ध पानी है उस विशुद्ध पानी की व्यवस्था कितने गांवों में की गई। मैं समझता हूं कि एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां आपने विशुद्ध पानी पीने की व्यवस्था की है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमती नहीं है। इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

(हिन्दी)

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री महोदय ने यह कहा कि पीने के पानी के लिए 85 प्रतिशत अण्डरग्राउण्ड वाटर पर हमको निर्भर रहना पड़ता है। उसके सर्वे के बारे में प्रश्न पूछा गया। क्या मंत्रीजी को मालूम है कि स्पेस डिपार्टमेंट ने सारे देश में अण्डरग्राउण्ड वाटर के लिए रिमोट सेसिंग कराया है?

और कहां कितना पानी उपलब्ध है, उसकी पूरी रिमोट सेसिंग हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि आपका मंत्रालय क्या स्पेस डिपार्टमेंट के साथ को-आपरेट करके, को-आर्डिनेट करके, जहां अंडर-ग्राउण्ड वाटर उपलब्ध है, उसे वहां से कन्सेन्ट्रेट करने की कोशिश करेगा।

श्री जगन्नाथ मिश्र : जी, यही सही है। मैं इसको मानता हूं।

श्री नीतीश कुमार : माननीय मंत्री जी ने सदन में आज पहले दिन सवालें का जवाब दिया है लेकिन मैं उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहता लेकिन वे यहां जो आंकड़ें दे रहे है। ... **(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ...

(व्यावधान)**

(हिन्दी)

श्री नीतिश कुमार : मंत्री जी जिस तरह जवाब दे रहे हैं, उसका व्यावहारिक जीवन से और सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। देश में कितनी जगहों पर पीने का पानी उपलब्ध है, इस संबंध में वो जो आंकड़े दे रहे हैं, वे किताबी आंकड़े हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस काम को सिर्फ राज्य सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता बल्कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से क्या वे इसका सर्वेक्षण करायेंगे कि सचमुच कितने पानी की आवश्यकता है और कितने इलाकों में, कितनी बस्तियों में पीने के पानी की आपूर्ति की जा चुकी है और उस आधार पर क्या कोई कार्य योजना बनायेंगे?

श्री जगन्नाथ मिश्र : जांच कराई गयी है और मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि ग्रामीण जल आपूर्ति के मुख्य रूप से तीन फेज हैं। वर्ष 1972 में इंदिरा जी ने त्वरित जल कार्यक्रम संचालित किया है। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति निगम की स्थापना की थी। तीसरे, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की सरकार ने पुराने सर्वेक्षण के बाद, एक नया सर्वेक्षण कराया। जैसा माननीय सदस्य चाहते है, पूर्व में जितने सर्वेक्षण कराये गये थे, उनके सत्यापन के लिये, प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हैबिटेशन के आधार पर नया सर्वेक्षण कराया जाये और वह सर्वेक्षण कराया गया जिसे मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर के द्वारा कराया गया जो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट माने जाते है। वह सर्वेक्षण सरकारी एजेंसी द्वारा नहीं कराया गया बल्कि जांच के जिए एक विशेषज्ञ समिति बनायी गयी थी और उसने नये सिरे से सर्वेक्षण किया और बल्कि पुराने समय में जो सर्वेक्षण हुये थे, उनके सत्यापन के लिये नया सर्वेक्षण हुआ और उसके आधार पर जो आंकड़े हमारे विभाग को प्राप्त हुये, उसी से संबंधित जानकारी मैं सदन को दे रहा हूं।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि 85 परसेंट अंडरग्राउण्ड वाटर और 15 परसेंट सरफेस वाटर के आधर पर पेयजल की व्यवस्था की जाती है, माननीय मंत्री बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, वे जानते होंगे कि धनबाद साइड में, कतरात में और खासकर झरिया में, अण्डरग्राउण्ड वाटर और सरफेस वाटर दोनों बहुत दूषित है। मैं जानना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा है, उस आधार पर धनबाद जिले में वहां के नागरिकों के लिये पीने के पानी को उपलब्ध कराने के संबंध में कोई व्यवस्था करायेंगे ... (व्यावधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आप बैठ जाइए।

(हिन्दी)

श्री राम प्रसाद सिंह : ... (व्यावधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ....

(व्यावधन)**

(हिन्दी)

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं और यह बड़े दुख की बात है कि आजादी के 50 साल बाद भी हमारे गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : भाषण के लिए समय नहीं है। कृपया प्रश्न कीजिए।

श्रीमती भावना चिखलिया : दूसरी ओर, समुद्र के किनारे जितने गांव हैं, समुद्र का क्षारयुक्त पानी उन गांवों की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिये क्या मंत्री जी अलग से कोई कार्यक्रम तैयार करके वहां पीने का पानी लोगों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री जगन्नाथ मिश्र : जहां भी ऐसी समस्या है, ऐसे राज्यों में हमने 163 गांवों के लिये स्कीम बनायी है और उनकी हम जांच करेंगे। माननीय सदस्या जो जानकारी दे रही है, समुद्र तट के बारे में, हम अलग से सूचना एकत्र करेंगे।

12.00 मध्यान्त

(अनुवाद)

श्री बल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा सच्चे प्रयास करने के बावजूद तथ्य यह है कि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पीने के पानी की भयंकर समस्या है विशेष रूप से खनन क्षेत्र और कोयला क्षेत्र जिनसे भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, और वह तथ्य यह है कि चाहे जितनी गहरी खुदाई कर लो पानी नहीं मिलता है। ऐसे मामलों में केवल पाइप लाइन सप्लाई योजना से लाभ होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस समस्या से खुद को संबद्ध करेगी और केन्द्र सरकार के उपक्रमों और राजय सरकारों के उपक्रमों के बीच तालाबों इत्यादि का पता लगाने के लिए और इन क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए समन्वय करेगी। -

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यूरेनियम की खोज

* 142 श्री डी. वेंकटेश्वर राव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के परमाणु खनिज प्रभाग ने ग्रेनाइट की चट्टानों के विभंग नियंत्रित खनिजीकरण (फ्रैकचर्ड कंट्रोल्ड मिनरलाइजेशन) के दौरान यूरेनियम का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रेनाइट की चट्टानों में यूरेनियम की खोज भारत के लिये कहाँ तक उपयोगी होने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) जी, हाँ।

(ख) मूल्यांकन हेतु विस्तृत अन्वेषण-कार्य प्रगति पर है। एक बार आर्थिक रूप से व्यवहार्य यूरेनियम का काफी बड़ा निक्षेप प्रमाणित हो जाए तो इससे देश में यूरेनियम के ज्ञात भंडारों में वृद्धि हो जाएगी।

(ग) तथा (घ) बहु-विषयक तकनीकों को काम में लाकर किए जा रहे पूर्वेक्षण और मूल्यांकन और कार्य के अलावा भूवेधन का कार्य भी प्रगति पर है। इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद एक विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

(हिन्दी)

सॉफ्टवेयर पार्क

* 144. श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने सॉफ्टवेयर पार्क कार्यरत है;

(ख) इनमें से कितने पार्कों को विदेशी सहायता मिल रही है, और

(ग) ये पार्क सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में कितनी सहायता कर रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो); (क) देश में इस समय बस सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) कार्य कर रहे है।

(ख) पुणे में प्रवासी भारतीय (एनआरआई) उद्यमकर्ता द्वारा स्थापित एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में विदेशी पूँजीनिवेश किया गया है।

(ग) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क मूलसंरचनात्मक सुविधाएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराके शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर उद्योग की सहायता करते हैं।

(अनुवाद)

पेसमेकर

* 145. श्री तारा सिंह:

श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैज्ञानिक ह्दय के लिए पेसमेकरों जैसे जीवन रक्षक उपकरण बनाने के लिए ''रक्षा'' प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जा रहे उपरोक्त पेसमेकरों का उपयोग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने हैदराबाद स्थित निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से गहन चिकित्सा में उपयोग के लिए बाहरी गतिप्रेरक (पेसमेकर) का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। इस विकास कार्य को जीव-चिकित्सा प्रौद्योगिकी समिति ने प्रायोजित किया है। हैदराबाद स्थित निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान में बाहरी गतिप्रेरक (पेसमेकर) के चिकित्सा संबंधी परीक्षण किए जा रहे है। गतिप्रेरक के लगाए जाने योग्य रूपांतर के विकास का कार्य उन्नत चरण में है। ह्दय गति प्रेरक (कर्डियक पेसमेकर) चिकित्सा परीक्षणों में उपयुक्त पाए जाने तथा इसके उत्पादन किए जाने के बाद यह सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में आम जनता एवं अस्पतालों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जीव चिकित्सा प्रौद्योगिकी समिति ने पहले ही निजी क्षेत्र में एक उद्योग को एजेंसी के रूप में नामित कर दिया है।

(हिन्दी)

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी

* 146 श्री खेलन राम जांगड़े:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक कृतिक-बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक किये गए कार्य का राज्य-बार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र)

(क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी के लिए अलग से किसी कार्यदल का गठन नहीं किया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी के लिए सरकार ने पहले ही अन्यों के अलावा केन्द्रीय और राज्य स्तर समन्वय समिति गठित की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सचिवों/आयुक्तों/समाहर्त्ताओं/परियोजना निदेशकों की अन्य संस्वीकृति, जांच और स्थायी समितियों/बैठकों तथा कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन की मार्पत प्रभावी निगरानी की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मंत्रालय शीर्ष ही इसकी सिफारिशों पर निर्णय लेगा।

(अनुवाद)

दृष्टिहीनता पर नियंत्रण

*** 147. श्री अंकुश राव टोपे:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर में दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए कोई सघन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में काई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले):

(क) जी, हां।

(ख) सघन कार्यक्रम के लिए 855.9 लाख रूपये नियम किए गए हैं। यह कार्यक्रम 1.4.95 से आरंभ हुआ तथा इसकी अवधि सात वर्ष है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1986-89 में किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि जम्मू और कश्मीर में दृष्टिहीनता की व्याप्ता दर 2.80 प्रतिशत थी, जो कि 1.46 प्रतिशत की राष्ट्रीय दर से दुगुनी है।

(ङ) कार्यक्रम को लागू करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) नेत्र विज्ञान के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना।

(ii) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार।

(iii) नेत्र विज्ञान जनशक्ति को प्रशिक्षण देना।

(vi) जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समितियों की स्थापना।

(v) नेत्र परिचर्या के बारे में जन जागरूकता पैदा करना; और

(vi) वित्तीय परिव्यय में वृद्धि।

(हिन्दी)

जनजातीय क्षेत्रों हेतु अधिनियम

*** 148 श्री दिलीप सिंह भूरिया:**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानो के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों हेतु गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस रिपोर्ट के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों हेतु एक अधिनियम बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह अधिनियम कब तक लागू कर दिया जाएगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र)

(क) से (ग) इस विभाग ने संविधान के भाग-9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए कानून के बारे में सिफारिश करने हेतु चुनिंदा संसद सदस्यसों और विशेषज्ञों वाली एक समिति का गठन किया था। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट विचाराधीन है।

(अनुवाद)

चमड़ा प्रशिक्षण संस्थान कानपुर (उत्तर प्रदेश)

149 : श्री जगत बीर सिंह द्रोण:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.आई.डी.बी.आई. के सहयोग एवं वित्तीय सहायता से कानपुर (उत्तर प्रदेश) में एक चमड़ा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्यम में राज्य सरकार का कितना हिस्सा होगा और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरण)

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न

विवरण

कानपुर में चमड़ा क्षेत्र के निम्मलिखित प्रशिक्षण संस्थान हैं :-

(एक) हरकोर्ट बटलर टैक्नोलोजिकल इन्स्टिट्यूट (एच बी टी आई), कानपुर जो चमड़ा प्रौद्योगिकी में चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है।

(दो) शासकीय चमड़ा संस्थान, कानपुर जो चमड़ा प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है।

(तीन) एच.बी.टी.आई. कैम्पस, कानपुर में फुटवियर डिजाइन तथा विकास संस्थान (एफ डी डी आई), नौएडा का उप-केन्द्र भी है जो फुटवियर अवयवों को जड़ने व सटाने का चार माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है।

(चार) जाजमउ, कानपुर में केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी एल आर आई) का विस्तार केन्द्र है जहां उद्यमियों को साजगीरी, ब्राइडल और चमड़ा कमाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(पांच) चमड़ा निर्यात परिषद, सिविल लाइन्स, कानपुर भी फुटवियर डिजाइन का चार माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाती है।

इस प्रकार, कानपुर में चमड़ा क्षेत्र में प्रशिक्षण की पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं पहले ही से विद्यमान है।

कम्पनी सचिव

*** 158. डा. मुमताज अंसारी:**

श्री आनंद अहिरवार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी सचिव की भारतीय अर्हता को राष्ट्रमंडल देशों तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में मान्यता नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कम्पनी सचिव के भारतीय तथा ब्रिटिश अर्हताओं के परस्पर मान्यता के लिए प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर भारतीय तथा ब्रिटिश सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में दोनों सरकारों द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज):

(क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की परिषद को अर्हताओं की मान्यता के प्रश्न पर किसी समझौते पर पहुंचने के लिए यू. के. में अपने सहयोगी संस्थान के साथ पारस्परिक आधार पर विचार-विमर्श करना होगा।

(हिन्दी)

कृषि आधारित उद्योग

151: श्री दत्ता मेघे:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि आधारित उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कृषि आधारित उद्योग के रूप में माने जाने संबंधी प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक घोषणा किये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरण): (क) कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करने वाले अथवा कच्ची सामग्री के रूप में कृषि उत्पादों का प्रयोग करनेवाले उद्योगों को प्राय: कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। इनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आते हैं और चीनी, सिगार, सिगरेट जैसे उद्योग तथा कपास, लकड़ी आदि का प्रसंस्करण/ प्रयोग करने वाले उद्योग भी आते हैं।

(ख) किसी अन्य विशिष्ट उद्योग को कृषि आधारित उद्योग माने जाने के बारे में कोई प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय में लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलपुर्जों का आयात

*** 152. श्री पंकज चौधरी:**

श्री रामपाल सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयातित हथियारों के कलपुर्जों की अधिप्राप्ति के मामले में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कलपुर्जों के आयात पर निर्भरता में कमी लाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) स्वदेशीकरण के सतत प्रयासों के माध्यम से आयातित रक्षा उपस्करों की बहुत सी मदों के कल-पुर्जों का स्वदेशीकरण किया गया है जिनकी संख्या लगभग 53 हजार है। तथापि, इससे कुछ मदों को आयात करने की जरूरत पूर्णतया पूरी नहीं हो सकती।

(ख) से (घ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को शामिल करके स्वदेशीकरण के प्रयासों को नई दिशा में बढ़ावा दिया गया है अर्थात् (I) रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भर होने के लिए योजना को अंतिम रूप देना और (II) जिन लघु उद्यमियों के पास विशेष तकनीकी अर्हताएं हैं उन्हें भागीदार बनाकर कार्य योजना को कार्यान्वित करना।

प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए के विकास आदेश दिए जाते हैं और इसके उपरांत अनुवर्ती आदेश और भी बड़ी मात्रा में दिए जाने हैं जिससे विदेशी मुद्रा की आनुपातिक बचत होगी।

(अनुवाद)

परीक्षा शुल्क

*** 153 श्री पवन कुमार बंसल:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेरोजगार युवकों विशेष रूप से निम्न, मध्यम वर्ग तथा कमजोर वर्गों के युवकों पर नौकरी हेतु दिए जाने वाले परीक्षा शुल्क के कारण अत्यधिक भार पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों हेतु परीक्षा शुल्क के प्रावधान को समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा):

(क) से (ग) आमतौर पर समूह ''घ'' पदों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अन्य पदों के लिए, जहां भर्ती संघ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग/रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जाती है उन मामलों में नाममात्र का परीक्षा/भर्ती शुल्क निर्धारित किया गया है ताकि इन निकायों को परीक्षा को गम्भीरता से न लेने वाले उम्मीदवारों के ढेरों आवेदनों के भार तले न दबना पड़े जिससे कि परीक्षा का सुचारू संचालन ही प्रभावित हो जाये। तथापि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार को इन निकायों द्वारा ली जाने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा/चयन के लिए शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा से पहले ही मुक्त रखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित समूह ''ख'' (अराजपत्रित) तथा समूह ''ग'' पदों के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवारों तथा भूतपूर्व सैनिकों को भी परीक्षा शुल्क से पूर्ण छूट मिली हुई है।

जेसप एण्ड कंपनी

*** 154. श्री चित्त बसु:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रम जेसप एण्ड कंपनी के छ: हजार श्रमिकों और कर्मचारियों को गत मार्च से वेतन और मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह मामला औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजा गया है;

(ग) क्या इस कंपनी को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं ने कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने से मना कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच इस मामले का अध्ययन किया है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इस एकक को शीघ्र अर्थक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री के. करुणाकरण): (क) जेसप एण्ड कंपनी के कर्मचारियों को मई, 1995 तक के मजदूरी एवम् वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

(ख) जी, हां। जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को संदर्भित कर दिया गया है।

(ग) से (च) कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है। कंपनी का रोकड़-उधार खाता अनियमित हो गया है। परिणामस्वरूप, कंपनी को बैंकों के संघ से अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्राप्त नहीं हो पा रही है। बी.आई.एफ.आर. ने एस.बी.आई. को प्रचालन एजेन्सी नियुक्त किया है। जेसप एण्ड कंपनी के पुनरुद्धार के बारे में, बी.आई.एफ.आर. की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(हिन्दी)

ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते औषधालय

***155. श्री हरिसिंह चावड़ा:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय तथा दूर-दराज़ के क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में चलते-फिरते औषधालय शुरू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का कार्य-निष्पादन

156: श्री गुमान मल लोढा:

श्री नीतीश कुमार:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसंबर, 1994 के दैनिक समाचारपत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बेटर परफार्मेंस बाई आई.डी. बी.आई. ऐडैड कम्पनीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में गैर-सरकारी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी कम्पनियों के कारोबार में वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है और किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों के कारोबार में क्रमशः वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है; और

(घ) इस कारोबार में वृद्धि होने के क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरण): (क) सरकार को समाचार (न्यूज आइटम) की जानकारी है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) औद्योगिक क्षेत्रों में विकास में व्यापक वृद्धि हुई है और सभी क्षेत्रों की बिक्री में गुणात्मक बढ़ोतरी हुई है।

(घ) अब जो व्यापक औद्योगिक विकास दृष्टिगोचार हो रहा है उसके कई कारण हैं जैसे औद्योगिक पुनसंरचना में निरंतर मिल रही सफलता, व्यापार तथा भुगतान नीतियों के अनुसरण से निर्यात में वृद्धि, कर सुधारों के सामूहिक प्रभाव, बुनियादी क्षेत्र में सुधार और औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय व पूंजी बाजार संबंधी सुधारों की सफलता से निवेश वातावरण में बढ़ता हुआ विश्वास।

(अनुवाद)

सरकारी अस्पतालों में मुर्दाघर

***157. श्री राम कृपाल यादव:**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने अस्पतालों में मुर्दाघर नहीं है;

(ख) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में मुर्दाघर न होने के कारण सरकारी डाक्टरों को ऐसे व्यक्तियों के शव परीक्षण के लिए दूर-दराज के गांवों में जाना पड़ता है जिन्हें मार दिया गया हो और जिनका शव जंगल में फेंक दिया गया हो; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक सरकारी अस्पताल से जुड़े मुर्दाघर का निर्माण करने के लिए पर्याप्त धनराशि देने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जिन सरकारी अस्पतालों में मुर्दाघर है उनकी संख्या के बारे में सूचना संकलित नहीं की गई। केन्द्रीय सरकार के कुछेक मुख्य अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जिन अस्पतालों में मुर्दाघर की सुविधा नहीं है उनमें भी शव परीक्षण किया जा सकता है। मुर्दाघर का प्रयोजन शवों को अल्पकाल तक उसमें रखना है। आवश्यकतानुसार संसाधनों के उपलब्ध होने पर राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन यह सुविधा प्रदान करते हैं।

कालाजार

***158. श्री हरि किशोर सिंह:**

श्री विजय कुमार यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कालाजार के बहुत से मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उक्त राज्य में कितने मामलों का पता चला और इससे कितने व्यक्तियों की मौतें हुई;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(घ) बिहार में कालाजार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा.सी. सिल्वेरा): (क) और (ख) कालाआजार की घटनाओं में कमी हुई है। वर्ष 1994 के दौरान 24, 270 कालाआजार के रोगी एवं 377 मौते सूचित की गई हैं जबकि वर्ष 1993 में 45,459 रोगी तथा 710 मौते हुई थीं।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार में उनकी मांग के अनुसार पेंटामिडाइन इंजेक्शन की 2000 शीशियां सप्लाई की गई थीं। राज्य के पास डी.डी.टी. तथा काला आजार रोधी औषधों का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध था।

(घ) बिहार में 1991-92 से एक गहन काला आजार नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। काला आजार नियंत्रण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा भी तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। नियंत्रण कार्यनीति के प्रमुख घटकों में डी.डी.टी. का वर्ष में 2 बार छिड़काव, रोगियों का शीघ्र निदान तथा शीघ्र उपचार, प्रभावी सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समुदायों की शिरकत शामिल है।

चीन से यूरेनियम की आपूर्ति

*** 159 श्री के. प्रधानी:**

श्री अन्ना जोशी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए परिष्कृत यूरेनियम की आपूर्ति हेतु चीन के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समझौता अमरीका के साथ पूर्व में किए गए समझौते से किस प्रकार भिन्न है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस ईधन को देश में विकसित करने हेतु कोई अनुसंधान कराने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर (टीएपी एस) के लिए कम समृद्ध यूरेनियम (एलईयू) की सप्लाई करने के वास्ते परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और चायना न्यूक्लियर एनर्जी इन्डस्ट्री कारपोरेशन के बीच एक व्यापारिक अनुबंध किया गया है। यह सप्लाई की जा रही है।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच किया गया करार एक ऐसा दीर्घावधि करार था जो एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार के साथ किया गया था, जबकि यह मौजूदा करार एक ही बार के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग और चायना न्यूक्लियर एनर्जी इन्डस्ट्री कारपोरेशन के बीच किया गया व्यापारिक करार है।

(घ) और (ङ) तारापुर परमाणु बिजलीघर को छोड़कर हमारे सभी परमाणु बिजलीघर, और ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं जिसका उत्पादन स्वदेशी तौर पर पर्याप्त मात्रा में किया गया जाता है। चीन से हम कम समृद्ध यूरेनियम का आयात केवल तारापुर परमाणु बिजलीघर के प्रचालन हेतु कर रहे हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र जोकि इस विभाग का एक संघटक यूनिट है, ने देश में ही कम समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी तौर पर तकनीकी जानकारी विकसित कर ली है।

उन्नत चूल्हा तथा बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य

*** 160. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्नत "चूल्हा" तथा घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान तत्संबंधी मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान निर्धारित 26 लाख उन्नत चूल्हों और 2 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्यों की तुलना में देश में राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम और राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत क्रमश: 26.75 लाख उन्नत चूल्हों और 2 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।

(ग) वर्ष 1995 में अप्रैल से जून, 95 की अवधि के दौरान 24 लाख उन्नत चूल्हों और 1.6 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम और राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत क्रमश: कुल लगभग 1.24 लाख उन्नत चूल्हों और 9,800 परिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।

विवाहों का पंजीकरण

1410. श्री सैय्द शहाबुद्दीन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने विवाहों का पंजीकरण हुआ;

(ख) इनमें राज्यवार कितने धर्मान्तर विवाह शामिल हैं; और

(ग) देश में कुल विवाहों में से ऐसे विशेष विवाहों का अनुपात कितना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज):

(क) से (ग) अपेक्षित जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्रों से यह एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कैंसर का पता लगाना

1411. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में देश के प्रथम त्वरित निदानात्मक परीक्षण किट के आगमन से विश्व के चार घातक रोगों में से एक ''ब्लैडर'' कैंसर का अब शुरू में ही पता लगाया जा सकेगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी

1412 **श्री राम नाईक:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आई.ए.ई.ए.) को उन्नत तकनीकी उपकरण भेंट स्वरूप दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस भेंट के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(घ) सरकार इस भेंट की उपयोगिता को कैसे सुनिश्चित करेंगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, हाँ। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को दीर्घावधि ऋण के रूप में उच्च-तकनीकी उपकरण दिए हैं।

(ख) वियाना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के सेइबर्सडार्फ प्रयोगशाला को निम्नलिखित छः न्यूक्लियर उपकरण दिए गए हैं:

1. आयोडीन मॉनीटर
2. वायु विविक्त मॉनीटर
3. आर्गन-41 मॉनीटर
4. पिगी बैक 8के एससीए कार्ड
5. सिंगल कार्ड 8के पीसीए
6. आनुपातिक एक्स-किरण संसूचक

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उपकरणों की कुल कीमत लगभग 1,30,000 अमरीकी डालर है। पहले तीन उपकरण एक साथ मिलकर परमाणु रिएक्टरों के लिए ''स्टैक रिलीज एक्टीविटी'' मानीटरन प्रणाली बनते हैं। अन्य तीन उपकरण वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षक के लिए हैं।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का सदस्य होने के नाते भारत ने ये उपकरण सेइबर्सडार्फ प्रयोगशाला को एक सदभावना-प्रदर्शन स्वरूप दिए हैं।

(घ) ये उपकरण हमारे वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने सेइबर्सडार्फ प्रयोगशाला में स्थापित किए हैं, जहाँ इनका इस्तेमाल विकासशील देशों के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा। इससे न्यूक्लियर पंजीकरण के क्षेत्र में हमारी विशेषज्ञता का प्रचार होगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे मारे जाना

1413. **डा. के.वी.आर. चौधरी:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष कितने सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे मारे गए;

(ख) ये छापे किन-किन स्थानों पर मारे गए;

(ग) उनके पास से कितने मूल्य की गैर-कानूनी परिसम्पत्ति मिली है; और

(घ) कितने अधिकारियों को दोषी ठहराया गया तथा कितनों को छोड़ दिया गया?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा):

(क) गत दो वर्षों अर्थात् 1993 तथा 1994 के दौरान 1956 सरकारी अधिकारियों के आवासीय/कार्यालय परिसरों की तलाशी ली गई थी। 1993 में 442 अधिकारियों के परिसरों की तथा 1994 में 514 अधिकारियों के परिसरों की तलाशी ली गई थी।

(ख) ब्यौरों संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) उपर्युक्त तलाशियों के दौरान अर्थात् 1993 तथा 1994 के दौरान बरामद हुई गैर-कानूनी परिसम्पत्तियों के मूल्य निम्न प्रकार है :-

1993 के दौरान 10,37,30,966 रूपये तथा

1994 के दौरान 05,78,02,387 रूपये।

(ग) इनमें से किसी भी मामले में अभी तक न तो दोषसिद्धि हुई है और न ही दोषमुक्त किया गया है।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां पिछले दो वर्षों, अर्थात् 1993-94 के दौरान तलाशी ली गई।

ठाणे	चम्पारण
गुवाहाटी	बक्सर
मंडी (म.प्र)	सोनपुर
भुवनेश्वर	रांची
अहमदाबाद	बोकारो
नोएडा	मंगलौर
देहरादून	लुधियाना
जोरहाट	दुलियाजान
बंगलौर	टेगाखात
मेरठ	सिल्चर
मद्रास	नौगांव
पुणे	शिलांग
अमृतसर	डिगबोई
बड़ौदा	त्रिची
सूरत	विशाखा पट्टनम
साबरमती	हैदराबाद
महसाना	विजयवाड़ा
नासिक	आसनसोल
सिलवासा	बर्दवान
गोवा	मुंगेर
सिकन्दराबाद	धनबाद
कोडीनार	रोहतास
पटना	चन्द्रपुरा
वैशाली	बनारस
बरौनी	गाजियाबाद
मुरादाबाद	अलीगंज
लखनऊ	जोनपुर
अलीगढ़	रायबरेली
रायपुर	बलिया
नई दिल्ली	त्रावनकोर
जबलपुर	कलकत्ता
गुंटूर (आं.प्र.)	24 परगन्ना (उ.) कलकत्ता
बिलासपुर	फरीदाबाद
नागपुर	कोजतहादियू (कोचीन)
कोरबा	मूवत्तुपुषा (कोचीन)
जयपुर	दिल्ली
सवाईमाधोपुर	उल्हासनगर
माधोपुर	संधपुर
कोटा	बोलानी
भरतपुर	बहरामपुर
जोधपुर	मद्रास
पाली	जालंधर
जैसलमेर	त्रिवेन्द्रम
बीकानेर	मैसूर
श्रीमंगानगर	इंदौर
हनुमानगढ़ शहर	भोपाल
चंडीगढ़	बानमैर
जैसलमेर	भटिंडा
आसनसोल	बरनाला
जालोर	मोहाली
जम्मू	बड़ौदा
रोहतक	शिमला
इलाहाबाद	धर्मशाला
सुल्तानपुर	सोनीपत
पानीपत	अम्बाला कैंट
धुलकोट	फगवाड़ा
रोपड़	गुड़गांव
पटियाला	पंचकुला
कटक	कांगड़ा
करनाल	पठानकोट
नंगलडैम	बैलूर (कोचीन)
सोलन	पोकलीकट
नकोदर	ऋषिमंगलम (कोचीन)
अमृतसर	इलोन्जी
वापी (गुजरात)	अर्नाकुलम
फिरोजपुर	त्रिवेन्द्रम
मोगा	शामन्थापुरम (कोचीन)
फरीदकोट	पुथूवियापू
कोटक पुरा	इल कुन्ना पुष्पूर

मलेरिया नियंत्रण

1414 **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कहां तक सफलता प्राप्त की गई है,

(ख) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष मलेरिया से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) क्या देश में जनजातीय लोगों के बीच मलेरिया रोग के प्रकोप के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) जनजातीय लोगों के बीच मलेरिया रोग को फैलने से बचाने हेतु क्या उपाय किये गए है।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा.सी. सिल्वेरा): (क) और (ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977 में संशोधित कार्य योजना अपनाने से देश में मलेरिया की घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख की कमी आई है।

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों की अवधि के मुकाबले में चालू वर्ष के दौरान मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) सात उत्तरी पूर्वी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों तथा सात प्रायद्विपीय राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान के 72 आदिवासी जिलों में 1991 में मलेरिया पर अध्ययन किए गए थे जिनमें उन क्षेत्रों में पी फाल्सीपेरम की विद्यमानता के पूर्व आसार पाए गए। कीटनाशकों के प्रति सुग्राह्यता तथा दी जा रही औषधों की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए इन क्षेत्रों में वेटरों की विद्यमानता के संबंध में कीट विज्ञान संबंधी ब्यौरे भी एकत्र किए गए।

(ङ) किए गए उपायों में शामिल है :

- रोगियों का आरम्भावस्था में पता लगाना तथा तत्काल उपचार उपलब्ध कराना।

- रोग को फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त कीटनाशकों से वेक्टर नियंत्रण।

- विशेषकर औषधों के वितरण, रोगनिरोधन उपायों, पर्यावर्णिक कार्यविधियों आदि में लोगों की भागीदारी।

- मलेरिया की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों में तेजी लाना, और

- आदिवासी क्षेत्रों में मौजूदा उपायों में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक सहायता से मलेरिया नियंत्रण परियोजना तैयार की जा रही है।

अर्जुन टैकों को सेना सेवा में शामिल करना

1415. **श्री वी.एस. विजयराघवन:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जुन टैकों को भारतीय सेना में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, नहीं।

(ख) सैन्य टुकड़ियां इस समय मुख्य युद्धक टैक अर्जुन की उत्पादन पूर्व श्रृंखला पर प्रयोक्ता परीक्षण कर रही हैं। इस टैक के कार्य-निष्पादन के आधार पर सेना मुख्यालय ने भी नौवीं योजनावधि में दो रेजिमेंटों को मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से लैस किए जाने के लिए सैद्धान्तिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है। प्रयोक्ता परीक्षण पूरे हो जाने पर सेना इसके बड़ी संख्या में उत्पादन के लिए अंतिम रूप से स्वीकृति दे देगी।

(हिन्दी)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं

1416. **श्री एन.जे. राठवा:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से गुजरात के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कार्यरत प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत पंच वर्षों के दौरान इन प्रयोगशालाओं की क्या उपलब्धियां रहीं और इस अवधि में इन पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) सीएसआइआर की प्रयोगशालाओं की सूची उनके स्थानों के साथ, संलग्न विवरण-I में दी गई है। गुजरात राज्य में केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर में कार्यरत है और द्वारका में इसका विस्तार केन्द्र है। इसके अतिरिक्त, सीएसआइआर की अन्य प्रयोगशालाओं - केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान; केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान; केन्द्रीय कांच एवं सिरैमिक अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला - के फील्ड तथा विस्तार केन्द्र भी अहमदाबाद में कार्य कर रहे हैं। ये फील्ड/विस्तार केन्द्र जनजातीय क्षेत्रों की तथा गुजरात राज्य की विशिष्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी मांगों को पूरा करते हैं।

(ख) सीएसआइआर प्रयोगशालाओं की गत पांच वर्षों की उपलब्धियों और राज्यवार व्यय का विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-II तथा III में दिया गया है।

विवरण - I

सीएसआइआर की प्रयोगशालाओं की सूची

1. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की
2. जीव रासायनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली
3. कोशकीय और अणुजीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद
4. केन्द्रीय औष अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
5. केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, कारैकुड़ी
6. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी
7. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद
8. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
9. केन्द्रीय कांच तथा सिरैमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता
10. केन्द्रीय औषधीय और संगध पौधा संस्थान, लखनऊ
11. केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास
12. केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर
13. केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद
14. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
15. केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़
16. सीएसआइआर पालमपुर काम्प्लेक्स, पालमपुर
17. केन्द्रीय नमक तथा समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर
18. भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कलकत्ता
19. भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
20. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून
21. सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़
22. भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र, नई दिल्ली
23. औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ
24. राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, बंगलूर
25. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
26. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे
27. राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर
28. राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
29. राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, दोना पॉल (गोवा)
30. राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
31. राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर
32. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली
33. प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, नई दिल्ली
34. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल
35. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
36. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू
37. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट
38. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम
39. संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद
40. संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, मद्रास

विवरण - II

विकसित प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी	सीएसआइआर प्रयोगशाला
1. औषध तथा भेषज	
1.1 सेंटक्रोमन - खाने की गोली महिला गर्भ निरोधक	सीडीआरआइ
1.2 आरयू-486 - न्यू एबॉर्टिफिकेंट	आइआइसीटी
1.3 एजैडटी (एजिडोथाइमीडीन) - एड्स-रोधी	आइआइसीटी
1.4 एसिक्लोवीर - एन्टीवायरल	आइआइसीटी/सीडीआरआइ
1.5 इटोपोसाइड तथा ऑन्डान्सेट्रॉन - कैंसररोधी औषधियां	आइआइसीटी

विकसित प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी	सीएसआइआर प्रयोगशाला
1.6 एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल तथा नाडोलॉल - हृदवाहिका औषधियां	आइआइसीटी
1.7 आर्टीथर - मलेरिया रोधी	सीडीआरआइ
2. पेट्रोलियम तथा पेट्रोरसायन	
2.1 बेंजीन तथा टॉल्यून का निष्कर्षण	आइआइपी
2.2 हैक्सेन - खाद्य/पेट्रोलियम/पॉलीमर ग्रेड	आइआइपी
2.3 बाइमेटलिक रिफॉर्मिंग कैटालिस्ट	आइआइपी
2.4 सल्फोलेन	आइआइपी
3. रसायन तथा उत्प्रेरक	
3.1 फॉर्मलडिहाइड के लिए मेथानॉल	एनसीएल
3.2 मेथिल - ईथिल कीटोन	एनसीएल
3.3 डाइथील बेंजीन	एनसीएल
3.4 मोनोक्रोटोफॉस	आइआइसीटी
3.5 क्लोरपाइरिफॉस	आइआइसीटी
3.6 ब्यूटाक्लोर	आइआइसीटी
3.7 ग्लायोक्सल	आइआइसीटी
3.8 एल्कोहल से ईथिल बेंजीन	एनसीएल
4. पॉलीमर्स	
4.1 पॉलीयूरेथेन आधारित दो घटक जलसह पद्धति	एनसीएल/सीबीआरआइ
4.2 स्कूटर के लिए फाइबर प्रबलित थर्मो प्लास्टिक पंखा	एनसीएल
4.3 सिएनॉएक्रीलेट आधारित आसंजक	आइआइसीटी
5. चर्म	
5.1 फैट लिकर्स (संश्लेषित)	सीएलआरआइ
5.2 एल्यूटन/एल्क्रॉटन चर्मशोधन रसायन	सीएलआरआइ
5.3 विरोमण एंजाइम	सीएलआरआइ
5.4 चर्म शोधनशालाओं का आधुनिकीकरण	सीएलआरआइ

विवरण - III

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएलआइआर के अंतिम लेखा पर आधारित गत पाँच वर्षों के दौरान राज्यवार प्रयोगशाला खर्च

(रू. लाखों में)

क्र.सं. प्रयोग./संस्थान	वास्तविक खर्च 1990-91 के दौरान	वास्तविक खर्च 1991-92 के दौरान	वास्तविक खर्च 1992-93 के दौरान	वास्तविक खर्च 1993-94 के दौरान	वास्तविक खर्च 1994-95 के दौरान
आंध्र प्रदेश					
1. सी.सी.एम.बी.	798.72	705.21	708.50	763.91	849.41
2. एन.जी.आर.आइ.	671.25	882.73	823.96	935.56	1003.05
3. आइ.आइ.सी.टी.	951.24	1144.08	1434.46	1495.63	2059.19
योग	2421.21	2732.02	2966.92	3195.10	3911.65
आसाम					
4. आर.आर.एल. जोरहाट	485.57	453.76	578.08	610.51	786.23
बिहार					
5. सी.एफ.आर.आइ.	684.75	721.51	853.11	1029.08	1025.54
6. सी.एम.आर.आइ.	436.65	489.79	524.53	707.31	798.95
7. एन.एम.एल.	771.45	882.84	954.58	1438.68	1160.83
योग	1892.85	2094.14	2332.22	3175.07	2985.32
गुजरात					
8. सी.एस.एम.सी.आर.आइ.	347.88	385.94	402.21	514.26	571.01
हिमाचल प्रदेश					
9. पालमपुर काम्प्लेक्स	115.56	161.21	211.76	263.45	279.85
जम्मू व कश्मीर					
10. आर.आर.एल. जम्मू	422.50	468.79	536.46	573.53	622.90
कर्नाटक					
11. सी.एफ.टी.आर.आइ.	699.60	721.26	843.61	971.86	1047.55
12. एन.ए.एल.	1264.43	1339.09	1566.02	2233.16	2265.14
योग	1964.03	2060.35	2409.63	3205.02	3312.69
केरल					
13. आर.आर.एल. त्रिवेंद्रम	342.22	416.03	329.51	409.06	541.42

(रू. लाखों में)

क्र. सं. प्रयोग./संस्थान	वास्तविक खर्च 1990-91 के दौरान	वास्तविक खर्च 1991-92 के दौरान	वास्तविक खर्च 1992-93 के दौरान	वास्तविक खर्च 1993-94 के दौरान	वास्तविक खर्च 1994-95 के दौरान
मध्य प्रदेश					
14. आर.आर.एल. भोपाल	203.57	202.47	263.70	327.46	392.15
महाराष्ट्र					
15. एन.सी.एल.	1131.29	1720.09	1489.50	1552.61	1841.66
16. इन.ई.ई.आर.आइ.	409.75	451.85	685.82	768.96	850.69
योग	1541.04	2171.94	2175.32	2321.57	2692.35
उड़ीसा					
17. आर.आर.एल. भुवनेश्वर	397.66	439.69	422.16	518.21	581.25
राजस्थान					
18. सी.ई.ई.आर.आइ.	606.56	647.76	688.92	724.03	779.14
तमिलनाडु					
19. सी.ई.सी.आर.आइ.	556.54	635.02	699.37	726.43	894.43
20. सी.एल.आर.आइ.	670.33	910.97	914.17	1029.42	1054.56
21. एस.ई.आर.सी. मद्रास	360.56	394.20	403.22	374.03	475.34
22. मद्रास काम्प्लेक्स	70.61	77.87	79.05	83.56	92.27
योग	1658.04	2018.06	2095.81	2213.44	2516.60
उत्तर प्रदेश					
23. सी.बी.आर.आइ.	503.16	476.93	564.08	623.43	693.26
24. सी.डी.आर.आइ.	772.13	853.29	914.17	1018.27	1091.76
25. सी.आइ.एम.ए.पी.	331.90	435.14	406.18	551.31	606.28
26. आइ.आइ.पी.	519.59	615.00	756.87	760.69	895.05
27. आइ.टी.आर.सी.	332.86	367.54	410.30	447.58	527.97
28. एन.बी.आर.आइ.	401.11	465.27	531.49	700.84	780.94
29. एस.ई.आर.सी.गाजियाबाद	208.10	216.76	160.39	234.87	211.35
योग	3068.85	3429.93	3743.48	4336.99	4806.61

(रू. लाखों में)

क्र. सं. प्रयोग./संस्थान	वास्तविक खर्च 1990-91 के दौरान	वास्तविक खर्च 1991-92 के दौरान	वास्तविक खर्च 1992-93 के दौरान	वास्तविक खर्च 1993-94 के दौरान	वास्तविक खर्च 1994-95 के दौरान
पश्चिम बंगाल					
30. सी.जी.सी.आर.आइ.	643.68	747.02	755.05	862.68	863.93
31 सी.एम.ई.आर.आइ.	561.05	743.77	949.79	956.72	1083.14
32. आइ.आइ.सी.बी.	558.13	565.13	585.82	640.18	651.79
योग	1762.86	2055.92	2290.66	2459.58	2598.86
गोवा					
33. एन.आइ.ओ.	810.13	952.84	775.29	1055.81	1146.86
संघ राज्य क्षेत्र					
दिल्ली					
34. सी.एफ.बी.	174.03	196.47	226.23	233.48	321.23
35. सी.आर.आर.आइ.	357.91	398.94	468.83	527.03	523.28
36. इन्सडॉक	314.86	325.53	338.45	537.13	539.23
37. एन.पी.एल.	1157.59	1239.83	1281.00	1503.34	1565.91
38. निस्टॉड	128.21	151.76	167.20	216.15	254.31
39. पी.आइ.डी	301.70	383.50	459.78	514.43	577.09
योग	2434.30	2696.03	2941.49	3531.56	3781.05
चण्डीगढ़					
40. सी.एस.आइ.ओ.	527.35	562.05	655.27	769.35	843.05
41. आइ.एम.टी.	430.46	374.15	457.47	379.76	529.77
योग	957.81	936.20	1112.74	1149.11	1372.82
कुल योग	21432.64	24323.08	26276.36	30583.76	33678.76

उत्तर प्रदेश में सरकारी उपक्रम

1417. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सरकारी उपक्रम में अब तक कितना निवेश किया गया है;

(ख) इन उपक्रमों द्वारा वार्षिक आधार पर कितना उत्पादन किया गया और इनके द्वारा अर्जित लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चलने वाले सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) और (ख) केवल 31-3-1994 की अवधि तक जानकारी उपलब्ध हैं जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र ऐसे 17 उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित थे। उनके नाम 22-3-1995 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1993-94 के खण्ड - 1 पृष्ठ संख्या विवरण 230 पर दिए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों में से प्रत्येक उद्यम में किए गए निवेश, उनका वार्षिक उत्पादन तथा उनके द्वारा अर्जित लाभ/हानि का विवरण 1993-94 के लोक उद्यम सर्वेक्षण में क्रमशः पृष्ठ संख्या विवरण 90 से विवरण 97, विवरण 70 से विवरण 74 और विवरण 32 से विवरण 41 पर दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई विशेष नीति नहीं है।

(अनुवाद)

धूम्रपान पर प्रतिबंध

1418 **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:**

श्री सुशील चन्द्र वर्मा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धूम्रपान के कारण प्रति वर्ष 13 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है,

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में धूम्रपान के कारण मौतों की यह सर्वाधिक संख्या है,

(ग) किन-किन राज्यों में धूम्रपान के कारण युवकों की संख्या बढ़ रही है,

(घ) क्या सरकार का विचार देश में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं!

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) अनुमान लगाया जाता है कि हर वर्ष भारत में लगभग 8 लाख व्यक्ति तम्बाकू से संबंधित रोगों से मर जाते हैं।

(ख) तम्बाकू के इस्तेमाल के कारण विश्व में प्रति वर्ष 30 लाख मौते होने का अनुमान लगाया जाता है।

(ग) कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने सहित तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पादों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए एक वृहद विधान लाने का प्रस्ताव है।

(हिन्दी)

कुष्ठ रोग उन्मूलन

1419 **श्री छेदी पासवान:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने कुष्ठ रोगी हैं,

(ख) राज्य में कितने कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्र हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई तथा दी गई है!

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) बिहार में जून, 1995 के अंत तक 1, 08, 187 रोगी थे।

(ख) राज्य में 1316 कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र हैं। इन केन्द्रों के स्थान के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) चालू वर्ष (1995-96) के दौरान 330.40 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं।

(अनुवाद)

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य

1420 **श्री ए. चार्ल्स:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल देश के औद्योगिक रूप से अत्यधिक पिछड़े राज्यों में से एक है,

(ख) क्या केरल सरकार से कोई आग्रह प्राप्त हुआ है कि इसे औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य घोषित किया जाय, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा राज्य में उद्योगों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

हीमोफिलिया

1421 **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन सरकारी अस्पतालों में हीमोफिलिया की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं,

(ख) क्या इस बीमारी के इलाज हेतु आवश्यक इंजेक्शन विदेशों से आयात किए जाते हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बीमारी के इलाज को कम खर्चीला बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) कुछ प्रमुख अस्तपालों में हीमोफिलिया के उपचार की सुविधाएं हैं तथापि देश में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) हीमोफिलिया रोग की औषधि की सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया है। मैसर्स सिपला लि., बम्बई, ने हाल ही में इस रोग की औषधि तैयार की है।

पानमसाले पर प्रतिबंध

1422 **श्री हरिकेवल प्रसाद:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक स्वयं सेवी संगठनों ने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले पान मसाले की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) लोगों को इस संबंध में जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने पान मसाले के हानिकारक प्रभावों के कारण इसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) यद्यपि, इस समय पान मसाले की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में पान मसाले के लेबल और विज्ञापन में यह सांविधिक चेतावनी देने का प्रावधान है कि "पान मसाले का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है"। रेडियो और दूरदर्शन से पान मसाले की बिक्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन पहले ही बन्द कर दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को पान मसाला के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने की समय-समय पर सलाह देती रही है।

(अनुवाद)

नया स्वास्थ्य और सफाई कार्यक्रम

1423 **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में लोगों हेतु एक स्वास्थ्य और स्वच्छ जीवन के संवर्धन के उद्देश्य से एक व्यापक स्वास्थ्य और सफाई कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश के अन्दर कुछ अन्तर्राष्ट्रीय और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के साथ गठबंधन करने का है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस नये स्वास्थ्य और सफाई कार्यक्रम पर कितना व्यय किया जायेगा, और

(च) उक्त कार्यक्रम के लिए निधि और वित्त पोषण का प्रबंध कैसे किया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) से (च) पर्यावरण स्वास्थ्य और स्वच्छता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुझाने वाली एक रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। इस रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

1424 श्री अन्ना जोशी:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान फरवरी, 1995 तक महाराष्ट्र के विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कितनी धनराशि का निवेश किया गया,

(ख) आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितनी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई, और

(ग) कितनी संस्थाओं को इस अवधि के दौरान सर्टिफिकेट जारी किए गए ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम):

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान फरवरी, 1995 तक महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं को प्रदान की गई धनराशि निम्न प्रकार है :-

वर्ष	राशि (लाख रू. में)
1992-93	943.25
1993-94	1067.88
1994-95 (फरवरी, 95 तक)	1452.94

(ख) और (ग) 1991-92 से 1993-94 तक की तीन वर्षों की अवधि में महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त और प्रमाण-पत्र प्रदान की गई संस्थाओं की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्थाएं	संस्थाएं जिन्हें प्रमाण-पत्र दिए गए
1991-92	645	68
1992-93	194	106
1993-94	52	

शून्य (प्रतिबंध लगने के कारण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए)

तपेदिक रोग का नियंत्रण

1425. श्री जार्ज फर्नान्डीज:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में तपेदिक के मामलों की संख्या 18 लाख तक पहुंच गई है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोग के उपचार के लिए बजट परिव्यय का पूरा सदुपयोग नहीं हुआ है,

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1993-94 के बजट में आवंटित की गई 37.50 करोड रूपए की धनराशि में से मात्र 17.19 करोड की धनराशि खर्च की गई थी,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ङ) क्या तपेदिक के उपचार के लिए अधिकतर औषधियों का आयात करना पड़ता है और इसलिए इन औषधियों की सदैव कमी बनी रहती है, और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) जी, हां । आवंटित निधियों का पूरा सदुपयोग न किए जाने के मुख्य कारण उत्पादकों द्वारा आपूर्ति आर्डर के अनुसार तपेदिक निरोधक औषधियों की आपूर्ति न करना और मेडिकल स्टोर डिपो को देरी से आपूर्ति करना है।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण दस्तकार

1426. श्रीमती वसुन्धरा राजे:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण दस्तकारों के उत्थान के लिए कुछ नई योजनाएं प्रायोजित किए जाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र प्रायोजित योजनाएं किन-किन राज्यों में लागू की जाएंगी, और

(ग) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) से (ग) वर्तमान में ग्रामीण कारीगरों के उत्थान के लिए नई योजना प्रायोजित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किटो की आपूर्ति की वर्तमान योजना सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

सैनिक स्कूल

1427. श्री प्रेमचन्द राम:

क्या प्रधान मंत्री 26 अप्रैल, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या-3451 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के शैक्षिक सत्र के दौरान सैनिक स्कूलों में फीस, प्रतिभूति आदि एक समान थे;

(ख) क्या 1994-95 के शैक्षिक सत्र के आरम्भ होने के बाद इनमें से किसी स्कूल में या सभी स्कूलों में इसमें वृद्धि की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन स्कूलों में केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों से अधिक फीस आदि ली जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (च) दिन में चलने वाले सेना स्कूलों की शुल्क की पद्धति लगभग एक जैसी ही है।

18 मई, 1994 को सेना मुख्यालय ने विभिन्न सेना कमानों को सेना स्कूलों में 01 जून, 1994 से प्रभावी होने वाली अधिकतम संशोधित शुल्क पद्धति की सूचना दी। हालांकि कमान मुख्यालयों ने अपनी कमान के अंतर्गत आने वाले सेना स्कूलों के लिए न्यूनतम शुल्क पद्धति ही अपनायी थी। सेना मुख्यालय द्वारा विहित संशोधित शुल्क पद्धति का विवरण संलग्न है। शुल्क पद्धति को लागतों में हुई वृद्धि की भरपाई करने के लिए संशोधित किया गया था।

सेना स्कूलों की स्थापना रक्षा कार्मिकों द्वारा आंशिक रूप से अभिदत्त गैर-सार्वजनिक सेना कल्याण निधियों से की जाती है। अतः अफसरों, जे सी ओ अन्य रैंकों तथा सिविलियनों (रक्षा प्राक्कलनों से वेतन पाने वालों के अलावा) की संतानों की शुल्क पद्धति में अंतर है। शुल्क पद्धति के इस अंतर को दूर करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

विवरण

सेना स्कूल-01 जून, 1994 से देय शुल्क

क्रम सं.	देय राशि का ब्यौरा	सेना कार्मिक और सेवानिवृत्त			रक्षा प्राक्कलन से भुगतान पाने वाले सिविलियन कर्मचावरियों से भिन्न		
		अफसर	जूनियर कमीशन अफसर	अन्य रैंक	सिविलियन कर्मचारी "क" श्रेणी नगर	"ख" श्रेणी नगर	"ग" श्रेणी नगर
		रू.	रू.	रू.	रू.	रू.	रू.
1.	एक बार						
	पंजीकरण शुल्क	10	10	10	20	20	20
	प्रवेश	100	60	50	500	400	300
	प्रतिभूति जमा (वापस करने योग्य)	500	250	200	2000	1500	1000
2.	वार्षिक						
	पुस्तकालय	50	40	30	75	50	50
	भवन	50	40	30	75	50	50
	परीक्षा और लेखन-सामग्री	50	40	30	100	75	50
	खेल और खेल-कूद कक्षा पांच तक खेल पद्धति	50	45	40	100	75	60
	और वैज्ञानिक उपकरण	50	40	30	75	75	50
	विद्यालय पत्रिका	50	40	30	75	75	40

क्रम सं.	देय राशि का ब्यौरा	सेना कार्मिक और सेवानिवृत्त			रक्षा प्राक्कलन से भुगतान पाने वाले सिविलियन कर्मचारियों से भिन्न		
		अफसर	जूनियर कमीशन अफसर	अन्य रैंक	सिविलियन कर्मचारी "क" श्रेणी नगर	"ख" श्रेणी नगर	"ग" श्रेणी नगर
		रू.	रू.	रू.	रू.	रू.	रू.
3.	**शिक्षण शुल्क (प्रतिमाह)**						
	पहली कक्षा से पांचवी तक	140	100	85	280	250	230
	छठी कक्षा से दसवीं तक	140	120	100	300	270	250
	ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा	160	120	100	350	330	310
	विज्ञान शुल्क						
	छठी कक्षा से आठवीं तक के लिए	15	10	10	40	35	30
	नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए	20	20	50	45	40	
	ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए	30	30	30	60	55	50
	छात्र निधि	15	15	15	30	25	20

टिप्पणी 1. : अर्ध सैन्य बलों, जनरल रिजर्व इंजीनियर बल, सेना इंजीनियर सेवा के कार्मिक और रक्षा प्राक्कलन से वेतन पाने वाले सिविलियन आदि सेना कार्मिकों के समान शुल्क का भुगतान करेंगे।

2. सेना स्कूल वायुसेना और नौसेना के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के बच्चों से वही शुल्क लेंगे जो सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए लागू होता है।

3. शुल्क जून मास को छोड़कर मासिक आधार पर हर माह की 10 तारीख तक लिया जाएगा। यद्यपि जून महीने का शुल्क 10 मई तक वसूल कर लिया जाएगा।

4. सिविलियनों के बच्चों के लिए शुल्क पद्धति उस नगर की श्रेणी के आधार पर बनाई जाएगी जिस नगर में सेना स्कूल स्थित है। नगरों का वर्गीकरण वहां की जनसंख्या के आधार पर इस प्रकार किया जाएगा:-

(क) "क" श्रेणी नगर जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक है।

(ख) "ख" श्रेणी नगर जिसकी आबादी 10 से 20 लाख के बीच है।

(ख) "ग" श्रेणी नगर जिसकी आबादी 10 लाख से कम है।

5. ऊपर बताया गया पंजीकरण शुल्क प्रवेश/आवेदन प्रपत्र की लागत पूरी करने के लिये लिया जाएगा। सेना कार्मिकों और सिविलियन कार्मिकों से प्रति फार्म क्रमशः 10 रू. और 20/- रू. लिए जाएंगे।

विकलांगों की भर्ती

1428. डा. लाल बहादुर रावल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार एवं अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो विकलांग व्यक्तियों के हित में इन दिशा निर्देशों की निगरानी के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के निर्धारित प्रतिशत का पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के प्रवेश को प्रोत्साहन देने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्तियां, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकेन्द्रीकृत आधार पर की जाती हैं, अत: विभिन्न पदों पर नियुक्त विकलांग उम्मीदवारों की संख्या संबंधी सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जा रही है।

(ङ) विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उनको आयु में छूट, शुल्क में रियायत तथा मानदण्ड में छूट दी जाती है। खुली प्रतियोगी परीक्षा से भिन्न तरीके से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए भी विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट दी जाती है।

निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध

1429. **श्री पेल्लैया नंदी:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस स्थिति पर गंभीर रूख अपना रही है जिसमें सरकारी चिकित्सक उन अस्पतालों के अतिरिक्त जहां वे कार्यरत हैं, प्रत्येक स्थान पर रोगियों और जनता को धमका कर उनका शोषण करते हैं;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस प्रथा को रोकने और ऐसे कदाचारों से जनता को बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) और (ख) जम्मू-कश्मीर के कमिश्नर (स्वास्थ्य) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सभी सरकारी चिकित्सकों पर निजी प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके एवज में उन्हें नान प्रैक्टिस दिया जायेगा।

(ग) से (ङ) अब तक इस मंत्रालय में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इस कारण ऐसे मामलों को राज्य सरकारों द्वारा निपटाया जाता है।

सोफ्टवेयर और पुष्पोत्पादन के क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना

1430: **श्री श्रीकान्त जेना:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी निवेश संबंधी समिति ने सोफ्टवेअर, पुष्पोत्पादन, झींगा मछली पालन और अन्य क्षेत्रों में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना हेतु प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन एककों की स्थापना से एक वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने और कितने टन निर्यात किए जाने का अनुमान है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) और (ख) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) ने 30.6.1995 तक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना करने के लिए 433 प्रस्ताव मंजूर किये हैं जिनमें 3430.74 करोड़ रूपये की विदेशी तथा अनिवासी भारतीय इक्विटी भागीदारी की परिकल्पना है। इसमें कंप्यूटर, साफ्टवेयर, पुष्प उत्पादन, वस्त्र, सिले-सिलाये परिधान, इस्पात इत्यादि शामिल हैं।

(ग) पांच वर्षों के दौरान संभावित विदेशी मुद्रा की कुल आय 95721.88 करोड़ रुपया है। उद्यमियों द्वारा विभिन्न उद्योगों के लिए अपनाई जा रही उत्पादन की विभिन्न इकाइयों के कारण निर्यात संबंधी आंकड़े टनों में नहीं रखे गये हैं।

(हिन्दी)

नेत्रहीन व्यक्ति

1431. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):**

श्री पंकज चौधरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में कोर्निया एकत्र करने वाले कितने नेत्र बैंक हैं और उनके द्वारा प्रतिदिन कितने कोर्निया एकत्रित किए जाते हैं;

(ग) इस प्रकार से एकत्रित किए गए कोर्निया से देश में प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को आंखों की ज्योति मिल पाती है;

(घ) क्या सरकार ने देश में भारी संख्या में उपलब्ध कोर्निया को हासिल करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) वर्ष 1989 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान है कि देश में 1.2 करोड़ से अधिक दृष्टिहीन व्यक्ति हैं।

(ख) और (ग) देश में लगभग 166 नेत्र बैंक कार्य कर रहे हैं और वर्ष 1993 के दौरान इन बैंकों द्वारा 12, 225 कार्निया एकत्र किए गए। देश

में कॉर्निया के प्रतिदिन एकत्र करने के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। देश में प्रतिवर्ष लगभग 8,400 कार्निया प्रत्यारोपण के आपरेशन किए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्र बैंकों के विकास तथा रख-रखाव के लिए एक समय में 1.75 लाख रू. की अनावर्ती सहायता तथा 0.25 लाख रूपये की आवर्ती सहायता स्वीकार्य है। नेत्र दान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वर्ष 1986 से नेत्र दान पर एक राष्ट्रीय पखवाड़ा प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक मनाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच नए नेत्र बैंक खोले जाने का प्रस्ताव है।

(अनुवाद)

"आप्रेशन गोल्डन बर्ड"

1432. श्री श्रवण कुमार पटेल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद और पृथकतावाद को कारगर रूप से समाप्त करने, नियंत्रित करने और इस पर अंकुश लगाने के लिए "आप्रेशन गोल्डन बर्ड" शुरू किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस "आप्रेशन" से प्राप्त हुई सफलता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद और पृथकतावाद को कारगर रूप से समाप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त और क्या कदम उठाए गए है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) और (ख) भारत म्यांमार सीमा के साथ-साथ बंगलादेश से सशस्त्र उग्रवादियों के गिरोह की घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने मिजोरम में सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। इस गिरोह का मार्ग सफलतापूर्वक अवरूद्ध कर दिया गया था। म्यांमार की सेना ने भी म्यांमार के क्षेत्र के भीतर इसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। इन सैन्य कार्रवाईयों में इस गिरोह के हताहतों का विवरण नीचे दिए अनुसार है :-

(1)	मारे गए उग्रवादी	-	58
(2)	पकड़े गए उग्रवादी	-	43
(3)	कितने उग्रवादियों ने समर्पण किया	-	12
(4)	बरामद किए गए शस्त्र	-	84
(5)	बरामद किया गया गोलाबारूद	-	लगभग 11,000 राउंड

बड़ी संख्या में उग्रवादियों की घुसपैठ करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया।

(ग) मई 1995 से उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में प्रति-विद्रोही कार्रवाईयों और तेज कर दी गई है।

तटवर्ती क्षेत्रों में गश्त

1433. श्री राम कापसे:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्करी द्वारा विस्फोटक पदार्थों के प्रवेश को रोकने हेतु वहां पर गश्त के लिये खर्च की गई कुल धनराशि की प्रति पूर्ति करने का प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकार ने अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) अब तक कितनी धनराशि की प्रति पूर्ति की गई है और कितनी धनराशि की प्रति पूर्ति की जानी शेष है; और

(घ) शेष धनराशि की प्रति पूर्ति कब तक की जाने की आशा है और विलम्ब के क्या कारण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)

(क) जी हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1993-94 तक 1994-95 के लिए तटीय निगरानी योजना के संबंध में खर्च किए गए 4.74 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त, 1994 में एक अनुरोध भेजा था। भारत सरकार ने मार्च, 1995 में 4.74 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण धनराशि की प्रतिपूर्ति कर दी है। फिलहाल भारत सरकार के पास महाराष्ट्र सरकार का कोई दावा लम्बित नहीं है।

जर्मनी के साथ पूंजी निवेश समझौता

1434: श्री शरत पटनायक:

श्री सत्यदेव सिंह:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मनी ने पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह समझौता कब से लागू हो जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) जी, हाँ।

(ख) जर्मनी के साथ 10.7.1995 को एक द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता किया गया है। इस समझौते के मुख्य प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ अन्य देश में किसी देश के निवेश का संरक्षण, निवेश/निवेशकर्ताओं के संबंध में अत्यन्त अनुकूल राष्ट्रीय व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय-न्यायाधिकरण के जरिये निवेश संबंधी विवादों को निपटाना, सम्पत्तिहरण/राष्ट्रीयकरण के मामले में आतिपूर्ति और लाभ के प्रत्यावर्तन की सुविधा इत्यादि शामिल है।

(ग) समझौता पुष्टिकरण के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तिथि से लागू होगा जिस के शीघ्र ही पूरा कर लिये जाने की आशा है।

विदेशों में पेटेंट संबंधी साजिश

1435: श्री सुकदेव पासवान:

श्री रूपचन्द पाल:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में पेटेंट संबंधी साजिश की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के पेटेंट के लिए क्या सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों में पेटेंट संबंधी जानकारी के प्रसार हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने हेतु किसी योजना पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार देश में अनुसंधान पेटेंट कराने के लिए पहले से ही सुविधाएं विद्यमान है।

(घ) और (ङ) भारतीय कम्पनियों, वैज्ञानिक सम्प्रदायों इत्यादि को पेटेंट संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, अन्वेषकों, औद्योगिक उद्यमियों इत्यादि के लाभ के लिए पेटेंट और पेटेंट जानकारी संबंधी कई संगोष्ठियां/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

पेटेंटों का पंजीकरण

1436: श्री रामप्रसाद सिंह:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पेटेंट कराने के संबंध में प्रतिवर्ष कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने पेटेंट पंजीकृत किए गए;

(ख) क्या सरकार को विदेशों में भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में पेटेंट पंजीकृत कराने के संबंध में रिपोर्टों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पेटेंट संबंधी नियमों को प्रभावी बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में आवेदकों के प पेटेंट आसानी से किए जाएं, क्या कदम उठाए गए है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) वर्ष	पेटेंट आवेदनों को प्राप्त संख्या	अनुमोदित पेटेंटों को संख्या
1992-93	3467	1273
1993-94	3869	1746
1994-95	5228	1759

(ख) और (ग) प्रत्येक देश में पेटेंट राष्ट्रीय विधान के अनुसार मंजूर किये जाते हैं। जिनका अपना प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होता है। ये मंत्रालय अन्य देशों में पेटेंट की मंजूरी के बारे में सूचना नहीं रखता है। भारत में, पेटेंट की मंजूरी पेटेंट अधिनियम, 1970 और पेटेंट नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है।

काकरापार परमाणु विद्युत केन्द्र

1437 श्री कांशीराम राणा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काकरापार परमाणु विद्युत केन्द्र बंद कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त विद्युत केन्द्र को पुन: चालू करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, नहीं । काकरापार परमाणु बिजलीघर में दो यूनिट हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है। यूनिट-1 का प्रचालन पहले से ही वाणिज्यिक स्तर पर किया जा रहा है। यूनिट-2 को मार्च, 1995 में ग्रिड के साथ जोड़ा गया था और आशा है कि यह जल्द ही वाणिज्यिक स्तर पर काम करना शुरू कर देगा।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

(अनुवाद)

पिछड़े छात्र

1438. **श्री एन. डेनिस:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के कई छात्रों ने इस वर्ष, 1995 में, आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं;

(ख) ये छात्र किन-किन राज्यों से हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र से इनकी संख्या कितनी-कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा):

(क) सिविल सेवा परीक्षा 1994 (परिणाम 23.6.95 को घोषित) में 30 अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के उम्मीदवार जिनका रैंक संस्तुत अंतिम सामान्य उम्मीदवार से ऊपर है, बिना किसी रियायत/छूट का लाभ उठाये, उत्तीर्ण हुये हैं।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(हिन्दी)

मानसून का आगमन

1439. **प्रो. प्रेम धूमल:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि इस वर्ष मानसून समय पर आएगा और सामान्य वर्षा होगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या देश के लगभग सभी भागों और जलवायु मंडलों में मानसून विलंब से आया है और इस समय वर्षा सामान्य से कम हो रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो पूर्वानुमान के गलत होने के क्या कारण हे और जुलाई के मध्य तक देश के विभिन्न राज्यों में हुई वर्षा का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) इस वर्ष दीर्घावधि पूर्वानुमान था कि सामान्य मानसून होगा और वह केरल में सामान्य तारीख के आसपास शुरू हो जाएगा।

(ख) इस वर्ष केरल में मानसून अपनी सामान्य तारीख 1 जून की बजाय 8 जून को आया।

पूर्वी राज्यों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा पश्चिम राजस्थान के अधिकांश भागों में पहले अथवा सामान्य तारीख के आस-पास पहुंचा। अन्य जगहों पर यह देर से पहुंचा।

1 जून से 31 जुलाई, 1995 तक की अवधि में समूचे देश ने दीर्घावधि औसत वर्षा का 95% भाग ग्रहण किया अर्थात् देश में अब तक सामान्य वर्षा हुई है (सामान्य वर्षा की दीर्घावधि औसत के 10% के तौर पर परिभाषित किया गया है।)

(ग) जून के महीने में, कुछ क्षेत्रों में विलम्ब से आने का कारण भारत के ऊपर असामान्य वायुमंडलीय संचरण पैटर्न का विकसित होना था। 1.6.95 से 19.7.95 तक की अवधि में कुल संचित वर्षा 35 मौसम विज्ञानी उपमंडलों में से 12 में कम रही। नामत: (i) नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा (ii) उड़ीसा (iii) बिहार का पठार (iv) बिहार के मैदान (v) पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैदान (vi) पूर्व राजस्थान (vii) पश्चिम मध्य प्रदेश (viii) पूर्व मध्य प्रदेश (ix) गुजरात क्षेत्र, दमन, दादरा तथा नागर हवेली (x) सौराष्ट्र, कच्छ तथा दीव (xi) कोंकण तथा गोवा तथा (xii) मध्य महाराष्ट्र। इस अवधि में देश के शेष 23 मौसम विज्ञानी उपमंडलों में अधिक/सामान्य वर्षा हुई।

(अनुवाद)

मछुआरों को संरक्षण

1440. **डा. सुधीर राय:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वरम के समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका के नौसैनिकों द्वारा अकसर हमला किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो मछुआरों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) श्रीलंका की नौसेना द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा-रेखा का कथित रूप से उल्लंघन किए जाने तथा भारतीय मछुआरों पर आक्रमण करने और उन्हें मारने की सूचनाएं सरकार को समय-समय पर प्राप्त होती रहती है।

(ख) किसी भी प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-रेखा पर भारतीय नौसेना और तट रक्षक के जलयान निरंतर गश्त लगाते रहते हैं। इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भारत की सीमा में हमारे मछुआरों पर श्रीलंका की ओर से गोलीबारी की गई। मछुआरों को भी इस आशय की चेतावनी बराबर दी जाती है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का उल्लंघन न करें। भारत सरकार श्रीलंका की सरकार के साथ मछुआरों पर आक्रमण की घटनाओं का कड़ाई से विरोध करती है। मछुआरों से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए श्रीलंका के साथ आवधिक रूप से द्विपक्षीय चर्चा की जाती है।

(हिन्दी)

भूतपूर्व सैनिकों को आवासीय सुविधाएं

1441. **श्री राजवीर सिंह:**

श्रीमती शीला गौतम:

श्री रामेश्वर पाटीदार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों को रियायती दरों पर अथवा प्राथमिकता के आधार पर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) समस्त भूतपूर्व सैनिकों को रियायती दर पर या प्राथमिकता के आधार पर रिहायशी सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु इन्दिरा आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों में से कुछ प्रतिशत मकान सैन्य कार्रवाइयों में मारे गए सैनिकों के निकटतम संबंधियों को आबंटित किए जाने के वास्ते आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश बनाए जा रहे हैं।

(अनुवाद)

रक्षा संबंधी वस्तुओं का निर्यात

1442. **कुमारी फ्रिडा तोपनो:**

श्री वी.एस. विजयराघवन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अर्जुन" टैंकों, मैट-फोल्डिंग ब्रिज सिस्टम, सशस्त्र हल्के हेली काप्टर और हल्के युद्धक विमान के निर्यात का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर अन्य देशों के साथ समझौते हो रहे है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) ऐसे मुद्दे केवल श्रृंखलाबद्ध उत्पादन शुरू होने के बाद ही उठ सकते है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

1443. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज करने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने हेतु निजी चिकित्सकों को नियुक्त करने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी सरकारी प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के खाली पदों को भरा नहीं जा सका है;

(ग) क्या सरकारी चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में रूचि न लेने के फलस्वरूप सरकार निजी चिकित्सकों को नियुक्त करने के लिए मजबूर हो रही है;

(घ) यदि हां, तो यह योजना किस तिथि से लागू की जाएगी; और

(ङ) सरकार को प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) प्राइवेट डाक्टर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, डाक्टरों के सभी रिक्त पदों को शीर्घ भरने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(अनुवाद)

अंटार्कटिका अभियान

1444. **श्री गोपी नाथ गजपति:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दल द्वारा अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अभियान शुरू किए जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो नया अभियान, यदि कोई है, किस तिथि को शुरू किया जाएगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां, श्रीमान.।

वेडल सागर को भेजे गए एक अभियान सहित अब तक पन्द्रह अभियान भेजे जा चुके हैं।

(ख) पन्द्रहवां भारतीय अंटार्कटिक अभियान, नवम्बर, 1995 के अंत में भेजे जाने की संभावना है।

चिकित्सा संबंधी अपशिष्ट पदार्थ

1445. कुमारी फ्रिडा तोपनो:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी अस्पताल और नर्सिंग होम अपने चिकित्सा संबंधी अपशिष्ट पदार्थों की नगर निगम के कूड़ेदानों में डाल देते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विधेयक पारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

1446. श्री दत्तात्रेय बंडारू:

डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक ढांचे और पेटेंट संबंधी क्षमताओं में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किए जाने के अतिरिक्त परिषद् को उद्योग की आवश्यकताओं के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग) सीएसआइआर को उपभोक्ता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे (i) प्रयोगशालाओं के लिए पंचवर्षीय व्यवसाय योजना का विकास (ii) परियोजना प्रतिपादन में उद्योग तथा अन्य पणधारियों को शामिल करना (iii) सीएसआइआर के वैज्ञानिकों को कम्पनियों इत्यादि के निदेशक मंडल में सम्मिलित होने की अनुमति देना। इसके अतिरिक्त, पेटेंट्स के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा संरक्षण प्राप्ति को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। उपयुक्त जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों व आंकड़ा बैंकों के साथ संपर्क बढ़ाकर घरेलू पेटेंट कुशलताओं/क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(हिन्दी)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

1447: श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कुछ कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त निर्णय के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, और

(घ) यदि हां, तो इस मामले को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, हां। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अपने वर्धा (महाराष्ट्र) और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को 1.4.1995 से बन्द कर दिया है।

(ख) विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण और उनकी उपयोगिता की समीक्षा के आधार पर, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अपनी स्थापना लागतों में कमी करने के लिए उपर्युक्त कार्यालयों को बंद करने का निर्णय किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ऊपर ''ख'' में उल्लिखित तथ्य को ध्यान में रखते हुए, संबंधित अभ्यावेदनों पर विचार किया गया और इस मामले में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अपने पूर्व निर्णय को न बदलने का विवेक सम्मत निर्णय किया है।

रेबीज-रोधी टीका

1448. श्री जनार्दन मिश्र:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेबीज-रोधी टीके की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) स्नायविक ऊतक वैक्सीन जो सामान्य रूप से उपयोग की जाती है, पर्याप्त मात्रा में तैयार की जाती है और देश के बड़े अस्पतालों जिनमें जिला तथा उप-जिला अस्पताल भी शामिल है, में उपलब्ध रहती है। टिश्यु कल्चर 3 वैक्सीन का निर्माण देश में किया जा रहा है और आयात भी किया जा रहा है। यह व्यवसायिक रूप से बाजार में उपलब्ध है। कमी की कोई सूचना नहीं दी गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1449. श्रीमती शीला गौतम:

श्री रामेश्वर पाटीदार:

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार चारा देश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़ी जातियों तथा गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से आयोग ग्रामीण लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करने के लिए जनसंख्या संबंधी निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं :-

	मैदानी	पर्वतीय/आदिवासी क्षेत्र
उपकेन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000

राज्यों को इस बात के विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अनुसूचित जाति की बस्तियों अथवा जिन गांवों में 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या हो, वें कम से कम 15 प्रतिशत उपकेन्द्र स्थापित करें और उनके 7.5 प्रतिशत लक्ष्य आदिवासी क्षेत्रों के लिए हों।

रापज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आदिवासी झोपड़ियों और इन अनुसूचित जाति की बस्तियों, जो उपलब्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी सेवा प्रदाय बिन्दुओं से पांच कि.मी. दूर हों, के मामले में उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करने के लिए मानदण्डों में और ढील दें।

विवरण

(31.3.95 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकेन्द्र	कार्य कर रहे प्रा.स्वा. केन्द्र	सामुदायिक स्वा. केन्द्र
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	7894	1283	46
2.	अरूणाचल प्रदेश	203	40	7
3.	असम	5280	619	105
4.	बिहार	14799	2209	148
5.	गोवा	175	21	5
6.	गुजगत	7284	956	184
7.	हरियाणा	2299	397	60

1.	2.	3.	4.	5.
8.	हिमाचल प्रदेश	1906	240	43
9.	जम्मू और कश्मीर	1700	335	45
10.	कर्नाटक	7793	1428	204
11.	केरल	5094	929	64
12.	मध्यप्रदेश	11936	1841	190
13.	महाराष्ट्र	9725	1695	295
14.	मणिपुर	420	72	15
15.	मेघालय	333	88	10
16.	मिजोरम	244	43	6
17.	नागालैंड	244	33	5
18.	उड़ीसा	5927	1055	157
19.	पंजाब	2964	472	104
20.	राजस्थान	8000	1493	246
21.	सिक्किम	142	23	2
22.	तमिलनाडु	8681	1436	72
23.	त्रिपुरा	535	63	10
24.	उत्तर प्रदेश	20153	3761	262
25.	पश्चिम बंगाल	7873	1556	89
26.	अंडमान और निकोबार	96	17	4
27.	चंडीगढ़	12	शून्य	1
28.	दादरा और न. हवेली	34	6	शून्य
29.	दमण और दीव	19	2	2
30.	दिल्ली	42	8	शून्य
31.	लक्षद्वीप	14	7	2
32.	पांडिचेरी	79	26	4
	योग	131900	22156	2377

नोट : (आंकड़े अन्तिम हैं)

(अनुवाद)

न्यायालयों में लंबित मामले

1450. **श्री सूरजभानु सोलंकी:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 199- तक उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने मामलें लंबित थे; और

(ख) इन मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इससे यथासंवशीघ्र निपटने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसंबर, 1993 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत संकल्पों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को आवयक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। मामलों के बकाया और प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा मामलों के निपटारे के लिए विहित किए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती रही है। इसके अलावा, मामलों के शीघ्र निपटारे के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक कठिनाइयों को दूर करेन की दृष्टि से न्याय प्रशासन को, केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीम के रूप में योजना मद बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने भी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई उपाय किए हैं, जिनके अन्तर्गत एक समान मामलों को एक साथ समूहबद्ध करना और सूचीबद्ध करते समय बड़े समूहों को पूर्विकता देना, नियमित सुनवाई वाले मामलों के लिए सप्ताह में अलग से तीन दिन नियत करना और विशेषज्ञंता प्राप्त न्यायपीठों का गठन करना, आदि है। उच्चतम न्यायालय के दैनिक कार्य घंटों में भी आधे घंटे की वृद्धि की गई है।

विवरण

न्यायालय का नाम	**लंबित मामलों की सं.**	
उच्चतम न्यायालय	ग्रहण किए जाने वाले मामले - 26043 (1.4.95 को यथाविद्यमान)	(वास्तविक फाइलें विस्तारित नहीं कि गई)
	नियमित मामले - 21933 (1-4-95 को यथाविद्यमान)	(वास्तविक फाइलें विस्तारित नहीं कि गई)

उच्चतम न्यायालय	**लंबित मामलों की सं.**	**निम्नलिखित तारीख को यथाविद्यमान**
1	2	3
1. इलाहाबाद	7,79,313	31-12-94
2. आन्ध्र प्रदेश	1,19,645	31-3-95
3. मुम्बई	2,06,283	31-3-95
4. कलकत्ता	242614	31-3-95
5. दिल्ली	1,46,613	31-12-94
6. गुवाहाटी	29,857	30-6-95
7. गुजरात	94,395	30-6-95
8. हिमाचल प्रदेश	18,533	30-6-95
9. जम्मू-कश्मीर	90,507	31-3-95

1	2	3
10. कर्नाटक	1,54,340	30-6-95
11. केरल	1,77,807	31-3-95
12. मध्य प्रदेश	67,759	31-3-95
13. मद्रास	3,48,569	31-3-95
14. उड़ीसा	48,932	31-3-95
15. पटना	90,161	31-3-95
16. पंजाब और हरियाणा	1,43,371	28-2-95
17. राजस्थान	93,401	31-3-95
18. सिक्किम	38	31-3-95

(हिन्दी)

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की नियुक्ति

1451. श्री मोहन सिंह (दैवरिया):

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति तथा पदान्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज):

(क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(अनुवाद)

भारत में अमरीका का पूंजी निवेश

1452. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विशेषज्ञों ने मई, 1995 में भारत की यात्रा की थी और उन्होंने कुछ ऐसे भारतीय उद्योगों का पता लगाया है जिनमें "स्टेट" कम्पनियों पूंजी निवेश कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विशेषज्ञों ने अपनी सिफारिश दी है जिसके अनुसार भारतीय और अमरीकी कंपनियां प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायक हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत और अमरीका के बीच अन्तिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये गये है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें अमरीका द्वारा पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) उद्योग मंत्रालय को अमरीका के विशेषज्ञों द्वारा अमरीकी कम्पनियों के लिये निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिये मई 1995 में भारत की यात्रा किए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागज का उत्पादन

1453. श्री हरिन पाठक:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कागज के मिलों द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में रद्दी कागज के उपयोग से अखबारी कागज जैसे कागज का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वदेशी अखबारी कागज की आपूर्ति बढ़ाने हेतु इस कागज को अखबारी कागज नियंत्रण आदेश की अनुसूची एक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) देश में कितने मूल्य के अखबारी कागज का आयात किया गया; और

(ङ) अखबारी कागज के आयात को कम करने और इसके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) कुछ कागज मिलें कच्चे माल के रूप में रद्दी कागज सहित गैर-परम्परागत कच्चे माल का प्रयोग करके अखबारी कागज के दर्जे का कागज बना रही है। ऐसी कागज मिलों को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिलों के रूप में घोषित करते हुए उन्हें अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है जो अखबारी कागज के लिए निर्धारित भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप कागज का उत्पादन कर रही हैं और जिनके कागज का इस्तेमाल समाचार पत्रों द्वारा किया जा रहा हो और इसकी गुणवत्ता उनके द्वारा संतोषजनक पाई जाये। रद्दी कागज सहित गैर-परम्परागत कच्चे माल का प्रयोग करने वाली निम्नलिखित 16 मिलों को अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 1962 की अनुसूची-1 में अखबारी कागज का निर्माण करने वाली इकाइयों के रूप में शामिल किया है :-

मिल का नाम	अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में शामिल किए जाने की तारीख
1. ओरंगाबाद पेपर मिल्स लिमिटेड	02.03.1993
2. सन पेपर मिल लिमिटेड	26.04.1993
3. जयन्त पेपर मिल्स लिमिटेड	26.04.1993
4. सर्वलक्ष्मी पेपर एंड बोर्डस	03.08.1993
5. धनलक्ष्मी पेपर मिल्स प्रा.लि.	03.08.1993
6. अजन्ता पेपर एंड जनरल प्रोडक्टस लि.	03.08.1993
7. अमृत पेपर	03.08.1993
8. श्री वेंकटेश पेपर एंड बोर्डस लि.	03.08.1993
9. इंडो एग्रिक पेपर मिल्स लि.	27.08.1993
10. जी वी जी पेपर मिल्स प्रा.लि.	02.11.1993
11. राम पेपर मिल्स लि.	25.11.1993
12. शिरके पेपर मिल्स लि.	14.12.1993
13. युनाइडेट पल्प एंड पेपर मिल्य लि.	06.01.1994
14. गुलमोहर पेपर लि.	01.7.1994
15. अमरावती श्री वेंकटेश पेपर मिल्स लि.	26.12.1994
16. लक्ष्मी बोर्ड एंड पेपर मिल्स लि.	18.05.1995

इन 16 मिलों की कुल अधिष्ठापित क्षमता 2.05 लाख टन प्रतिवर्ष है।

(घ) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान अखबारी कागज का क्रमशः 3.11 लाख टन और 2.92 लाख टन आयात किया गया था।

(ङ) सरकार ने आयात कम करने तथा अखबारी कागज का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

1. 1989 के बाद औद्योगिक लाइसेंसो/आशय-पत्रों के रूप में 6.55 लाख टन अतिरिक्त क्षमता मंजूर की गई है।

2. नई औद्योगिक नीति के अधीन खोई, कृषि अवशेषों तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्ची सामग्रियों से प्राप्त न्यूनतम 75% लुग्दी पर आधारित अखबारी कागज एककों को औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता से छूअ दे दी गई है बशर्ते कि वे स्थापना स्थल संबंधी नीति को पूरा करते हों। इसके फलस्वरूप अगस्त, 1991 से अखबारी कागज के निर्माण के लिए भावी उद्यमियों द्वारा 19.55 लाख टन क्षमता हेतु 38 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किए गए हैं।

3. अखबारी कागज के निर्माण के लिए काष्ठ लुग्दी के आयात से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

4. अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छुट प्राप्त हैं।

5. ऐसी कागज मिलों को अखबारी कागज मिलों के रूप में घोषित करते हुए उन्हें अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है जो अखबारी कागज के लिए निर्धारित भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप कागज का उत्पादन कर रही है और जिनके कागज का इस्तेमाल समाचारपत्रों द्वारा किया जा रहा हो और इसकी गुणवत्ता उनके द्वारा सन्तोषजनक पाई जाए।

''इंडियन स्माल आर्म्स सिस्टम'' का विकास

1454. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:

श्री अटल बिहारी वाजपेयी:

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेवा में ''इंडियन स्माल आर्म्स सिस्टम'' के विकास और इन हथियारों की सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस ''सिस्टम'' के विकास में अत्यधिक विलम्ब के कारण सरकार को ''कैलीबर'' राइफलों और गोला बारूद का आयात करने को बाध्य होना पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस ''सिस्टम'' के विकास कार्यक्रम में विलम्ब के कारण 2000 ई. तक सभी सैनिकों को पुनः इन हथियारों से सुसज्जित करने की सेना की योजना सफल नहीं हो पाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क) अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश करके विकसित की गई 5.56 मि.मी. कैलिबर राइफल हल्की मशीन गन और कार्बाइन भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली (आई एन एस. ए एस) परिवार की शस्त्र प्रणालियां हैं। प्रयोक्ता और सैन्य टुकड़ी परीक्षणों में सफलतापूर्वक खरी उतरने के उपरांत राइफल और उसके गोलाबारूद का एक आयुध कारखाने में थोक मात्रा में उत्पादन कर उन्हें सेना को सप्लाई किया जा रहा है। हल्की मशीन गन का प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और उसका सैन्य टुकड़ी परीक्षण पूरा होने वाला है। इसके साथ-साथ इसका थोक उत्पादन करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत सैन्य टुकड़ी परीक्षणों के लिए कार्बाइन का उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) विद्रोह-रोधी/आतंरिक सुरक्षा संक्रियाओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कुछ ए के-47 राइफलें विदेश से खरीदने के वास्ते एक सांवदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) सेना की अधिकतर योधी टुकड़ियों को सन् 2000 तक देश में निर्मित 5.56 मि.मि. राइफल से सज्जित कर दिया जाएगा। अतएव इस संबंध में कोई अतिरिक्त उपाय करने पर विचार नहीं किया गया है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

1455. **श्री प्रकाश वी. पाटील:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में 1993-94 और 1994-95 के दौरान आप्टिकल ग्लास की मांग कितनी थी;

(ख) इस ग्लास के आपूर्तिकर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान अलग-अलग आपूर्तिकर्त्ताओं से क्या-क्या आंकड़े प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस अनुसंधान केन्द्र को 1993-94 और 1994-95 के दौरान मांग पर कितना आप्टिकल ग्लास प्राप्त हुआ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) 1993-94 और 1994-95 के वर्षों के दौरान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की प्रकाशीय कांच की मांग क्रमश: 1.00 मीटरी टन और 0.7 मीटरी टन के लगभग थी।

(ख) से (घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने 1993-94 और 1994-95 में भारत आफ्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए जाने के लिए जितनी मात्रा में प्रकाशीय कांच की मांग की थी उनकी पूर्ति बैचों में की जा रही है।

तटरक्षकों द्वारा पकड़े गए जल पोत

1456. **श्री चेतन पी.एस. चौहान**

श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटरक्षक दल द्वारा गत तीन माह के दौरान देश-वार कितने विदेशी जल पोत पकड़े गए;

(ख) इन पोतों से जब्त किए गए माल का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) भारतीय तटरक्षक ने मई-जुलाई, 1995 के दौरान 4 विदेशी पोत जब्त किए हैं। ये मत्स्यपोत थाइलैंड, म्यांमार, दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) और श्रीलंका के हैं।

(ख) म्यांमार और श्रीलंका के मत्स्यपोतों में क्रमश: 30 कि.ग्रा. और 1000 कि.ग्रा. मछलियां ही पाई गई थीं। अन्य पोतों से कोई माल जब्त नहीं किया गया था। कुल 40 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(ग) इन सभी पोतों के संबंध में भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1961 के उपबंधों और इसके अधीन बने नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है। इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से इन्हें विनिर्दिष्ट पत्तनों में तैनात पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

"वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट"

1457. **श्री शोभनाद्रीशवर राव वाड्डे:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में "वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट" के संचालन हेतु अपेक्षित उपकरण उपलब्ध नहीं हैं,

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में यह महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) इस संबंध में वास्तविक और वित्तीय आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है, और

(घ) आन्ध्र प्रदेश की "वेस्टर्न ब्लॉट" परीक्षण उपकरण की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी हां ।

(ख) से (घ) एच आई वी परीक्षण की वर्तमान नीति के अन्तर्गत बहुत काम स्थितियों में वेस्टर्न ब्लाट परीक्षण की आवश्यकता होती है, इस लिए वेस्टर्न ब्लाट परीक्षण के लिए क्षेत्रीय आधार पर स्थापित मौजूदा 9 सन्दर्श केन्द्रों के अलावा और केन्द्र खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(हिन्दी)

सरकारी उपक्रमों में आरक्षण नीति

1458. श्री महेश कनोडिया:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकारी उपक्रमों में आरक्षण के प्रावधान किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी हां।

(ख) निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने संबंधी मामले की जांच की जा रही है।

जम्मू और कश्मीर में गिराए गए मंदिर

1459. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज की तिथि तक जम्मू और कश्मीर में कितने मंदिर गिराए गए है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों, अर्थात्, 1992, 1993, 1994 और 1995 (31 जुलाई तक) के दौरान जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में 97 मंदिर क्षतिग्रस्त/जलाए गए है। इनके वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार है :-

1992	1993	1994	1995 (31 जुलाई तक)	जोड़
52	5	9	31	97

(ख) राज्य में धार्मिक स्थलों को उग्रवादियों/उपद्रवियों के संभावित हमलों से बचाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा बलों और जम्मू व कश्मीर पुलिस द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाई जा रही है तथा इस प्रकार की घटनाओं की संभावनाओं को रोकने के लिए कड़ी और नियमित निगरानी/सतर्कता बरती जा रही है।

बेरोजगारों का पंजीकरण

1460. श्री मंजय लाल:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों का पंजीकरण करने का है,

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल, कुशल, अशिक्षित तथा शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या का पता लगाया जा चुका है या लगाया जा रहा है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका निश्चित कर दी गई है या निश्चित की जा रही है, और

(ङ) क्या वित्तीय संस्थाओं की भूमिका भी इस कार्यक्रम में निश्चित कर दी गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) से (ग) ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में उम्मीदवारों के पंजीकरण हेतु नियोजनालय खुले हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल, कुशल, अशिक्षित और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या की अलग-अलग जानकारी उपलब्धध नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 18-60 आयु वर्ग के बेरोजगार, जिन्हें रोजगार की तलाश है, योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह अनुमान है कि अब तक मोटेतौर पर 1.63 करोड़ व्यक्ति योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए पंजीकृत किए गए है। इसके अलावा, सामान्य शिक्षा श्रेणी के अंतर्गत 15 वर्ष और अधिक के आयु वर्ग में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के अनुमान साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 1987-88 के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में उपलब्ध हैं और संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के एक भाग के रूप में स्वयंसेवी संगठनों को ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और ये संगठन साथ-साथ पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं।

विवरण

1987-88 के दौरान प्रमुख राज्यों में प्रत्येक सामान्य शिक्षा श्रेणी में 15 वर्ष और अधिक के आयु वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (00 में)

राज्य/अखिल भारत	ग्रामीण			
	निरक्षर	साक्षर और प्राथमिक स्तर तक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक और ऊपर
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4134	775	604	1540
असम	565	718	665	1354
बिहार	421	1028	660	1978
गुजरात	823	476	219	541
हरियाणा	240	603	353	895
हिमाचल प्रदेश	45	139	86	296
जम्मू कश्मीर	21	20	73	190
कर्नाटक	428	192	293	950
केरल	799	3210	4256	5731
मध्य प्रदेश	960	276	267	350
महाराष्ट्र	900	776	448	1204
उड़ीसा	1341	1762	898	1224
पंजाब	90	205	279	795
राजस्थान	1770	602	339	489
तमिल नाडु	2990	1157	1034	2001
उत्तर प्रदेश	1589	845	715	2288
पश्चिम बंगाल	2221	919	901	1826
अखिल भारत	19413	12386	11781	23435

(अनुवाद)

प्रसूति अवकाश

1461. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन मर्तें का मकाजी महिलाओं के लिए पूरे सेवा-काल में दो बारे छह-छह माह का प्रसूति अवकाश देने की सिफारिश की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार तीन माह के पितृत्व अवकाश की पृथक मांग पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब से लागू किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा):

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित "कामकाजी महिलाएं तथा उनके पारिवारिक परिप्रेक्ष्य" पर एक अध्ययन रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि कामकाजी महिलाओं को नौकरी तथा घर की दोहरी जिम्मेवारी निभाने में समर्थ बनाने के लिए कतिपय सेवा नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। तद्नुसार, अध्ययन रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा पाएं इसे सुनिश्चित करने के लिए उन्हें छ: माह का (पूरे सेवाकाल में दो बार) प्रसूति अवकाश प्रदान करने की जरूरत है, क्योंकि शिशु के विकास में प्रथम छ: माह बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों पर पांचवां वेतन आयोग विचार कर रहा है, जो अवकाश संबंधी मुद्दों, जिसमें केन्द्रीय सरकार की महिला कर्मियों का प्रसूति अवकाश भी शामिल है, की भी जांच करेगा। इस संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

जन्म दर

1462. **डा. आर. मल्लु:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य-वार वर्तमान जन्म दर कितनी है;

(ख) क्या यह जन्म दर अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जन्म दर में कमी आ रही है, लेकिन यह अभी भी अधिक है।

(ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य सरकारों से परामर्श करके तैयार की गई एक कार्य योजना लागू की जा रही है। इसमें सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार, युवा आयु के दम्पत्तियों में जन्म में अन्तर रखने के तरीकों को बढ़ावा देना, कार्यक्रम में पिछड़ रहे 90 जिलों पर विशेष ध्यान देना, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं बढ़ाने के उपायों को सुदृढ़ करना शामिल है।

विवरण

जन्म दर के बारे में नमूना पंजीयन पद्धति के राज्यवार अनुमान-1993

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन्मदर (प्रति 1000 जनसंख्या)
भारत×	28.7
आंध्र प्रदेश	24.3
अरूणाचल प्रदेश	28.0
असम	29.5
बिहार	32.0
गोवा	14.7
गुजरात	28.8
हरियाणा	30.9
हिमाचल प्रदेश	26.7
कर्नाटक	25.5
केरल	17.4
मध्य प्रदेश	34.9
महाराष्ट्र	25.2
मणिपुर	20.5
मेघालय	28.5
नागालैंड	20.0
उड़ीसा	27.2
पंजाब	26.3

राजस्थान	34.0
सिक्किम	24.3
तमिल नाडू	19.5
त्रिपुरा	23.3
उत्तर प्रदेश	36.2
पश्चिम बंगाल	25.7
संघ राज्य क्षेत्र	
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	21.6
चण्डीगढ़	18.5
दादरा व नगर हवेली	33.6
दमण व द्वीव	25.3
दिल्ली	22.7
लक्षद्वीप	25.7
पांडिचेरी	15.5

× जम्मू और कश्मीर की छोड़कर

स्रोत–नमूना पंजीमन पद्धति

चिकित्सीय उपचार

1463. श्री एस.एम. लालजान बाशा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के अत्यधिक मूल्य के कारण कमजोर वर्ग के लोगों के लिए चिकित्सीय उपचार मिलना दूभर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गरीब वर्ग के लोगों को कम मूल्य पर औषधियाँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है;

(ग) क्या आवश्यक औषधियों को रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) से (घ) उचित कीमतों पर अनिवार्य औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही औषध-नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस उद्देश्य के अनुसरण में काफी अनुपात में औषधियां मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत रखी जाती हैं और अपसामान्य वृतियों के विरूद्ध संरक्षण के लिए औषधियों की कीमतों पर प्रबोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम इत्यादि जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोगियों को अनिवार्य औषधियां मुफ्त दी जाती है।

(हिन्दी)

एयर क्राफ्ट कैरियर का निर्माण

1464. डा. परशुराम गंगवार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के लिए एक नये एयर क्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया गया है या किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क) और (ख) एक हवाई रक्षा पोत का देश में निर्माण किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस हवाई रक्षा पोत को पुराने वायुयानवाहक भा.नौ.पो. ''विक्रान्त'' के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने का विचार है।

(अनुवाद)

आतंकवादियों के साथ बैठक

1465. श्री श्रवण कुमार पटेल:

श्री गुरुदास कामत:

श्री शिव शरण वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीरी आतंकवादियों के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आतंकवादियों ने इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ङ) सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में यथाशीघ्र शांति और सामान्य हालात की स्थिति पैदा की जाय और राजनैतिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थानों की बहाली की जाय।

सरकार ऐसे किसी भी ग्रुप या व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श और बातचीत करने के लिए तैयार है जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करने के इच्छुक हो।

त्रुटिपूर्ण भारतीय मानचित्र

1466. **श्री सनत कुमार मंडल:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "सी-II मैच गिफ्ट्स अक्साइचिन अरूणाचल टू चाइना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत में व्यवसाय करने या भारत के साथ व्यवसाय करने के अवसरों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने क लिए "बिजनेस डेव्लेप्मेंट इन इंडिया" पुस्तक प्रकाशित करने के वास्ते भारतीय उद्योग परिसंघ तथा मैसर्रा कॉर्नहिल पब्लिकेशंस लिमिटेड ने मिलकर कार्य किया। इस पुस्तक का हांग कांग में मुद्रण किया गया और बिजनेस डेव्लेप्मेंट इन इंडिया, 1995 का प्रथम अंक हाल ही में प्रकाशित किया गया। उसमें कुछ नकशे छापे गए हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय सीमा गलत रूप से दर्शाई गई है। इसके अलावा, इन नक्शों में लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भी नहीं दर्शाए गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का यह कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से यह सुनिश्चित किए जाने के लिए सभी प्रयास किए थे कि नक्शे सही-सही रूप में छापे जाएं, फिर भी ये गलतियां हो गई हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ ने मुद्रकों को सही नक्शे सप्लाई किए थे लेकिन फिर भी उनमें त्रुटियां रह गई हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा इन नक्शों में गंभीर त्रुटियों की सूचना दिए जाने पर मैसर्स कॉर्नहिल पब्लिकेशंस ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि ये गलतियां जान-बूझकर नहीं की गई हैं और उन्होंने भारत के उन व्यक्तियों को खेद प्रकट करते हुए पत्र लिख दिए हैं जिन्हें "बिजनेस डेव्लेप्मेंट इन इंडिया" की प्रति प्राप्त हुई है। चूंकि इस खेद पत्र में इस पुस्तक में शामिल नक्शों में निहित त्रुटियों के संदर्भ में विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अत: भारतीय उद्योग परिसंघ को यह निदेश दिया गया है कि वे इन प्रकाशकों को यह कहें कि वे यह उल्लेख करते हुए एक और खेद-पत्र जारी करें कि "इस प्रकाशन में जहां-जहां भारत के नक्शे में भारत की बाह्य सीमाएं दर्शायी हैं वे न तो सही हैं और न ही प्रामाणिक हैं"। उनसे यह भी कहा जा रहा है कि वे इस पुस्तक की उन सभी प्रतियों पर उपर्युक्त स्पष्टीकरण अंकित करें जो उन्हें इन प्रकाशकों से प्राप्त हुई हैं।

(हिन्दी)

अंग प्रत्यारोपण

1467. **श्री दाऊ दयाल जोशी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अंग प्रत्यारोपण शल्य क्रिया करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख) जी हां, संस्थान को यकृत, हृदय, फेफड़े और गुर्दे के प्रत्यारोपण आपरेशन करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(अनुवाद)

"एड्स" रोग पर नियंत्रण

1468. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों ने "एड्स" रोग को फैलने से रोकने के लिए चालू वर्ष के दौरान स्वयंसेवी संगठनों/सरकारी एजेंसियों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/चन्दा देने की पेशकर की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक अन्य देश की सरकार द्वारा किन-किन संगठनों को कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) इन एजेंसियों द्वारा इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार से किया गया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) विदेशी वित्तीय सहायता से देश में एड्स को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदम और चलाए जा रहे कार्यक्रम वर्तमान वर्ष के दौरान भी जारी रखे गए हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेशी एजेंसी/सरकार का नाम		राशि	वर्ष	निधियों के उपयोग का तरीका (अमरीकी डालर)
1		2	3	4
1. ओडीए (यू.के.)	(क)	2,500,000	1993-95	पश्चिम बंगाल राज्य में ट्रक चलाने वाले व्यक्तियों के लिए सूचना शिक्षा और संचार/यौन संचारित रोग कार्यकलापों पर कार्यक्रम को सहायता।
	(ख)	172,500	1994-95	भारतीय स्वास्थ्य एवं प्रबन्ध अनुसंधान संस्थान, जयपुर के माध्यम से अन्तर-नगरीय ट्रक ड्राइवरों में देश व्यापी एड्स/यौन संचारित रोगों की रोकथाम।
2. नोराड	(क)	28,000	1992-95	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में गैर-सरकारी संगठन एड्स सेल को सहायता।
	(ख)	110,000	1992-93	सोनागाची, कलकत्ता में सेवठा परियोजना के लिए अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान को सहायता।
	(ग)	300,000	1993-94	नैदानिक और चिकित्सीय उपचार के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सहयोग से चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु क्रिश्चियन मेडिकल एसोशियरान आफ इंडिया को सहायता।
3. (यूएसण्ड)	(क)	10,000,000	1995-2002	तमिलनाडु राज्य में यौन संचरण से एच आई वी के फैलने में कमी लाने के लिए संक्रमण के सर्वाधिक खतरे वाल लोगों, विशेष रूप से वेश्याओं और उनके ग्राहकों तथा यौन संचारित रोगों के रोगियों में एच आई वी निवारक उपायों के लिए वालंट्री हेल्थ सर्विसेज मद्रास को सहायता।

ग्रामीण सफाई

1469. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:**

श्री खेलन राम जांगडे:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1995 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "सरल सेनीटेशन ड्राइव फेल्स टू अचीव रिजल्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है,

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) जी हां।

(ख) यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की कवरेज कम है। कम कवरेज के मुख्य कारण हैं - विभिन्न स्तरों पर प्रयासों की कमी, स्वच्छता के महत्व का कम ज्ञान, लोगों की महसूस की गई आवश्यकता के सृजन में कमी, लोगों की भागीदारी में कमी, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन आदि।

(ग) सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति में सुधार करने के लिए कई नए प्रयास किए हैं। इनमें से कुछ ये हैं:

(1) गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों में से निर्धनतम परिवारों को सबसिडी मुहैया कराना तथा अन्य परिवारों का बाजारों/स्वच्छता दुकानों की मार्फत सुविधाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना।

(2) स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता सृजन, मांग सृजन आदि के लिए गहन अभियान शुरू करना।

(3) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों का पता लगाना।

(4) शौचालयों के स्थानीय रूप से उपयुक्त मॉडलों को प्रोत्साहन देना।

(5) जिन घरों के अहातों में स्वच्छता शौचालयों के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि/जगह मौजूद नहीं है और जहां ग्राम पंचायतें इनका रखरखाव करने के लिए तैयार हैं, वहां विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपयुक्त स्वच्छता परिसरों की स्थापना करना।

(6) जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना आदि जैसी अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ कार्यक्रम का समेकन करना।

(7) स्वच्छता शौचालयों, शुष्क शौचालयों को स्वच्छता शौचालयों में बदलना, कूड़ादानों, सोखते गड्ढों, नालियों, नालियों को पक्का करने, संस्थागत शौचालय हैंड पम्पों के आस-पास सफाई आदि जैसी सुविधाओं वाले मॉडल गांवों का विकास करना।

(8) स्कूल स्वच्छता

गत तीन वर्ष (राज्यवार) के दौरान बनाये गए पारिवारिक स्वच्छता शौचालयों की संख्या के संबंध में सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	निर्मित पारिवारिक शौचालयों की संख्या		
	1992-93	1993-94	1994-95
आंध्र प्रदेश	9579	13102	97104
अरूणाचल प्रदेश	400	545	695
असम	20	954	2895
बिहार	0	4322	372
गोआ	1548	1443	1401
गुजरात	13502	15221	16804
हरियाणा	107657	52751	51165
हिमाचल प्रदेश	65649	68030	69240
जम्मू कश्मीर	9092	8612	10576
कर्नाटक	4202	6412	31412
केरल	2168	14726	20733
मध्य प्रदेश	69	18021	35915
महाराष्ट्र	4793	1093	18370
मणिपुर	2319	2003	2649
मेघालय	1132	1048	1919
मिजोरम	0	0	508
नागालैंड	161	248	0
उड़ीसा	1892	550	3142
पंजाब	2156	6575	2973
राजस्थान	12430	12954	19267
सिक्किम	543	450	460
तमिलनाडू	5000	1800	42445
त्रिपुरा	622	1071	2033
उत्तर प्रदेश	69590	49851	93339
पश्चिम बंगाल		19390	37661
राज्य	निर्मित पारिवारिक शौचालयों की संख्या		
	1992-93	1993-94	1994-95
अंडेमान व निकोबार द्वीप समूह	789	456	1164
चंडीगढ़			
दादरा व नागर हवेली		13	55
दमन व दीव	0	0	60
दिल्ली			
लक्षद्वीप	0	10	64
पंडिचेरी		171	330
कापार्ट	12760	30051	15862
अखिल भारत	328073	331873	580605

अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन

1470. डा. कृपासिंधु भोई

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य नगरीय, म्युनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु उपयुक्त रूपांतरण प्रौद्योगिकी को ग्रहण कर उसक उन्नयन, विकास, प्रदर्शन व प्रचार करना हैं। यह अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति हेतु परियोजनाओं की स्थापना में निवेशकों/उन्नयनकर्त्ताओं को कई प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है। इस सहायता में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उन्नयनकर्त्ताओं के योगदान में पूंजी सहायता हेतु ब्याज सहायता तथा वित्तीय सहायता शामिल है।

(ग) चूंकि इस कार्यक्रम की शुरूआत जून, 1995 में की गई है, अत: आठवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए पृथक आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, नगरीय, म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति हेतु कार्यक्रमों के लिए वार्षिक योजना में चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 में 12.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं।

(घ) सभी संबंधितों का कार्यक्रम विवरण व्यापक रूप से परिचालित किए गए है। मुख्य समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। प्रस्तावों के लिए एक व्यवसायिक बैठक का बंगलौर आयोजन भी किया गया है।

नारियल तेल में कॉलेस्ट्रॉल

1471. श्री एम. रामन्ना राय:

श्री रमेश चेन्नित्तला:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल तेल में कॉलेस्ट्रॉल की मात्रा पाए जाने के सिद्धांत का कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख) नारियल तेल में कोई कॉलेस्ट्राल नहीं होता है। तथापि, अत्यधिक सेचुरेटिड वसा वाले तेलों अर्थात् नारियल के तेल का उपभोग करने वाले लोगों के रक्त में कॉलेस्ट्राल की अधिक मात्रा होती है।

आयोडीनयुक्त नमक

1473. श्री मोहन रावले:

श्री सनत कुमार मंडल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या नमक को आयोडीनयुक्त बनाने संबंधी कार्यक्रम की स्थिति की समीक्षा करने और सभी को आयोडीनयुक्त नमक संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली विशिष्ट कार्यवाही अभिनिर्धारित करने के लिए ''यूनिसेफ'' के सहयोग से आयोडीनयुक्त नमक पर गत माह एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो 2000 ई. तक आयोडीन की कमी के कारण होने वाली विकृतियों को दूर करने संबंधी लक्ष्य को प्राप्ति हेतु तैयार की गई 1995-2000 कार्य योजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) प्रतिबंधित क्षेत्रों में सामान्य नमक के प्रवेश पर निगरानी रखने के लिए आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों से अभी भी ग्रस्त राज्यों को क्या भूमिका दी गई है;

(घ) इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन राज्यों के क्या नाम है जिन्होंने बगैर आयोडीन वाले नमक की बिक्री पर रोक लगा दी है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) से (ग) नमक के आयोडीकरण पर एक बैठक नमक आयुक्त तथा यूनिसेफ द्वारा जुलाई, 1995 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नमक के व्यापक आयोडीकरण की एक योजना चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भी धन उपलब्ध किया जाता है:-

(I) आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कक्ष की स्थापना।

(II) प्रचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा।

(III) आयोडीन अल्पता विकार सर्वेक्षण/पुन: सर्वेक्षण आयोजित करना।

(IV) आयोडीन अल्पता विकार मानीटरिंग प्रयोगशाला स्थापित करना।

(V) आयोडीकृत नमक की गुणवत्ता की मानीटरिंग करना।

(घ) दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:-

(I) सभी राज्यों/संघ राज्यक्षत्रों द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम को एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी को इस कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाना चाहिए।

(II) जिन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अनायोडिकृत नमक की बिक्री की प्रतिबंध अधिसूचना जारी नहीं की है उन्हें ऐसा तत्काल करना चाहिए तथा उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

(III) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों

के माध्यम से आयोडिकृत नमक की बिक्री के साथ शामिल किया जाना चाहिए।

(IV) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उपभोग क्षेत्र में आयोडीकरण प्लांट लगाने को बढ़ावा देना तथा उत्पादन, विरण तथा उपभोग स्तर पर आयोडिकृत नमक की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक उपयुक्त मानिटरिंग प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

(V) कार्यक्रम में शामिल सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम में उपयुक्त प्रशिक्षण लेना चाहिए।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी की है।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवरेज
1.	असम	समस्त राज्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	समस्त राज्य
3.	बिहार	समस्त राज्य
4.	हरियाणा	समस्त राज्य
5.	हिमाचल प्रदेश	समस्त राज्य
6.	जम्मू और कश्मीर	समस्त राज्य
7.	कर्नाटक	4 जिले
8.	महाराष्ट्र	17 जिले
9.	मध्य प्रदेश	समस्त राज्य
10.	मणिपुर	समस्त राज्य
11.	मेघालय	समस्त राज्य
12.	मिजोरम	समस्त राज्य
13.	नगालैंड	समस्त राज्य
14.	पंजाब	समस्त राज्य
15.	उड़ीसा"	
16.	राजस्थान	समस्त राज्य
17.	सिक्किम	समस्त राज्य
18.	तमिलनाडु"	
19.	त्रिपुरा	समस्त राज्य
20.	उत्तर प्रदेश	समस्त राज्य
21.	पश्चिम प्रदेश	समस्त राज्य
22.	आंध्र प्रदेश	7 जिले
23.	गुजरात	समस्त राज्य
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	चंडीगढ़	समस्त संघ राज्य क्षेत्र.
2.	दमण व दीव	समस्त संघ राज्य क्षेत्र
3.	दादरा व नगर हवेली	समस्त संघ राज्य क्षेत्र
4.	दिल्ली	समस्त राष्ट्रीय राजधानी
5.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	समस्त संघ राज्य क्षेत्र
6.	लक्षद्वीप	समस्त संघ राज्य क्षेत्र

× समस्त राज्य में प्रतिबन्ध जारी किया गया है मगर उसे प्रास्थगित रखा गया है।

(हिन्दी)

नए औद्योगिक एकक

1474. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 60 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद औद्योगिक एकक लगाए जाने संबंधी आवेदनों का निपटारा किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 60 दिनों के अंदर नहीं निपटाए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस संबंध में अधिकारियों की भूमिका की जांच कराई गई है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) सरकार का प्रयास रहता है कि सभी औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों का (निपटारा) 260 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही कर दिया जायें। फिर भी कुछेक अपरिहार्य कारणों से कभी-कभी उपर्युक्त समय-सीमा का अनुपालन कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है ऐसा औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों में कुछ कमियां रह जाने के कारण और संबंधित पक्षों को अतिरिक्त सूचना देने के लिये कहने अथवा कई बार किसी उद्योग/उद्योगों से सम्बन्धित नीति को अन्तिम रूप देने में समय लगने के कारण होता है। पिछले तीन वर्षों में 39 प्रतिशत (लगभग) आवेदनों का निपटारा उनके प्रापत होने के 60 दिन के भीतर कर दिया गया था और (लगभग) 62 प्रतिशत आवेदनों का निपटारा उनके प्राप्त होने के समय से 90 दिन के भीतर कर दिया गया था।

(अनुवाद)

बायोगैस संयंत्र

1475. श्री हरिभाई पटेल

श्रीमती सरोज दुबे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1995 और 1996 के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित पारिवारिक और सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय सैक्टर योजना, राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, जिसके अंतर्गत पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाता है, का कार्यान्वयन 1981-82 से किया जा रहा है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सहायता, टर्न की कार्य शुल्क, सेवा प्रभार और तकनीकी प्रशिक्षण और प्रचार सहायता को प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एक पृथक कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधरित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण -I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों और सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा पर आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की राज्यवार और एजेंसीवार संख्या :-

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस परिवार आकार के संयंत्र	संयंत्रों की संख्या सामुदायिक, संस्थागत, एवं विष्ठा आधारित संयंत्र
1.	आंध्र प्रदेश	60,684	15
2.	अरूणाचल प्रदेश	96	-
3.	असम	3,202	-
4.	बिहार	11,527	2
5.	गोवा	452	17
6.	गुजरात	1,04,372	24
7.	हरियाणा	6,246	4
8.	हिमाचल प्रदेश	7,622	-
9.	जम्मू कश्मीर	149	-
10.	कर्नाटक	78,137	18
11.	केरल	10,556	1
12.	मध्य प्रदेश	47,673	25
13.	महाराष्ट्र	84,033	73
14.	मणिपुर	345	-
15.	मेघालय	110	-
16.	मिजोरम	320	-
17.	नागालैंड	170	-
18.	उड़ीसा	36,786	17
19.	पंजाब	8,477	121
20.	राजस्थान	12,545	14
21.	सिक्किम	568	-
22.	तमिल नाडू	29,314	49
23.	त्रिपुरा	197	-
24.	उत्तर प्रदेश	41,983	243
25.	पश्चिम बंगाल	24,854	7
26.	अंडमान एवं निकोबार	15	-
27.	चंडीगढ़	10	-
28.	दादर एवं नागर हवेली	10	-
29.	दमन एवं दीव	-	-
30.	दिल्ली	37	11
31.	पांडिचेरी	40	
32.	अन्य *	38,582	-
	कुल	6,05,112	641

*** खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आदि**

विवरण -II

वर्ष 1995-96 में राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एनपीबीडी) के अंतर्गत पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों और सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों के कार्यक्रम (सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी) के लिए लक्ष्य।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	एनबीपीडी पीबी	1995-96 के लिए लक्ष्य सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी
1.	आंध्र प्रदेश	16000	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	20	-
3.	असम	900	-
4.	बिहार	1250	1
5.	गुजरात	100	-
6.	गोवा	20000	5
7.	हरियाणा	1500	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1200	1
9.	जम्मू कश्मीर	50	-
10.	कर्नाटक	20000	2
11.	केरल	1500	2
12.	मध्य प्रदेश	16000	5
13.	महाराष्ट्र	7500	15
14.	मणिपुर	100	-
15.	मेघालय	100	-
16.	मिजोरम	100	-
17.	नागालैंड	200	-
18.	उड़ीसा	12000	1
19.	पंजाब	4000	25
20.	राजस्थान	3000	1
21.	सिक्किम	150	1
22.	तमिल नाडू	7000	8
23.	त्रिपुरा	50	-
24.	उत्तर प्रदेश	10000	40
25.	पश्चिम बंगाल	7000	5
26.	अंडमान एवं निकोबार	5	-
27.	चंडीगढ़ (पीईडीए)	10	-
28.	दादर एवं नागर हवेली	3	-
29.	दिल्ली	7	5
30.	पांडिचेरी	5	-
31.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई	27000	73
32.	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द	250	-
33.	अन्य *	38,582	-
	कुल	160000	200

* खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय महिला सम्मेलन आदि

पेयजल आपूर्ति

1476. श्री आनंद रत्न मौर्य:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक पेयजल स्त्रीत और सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी कोई कार्यक्रम तैयार किया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा क्या है और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी, और

(ग) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) राज्यों के साथ ग्रामीण जल सप्लाई और स्वच्छता के सचिवों की 22-23 मई, 1995 को हुई वार्षिक समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि स्कूल स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाए। बिना पर्याप्त पेयजल सप्लाई और स्वच्छता सुविधाओं वाले सभी ग्रामीण स्कूलों में स्वच्छता शौचालय और पेयजल सप्लाई मुहैया कराई जाएगी। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा पांच वर्ष है। स्कूल स्वच्छता पर खर्च की जाने वाली संभावित राशि 500 करोड़ रूपए तथा पेयजल सप्लाई की व्यवस्था हेतु 1000 करोड़ रूपए है।

(ग) स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी पर कार्यान्वयन विभागों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तथापि, गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को भी लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) की मार्फत शामिल किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास

1477. श्री पी.सी. थामस:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले बजट में घोषित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास निर्माण योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो यह योजना कार्यान्वयन के किस चरण में है,

(ख) क्या इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और क्या इस उद्देश्य हेतु तैयार किया कार्यबल प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है,

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य-स्तर पर भी ऐसे ही कार्यबलों का गठन किया गया है,

(घ) योजना से संबंधित इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(ङ) क्या योजना ''कापार्ट'' से सहयोग से लागू की जा रही है, और

(च) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) जी हां, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1995-96 के बजट को पेश करते समय वर्ष 1995-96 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एक लाख आवासों के निर्माण की घोषणा की थी। तदनुसार, चालू वर्ष में 1250 करोड़ रूपये की राशि (राज्य अंश सहित) आंवटित की गई है। योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की मंजूरी की पहली किश्त पहले ही रिलीज कर दी गई है।

(ख) योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक मार्गदर्शिकाएं/अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। एक कार्य दल का गठन किया गया है जिसमें सदस्यों को ग्रामीण आवास के क्षेत्र में लगे विभिन्न स्वयंसेवी एजेंसियों, सरकारी संगठनों और तकनीकी संस्थाओं से लिया गया है। उसने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ग) चार क्षेत्रीय समितियाँ जिनका कार्य क्षेत्र 4 से 5 राज्य हैं, का भी गठन किया गा है। ये क्षेत्रीय समितियाँ राज्य/प्रादेशिक स्तर पर कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगी।

(घ) प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि योजना आसानी से ग्रामीण गरीबों तक पहुंच सके :-

(1) राज्य सरकारों को वास्तविक निर्माण से पहले आवासों के आवंटन के अनुदेश दिए गए हैं ताकि निर्माण में लाभार्थियों की रूचि और भागीदारी को सृजित किया जा सके।

(2) कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन की समग्र प्रक्रिया के साथ-साथ आवासों के निर्माण में लाभार्थियों की सलाह ली जाए।

(3) राज्य सरकारें/स्वयंसेवी संगठन, लाभार्थियों को भवन सामग्री की समन्वित आपूर्ति के प्रबंध और निर्माण तथा लाभार्थियों द्वारा बनाए गए स्थायी आवासों के निर्माण के लिए परामर्श और मार्गदर्शन करेंगी।

(ङ) और (च) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम कमलागत वाली प्रौद्योगिकी और सामग्री हेतु तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन का समन्वय करता है। इसके अलावा, भू-जलवायु परिस्थितियों, जीवनपद्धति और लाभार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभिनव प्रौद्योगिकियों, सामग्री के साथ कापार्ट के तत्वाधान के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों की मार्फत 30,000 मकानों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की कापार्ट द्वारा जांच की जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग

1478. श्री रमेश चेन्नितला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है जिनमें इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों की स्थापना किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल से ऐसे उद्योगों की स्थापना में सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रायल में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलारो): (क) और (ख) यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से राज्यों का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है, तथापि भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिकी के सभी संगत क्षेत्रों में समूचे देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देती है। संबंधित राज्य सरकार अथवा राज्य

स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम (एसईडीसी) जैसे अभिकरण राज्य में विशिष्ट औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए कुछ सुविधाएं तथा संवर्धनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करते है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग आवश्यक मार्गदर्शन तथा अनुमोदन/लाइसेंस आदि प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना विशेष रूप से तैयार की गई है ताकि इलेक्ट्रॉनिकी के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्षेत्र को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग जनशक्ति विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण तथा मानकीकरण, इलेक्ट्रॉनिकी में अनुसंधान तथा विकास आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कुछ सहायता भी उपलब्ध कराता हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

फ्लाई ऐश का उपयोग

1479. **श्रीमती भावना चिखलिया:**

श्री अमरपाल सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप विद्युत केन्द्रों से प्रति वर्ष भारी मात्रा में निकलने वाली "फ्लाई ऐश" के उपयोग हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस "फ्लाई ऐश" का कब से कारगर उपयोग किए जाने की सम्भावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (घ) सरकार ने मिशन पद्धति में "सलेक्टिड टैक्नोलोजी प्रोजेक्टस फार फ्लाई ऐश डिस्पोजल एंड यूटिलाइजेशन" (फ्लाई ऐश निपटान एवं उपयोग के लिए चुनिंदा प्रौद्योगिकी परियोजनायें) नामक एक प्रौद्योगिकी परियोजना अगस्त, 1994 में प्रदर्शन परियोजनायें विकसित करने के लिए अनुमोदित की है। इस परियोजना की अवधि 4 वर्ष है जिसका कुल बजट 1291.16 लाख रुपये और जिसमें सरकार का अवदान 834.16 लाख रुपये है और प्रयोक्ताओं/उद्योग/लाभकर्ताओं का अवदान 457 लाख रुपये है। इस प्रौद्योगिकी परियोजना के अधीन फ्लाई ऐश की विशेषताओं का निर्धारण, जलीय संरचनाएं, फ्लाई ऐश ढुलाई तथा परिवहन, कृषि संबंधित अध्ययन तथा अनुप्रयोग, ऐश तालाबों तथा बांधो, मानव पुनर्वास के लिए ऐश तालाबों को उपयुक्त बनाया जाना, सड़क तथा तटबंध, भूमिगत खदानों का भरा जाना तथा अनुसंधान परियोजनाएं निर्धारित थ्रस्ट क्षेत्र है। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी सूचना एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

पोलर सैटलाइट लांच व्हीकल्ज

1480. **डा. पी. वल्लल पैरूमान:**

क्या **प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी कतिपय उड़ानों के दौरान पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल्ज (पी.एस.एल.वी.-डी-3) प्रणाली का अधिकतम उपयोग करने और सूर्य के समकालिक परिक्रमा पथ में 1150 से 1200 कि.ग्रा. श्रेणी के उपग्रह छोड़ने के लिए इसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) जी, हां। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) की तीन उड़ानें आयोजित करने तथा अन्य तीन के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के उद्देश्य से सरकार ने पी.एस.एल.वी. सातत्यीय कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रणाली के प्रगामी रूप में इष्टतमीकरण के द्वारा 850 कि.ग्रा. भार की वर्तमान नीतभार क्षमता को बढ़ाकर सूर्य तुल्यकाली कक्षा में 1135 कि.ग्रा. तक कर दिया जाएगा।

भारतीय वायु सेना "बेस" के निकट भूमि का अधिग्रहण

1481. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"**

क्या **प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार द्वारा नई चंडीगढ़ परियोजना के प्रथम चरण में भारतीय वायु सेना के "मिसाइल बेस" के निकट लगभग 150 एकड़ भूमि अधिगृहीत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से भारतीय वायु सेना के मिसाइन बेस के प्रयोग हेतु निर्दिष्ट भूमि का अतिक्रमण होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में किए गए उल्लंघन और मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) पंजाब सरकार ने एक रिहायशी शहरी भूमि का विकास करने के लिए रूपनगर जिले के मल्लणपुर गरीबदास गांव में 830.89 एकड़ भूमि का अर्जन किए जाने की अधिसूचना प्रकाशित की है। इस अधिसूचना में 10.1 एकड़ रक्षा

भूमि को गलती से शामिल कर लिया गया है, जो इस समय भारतीय वायुसेना के अधिकार में है। पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस अधिसूचना से रक्षा भूमि को हटाने के लिए अधिसूचना जारी करें।

(हिन्दी)

इलेक्टॉनिकी वस्तुओं का आयात-निर्यात

1482. श्री सूर्य नारायण यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्क देशों को इलेक्टॉनिक वस्तुओं का आयात-निर्यात शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत से किन-किन इलेक्टॉनिक वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) क्या अन्य देशों को इलेक्टॉनिक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री इलेक्टॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो):

(क) इलेक्टॉनिक वस्तुएँ दक्षेस देशों के साथ व्यापार के अंतर्गत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का अंग है। किन्तु इलेक्टॉनिक वस्तुओं के आयात/निर्यात के बारे में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है।

(ख) भारत से दक्षेस देशों को निर्यात की जाने वाली इलेक्टॉनिक वस्तुओं में रंगीन टेलीविजन, श्याम/श्वेत टेलीविजन, इलेक्टॉनिक संघटक-पुर्जे, पिक्चर ट्यूब, समाक्ष केबल, श्रव्य दृश्य कैसेट, क्वाटर्ज दीवार घड़ियाँ, फ्लैश लाइट, लाउड स्पीकर, एम्प्लीफायर सेट, रेडियो, टेलीफोन उपकरण आदि शामिल है।

(ग) जी, नहीं। किन्तु, इलेक्टॉनिकी विभाग ने दक्षेस देशों के प्रतिभागियों के लिए अन्तर्सम्पर्क एवं प्रौद्योगिकी, सतहारोही प्रौद्योगिकी, आईएसओ- 900C, अंशांकन आदि जैसे इलेक्टॉनिकी में विशिष्ट तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किया है।

बायोमास

1438. श्री लक्ष्मण सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बायोमास के जरिए विद्युत उत्पादन करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1995-96 के दौरान इससे विद्युत उत्पादन करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) बायोमास के जरिए विद्युत उत्पादन हेतु देश में कितने संयंत्र लगाए गए हैं; और

(घ) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) बायोमास सामग्री के रूपांतरण जैसे कृषि और कृषि-औद्योगिक अपशिष्टों का यांत्रिक और बिजली शक्ति के रूप में रूपान्तर की मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में मंत्रालय के कार्यकलापों में विशेष बल दिए जाने वाले स्रोत के रूप में पहचान की गई है। रूपान्तरण के दो रूटों अर्थात् गैसीकरण-दोहरा ईंधन रूट एवं सीधा दहन रूट, को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ की चीनी मिलों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु खोई आधारित सह-उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1993-94 से बायोमास गैसीफार्यर प्रदर्शन हेतु बाजारोन्मुख कार्यक्रम को कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 60% गैसीफायर लागत को राज सहायता के रूप में उपलब्ध काराया जा रहा है, जो पूर्व-निर्धारित सीमाधीन है। वर्ष 1995-96 के लिए 6 मेगावाट के समान बिजली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बायोमास के विद्युत शक्ति के रूप में रूपांतरण हेतु सीधा दहन रूट को बढ़ावा देने के कार्यक्रम की योजना है जो इस विषय में आवश्यक मंजूरी प्राप्त होने पर निर्भर करेगा। इस रूट के लिए 10 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। खोई आधारित सह-उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उपयुक्त चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दी जाती है और वर्ष 1995-96 के लिए 50 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) और (घ) 17 राज्यों तथा एक संघ शसित क्षेत्र में 10 मेगावाट के समान विद्युत उत्पादन की क्षमता वाले 1300 गैसीफायरों की स्थापना की जा चुकी है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पंजाब में सीधे दहन रूट के प्रयोग द्वारा चावल भूसे पर आधारित 10 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्थापना की जा चुकी है। तमिलनाडु में सहकारी चीनी मिलों में 3.5 मेगावाट अतिरिक्त बिजली हेतु दो खाई आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं की भी स्थापना की जा चुकी है।

विवरण

31.3.95 तक स्थापित की गई बायोमास गैसीफायर प्रणालियों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	प्रणालियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	57
2.	बिहार	2
3.	गोवा	3
4.	गुजरात	181

5.	हरियाणा	17
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	जम्मू एवं कश्मीर	4
8.	कर्नाटक	468
9.	केरल	5
10.	मध्य प्रदेश	107
11.	महाराष्ट्र	305
12.	उड़ीसा	15
13.	पंजाब	23
14.	राजस्थान	21
15.	तमिलनाडु	55
16.	उत्तर प्रदेश	34
17.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	17
18.	दिल्ली	16

समन्विय ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1484. श्री राम टहल चौधरी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रमों को कार्यान्विय करने के मामले में बैंकों की भूमिका असंतोषजनक रही है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) वित्त मंत्रालय के साथ अब तक किन-किन मुद्दों पर बातचीत की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) और (ख): जी नहीं, गत तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण जुटाने के संबंध में बैंकों का निष्पादन निम्नानुसार रहा है:-

(इकाई करोड़ रूपए में)

वर्ष	जुटाया गया कुल ऋण
1992-93	1036.80
1993-94	1408.44
1994-95	1424.66
(अंतिम आंकड़े)	

(ग) इस मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए बैंकों द्वारा जुटाए जाने वाले ऋण की वर्षवार कुल आवश्यकता के बारे में वित्त मंत्रालय को सूचित किय है।

पुनलूर पेपर मिल

1485. श्री के. मुरलीधरन:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा पुनलूर पेपर मिल को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव लंबित तथा विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केरल की प्रथम पेपर मिल, पुनलूर पेपर मिल को पुन: चालू करने के लिए क्या सरकार के पास कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्ण साही):

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा पुनलूर पेपर मिल का अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव केरल सरकार ने किया था। एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किए जाने हेतु एक परामर्शी की नियुक्ति की गई है।

शेयर अंतरण शुल्क की अदायगी न होना

1486. श्री मनोरंजन भक्त:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भेल" (बी.एच.ई.एल.) ने अपने कर्मचारियों को शेयर अंतरण शुल्क की अदायगी न करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इससे राजकोष को कितनी हानि हुई;

(ग) क्या यह वैध है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्ण साही):

(क) भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 29 के अनुसार, शेयर अंतरण शुल्क का वहन हस्तांतरक अर्थात बेचने वाले (भेल के मामले में भारत सरकार) द्वारा किया जाएग, किन्तु उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 भारत सरकार को "हस्तांतरक" के रूप में शेयर अंतरण शुल्क की अदायगी से छूट प्रदान करती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षय रोग

1487. **श्री सैयद शहाबुद्दीन**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने यह रिपोर्ट दी है कि हमारी आधी से अधिक वयस्क आबादी क्षय रोग से ग्रस्त है तथा इस रोग से प्रतिवर्ष पांच लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है;

(ख) क्या देश के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्षय रोग रोधी औषधि उपलब्ध नहीं है तथा कई जिला अस्पतालों के पास पता लगाने वाला उपकरण नहीं है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की गई तथा 1994-95 के लिए इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई तथा खर्च की गई;

(घ) 1995-96 के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया तथा मुख्य मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कुष्ठ रोग रोधी औषधि के समान ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्षय रोग औषधि की भी आपूर्ति करने का है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन जिला क्षयरोग केन्द्रों को क्षयरोग रोधी औषधों सप्लाई की जाती हे। जिला क्षयरोग केन्द्र इन औषधों को आगे जन स्वास्थ्य केन्द्रों सहित परिधीय स्वास्थ्य संस्थाओं को वितरित करते है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम पर कुल व्यय इस प्रकार है :-

वर्ष	व्यय (करोड़े रूपये में)
1992-93	27.00
1993-94	17.19
1994-95	32.15
कुल	76.34

वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यवार आबंटन तथा व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु बजट आबंटन 50 करोड़ रूपये है। मदवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

मद	आबंटनों का ब्यौरा (करोड़ रू. में)
क्षयरोग रोधी, औषधों के लिए	36.00
सामग्री एवं व्यय के लिए	8.96
स्वास्थ्य शिक्षा	0.64
बाहरी सहायता घटक	4.00
प्रशिक्षण	0.40
कुल	50.00

(ङ) जी, हां।

विवरण

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम आबंटन एवं व्यय - 1994-95

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	1994-95 आबंटन	वास्तविक
	क. राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	230.00	274.88
2.	अरूणाचल प्रदेश	30.50	6.97
3.	असंम	112.50	42.03
4.	बिहार	207.00	235.07
5.	गोवा	11.25	10.33
6.	गुजरात	28200	162.05
7.	हरियाणा	100.50	43.37
8.	हिमाचल प्रदेश	67.50	61.11
9.	जम्मू व कश्मीर	80.50	41.55
10.	कर्नाटक	154.00	81.80
11.	केरल	95.00	74.43
12.	मध्य प्रदेश	395.00	185.25
13.	महाराष्ट्र	413.00	610.18
14.	मणिपुर	18.25	10.26
15.	मेघालय	18.25	4.86

16. मिजोरम	18.25	2.32
17. नागालैंड	18.25	8.62
18. उड़ीसा	155.50	83.96
19. पंजाब	150.50	61.34
20. राजस्थान	187.00	156.51
21. सिक्किम	17.80	7.28
22. तमिलनाडु	380.20	134.88
23. त्रिपुरा	27.25	10.45
24. उत्तर प्रदेश	560.00	383.04
25. पश्चिम बंगाल	310.00	439.47
	4040.00	3132.01
ख. संघ राज्यक्षेत्र (विधान मंडल सहित)		
26. पांडिचेरी	10.00	6.80
(ग) संघ राज्यक्षेत्र (विधान मंडल रहित)		
27. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.50	14.11
28. चंडीगढ़	23.50	2.08
29. दादरा व नगर हवेली	23.25	2.68
30. दिल्ली	294.00	52.04
31. दमण व दीव	18.25	4.88
32. लक्षद्वीप	20.50	0.46
	400.00	76.25
घ. स्वैच्छिक संगठनों की सहायता	**150.00** ×	
महायोग	4600.00	3215.06

× स्वैच्छिक संगठन को सहायता - राज्यवार ब्यौरा में शामिल व्यय के आंकड़े

महिलाओं का उत्थान

1488. श्री मणिकराव होडल्या गावीत:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान हेतु कोई स्थाई संगठन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सबके लाभ के लिए विशेषत: बालिका शिक्षा पर जोर देन के लिए शिक्षा संबंधी समस्याओं और शिक्षा नीति का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञों के किसी दल की नियुक्ति करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसके कार्रवाई कार्यक्रम, 1992 को अद्यतन बनाते समय महिलाओं के लिए शिक्षा समानता सहित शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की गयी थी।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कंपनी

1489. श्री राम नाईक:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कंपनी" में अनेक वित्तीय अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी अपने तुलन-पत्र में लाभ दिखाने के लिए हेराफेरी कर रही है और यदि हां, तो कब से;

(घ) इस गंभीर गड़बड़ी के बारे में पहले पता नहीं लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एच.पी.एफ) के वर्ष 1992-93 के खातों को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान पिछले वर्षों में हुई कुछ अनियमितताओं तथा कुप्रबंधों का पता चला। ये क्रयों ओर विक्रयों में लापरवाही बरतने, सामग्री के हटाए जाने, कर्मचारियों की भर्ती, आयात तथा सविदाएं दिए जाने से संबंधित हैं।

कंपनी की पिछले तीन वर्षों की हानियं निम्न प्रकार से हैं :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	हानि
1992-93	117.31
1993-94	58.81 (अनन्तिम)
1994-95	58.96 (अनन्तिम)

(ङ) एच.पी.एफ. ने अनुशासनिक कार्रवाई करके तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो में मामले दर्ज कराके चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की है।

(हिन्दी)

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

1490. **श्री एन.जे. राठवा:**

क्या **प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषत: गुजरात में जनजातिया/ग्रामीण/पिछड़े/पर्वतीय क्षेत्रों में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं;

(ख) इन भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ग) इन योजनाओं से कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण/पुनर्वास पर राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार, देश के जिला सैनिक बोर्डों में कुल 12,24,886 भूतपूर्व सैनिकों ने अपना पंजीकरण करवाया था। इसमें गुजरात के 8,671 भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं। आदिवासी/पिछड़े/ग्रामीण अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या संबंधी सूचना नहीं रखी जाती। इन क्षेत्रों के लिए कल्याण/पुनर्वास योजनाएं भी अलग से नहीं बनाई जातीं।

2. भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण और पुनर्वास उपायों का एक विस्तृत कार्यक्रम है। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी विभागों और राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। परा-सैन्य बलों में सहायक कमांडेंट के पदों में भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1994 के दौरान, पुनर्वास महानिदेशालय/राज्य सैनिक बोर्ड/रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कुल 16,047 भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजित किया गया था।

3. भूतपूर्व सैनिक स्वयं अपना रोजगार स्थापित कर सकें इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को सेमफैक्स-1 योजना के अंतर्गत औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए, सेमफैक्स-2 व 3 योजनाओं के अंतर्गत क्रमश: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व गैर-कृषि कार्यों तथा खादी एवं ग्राम उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इन तीन सेमफैक्स योजनाओं के अंतर्गत जिन भूतपूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को लाभ दिया गया है उनकी 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार संख्या इस प्रकार है :-

सेमफैक्स-1	6,686
सेमफैक्स-2	1,935
सेमफैक्स-3	124

4. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और निशक्त भूतपूर्व सैनिकों को पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों का प्राथमिकता के आधार पर आबंटन तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की एजेंसियों के आबंटन के लिए सभी योजनाएं तैयार की गई हैं।

5. भूतपूर्व सैनिक सैन्य अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने और कैंटीन स्टोर विभाग की विभिन्न कैंटीनों से कैंटीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं। वीरता पुरस्कार पाने वालों को इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों और द्वितीय श्रेणी में रेल यात्रा के लिए 50% की छूट दी जाती है। जो भूतपूर्व सैनिक गरीबी की स्थिति में हैं उन्हें कल्याण निधि से रक्षा मंत्री के विवेकानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6. विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित राज्यों ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण/पुनर्वास पर पिछले पांच वर्षों के दौरान जो राशि व्यय की है उनके यथा उपलब्ध ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण/पुनर्वास पर किए गए व्यय का राज्यवार ब्योरा

क्रमांक	राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	10,70,638	17,97,921	12,30,492	18,50,136	80,99,085
2.	अरूणाचल प्रदेश	77,500	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2,050	उपलब्ध नहीं
3.	असम	7,43,060	12,35,481	6,97,139	7,38,170	6,96,007
4.	बिहार	17,86,665	17,89,710	10,60,000	35,98,961	45,86,608
5.	गोवा	1,80,651	1,83,954	उपलब्ध नहीं	93,670	4,50,000

क्रमांक	राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
6.	गुजरात	9,54,200	11,04,377	3,26,269	13,10,820	2,07,900
7.	हरियाणा	55,78,575	91,64,046	4,65,46,035	6,27,30,110	9,33,10,263
8.	हिमाचल प्रदेश	13,50,741	11,94,894	38,94,366	69,67,674	81,03,460
9.	जम्मू व कश्मीर	2,89,166	1,18,000	1,87,833	9,32,437	31,16,000
10.	कर्नाटक	11,82,947	6,72,453	6,80,197	21,17,492	उपलब्ध नहीं
11.	केरल	59,20,279	27,46,913	19,44,224	37,93,168	उपलब्ध नहीं
12.	मध्य प्रदेश	10,97,463	26,52,121	27,07,543	25,33,258	24,42,373
13.	महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं	79,26,863	53,33,114	1,12,50,754	उपलब्ध नहीं
14.	मणिपुर	36,50,079	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	55,00	शून्य	27,561	33,888
16.	मिजोरम	1,89,589	1,88,155	53,363	1,34,500	1,62,900
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	31,200	94,000	
18.	उड़ीसा	2,49,680	31,00,000	18,00,000	10,920	4,900
19.	पंजाब	1,73,44,340	65,11,90	उपलब्ध नहीं	3,18,85,643	3,35,56,000
20.	राजस्थान	51,95,000	18,76,370	18,81,798	3,12,240	-
21.	सिक्किम	3,80,629	3,92,486	6,05,000	6,49,095	5,62,055
22.	तमिलनाडु	79,17,416	44,65,223	17,13,145	1,85,82,353	1,55,62,702
23.	त्रिपुरा	65,007	60,300	52,807	60,441	1,58,227
24.	उत्तर प्रदेश	13,06,601	8,80,400	2,85,100	25,35,830	5,15,72,114
25.	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	19,47,371	88,67,576
	केन्द्र प्रशासित क्षेत्र					
	अंडमान - निकोबार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	24,878	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	चंडीगढ़	1,500	5,58,402	16,800	4,000	4,000
	दादर, नगर हवेली दमन, दीव					
	दिल्ली	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	14,41,377	उपलब्ध नहीं
	लक्षद्वीप					
	पांडिचेरी	1,40,300	1,89,800	1,72,737	1,25,510	2,07425

रुग्ण उद्योग

1491. श्री छैदी पासवान:

श्री हरि केवल प्रसाद:

श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार कितने लघु/मझोले/बड़े उद्योगों को रुग्ण घोषित किया गया;

(ख) इन एककों में क्षेत्र-वार कितनी धनराशि शामिल है;

(ग) इन उद्योगों की रुग्णता से कुल कितने श्रमिक प्रभावित हुए;

(घ) अब तक कितने एककों को अर्थक्षम बनाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा बाकी उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में रुग्ण घोषित लघु उद्योग और लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगों (मझौले व बड़े उद्योग) की राज्यवार संख्या तथा बकाया पड़ी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) औद्योगिक रुग्णता के आंकड़ों का स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक है। रुग्णता के कारण प्रभावित श्रमिक बल के बारे में सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान उपचार से स्वस्थ्य लघु उद्योगों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान उपचार कार्यक्रम के तहत रखे गये लघु उद्योगों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ङ) रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय।

1. सरकार ने एक व्यापाक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष अनुबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढ़ग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन:स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिए गए हैं।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुन:स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

5. रुग्ण एककों का स्वरूप एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुनस्थाना की जाती है। समामेलित रुग्ण एककों की पुनस्थपिना के लिए स्वस्थ एककों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72(क) के तहत कर लाभ दिये जाते हैं।

6. सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुन:संरचना से प्रभावित श्रमिकों का प्रतिपूर्ति का भुगतान करता है।

7. भारत सरकार की सलाह पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु इकाइयों को फिर से खोलने के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों में संबंधित सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समितियां (एस.एल.आई.आई.सी) स्थापित की हैं।

8. अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रूपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 2,50,000 रूपये तक दीर्घकालिक इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्धध है।

9. अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है।

संभावित जीव्यक्षम लघु एककों के पुनरूज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना हेतु एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

विवरण-I

रुग्ण गैर लघु उद्योग * तथा लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या तथा इन इकाइयों के पास बकाया पड़ी रकम

(बकाया रकम करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम		रुग्ण घोषित इकाइयां तथा बकाया पड़ी रकम					
			मार्च, 1992		मार्च, 1993		मार्च, 1994	
			सं.	बकाया रकम	सं.	बकाया रकम	सं.	बकाया रकम
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	असम	गैर लघु उद्योग	7	5.06	11	85.55	16	95.40
		लघु उद्योग	5317	31.88	5640	36.43	14210	40.52
2.	मेघालय	गैर लघु उद्योग	1	1.14	1	1.14	2	1.81
		लघु उद्योग	68	0.50	143	0.78	317	2.11
3.	बिहार	गैर लघु उद्योग	44	105.84	51	266.82	58	293.00
		लघु उद्योग	7823	91.84	15493	114.29	17063	113.92
4.	अरूणाचल प्रदेश							
		गैर लघु उद्योग	2	10.62	0	0.00	0	0.00
		लघु उद्योग	50	0.36	178	1.00	123	0.67
5.	पंश्चिम बंगाल							
		गैर लघु उद्योग	197	822.08	229	1001.17	229	1138.63
		लघु उद्योग	32022	268.11	32122	287.22	56083	359.49
	* इसमें कमजोर एकक शामिल नहीं हैं।							
6.	नागालैंड	गैर लघु उद्योग	1	4.80	1	2.35	1	2.35
		लघु उद्योग	2039	4.98	1081	7.30	1063	4.96
7.	उड़ीसा	गैर लघु उद्योग	37	117.76	39	200.54	37	192.83
		लघु उद्योग	8415	54.38	13930	70.79	17235	74.50
8.	सिक्किम	गैर लघु उद्योग	1	3.05	1	3.69	1	5.69
		लघु उद्योग	75	0.44	75	0.44	77	0.44
9.	त्रिपुरा	गैर लघु उद्योग	0	0.00	1	6.55	1	6.88
		लघु उद्योग	670	1.91	691	2.65	764	2.56
10.	मिजोरम	गैर लघु उद्योग	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		लघु उद्योग	1	0.15	218	0.83	119	0.66
11.	मणिपुर	गैर लघु उद्योग	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		लघु उद्योग	2277	1.34	2315	2.13	2350	2.37
12.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह							
		गैर लघु उद्योग	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		लघु उद्योग	22	0.03	23	0.35	25	0.35
13.	उत्तर प्रदेश	गैर लघु उद्योग	109	377.15	144	770.86	165	816.59
		लघु उद्योग	34150	257.65	33722	301.18	33915	335.43
14.	दिल्ली	गैर लघु उद्योग	22	69.50	19	53.87	17	73.96
		लघु उद्योग	4705	206.02	5610	232.01	5516	242.99

1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.
15.	पंजाब	गैर लघु उद्योग	32	92.08	37	103.15	39	95.86
		लघु उद्योग	5485	100.28	6362	111.68	2434	64.59
16.	हरियाण	गैर लघु उद्योग	53	180.94	62	335.12	65	303.75
		लघु उद्योग	3467	73.96	4563	92.33	1669	79.53
17.	चंडीगढ़	गैर लघु उद्योग	12	19.96	12	20.05	10	15.01
		लघु उद्योग	342	9.28	321	10.57	179	10.24
18.	जम्मू और कश्मीर							
		गैर लघु उद्योग	2	9.84	3	11.31	4	26.38
		लघु उद्योग	769	7.89	644	7.72	162	5.14
19.	हिमाचल प्रदेश							
		गैर लघु उद्योग	22	50.21	25	49.79	26	39.03
		लघु उद्योग	1481	18.68	1480	19.88	614	17.46
20.	राजस्थान	गैर लघु उद्योग	54	143.76	70	210.31	67	188.77
		लघु उद्योग	14420	67.00	16075	69.89	14665	74.72
21.	गुजरात	गैर लघु उद्योग	155	651.01	182	725.39	184	758.32
		लघु उद्योग	6581	221.01	5758	236.94	7812	235.47
22.	महाराष्ट्र	गैर लघु उद्योग	301	1521.08	367	1701.35	350	1735.55
		लघु उद्योग	20153	603.10	20863	728.96	21350	768.44
23.	दमन और द्वीप							
		गैर लघु उद्योग	1	4.08	1	4.14	3	7.12
		लघु उद्योग	41	2.63	23	1.00	6	0.79
24.	गोवा	गैर लघु उद्योग	5	7.21	5	4.90	5	5.40
		लघु उद्योग	1066	12.27	1182	19.39	710	21.07
25.	दादर और नगर हवेली							
		गैर लघु उद्योग	3	3.47	4	4.24	3	4.39
		लघु उद्योग	5	0.64	10	1.57	10	1.74
26.	मध्य प्रदेश	गैर लघु उद्योग	59	157.20	81	218.10	87	205.43
		लघु उद्योग	22333	151.01	9077	130.10	9795	143.97
27.	आन्ध्र प्रदेश	गैर लघु उद्योग	145	455.37	198	745.34	209	848.93
		लघु उद्योग	29586	270.51	20294	233.00	13842	262.76
28.	कर्नाटक	गैर लघु उद्योग	92	336.52	111	504.12	108	347.83
		लघु उद्योग	17316	189.12	17989	222.60	15145	204.35
29.	तमिलनाडु	गैर लघु उद्योग	124	3335.01	145	512.84	152	552.11
		लघु उद्योग	9797	291.04	8570	328.32	8125	428.27
30.	केरल	गैर लघु उद्योग	48	295.05	61	350.58	66	374.83
		लघु उद्योग	14883	157.26	12513	164.50	10792	169.38
31.	पांडिचेरी	गैर लघु उद्योग	5	6.68	6	8.08	10	15.71
		लघु उद्योग	216	5.38	211	7.12	282	11.45

विवरण-II

(1) निम्नलिखित वर्षों में उपचार द्वारा स्वस्थ किये गये गैर लघु रूग्ण उद्योग।

मार्च को समाप्त वर्ष	एककों की संख्या
1992	4
1993	11
1994	16

(2) जीव्यक्षम इकाइयों में से उपचार कार्यक्रम के तहत रखे गये लघु उद्योग।

को समाप्त वर्ष	इकाइयों की संख्या
मार्च, 1992	13289
मार्च, 1993	12218
मार्च, 1994	11376

ग्रामीण विकास योजनाएं

1492 डा. के.वी.आर. चौधरी:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार कितनी राशि खर्च की गई तथा इसकी कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान किसी नये ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) आंध्र प्रदेश में (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना (3) सुनिश्चित रोजगार योजना (4) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम नामक महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

1993-94 और 1994-95 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत खर्च की गई राशि और लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :-

कार्यक्रम	वर्ष	खर्च उपयोग की गई राशि (रू. लाख में)	लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
1. समन्वित ग्रामीण	1993-94	8814	2.60
विकास कार्यक्रम	1994-95	11287	1.60 (अंतिम)
2. जवाहर रोजगार	1993-94	28569	903.06 (श्रमदिन)
योजना	1994-95	28368	639.27 (")
3. सुनिश्चित रोजगार	1993-94	2566	62.42 (")
योजना	1994-95	13786	277.24 (")
4. त्वरित ग्रामीण	1993-94	4124	4.02
जल आपूर्ति कार्यक्रम	1994-95	4065	2.77
5. सूखा प्रवण क्षेत्र	1993-94	2405	- लाभ प्राप्त व्यक्तियों की
कार्यक्रम	1994-95	2355	संख्या की जांच नहीं की गई है - द्वारा

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना में वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ और प्रसूति लाभ शामिल हैं।.

पहचान पत्र

1493. श्री अन्ना जोशी:

क्या **प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मतदाता सूची और पहचान पत्र तैयार कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मतदाता सूची और पहचान पत्र कब तक तैयार कर दिए जाएंगे?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) से (घ) महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में सभी सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलिया 1 जनवरी, 1995 को अर्हता तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की गई हैं। राज्य के सभी 228 सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में कुल 5,50,47,273 निर्वाचक हैं। फोटो पहचान पत्र तैयार करने और उन्हें मतदाताओं को दिए जाने का कार्य चल रहा है और जनवरी, 1995 के अंत तक 85 प्रतिशत मतदाताओं के फोटो खीचे जा चुके हैं और 67 प्रतिशत मतदाताओं को पहचान पत्र दिए जा चुके हैं। यह कार्य संभवत: 31 दिसंबर, 1995 तक पूरा हो जाएगा।

भारत-अमरीका वार्ता

1494. **श्री जार्ज फर्नान्डीज:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सहयोग के बारे में जून, 1995 के दौरान वाशिंगटन में भारत-अमरीका वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों पक्षों ने फारस की खाड़ी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी;

(ग) या अमरीका हिन्द महासागर में अपने रक्षा हितों के बचाव के लिए ''फिफ्थ फ्लीट'' नमक नौसेना का एक नया बेड़ा स्थापित करने के संबंध में विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अमरीका सरकार ने भारत सरकार को मनामा, बहरीन में स्थित यू एस नेवल फोर्सेज कमांड को 'यू एस फिफ्थ फ्लीट' का नाम दिए जाने की सूचना दी है। भारत सरकार ने इसे नोट कर लिया है।

शिशु मृत्यु दर

1495 **श्रीमती वसुन्धरी राजे:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में शिशु-मृत्यु दर को कम करने के लिए कार्यान्वयन धीन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ''यूनीसेफ'' और अन्य विदेशी संगठनों से कितनी सहायता प्राप्त की गई है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) परिवार कल्याण विभाग के अधीन शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 1992-93 से कार्यान्वित किया जा रहा है जिस का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इसके अलावा विश्व बैंक और अन्य दाता अभिकरणों की वित्तीय सहायता से क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और रूणता दर और जन्मदर में कमी लाना है।

(ख) शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु 1992-93 से 1994-95 की अवधि के दौरान यूनिसेफ से लगभग 126.79 करोड़ रूपये और विश्व बैंक से 436.90 करोड़ रूपये की सहायता प्राप्त हुई। क्षेत्रीय परियोजनाएं 16 राज्यों और दिल्ली में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि, समुद्रपार विकास एजेंसी और डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की वित्तीय सहायता से कुल 1378.35 करोड़ रूपये की लागत पर कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अधीन राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय विकास परियोजना के संबंध में कवर किया गया क्षेत्र, परियोजना लागत और परियोजना अवधि विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, 1992-93 से 94-95 के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र को प्रदान की गई सहायता

(लाख रूपये में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वस्तुगत सहायता	नकद सहायता	कुल	वस्तुगत सहायता	नकद सहायता	कुल ××	वस्तुगत सहायता	नकद सहायता	कुल
1. आंध्र प्रदेश	426.24	167.09	593.33	768.15	165.00	933.15	1355.80	165.97	1521.77
2. अरूणाचल प्रदेश	15.15	.7.17	22.32	17.06	0.56	22.62	27.73	28.00	55.73
3. असम	291.51	75.48	366.99	421.13	103.20	524.33	1019.31	86.81	1106.12
4. बिहार	485.57	235.53	721.1	1068.1	233.33	1301.43	2236.81	257.52	2494.33
5. गोवा	7.63	8.22	15.85	8.64	8.90	17.54	17.17	7.81	24.98
6. गुजरात	366.96	118.48	485.44	611.39	118.80	730.19	902.69	119.77	1022.46

(लाख रूपये में)

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र	वस्तुगत सहायता	नकद सहायता	कुल	वस्तुगत सहायता	नकद सहायता	कुल **	वस्तुगत सहायता	नकद सहायता	कुल
7. हरियाणा	192.16	77.58	269.74	257.22	79.70	336.92	422.66	66.81	489.47
8. हिमा. प्रदेश	78.83	43.62	122.45	135.8	46.20	182.00	188.47	46.68	235.15
9. जम्मू व कश्मीर	31.43	56.61	88.04	169.45	59.50	228.95	214.76	60.00	274.76
10. कर्नाटक	368.83	125.19	494.02	673.63	125.00	798.63	1007.84	126.00	1133.84
11. केरल	217.11	77.16	294.27	394.94	77.90	472.84	644.96	78.37	723.33
12. मध्य प्रदेश	660.43	225.80	886.23	1145.17	238.00	1383.17	2319.26	199.11	2518.37
13. महाराष्ट्र	488.25	193.15	676.4	949.25	196.70	1145.95	1140.81	197.65	1638.46
14. मणिपुर	20.28	26.57	46.85	43.91	28.40	72.31	57.19	28.92	86.11
15. मेघालय	22.19	18.84	41.03	25.79	20.10	45.89	36.38	20.52	71.81
16. मिजोरम	11.93	12.76	24.69	11.79	13.90	25.69	16.69	12.00	28.69
17. नागालैंड	12.7	22.63	35.33	12.12	24.60	36.72	19.16	25.08	44.24
18. उड़ीसा	291.5	109.47	400.97	562.04	114.20	676.24	1215.17	115.20	1130.37
19. पंजाब	184.65	78.69	263.34	330	74.60	404.60	428.38	63.00	491.38
20. राजस्थान	451.48	156.66	608.14	928.14	163.10	1091.24	1912.24	164.05	2076.07
21. सिक्किम	6.76	11.49	18.25	8.6	12.90	21.50	10.56	13.00	23.76
22. तमिलनाडु	429.79	143.66	573.45	836.88	141.50	978.38	1132.30	142.45	1274.75
23. त्रिपुरा	20.1	14.55	34.65	40.7	15.80	56.50	60.80	16.32	77.12
24. उत्तर प्रदेश	1229.32	370.23	1599.55	1931.2	426.60	2357.80	4131.34	426.73	4558.07
25. पश्चिम बंगाल	564.87	174.15	739.02	673.12	172.00	845.12	1108.91	144.11	1253.03
26. अं. व निको. द्वीपसमूह	8.6	-	8.6	6.69	-	6.69	6.07	-	6.07
27. चंडीगढ़	4.94	-	4.94	5.85	-	5.85	11.93	-	11.93
28. द. व नगर हवेली	1.56	-	1.56	2.93	-	2.93	9.81	-	9.81
29. दिल्ली	55.3	-	55.3	137.91	-	137.91	257.72	27.00	284.72
30. दमण व दीव	1.81	-	1.81	14.33	-	14.33	1.28	-	1.28
31. लक्षद्वीप	3.38	-	3.38	1.73	-	1.73	1.02	-	1.02
32. पांडिचेरी	21.88	4.30	26.18	10.51	10.00	20.51	13.72	12.40	26.12
योग	6968.14	2555.08	9523.22	12204.17	2675.49	14879.66	22228.72	2651.49	24880.21

** आंकड़े अनंतिम

विवरण-II

क्षेत्रीय परियोजना का स्तर

क्र. सं.	राज्य/दाता एजेंसी	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	अभ्युक्तियां
I.	विश्व बैंक			
	आई.पी.पी.-I/			
	(i) मद्रास	सित., 98 से दिस., 95	69,10	117.40
	(ii) बम्बई	तदेव	48.30	
	आई.पी.पी - I/I			
	(i) उत्तत्तर प्रदेश	6.11-90 से30.9.96	110.54	
	(ii) मध्य प्रदेश	तदेव	49.55	204.41
	(iii) आंध्र प्रदेश	"	42.57	
	(iv) एम.एच.एफ.डब्ल्यू.	"	1.75	
	आई.पी.पी - I/II			
	(i) पंजाब	2.11.90 से 1.11.95	48.66	
	(ii) हरियाणा	तदेव	42.42	
	(iii) गुजरात	"	43.90	
	(iv) बिहार	"	88.81	335.78
	(v) जम्मू व कश्मीर	"	51.54	
	(vi) एम.एच.एफ.डब्ल्यू.	"	1.48	
	(vii) एस. मार्केटिंग	"	33.85	
	(viii) गैर सरकारी संगठन	"	24.59	
	(ix) अनाबंटित	"	1.10	
	आई.पी.पी - I/III			
	(i) बंगलौर	6.8.93 से 5.9.98	29.05	
	(ii) कलकत्ता	तदेव	75.28	
	(iii) दिल्ली	"	35.00	223.37
	(iv) हैदराबाद	"	26.03	
	(v) एम.एच.एफ.डब्ल्यू.	"	0.10	
	(vi) आकास्मिक	"	57.91	
	आई.पी.पी - IX			
	(i) असम	16.694 से जून 2001	101.22	

क्र. सं.	राज्य/दाता एजेंसी	परियोजना अवधि	परियोजना लागत	अभ्युक्तियां
	(ii) कर्नाटक	तदेव	114.75	335.00
	(iii) राजस्थान	"	108.57	
	(iv) एम.एच.एफ.डब्ल्यू.	"	10.16	
	कुल (विश्व बैंक)		1215.90	
II	**अन्य एजेंसियां**			
	यू.एन.एफ.पी.ए.			
1.	राजस्थान	1.4.89 से 31.3.96	34.15	
2.	महाराष्ट्र	1.4.90 से 31.12.95	26.65	96.79
3.	हिमाचल प्रदेश	1.4.90 से 31.3.95*	35.29	
	ओडीए			
	उड़ीसा	1.11.88 से 30.6.95*	65.66	
	कुल (अन्य)		162.45	
	महायोग			137.35

*बढ़ाई जा रही है।

अनुबंधध-I

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992		1993		1994	
		अनुमोदनों की संख्या	अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश	अनुमोदनों की सं.	अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश	अनुमोदनों की सं.	अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20	6394.26	26	10819.14	41	10499.80
2.	बिहार	-	-	1	9.16	1	128.00
3.	गोवा	1	9.99	2	120.00	1	0.78
4.	गुजरात	10	1764.20	14	26358.85	20	3887.69
5.	हरियाणा	3	122.77	7	920.30	14	2551.07
6.	हिमाचल प्रदेश	-		1	1.50	4	875.43
7.	कर्नाटक	5	388.12	10	784.55	18	3261.11
8.	केरल	1	7.33	5	250.87	6	267.06
9.	मध्य प्रदेश	3	634.69	4	1282.00	11	7694.50

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	महाराष्ट्र	29	9842.20	22	4690.78	35	7597.04
11.	उड़ीसा	1	300.00	4	2369.06	1	2500.00
12.	पंजाब	3	284.00	1	32.00	7	897.44
13.	राजस्थान	3	628.00	9	1348.01	13	5432.32
14.	तमिलनाडु	11	1201.41	28	2090.25	25	2717.67
15.	उत्तर प्रदेश	11	609.86	2	5130.00	9	937.50
16.	पश्चिम बंगाल	1	25.00	4	1221.10	6	308.87
17.	अंडमान व निकोबार	–	–	1	45.00	–	–
18.	चंडीगढ़	–	–	1	35.00	–	–
19.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	1	0.31
20.	दमण व दीव	2	401.00	1	1.80	–	–
21	दिल्ली	12	2502.09	11	1106.89	7	368.10
22.	पांडिचेरी	1	21.61	–	–	2	1668.00
23.	विर्निर्दिष्ट नहीं	7	267.62	16	38362.07	11	9309.70
	योग	124	25403.15	170	96977.60	233	60852.46

(हिन्दी)

पूंजी निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों के प्रस्ताव

1496. **श्री फूलचंद वर्मा:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा राज्य-वार कितने प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व अन्य बातों के साथ-साथ अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश संबंधी वर्तमान विनियामक तंत्र में किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देने हेतु सोधामी समिति नामक एक समिति गठित की थी;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों में से कुछ प्रस्ताव निरस्त कर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) 1992 से 1994 तक गत तीन वर्षों के दौरान उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमोदित प्रस्ताव और अपेक्षित अनिवासी भारतीयों के निवेश का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अनि वासी भारतीयों को मिलने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों और योजनाओं की मानीटरी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्य दल की स्थापना की गई थी। इस कार्यदल ने मई, 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इन सिफारिशों में विद्यमान निवेश योजनाओं में उदारीकृत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और सुधार करना तथा अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया का और सुप्रवाही बनाना शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (छ) परियोजना और उद्योग के अनुसार स्थापना अवधि अलग-2 होती है और एक उद्यमी को उत्पादन आरंभ करने से पहले परियोजना क्रियान्वयन के लिए कई प्रभावी कदम उठाने होते हैं। राज्य सरकारें अपने राज्य में स्थित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। इनके विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग

1497. श्री रामपाल सिंह:

श्री अमरपाल सिंह:

श्री पी. कुमारासामी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर में धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग को रोकने को सुनिश्चित करने के लिये नये कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई संगठनों ने भी इस संबंध में केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (घ) सरकार को सीमा पार से समर्थन प्राप्त उग्रवादी दलों द्वारा धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग करने सहित उनके लिए संभावित खतरों से संबंधित रिपोर्टों की जानकारी है। राज्य सरकार को सलहा दी गई है कि उग्रवादियों के ऐसे इरादों के बारे में अत्यधिक सतर्कता बरतें तथा इस संबंध में संवेनशील क्षेत्रों में अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था करें तथा आसूचना तंत्र को मजबूत बनाएं और उस इलाके के लोगों के निकट सहयोग से और इन धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों के साथ मिलकर स्थिति और गतिविधियों की नियमित रूप से पुनरीक्षा करें तथा उनका प्रबोधन करें। इस संबंध में स्थिति पर लगातार बड़ी निगरानी रखी जाएगी।

पाक आतंकवादी

1498. श्री जगत बीर सिंह द्रोण:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान से बंगलादेश के आतंकवादियों के आगमन के लिए जम्मू को अपना निशाना बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो जम्मू में आतंकवादियों के इस प्रकार आने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आज तक जम्मू सैक्टर में अवैध रूप से सीमा पार करते हुए लगभग 400 बंगलादेशी राष्ट्रिक पकड़े गए है।

(ख) सुरक्षा बलों ने जम्मू सैक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ सतर्कता और गश्त गहन कर दी है और घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार और दिन-रात चौकसी रख रही है। अवैध रूप से सीमा पार करने, घुसपैठ, तस्करी इत्यादि को रोकने के लिए सरकार ने जम्मू सैक्टर में अन्तराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय भी लिया है।

जम्मू-कश्मीर के आतंवादियों द्वारा राकेट से हमला

1499. श्री श्रवण कुमार पटेल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में जम्मू - कश्मीर के आतंकवादियों द्वारा पुंछ सेक्टर में संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षक दल के मुख्यालय पर राकेट से अनेक बार हमला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितना नुकसान हुआ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 29.4.1995 को भारतीय सीमा क्षेत्र के पूंछ सेक्टर में सीमा पार से तीन राकेट दागे गए थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रेक्षक कार्यालय, पूंछ से कुछ दूरी पर फटे थे। इससे जान-माल की कोई हानि नहीं हुई थी।

कानूनी विवादों के शीघ्र निपटारे हेतु नया कानून

1500. श्री डी. वेंकटेश्वर राव:

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

श्री शरत पटनायक:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानूनी विवादों के निपटारे में आने वाली मुख्य कानूनी अड़चने क्या हैं जिसके परिणामस्वरूप भारत में निवेश की गति धीमी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कानूनी विवादों के शीघ्र निपटारे हेतु नये कानून बनाने का है जिसके अभाव में विदेशी निवेशकों को देश में व्यापार करने हेतु निवेश करने में अड़चनों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई कानून भी बनाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज):

(क) से (च) साधारणतया यह महसूस किया गया है कि माध्यस्थ्ल संबंधी भारतीय विधि, माध्यस्थ्म विधि में आधुनिक विकास के अनुसार नहीं है। अपनी माध्यस्थ्म विधि को इस विषय में अंतरराष्ट्रीय विचारधारा के अनुरूप लाने की दृष्टि से सरकार ने 16 मई, 1995 को राज्य सभा में एक विधेयक ''माध्यस्थम और सुलह विधेयक, 1995'' पुर:स्थापित किया हैं जिससे कि विवादों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित किया जा सके।

मधुमक्खी पालन

1501. **श्री हरि किशोर सिंह:**

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दक्षिणी भागों में थाई विषाणुओं के कारण मधुमक्खी पालन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, हां। थाई सैक अण्डशावक बीमारी के विषाणुओं के कारण केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मधुमक्खी पालन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग के सूत्रों के अनुसार 2,42,541 कीटप्रंज रखने वाले 29,252 मधुमक्खी पालक प्रभावित हुए हैं। खादी ग्रामोद्योग के पास इन क्षेत्रों में इस बीमारी से प्रभावित उन अन्य परिवारों की कोई निश्चित जानकारी नहीं है जोकि खादी ग्रामोद्योग कार्यकलापों के अंतर्गत नहीं आते है।

(ग) खादी ग्रामोद्योग ने 2 करोड़ रूपये निर्धारित करके एक पुन:स्थापन कार्यक्रम शुरू किया है और केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के मधुमक्खी पालकों को पुन:स्थापित करने के लिये 50 लाख रूपये पहले ही दिये जा चुके हैं। तिरूवन्तपुरम के राज्य निदेशक को मधुमक्खी पालन केन्द्रों की स्थापना के लिये 34.88 लाख रूपये दिये जा चुके हैं। इस बीमारी से होने वाली हानियों का मूल्यांकन करने, पुन:स्थापना कार्यक्रम की निगरानी करने और इसकी प्रगति को देखने के लिये एक निरीक्षण/पुनरीक्षा समिति का भी गठन किया गया है।

ग्रामीण विकास समितियां

1502. **श्री फलचन्द वर्मा:**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में कुछ ग्रामीण विकास समितियां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्य में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र वार नाम क्या-क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) और (ख) बुनियादी स्तर पर कापार्ट (लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद) और स्वयंसेवी संगठनों के बीच बेहतर तालमेल के लिए तथा लोगों को नजदीक लाने के लिए देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण विकास समितियां गठित की गयी हैं।

कापार्ट की क्षेत्रीय समितियों को निम्नलिखित प्राधिकार दिये गये हैं :-

(1) 5 लाख रूपये तक के परिव्यय की प्रस्तावित परियोजना पर विचार और संस्वीकृत प्रदान करना,

(2) क्षेत्रों के अन्दर परियोजनाओं की निगरानी करना,

(3) स्वयंसेवी एजेंसियों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणार्थ संस्थाओं का पता लगाना,

(4) जिला प्राधिकारियों और राज्य सरकारों के साथ संपर्क और समन्वय बनाना, और

(5) छोटे अनौपचारिक समूहों का संवर्धन और विकास करना।

कापार्ट की क्षेत्रीय समिति की भौगोलिक कवरेज के ब्यौरे निम्नानुसार दर्शाये गये है :-

उत्तरी क्षेत्र

जयपुर में मुख्यालय	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर और राजस्थान

मध्य क्षेत्र

लखनऊ में मुख्यालय	उत्तर प्रदेश तथा बिहार

पश्चिमी क्षेत्र

अहदाबाद में मुख्यालय	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दमन व द्वीव और दादरा तथा नगर हवेली

पूर्वी क्षेत्र

भुवनेश्वर में मुख्यालय	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान, तथा निकोबार द्वीप समूह

दक्षिणी क्षेत्र

हैदराबाद में मुख्यालय	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप

पूर्वोत्तर क्षेत्र

गुवाहाटी में मुख्याल	अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम

(ग) और (घ) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा संबंधित राज्य कानून के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकरण अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 अथवा धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण के पश्चात् कम से कम तीन वर्षों का अनुभव रखने वाले सभी स्वयंसेवी संगठन ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए कापार्ट से इसकी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। 1994-95 के अन्त तक कापार्ट लगभग 5,000 स्वयंसेवी एजेंसियों को 13,657 परियोजनाओं के लिए लगभग 305.00 करोड़ रूपये संस्वीकृत कर चुका है।

रक्षा भंडारों तथा उपकरणों का स्वदेशी करण

1503. **श्री रवि राय:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 2005 तक रक्षा भंडारों तथा उपकरणों का स्वदेशीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निजी क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) एक वर्ष में देश में तैयार की गई प्रणालियों पर व्यय और खरीदी गई प्रणालियों पर कुल व्यय के मौजूदा 0.3 के अनुपात को वर्ष 2005 तक 0.7 तक ले जाने के उद्देश्य से रक्षा प्रणालियों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक दस वर्षीय योजना तैयार की गई है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तीन बातों पर जोर दिया जाएगा (1) अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों को देश में तैयार करके मौजूदा प्रणालियों को बनाए रखना, (2) उपयोगी मौजूदा प्रणालियों का दर्जा बढ़ाने और उनकी उपयोगिता अवधि और क्षमता में वृद्धि करना और (3) स्वदेशी प्रणालियों को धीर-धीरे शामिल करना और मुख्य प्रणालियों के आयात को न्यूनतम करना।

2. रक्षा मंत्रालय का रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग रक्षा उपस्करों और अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के विकास और उत्पादन में सिविल क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में निरंतर लगा हुआ है। निम्नलिखित विषयों में आठ तकनीकी समितियों से विशिष्ट तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है :-

शस्त्रास्त्र भंडार

वैमानिक भंडार

वैद्युत/इलेक्ट्रॉनिक भंडार

इंजीनियरी भंडार

समुद्री भंडार

सामान्य भंडार

वाहन

इन्फैंट्री युद्धक वाहन

ये तकनीकी समितियां स्वदेशीकरण, सर्वेक्षण और इन मदों के विकास के सक्षम स्रोतों के चयन के लिए क्षमता आकलन के वास्ते मदों की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होती हैं।

स्वदेशीकरण में लघु उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय के साथ मिलकर एक विशेष कार्य योजना शुरू की गई थी ओर देश के विभिन्न भागों में नौ कार्यशाला - एवं प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं। इनमें से प्रत्येक में औसतन 900 मदें प्रदर्शित की गई थीं और 300 से भी अधिक लघु उद्योग उद्यमियों ने भाग लिया। इन उद्यमियों को स्वदेशीकरण की आवश्यकताओं, विशेष रूप से रक्षा सामानों की गुणता संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी गई थी। रूचि दर्शाने वाले सक्षम उद्यमियों का पंजीकरण करने और रक्षा मदों के वास्तविक स्वदेशीकरण के कार्य में उन्हें शामिल करने की इस समय अनुवर्ती कार्रवाई चल रही है।

(हिन्दी)

हिन्दी का प्रचार-प्रसार

1504. **श्री लाल बाबू राय:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने प्रशासन तथा अन्य स्कंधों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई या तैयार की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासन और अन्य पक्षों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह मंत्रालय राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित योजना का अनुपालन करता है। हिन्दी में प्रशिक्षण की अनिवार्यता, हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि सीखने के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन, सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/ आलेखन के लिए प्रोत्साहन स्कीम, हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन, हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहन, हिन्दी सप्ताह और कार्यशालाओं के आयोजन से संबंधित विभिन्न स्कीमें, जो राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई हैं, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

महाराष्ट्र में सैनिक स्कूलों की स्थापना

1505. **श्री दत्ता मेघे:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुल कितने सैनिक स्कूल हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या प्रवासी परिवारों के छात्रों तथा स्थानीय छात्रों को इन स्कूलों में प्रवेश के समय कोई छूट दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य में नए सैनिक स्कूल खोलने का है;

(च) यदि हां, तो उक्त विद्यालयों की स्थापना कहां-कहां पर की जाएगी; और

(छ) इन विद्यालयों की स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) महाराष्ट्र में केवल सतारा में एक सैनिक स्कूल है।

(ख) सैनिक स्कूलों में लड़कों को अखिल भारतीय आधार पर ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छठवीं और नौवीं कक्षा में दाखिला दिया जाता है। हर वर्ष पहली जुलाई को 10 से 11 और 13 से 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के क्रमश: छठवीं और नौवीं कक्षा में दाखिला पाने के लिए पात्र हाते हैं। दाखिला योग्यताक्रम और डाक्टरी आधार पर उपयुक्त पाए जाने पर ही दिया जाता है।

(ग) और (घ) मौजूदा सरकारी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ही आयु में छूट दी जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

मैत्री

1506. **श्री पंकज चौधरी:**

श्री राम सिंह कस्वां:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्टार्कटिका पर देश के स्थाई केन्द्र ''मैत्री'' को ''इलेक्ट्रोनिक डाक नेटवर्क'' के साथ जोड़ दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) फलस्वरूप इस कार्य में लगी प्रयोगशालाओं को कितने आकंड़े मिलने की संभावना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्टोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 14 वें अंटार्कटिक अभियान के दौरान इलेक्ट्रोनिकी विभाग के अरनेट नेटवर्क का प्रयोग कर के 7 फरवरी, 1995 को मैत्री को इलेक्ट्रोनिक मेल से जोड़ा गया था। बम्बई से संदेशों का अंतिम रूप से सम्प्रेषण करने से पहले उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह ''इमर्सेट'' के माध्यम से भेजा जाता है और पुणे के निकट लैंड-अर्थ स्टेशन ''आर्वी'' में प्राप्त किया जाता है।

(ग) भाग लेने वाली कोई भी प्रयोगशाला जिसके पास दो-तरफा आंकड़ा और सूचना के स्थानांतरण के लिए ई-मेल सुविधा है, वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नेटवर्क से अपनी पहुंच बना सकता है। भारतीय अंटार्कटिक अभियान में भाग लेने वाली लगभग सभी प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों द्वारा वास्तविक समय आधार पर ऑन-लाइन आंकड़ा स्थानातंरण किया जा रहा है। इस सुविधा के माध्यम से सरकारी किस्म के, दिन प्रतिदिन के सन्देशों का भी सम्प्रेषण किया जाता है।

कनाडा से तकनीकी सहायता

1507. **श्री चित्त बसु:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने राजस्थान में दो परमाणु रिएक्टरों की मरम्मत के लिए तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पेशकश पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) राजस्थान में स्थापित दो परमाणु रिएक्टरों की मरम्मत के लिए कनाडा की सरकार से कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है। कनाडा के सप्लायरों के साथ जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

(हिन्दी)

खादी और कुटीर उद्योगों के लिए नई योजनाएं

1508. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**

श्रीमती वसुन्धरा राजे:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें कितनी सहायता प्रदान की जायेगी;

(ख) ग्रामीण आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना हेतु दी जा रही सहायता का स्वरूप क्या है;

(ग) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लघु उद्योगों द्वारा निर्यात

1509. **श्री गुमान मल लोढा:**

श्री नीतीश कुमार:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र की भागीदारी में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी-कितनी रही;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र को कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) आठवीं योजना के अंतिम वर्ष तक कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र की अनुमानित भागीदारी कितनी है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) और (ख) जी, हां। 1992-93 की अपेक्षा 1993-94 में कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र की भागीदारी प्रतिशत में वृद्धि हुई है। वर्ष 1994-95 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। निर्यात सम्बन्धी आंकड़े निम्न प्रकार है :-

वर्ष	कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र की भागीदारी प्रतिशत
1992-93	33.34
1993-94	36.38
1994-95	अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) निर्यात संवर्धन के लिए सरकार लघु उद्योग क्षेत्र को निम्नलिखित लाभ प्रदान कर रही है :-

(1) विदेश में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में चुनिंदा लघु इकाईयों को प्रायोजित किया जा रहा है। जगह का किराया, भाड़ा, बीमा और प्रदर्शनी को लगाने और हटाने संबंधित सभी व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। लघु उद्योग क्षेत्र के विनिर्माताओं के लाभ के लिए व्यापार संबंधी जानकारी अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित की जाती है। लघु उद्योग विकास संगठन ने वर्ष 1985 से ही चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना शुरू कर दिया था।

(2) देश के विभिन्न भागों में निर्यात के लिए पैकेजिंग पर नवीनतम पैकेजिंग मानदंडों/तकनीकों को लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यातकों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से आयोजित किय जाते हैं जो इस विषय में आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करती है। ये कार्यक्रम विशिष्ट उद्योगों के लिए होते हैं और साथ ही साथ सामान्य भी होते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 1978-79 से प्रारंभ किये गये थे। (3) सरकार लघु उद्योग विनिर्माताओं/निर्यातकों को प्रौद्योगिकीय और प्रबंधीय परामर्श प्रदान कर रही है।

(4) सरकार ने गुणवत्ता उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया है जो लघु उद्योग विनिर्माताओं को देश में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होते हैं जिससे निर्यात में वृद्धि होती है। ये पुरस्कार वर्ष 1986 में शुरू किये गये थे।

(5) निर्यात-आयात नीति के तहत, निर्यात गृह/व्यापार/गृह/स्टार व्यापार गृह/सुपर स्टार गृह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए लघु उद्योग उत्पादों के निर्यात पर अधिक बल दिया जा रहा है। इस स्थिति

को प्राप्त करने पर ये गृह विशेष आयाता लाइसेंसे पाने के पात्र हो जाते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा निर्मित निर्यात किये जाने वाले माल के निर्यातकों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त विशेष आयात लाइसेंस की अनुमति होती है।

(6) उपर्युक्त के अतिरिक्त 1992-97 निर्यात-आयात नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन भी लघु उद्योग निर्यातकों के लिए उपलब्ध हैं।

(ङ) वर्तमान स्थिति के अनुसार आठवीं योजना के अंतिम वर्ष तक कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र की अनुमानित भागीदारी 37-40 प्रतिशत के बीच में होगी।

विदेशी तम्बाकू कंपनियां

1511. **डा. आर. मल्लू:**

श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी तम्बाकू कम्पनियों को भारत में अपने उत्पाद तैयार करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसीसंयंत्र कहां-कहां स्थित है;

(घ) क्या ऐसे फर्मों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तम्बाकू की न्यूनतम गुणवत्ता निर्धारित की गई है; और

(ङ) ऐसी विदेशी तम्बाकू कम्पनियों के स्वामित्व संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ङ) मैसर्स आर.जे.रेनाल्ड तम्बाकू इन्टरनेशनल एस.ए. स्विटजरलैंड को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर तम्बाकू/सिगरेट के विनिर्माण के लिए भारत में स्वीकार्य स्थल पर नये उपक्रम के रूप में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए क्रमश: 23 और 26 अप्रैल, 1993 को विदेशी सहयोग अनुमोदन और आशय पत्र दिये गय हैं :-

(1) विनिर्माण/क्षमता की मद :तम्बाकू का संसाधन/संमिश्रण और घरेलू और निर्यात बिक्री के लिये 5 विलियन सिगरेटों का विनिर्माण।

(2) विदेशी इक्विटी भागीदारी : 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) जो कि प्रस्तावित प्रदत्त पूंजी 46 करोड़ रूपये का 23 करोड़ रूपये बनता है वह मैसर्स आर.जे. रेनाल्ड तम्बाकू इन्टरनेशनल एस.ए. स्विटजरलैंड की पूर्ण प्रभुता प्राप्त सहायक कम्पनी मैसर्स आर.जे. और 'मोरिशियस 'प्रा. लिमिटेड द्वारा दिया जायेगा।

(3) भारतीय भागीदारों के नाम : (क) श्री महेन्द्रा के. मोदी एम.डी. मैसर्स मोदी इन्टरप्राईजिज।

(ख) श्री हेमन्त सोनावला, उप-अध्यक्ष, दी हिन्दीट्रान ग्रुप बम्बई।

(4) कारखाना-बाह्य उत्पादन के 20 प्रतिशत तक के निर्यात का अनुमान है और 5 वर्ष में 44 मिलियन अमरीकी डालर की निवल विदेशी मुद्रा अर्जन का अनुमान है। पांच वर्ष की अधिक अवधि में 74 मिलियन डालर मूल्य के तम्बाकू का निर्यात करने का अनुमान है।

(5) विदेशी भागीदार बढ़िया गुणवत्ता के वर्तमान प्रकार और स्तरों को विकसित करने के लिये विस्तृत खेतीबाड़ी संबंधी विकास कार्यक्रम को अपनाने के लिये भारतीय संयुक्त उद्यम को सहायता प्रदान करेंगे। वे किसानों के लिये बीज, उत्पादन विधियां रोग रोधक उद्यम का विकास, स्थानीय संसाधन सुविधाएं और नये निर्यात बाजार भी उपलब्ध करवायेंगे।

(6) स्वीकृति इस शर्त पर होगी कि वे स्थानीय तम्बाकू का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे। 5 वर्ष की अवधि में तम्बाकू की आवश्कता का केवल 6 प्रतिशत तम्बाकू आयात किया जायेगा।

(हिन्दी)

ग्रामीण क्षेत्रों में धीमा विकास

1511. **श्री जनार्दन मिश्र:**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण विकास कार्यों की गति अत्यंत धीमी है;

(ख) क्या सरकार राज्यों को ग्रामीण विकास कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेंगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) से (ग) देश भर में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना (3) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम अर्थात् मुख्य ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के विकास की गति सामान्यत: संतोषजनक रही है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों की आवधिक प्रगति रिपोर्टों, समितियां द्वारा समीक्षा और समवर्ती मूल्यांकन अध्ययनों की मार्फत नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यों की गति का निगरानी करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी योजना भी शुरू की है। किसी प्रकार की कमियों की स्थिति में सरकारों को समय-समय पर उपयुक्त मार्गदर्शिकाएं जारी की जाती है।

सरकारी अस्पताल

1512. **श्री काशी राम राणा:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और देश के अन्य भागों में स्थित सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की बिगड़ती हुई स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकारी अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख) ''स्वास्थ्य'' एक राज्य का विषय होने के नाते यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अच्छी चिकित्सा सेवाएं बनाए रखें तथा अपने नियंत्रणाधीन अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं की हालत में सुधार लाने के लिए कदम उठाएं/ तथापि, दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकारी अस्पताल अच्छी हालत में हैं। आपातकालीन सेवाओं में सुधार की लगातार समीक्षा की जा रही है।

(अनुवाद)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया अनुसंधान

1513. **श्री शरत पटनायक:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने मानव नेत्र-लैंस वर्णकों के संबंध में अनुसंधान करने हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को कुछ अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी हां।

(ख) एल.वी. प्रसाद नेत्र संस्थान और कोशिकीय और अणुजीवविज्ञान केन्द्र के बीच ''ओरिजिन, स्ट्रक्चर एण्ड रोल ऑव पिग्मैंटस इन ह्यूमन आई-लैंस'' पर एक सहयोगात्मक कार्यक्रम का निधीयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, यू.एस.ए. द्वारा तीन वर्ष के लिए 1,72,000 यूएस डॉलर के कुल अनुदान से किया जा रहा है। 13,625 यूएस डॉलर की पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है।

(हिन्दी)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम

1514. **श्री सूरजभानु सोलंकी:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष बल देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश को इस प्रयोजनार्थ सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितना धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश को वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने तथा जनसंख्या नियंत्रण को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख लक्ष्यों के रूप में रखा गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजन के दौरान विकास के लिए निर्धारित प्रमुख जोर दिए जाने वाले क्षेत्र इस प्रकार है:-

(1) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी के माध्यम से स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं में सुधार करना।

(2) विभिन्न संचारी एवं गैर-संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतों एवं रुग्णता में कमी लाना।

(3) कार्मिक शक्ति का विकास एवं डाक्टरों एवं परा - चिकित्सकों का प्रशिक्षण।

(4) जैव चिकित्सीय अनुसंधान को तेज करना।

(5) खाद्य पदार्थ और औषधों की निरापदता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

(6) स्वास्थ्य प्रबन्ध सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करना।

(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी का विकास।

(8) केन्द्रीय अस्पतालों तथा संस्थाओं को सुदृढ़ करना।

(9) रोग प्रतिरक्षण सहित शिशु जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमों पर विशेष बल देते हुए जनसंख्या वृद्धि को रोकना।

(10) लोगों की व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की शिरकत।

(ग) और (घ) 7वीं पंचवर्षीय योजना तथा 1994-95 के दौरान मध्यप्रदेश को प्रदान की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :-

(क) I/II योजना (लाख रूपये)

केन्द्रीय प्रायोजित (प्रमुख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्कीमें)	राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम
26946.94	19657.00

(ख) 1994-95 लाख रूपये

केन्द्रीय प्रायोजित (प्रमुख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्कीमें)	राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम
13050.44	8450.00

मरूस्थल तथा सूखा प्रवण क्षेत्र

1515. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:**

श्री महेश कनोडिया:

श्री रमेश चन्द तोमर:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मरुस्थल तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों के विकास तथा अनुधारा परियोजनाओं की आयोजना तथा उनके कार्यान्वयन के लिए हाल ही में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्ययोजना द्वारा प्राप्त होने वाले उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कर्मियों के प्रशिक्षण और प्रगति पर निगरानी के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) जी हां।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के बारे में प्रो.सी.एच. हनुमतराव की अध्यक्षता में गठित की गयी तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर सूखाप्रवण और मरुस्थनीय क्षेत्रों में दिनांक 1.4.95 से प्रभावी मार्गदर्शिकाओं का एक समान सेट अक्टूबर, 94 में जारी किया गया। मार्गदर्शिकाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:-

1) क्षेत्र विकास केवल वाटर शेड आधार पर ही शुरू किया जायेगा। गांव को आयोजना की इकाई माना जायेगा और प्रत्येक गांव में लगभग 500 हेक्टेयर के वाटरशेड का विकास किया जायेगा। वाटर शेड समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना घटकों के चयन में लचीलापन होगा।

2) वाटरशेड में रहने वाले सभी व्यस्क सदस्यों वाले वाटरशेड संघों तथा वाटरशेड समिति जो कि वाटरशेड संघ का एक नामित निकाय है, की मार्फत वाटरशेड परियोजना के कार्यान्वयन में स्थानीय जनता पूर्ण और प्रभावी रूप में शामिल होगी।

3) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी तथा चार विषयवस्तु विशेषज्ञों वाले इसके वाटरशेड विकास दल की मार्फत सरकार वाटरशेड विकास में जागरूकता सृजन करके, प्रशिक्षण देकर तथा तकनीकी समस्याओं का समाधान करके वाटरशेड संघ के कार्य की अनुपूरित करेंगी।

4) परियोजना की आयोजना वाटरशेड समुदाय के परामर्श से वाटर शेड विकास दल तथा वाटरशेड समिति द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जायेगी। परियोजना की योजना का अनुमोदन जिला वाटरशेड सलाहकार समिति की सिफारिशों पर जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

पूरा किये जाने वाले उद्देश्यों में फसलों के उत्पादन एवं पशुधन तथा भूमि, जल और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखा के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण शामिल है।

(ग) और (घ) राज्य स्तर पर प्रगति की निगरानी मुखय सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त/विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वयन समीक्षा-समिति द्वारा, तथा जिला स्तर पर वाटरशेड विकास सलाहकार समिति की सहायता से जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा तथा वाटरशेड स्तर पर वाटरशेड संघ तथा वाटरशेड समिति द्वारा जारी की जायेगी। इसके अलावा, पंचायत समिति और ग्राम सभा जैसी पंचायती राज संस्थाएं भी कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करती हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए समन्वय और समीक्षा समिति द्वारा की जायेगी।

जिला स्तर अधिकारियों तथा क्षेत्रस्तर कार्यकर्ताओं को सतत् आधार पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। स्थानीय लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

1516. **श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद:**

श्री जी. देवराय नायक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षो से भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक पद्धति को महत्व दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की तुलना में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक पद्धति के कितने औषधायल/अस्पताल खोले गए।

(ग) क्या सरकार द्वारा जनता को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक पद्धति से उपचार कराने की सलाह दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है; और

(ङ) इस पद्धति को बढ़ावा देने में गैर-सरकार क्षेत्र की भूमिका क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथिक के अस्पताल/औषधालय खोलना राज्य का एक विषय है। तथापि, भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन औषधालय और अस्पताल स्थापित किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एलोपैथिक पद्धति के मुकाबले भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथा में खोले गए औषधालयों और अस्पतालों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) आम जनता को अपना पसन्द के अनुसार उपचार की विशेष पद्धति का चयन करने की छूट है। केन्द्रीय सरकार देश में इन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा सक्षम व्यवसायियों कीी उपलब्धता और औषधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के संवर्धन और विकास के लिए हाल ही में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का एक अलग विभाग खोला गया है।

(ङ) निजी क्षेत्र शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल तथा औषधालय स्थापित कर इन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे सकता है। वास्तव में इन पद्धतियों की बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थाएं तथा संबद्ध अस्पताल निजी क्षेत्र में है।

विवरण

	के.स.स्वा.यो. अस्पताल		देश भर में खोले गए अस्पताल/औषधायल के.से.स्वा.यो.अस्पताल	
	एलोपैथी	भा.चि.प. एवं होम्यो.	एलोपैथी	भा.चि.प. एवं होम्यो.
1992-93	3	1	231	70
1993-94	3	1	234	70
1994-95	3	1	234	70

नए अखबारी कागज एकक

1517. **श्री हरिन पाठक:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ नए अखबारी कागज के एककों की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एककों को मंजूरी दी गई है,

(ग) क्या इन एककों ने अखबारी कागज का उत्पादन शुरू कर दिया है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) आयातित अखबारी कागज पर कम से कम निर्भर करने के उद्देश्य से इन एककों को सक्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा सांही): (क) और (ख) अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए 1989 से प्रतिवर्ष कुल 6,95,350 टन क्षमता के लिए 14 आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। अनुमोदित अतिरिक्त क्षमता के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। खोई, गेहूँ की भूसी आदि जैसी गैर-परम्परागत कच्ची सामग्रियों पर आधारित अखबारी कागज एककों के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और उद्यमियों को केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) ही दायर करना होता है। अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए भावी उद्यमियों द्वारा अगस्त, 1991 से 19.55 लाख टन क्षमता के लिए 38 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किए गए हैं।

(ग) जिन 14 एककों को आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं उनमें से निम्नलिखित एककों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है :-

क्रम संख्या	एकक का नाम
1.	औरंगाबाद पेपर मिल्स लि.
2.	कछार पेपर मिल्स (एच.पी.सी.)
3.	नोगांव पेपर मिल्स (एच.पी.सी.)
4.	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिं (एच.एन.एल.)

यद्यपि शेष एककों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ न करने का कोई विशेष करण नहीं बताया है लेकिन अखबारी कागज क्षेत्र का अत्यधिक पूंजी सघन क्षेत्र होना इसकी एक वजह हो सकती है जिसमें आय तुलनात्मक रूप से कम होती है।

(घ) सरकार ने स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और आयातित अखबारी कागज पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय किये हैं :-

(1) अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए काष्ठ लुग्दी के आयात से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(2) अखबारी कागज के उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

(3) ऐसी कागज मिलों को अखबारी कागज मिलों के रूप में

घोषित करते हुए अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है जो अखबारी कागज के लिए निर्धारित भारतीय मानक ब्यूरों के मानकों के अनुरूप कागज का उत्पादन कर रही है और जिनके कागज का इस्तेमाल समाचार पत्रों द्वारा किया जा रहा हो और जिसकी गुणवत्ता उनके द्वारा संतोषजनक पाई जाए।

विवरण

क्रम सं.	पार्टी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस/ आशय पत्र सं. तथा तिथि	स्थापना स्थल	वार्षिक क्षमता (टन)
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स वेस्टर्न महाराष्ट्र डवलपमेंट कोर्पोरेशन लि.	एल.आई.: 575 (90) दिनांक: 31.8.90	सोलापुर (महाराष्ट्र)	1,15,000
2.	मैसर्स नेपा लि.	एल.आई.: 371 (90) दिनांक: 25.5.90	अलीगंज मुरादाबाद (उ.प्र.)	88,900
3.	मैसर्स कोस्टल पेपर लि.	एल.आई.: 576 (90) दिनांक: 31.8.90	पूर्वी गोदावरी जिला (आं.प्र.)	20,000
4.	मैसर्स तमिलनाडु न्यूज प्रिंट तथा पेपर लि.	एल.आई.: 689 (90) दिनांक: 6.11.90	जिला-साउथ आरकोट (तमिलनाडु)	1,00,000
5.	श्री विष्णु जे. रामसिंघानी (मैसर्स राम न्यूजप्रिंट एंड पेपर लि.)	सं. 5(91)/आई.एल. एन.आर.आई. दिनांक: 23.5.91 और 25.2.92	तहसील-अल्पाड़ जिला-सूरत (गुजरात)	1,32,000
6.	मैसर्स प्रियंका ओवरसीज लि.	एल.आई.: 539 (91) दिनांक: 8.10.91	जिला-देवरिया (उ.प्र.)	82,500
7.	मैसर्स नागालैंड पल्प एवं पेपर कं. लि.	एल.आई.: 208 (92) दिनांक: 14.5.92	पेपर नगर (तुली) जिला-मोकोकचुंग (नागालैंड)	20,000
8.	श्री संजय केडिया	एल.आई.: 3 (1992/ 6/एस.आई.ए./ एन.आर.आई दिनांक: 29.12.92	जयगढ़, जिला-रतनगिरी या महाराष्ट्र में कोई पिछड़ा क्षेत्र	42,000
9.	मैसर्स हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	एल.आई: 273 (94) दिनांक: 12.5.94	न्यूजप्रिंट नगर, तहसील- वेकूम ताल्लूक जिला-कोटायम (केरल)	20,000

1	2	3	4	5
10.	मैसर्स औरंगाबाद पेपर मिल्स लि.	एल.आई: 122 (89) दिनांक: 27.2.89 और आई.ई.एम. सं. 4487/एस.आई.ए./आई.एम.ओ./92 दिनांक: 25.11.92	पेंठन, जिला-औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	20,000
11.	कछार पेपर मिल्स (एच.पी.सी.)	सी.आई.एल.: 48 (1992) दिनांक: 26.5.1992	पंचग्राम, तहसील-अलगापुर, जिला-हेलकांडी (असम)	20,000
12.	नोगांव पेपर मिल्स (एच.पी.सी.)	सी.आई.एल.: 47 (1992) दिनांक: 26.5.1992	कागजनगर तहसील-जागी रोड, जिला-मोरीगांव, (असम)	20,000
13.	मैसर्स मध्यदेश पेपर्स लि.	एल.आई: (1995) दिनांक: 3.1.95	तहसील-सोनर नागपुर, महाराष्ट्र	10,000
14.	मैसर्स क्रिस्टल पेपर मिल्स प्रा.लि.	एल.आई. 106 (95)	नागपुर महाराष्ट्र	4,950
			कुल:	6,95,350

कार्यकारी अधिकारियों के लिए वेतनमान

1518. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया:**

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कार्यकारी अधिारियों की उद्यम भावना और सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देने के उपाय के रूप में उनके वेतनमान निर्धारित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक क्रार्यान्वित हो जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) सरकार ने 19-7-1995 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके तहत उद्यमों के निदेशक मण्डलों को निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के संबंध में दिनांक 1-1-1992 से उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वेतनमान अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है।

(हिन्दी)

भारतीय सीमेन्ट निगम

1519. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:**

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम की विद्युत के बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण 1994-95 के दौरान मध्यप्रदेश के नया गांव में अपनी सीमेन्ट फैक्ट्री को बन्द करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इस कुप्रबन्ध के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) वर्ष 1993-94 और 1994-1995 के दौरान अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 में फैक्टरी को बंद करने से लगभग 7554 मीट्रिक टन सीमेंट के उत्पादन की हानि हुई थी।

(ग) विद्युत बिलों का भुगतान न किए जाने का कारण उक्त अवधि में कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति थी।

(घ) स्थापित क्षमता की तुलना में उत्पादन 1993-94 में 83% तथा 1994-95 में 77.9% था।

रक्षाकर्मियों के लिए आवास

1520. श्री प्रेम चंद राम:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षाकर्मियों के लिए आवास में कमी को देखते हुए नए आवास बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) वर्ष 1995-96 के दौरान सेना के लिए परिवार तथा एकल आवास के निर्माण के लिए 287 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने वर्ष 1995-96 से शुरू होने वाली तीन वर्ष तक की अवधि में 134.61 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 444 अफसरों, 347 जे सी ओ तथा 3931 अन्य रैंकों के लिए परिवार आवास बनाने का विशेष पैकेज मंजूर किया है।

(अनुवाद)

भारत ब्रिटेन सुरक्षा सलाहकार दल

1521. **श्री प्रकाश बी. पाटील:**

श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गठित किए गए भारत-ब्रिटेन सुरक्षा सलाहकार दल की शीघ्र ही बैठक होने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो यह बैठक कब होगी और इसकी कार्यसूची क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, नहीं। भारत-ब्रिटेन रक्षा सलाहकार दल की बैठक इस वर्ष जून, 1995 में लंदन में पहले ही हो चुकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भेल द्वारा विद्युत ताप संयंत्र

1522. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेल द्वारा देश में तथा विदेशों में स्थापित किए गए ताप विद्युत संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) भेल की एकक-वार वर्तमान वार्षिक अधिस्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) 31 मार्च, 1995 को भेल के पास कितने क्रयादेश थे; और

(घ) क्या सरकार भेल को अधिकाधिक क्रयादेश देने हेतु आवश्यकय कदम उठाएगी क्योंकि वह अपेक्षाकृत कम कीमतों पर उपकरणों की सप्लाई कर रहा है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) देश में तथा विदेशों में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को भेल द्वारा आपूर्ति किए गए विद्युत उत्पादन उपस्करों से 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार उत्पन्न कुल ताप उत्पादन क्षमता निम्नवत् है :-

(1) देश में 41,566 मे.वा.

(2) विदेशों में 642 मे.वा.

(ख) 39 मे.वा. से 500 मे.वा. तक के अलग-अलग आकारों के पृथक सेटों के क्षमता-वार मिश्र के आधार पर, ताप विद्युत उत्पादन उपस्कर के लिए भेल की एकक-वार वार्षिक स्थापित क्षमता है : भोपाल - 540 मे.वा., हैदराबाद - 770 मे.वा. तथा हरिद्वार 3500 मे.वा. भेल की स्थापित क्षमता 4500 मे.वा. रखी गई है।

(ग) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार भेल के पास कुल 4454 मे. वा. के ताप विद्युत उत्पादन उपस्करों के आर्डर बकाया है।

(घ) अधिकाधिक आर्डर प्राप्त करने के लिए भेल सभी संभव प्रयास कर रहा है। जहां आवश्यक होता है, भारी उद्योग विभाग भी ऐसे प्रयासों में सहायता करता है।

अस्पताल पार्क परिसर

1523. **श्री एस.एम.लालजान बाशा:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरी क्षेत्रों में अस्पताल पार्क परिसरों का विकास और निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अस्पतालों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

1524. डा. परशुराम गंगवार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों का गत तीन वर्षो के दौरान निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार पुनर्वास किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को भरने में कुछ कमियां रही हैं। इस पदों को भरा जाना इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे पदों के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिक विहित भर्ती मानदंड पूरे करते हों। इसके अतिरिक्त, बहुत से भूतपूर्व सैनिक अपने घर के पास ही नौकरी करना पंसद करते हैं और वे अर्द्ध सैन्य बलों में दुबारा नौकरी लेने के भी इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि इनकी सेवा शर्तें भी रक्षा सेनाओं के समान ही होती हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नई इकाइयां

1525. श्री नीतीश कुमार:

श्री जगमीत सिंह बरार:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ नए औद्योगिक उपक्रमों ने वर्ष 1994-95 के दौरान उत्पादन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं;

(ग) अप्रैल, 1994 की तुलना में अप्रैल, 1995 के दौरान सरकारी क्षेत्र में कुल कितने औद्योगिक उपक्रम कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के लिए लाभ तथा हानि का अंतिम विवरण तैयार कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान क्रमशः कुल कितना लाभ कमाया गया तथा उन उपक्रमों की संख्या कितनी थी जिन्हें वित्तीय घाटा हुआ; और

(च) वर्ष 1990-91 तथा 1994-95 के दौरान क्रमश: इन उपक्रमों में कुल कितनी पूंजी निवेश की गई?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी भी नए औद्योगिक उपक्रम ने उत्पादन आरम्भ नहीं किया है।

(ग) 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के 240 उपक्रम काम कर रहे थे। 1-4-1995को भी वही स्थिति थी।

(घ) से (च) वर्ष 1994-95 के लिए वित्तीय निष्पादन आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

(अनुवाद)

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

1526. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 1994-95 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष से कितनी धनराशि खर्च की गई,

(ख) आंध्र प्रदेश में 1994-95 में लागू किए गए ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अंतर्गत 1995-96 में कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एककों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना संबंधी भुगतान के लिए तथा कर्मचारियों को पुन: प्रशिक्षण देने/पुन: रोजगार देने संबंधधी कार्यक्रमों के लिए 1994-95 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें आन्ध्र प्रदेश में स्थित उपक्रम भी शामिल हैं, में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 251.17 करोड़ रू. (अनंतिम)- की राशि का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को पुन: प्रशिक्षण देने/पुन: तैनाती योजनाओं, जिनमें आंध्र प्रदेश संबंधी योजनाएं भी शामिल हैं, में 1.00 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गयी थी।

(ग) राष्ट्रीय नवीकरण निधि योजनाओं, आन्ध प्रदेश राज्य संबंधी योजनाओं सहित, के कार्यान्वयन के लिए 1995-96 के बजट अनुमान में 300 करोड़ रू. की राशि की व्यवस्था की गयी है।

(हिन्दी)

आयुध कारखाने में धनराशि का दुरूपयोग

1527. **श्री संतोष कुमार गंगवार:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शाहजहाँपुर स्थित कारखाने में धनराशि के दुरूपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सांविधिक रक्षा लेखा परीक्षा विभाग ने उक्त कारखाने के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ आपत्तियाँ उठाई गई हैं और इस पर की जा रही कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त कारखाने को प्रतिवर्ष करोड़ों रूपयों का घाटा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ङ) आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर के बारे में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी नमूना लेखापरीक्षा में उपर्युक्त निर्माणी द्वारा सामग्री की खरीद के संबंध में अपनी 1992 की रिपोर्ट सं. 8, 1994 की रिपोर्ट सं. 8 और 1995 की रिपोर्ट सं. 8 में चार लेखापरीक्षा पैरों का उल्लेख किया है। इनमें से तीन मामलों मे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उल्लिखित कमियों के बारे में आयुध निर्माणी बोर्ड और गुणता आश्वासन महानिदेशक के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है। 1995 की रिपोर्ट संख्या 8 में उल्लिखित चौथे मामले के लिए एक जांच अदालत गठित कर दी गई है।

रक्षा उपकरणों का उत्पादन

1528. **श्री सुरन्द्र पाल पाठक:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामरिक महत्व के रक्षा उपकरणों का उत्पादन निजी क्षेत्र में करने की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत शस्त्र और गोलाबारूद तथा रक्षा उपस्करों से संबंधित मदों, रक्षा वायुयानों तथा युद्धपोतों का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ही किया जाता है। निजी क्षेत्र का उपक्रम असेंब्लियों, सब-असेंब्लियों तथा हिस्से-पुर्जों का निर्माण करके इस कार्य में सहायता करता है। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष में औसतन लगभग 250.00 करोड़ रूपए मूल्य के आर्डर दिए जाते हैं। इससे संबंधित अनुवर्ती व्यवसाय काफी अधिक होता है। संघटकों तथा हिस्से-पुर्जों का देश में ही विकास करने के मामले में निजी क्षेत्र का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है।

(अनुवाद)

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सहायता

1529. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत संबंधी परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा से सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सहायता राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन परियोजनाओं को सहायता दिए जाने की संभावना है उनका ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने जीईएफ सहायता के लिए चार परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत (मिलियिन में)	मांगी गई जीईएफ सहायता (मिलियिन में)	स्थापित की जाने वाली क्षमता (मेवा.)
(1)	राजस्थान के जोधपुर ज़िले में मथानिया में सौर तापीय विद्युत परियोजना	100 अमेरिकी डालर	30 अमेरिकी डालर	35

(2)	निजी क्षेत्र पवन फार्म के लिए विश्व बैंक साख लाइन का विस्तार	165 अमेरिकी डालर	25 अमेरिकी डालर	115
(3)	बायोमास इलैक्ट्रिक विद्युत विकास	218.1 अमेरिकी	56.4 अमेरिकी डालर	150 डालर
(4)	ग्रिड की अनुपूर्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए सौर प्रकाश-वोल्टीय की संभाव्यता की स्थापना करना और प्रदर्शन	10.5 अमेरिकी डालर	6.5 अमेरिकी डालर	

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

1530 **श्री राम कापसे:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत दवाईयों की खरीद हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने अत्यन्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1994-95 के दौरान क्लोरोक्वीन और प्राइमा क्वीन की स्थानीय खरीद की अनुमति हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। तथापि, अपेक्षित अनिवार्य औषध राज्य सरकार को सप्लाई की गई थीं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा बुनियादी अनुसंधान में परिवर्तन

1531. **श्री श्रीकान्त जेना:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी.एस.आई.आर. ने औद्योगिक प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अपना लक्ष्य बुनियादी अनुसंधान के स्थान पर व्यवहारिक अनुसंधान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो 1992 से जून, 1995 तक सी.एस.आई.आर. की आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक देशों को इसके द्वारा दी गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सी.एस.आई.आर. बिना वित्तीय आवंटन के स्वत: ही अपना कार्य चला सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) भारतीय उद्योग के सार्वमौमिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक होने में सहायता करने के लिए सीएसआइआर का पुन: पूर्वाभिमुख किया जा रहा है। तदनुसार, सीएसआइआर में मूल अनुसंधान को भविष्य की प्रौद्योगिकी तैयार करने में सहायता करने के लिए लक्षित किया जा रहा है।

(ख) सीएसआइआर द्वारा सरकारी अनुदान से बाहर की स्रोतों से अर्जित किया गया नगदी प्रवाह निम्न प्रकार रहा.

(रू. करोड़ों में)

अप्रैल 1991 - मार्च 1992	-	71
अप्रैल 1992 - मार्च 1993	-	80
अप्रैल 1993 - मार्च 1994	-	84
अप्रैल 1994 - मार्च 1995	-	134

(ग) सीएसआइआर की प्रयोगशालाओं ने औद्योगिक देशों जैसे यूएसए, यूके, कनाड़ा, स्विटज़रलैंड इत्यादि की अनेक विख्यात कम्पनियों/संगठनों के लिए अनुबंधन अनुसंधान एवं विकास तथा सेवाएं आरम्भ की हैं और 1994-95 में इस प्रकार की सेवाओं से प्राप्त राशि लगभग 4 करोड़ रू. रही।

(घ) और (ङ) सीएसआइआर का लक्ष्य अपने राजस्व व्यय के संबंध में आत्म-निर्भर बनना है।

वादी के रूप में सरकार

1532. **प्रो. उम्मारेड्डि वैकटेस्वरलु:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक उच्चतम न्यायालय में कितने मुकदमें लंबित हैं;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी विभाग और सरकारी क्षेत्र के एकक अपनी मुकदमेबाजी की प्रवृत्तियों को कम करे, कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) उच्चतम न्यायालय में 1-4-1995 को लगभग 26,043 ग्रहण किए गए मामले और 21,933 नियमित मामले लंबित थे।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 11-10-1991 के आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसरण में किसी मंत्रालय विभाग और अन्य के बीच, किसी मंत्रालय विभाग और भारत सरकार के किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के बीच और किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य के बीच विवादों को मानिटर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित की गई है कि कोई भी मुकदमा, समिति द्वारा मामले की प्रथमत: समीक्षां किए बिना और मुकदमेबाजी के लिए उसकी सहमति के बिना किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष नहीं लाया जाए। समिति, ने 30-6-1995 तक 48 बैठक की ओर 956 मामलों पर विचार किया है। 956 मामलों में से 393 मामलों की समिति ने न्यायालय अधिकरण मे मुकदमा प्रारंभ करने आगे कार्यवाही करने से इन्कार किया है और 314 मामलों में समिति ने मामलों की पारस्परिक समझौते के लिए उन्हीं पक्षकारों को वापस भेज दिया है।

स्वास्थ्य प्रशिक्षण

1533 **श्री राम प्रसाद सिंह**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य प्रशिक्षण योजनाओं और संस्थानों की कमी का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में देश रेडियोला जिस्टों, तकनीशियनों और फार्मेसिस्टों की औसत संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या देश में ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने संबंधी वर्तमान नियम अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार क्या सुधार करने और प्रोत्साहन देने जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसी तुलनात्मक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) अर्ध चिकित्स कार्मिकों की आम कमी है। तकनीशियनों तथा अर्ध चिकित्सा कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम देश की अनेक संस्थाओं में चलाए जाते हैं।

आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. सेवाएं

1534. **श्री रमेश चेन्नित्तला:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सिविल सेवाओं में देश के कुछ क्षेत्रों से पर्याप्त संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. सेवाएं में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार तथा वर्षवार कितने-कितने अभ्यर्थी आए?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

मिलियन वेल्स स्कीम

1535 **डा. पी. वल्लल पेरूमान:**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में (मिलियन वेल्स स्कीम) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे रह रहे गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी दिया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में इस योजना के अंतर्गत कुल कितने कुआं का निर्माण हुआ और उन पर कितनी लागत आई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) और (ग) दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत निर्मित कुओं और किए गए खर्च के बारे में एक विवरण संलग्न है। जैसा कि दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई की अन्य योजनाएं अनुमेय हैं, खुले कुओ के अलावा दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत खर्च में निर्मित कुओं की लागत शामिल है। तथापि प्रत्येक मद के लिए खर्च संबंधी ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते है क्योंकि दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत कार्यों के लिए लागत/क्षेत्र मानदण्डों का राज्य स्तर पर निर्णय लिया जाना होता है।

(ख) जी हां। 1993-94 से योजना की कवरेज में गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के गरीब, छोटे और सीमान्त किसानों को भी शामिल किया गया है बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति लाभार्थियों के लिए दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत आबंटन के एक तिहाई से अधिक का इस्तेमाल न हो।

विवरण

क्र.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93 निर्मित कुओं की संख्या	1992-93 खर्च (दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे कुओं और अन्य कार्यों पर खच सहित) (रू. लाख में)	1993-94 निर्मित कुओं की संख्या	1993-94 खर्च (दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे कुओं और अन्य कार्यों पर खर्च सहित) (रू. लाख में)	1994-95 निर्मित कुओं की संख्या	1994-95 खर्च (दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे कुओं और अन्य कार्यों पर खर्च सहित) (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1457	4267.46	15591	6505.62	17499	5099.95
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	17.80	77	39.00	69	35.94
3.	असम	1162	370.29	1129	1898.75	1411	1143.16
4.	बिहार	50689	10149.84	41203	7927.16	30045	6853.58
5.	गोवा	12	1.30	0	0.00	31	3.60
6.	गुजरात	4674	1788.88	5602	2014.45	6443	2306.64
7.	हरियाणा	963	427.54	1446	548.97	1613	444.22
8.	हिमाचल प्रदेश	34	185.35	26	225.81	17	270.86
9.	जम्मू व कश्मीर	725	158.66	1563	214.64	3409	645.46
10.	कर्नाटक	3003	2678.56	4081	4429.99	4295	5395.07
11.	केरल	3893	583.79	3064	1389.35	3218	2132.96
12.	मध्य प्रदेश	43396	6093.02	29763	6503.34	38909	4923.63
13.	महाराष्ट्र	6739	1558.11	5284	1464.85	6322	2751.06
14.	मणीपुर	189	39.77	300	74.23	507	93.34
15.	मेघालय	788	67.76	727	66.41	493	83.80
16.	मिजोरम	322	40.44	774	85.09	1033	106.20
17.	नागालैंड	770	77.40	1334	133.40	924	138.60
18.	उड़ीसा	21126	3101.41	21301	3424.36	23903	4205.12
19.	पंजाब	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	राजस्थान	9973	1797.14	4844	1301.75	3071	775.75
21.	सिक्किम	0	0.00	66	52.98	87	55.83
22.	तमिलनाडु	7162	2348.16	4073	5481.79	6702	7339.10
23.	त्रिपुरा	716	64.72	2627	181.96	0	255.34
24.	उत्तर प्रदेश	3437	12218.46	1753	14284.02	483	18893.78
25.	पश्चिम बंगाल	6718	5349.78	2579	5635.88	3845	6721.15

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	8	1.60	6	9.35
27.	दादर व नगर हवेली	30	8.01	21	5.44	16	31.19
28.	दमन व द्वीव	0	0.00	0	6.74	0	0.41
29.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	पांडिचेरी	13	10.98	5	2.32	2	0.72
	कुल	180995	53404.63	149231	63899.90	154631	71290.89

0/0.00- शून्य जहां अवधि दी गई है

0/0.00- असूदिल शून्य जहां अवधि नहीं दी गई है

केवल जनवरी 94 तक (अंनतिम)

() जलं एकत्रीकरण ढांचा।

(हिन्दी)

अंतरिक्ष कार्यक्रम

1536. **श्री सूर्य नारायण यादव:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशें में अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993-94 से 1994-95 के दौरान अन्तरिक्ष विभाग के लिए आंबटित धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

	(करोड़ रूपये में)
1993-94	718.07
1994-95	761.77
1995-96	916.76

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(अनुवाद)

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां

1537. **श्री गोपीनाथ गजपति**

श्री मनफूल सिंह

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को नए मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के धन का उपयोग जनप्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके सही ढंग से किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने हाल ही में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तन्त्र को सुदृढ़ बनाने की सलाह दी है जैसे कि आवश्यक तकनीकी स्टाफ अर्थात कार्यकारी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के साथ-साथ उनके सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति करके और सही परियोजना बनाने के लिए योग्य परामर्शदाताओं को शामिल करके ग्रामीण विकास कार्यों के प्रयोजन हेतु जिला ग्रामीण विकास निर्माण कार्यों के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के तकनीकी खण्ड को सुदृढ़ बनाना।

(ग) और (घ) जवाहर रोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु 1.4.94 से प्रभावी वर्तमान मार्गदर्शिकाओं का प्रयोग किया जा रहा है।

(ङ) और (च) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी का शासी निकाय मार्गदर्शन और निर्देशन प्रदान करता है। इसमें स्थानीय संसद सदस्य, विधायक, जिला परिषदों के अध्यक्ष, जिला विकास विभागों के प्रमुख, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के प्रतिनिधि होते हैं।

जवाहर रोजगार योजना

1538. डा. कृपासिन्धु भोई:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कितने श्रम दिवसों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकारो को इस संबंध में अपने-अपने राज्यों में लक्ष्य निर्धारित करने हेतु कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल): (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्यों को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष आधार पर राज्यवार निर्धारित किया जा रहा है। आठवीं योजना अवधि के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक निर्धारित लक्ष्यों तथा तत्संबंधी प्रगति के बारे में ब्यौरे (राज्यवार) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार लक्ष्य और उपलब्धि

(प्रथम और द्वित्तीय चरण)

		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	
क्र.	राज्य/संघशसित	लक्ष्य	उपलिब्ध	लक्ष्य	उपलिब्ध	लक्ष्य	उपलिब्ध	लक्ष्य	उपलिब्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	657.76	577.93	1025.61	1028.90	1145.23	812.25	742.72	51.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.01	6.52	10.01	4.85	9.30	3.58	9.51	0.09
3.	असम	119.72	107.72	228.90	278.24	211.97	263.29	178.63	32.52
4.	बिहार	937.94	1036.16	1467.71	1474.25	1340.30	986.88	1372.41	247.98
5.	गोवा	0.36	8.12	10.12	8.53	7.81	6.45	7.91	2.50
6.	गुजरात	236.73	335.03	211.40	232.64	240.49	298.49	230.59	31.28
7.	हरियाणा	33.71	32.63	38.64	33.29	33.27	33.96	31.63	1.55
8.	हिमाचल प्रदेश	29.77	26.16	33.73	34.54	28.60	28.87	24.27	2.07
9.	जम्मू व कश्मीर	62.87	43.01	72.75	32.16	117.10	98.04	101.70	2.69
10.	कर्नाटक	441.08	418.29	718.01	651.30	513.65	479.67	514.02	64.89
11.	केरल	138.63	134.54	113.47	120.43	97.10	101.70	109.01	8.74
12.	मध्य प्रदेश	643.77	709.65	766.00	847.24	1015.23	1075.25	958.16	121.67
13.	महाराष्ट्र	838.77	823.53	1378.77	1188.50	1119.13	1100.73	974.58	94.89
14.	मणिपुर	9.84	5.23	14.84	6.68	5.78	7.16	5.78	1.43
15.	मेघालय	11.61	8.90	16.89	9.55	7.82	8.50	7.88	0.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मिजोरम	4.37	4.78	5.24	6.32	4.08	5.72	4.15	0.06
17.	नागालैंड	20.74	15.47	14.74	16.02	11.51	8.47	11.82	0.00
18.	उड़ीसा	306.62	326.39	557.70	522.96	676.65	604.51	671.79	90.69
19.	पंजाब	24.67	31.79	29.93	38.57	25.39	24.36	28.25	0.00
20.	राजस्थान	340.62	326.39	557.70	522.96	676.65	604.51	671.79	59.37
21.	सिक्किम	6.66	13.42	8.19	10.14	6.19	7.05	5.38	0.48
22.	तमिलनाडु	671.94	767.86	853.62	881.10	815.47	1027.66	876.61	116.93
23.	त्रिपुरा	18.10	13.94	22.04	23.41	13.19	29.02	12.94	3.04
24.	उत्तर प्रदेश	1389.00	1496.29	1779.57	1791.16	1298.55	1395.94	1371.35	80.96
25.	पश्चिम बंगाल	557.24	525.55	563.81	554.03	613.39	580.82	455.79	74.38
26.	अण्डमान व निको.	4.47	1.71	3.27	1.81	2.46	2.59	2.26	0.13
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	3.53	2.70	2.73	2.34	2.29	2.07	2.36	0.16
29.	दमन व द्वीव	1.53	0.12	1.63	0.59	1.48	0.55	1.55	0.29
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	2.55	2.68	2.62	2.21	1.38	1.91	1.45	0.12
32.	पांडिचेरी	3.32	3.81	5.16	4.27	3.08	4.72	3.16	0.73
	कुल:	**7537.75**	**7821.02**	**10383.26**	**10258.49**	**9865.45**	**9517.07**	**9054.75**	**1064.51**

(हिन्दी)

नि:शुल्क कानूनी सहायता

1539. डा. लाल बहादुर रावल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नि:शुल्क कानूनी सहायता के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है;

(ग) क्या यह योजना सफलतापूर्वक कार्य कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य-वार दिया गया अनुदान, संलग्न विवरण में अंतर्विष्ट है।

(ख) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान नि.शुल्क विधिक सहायता से लगभग 22.43 लाख व्यक्तियों को फायदा प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य-वार मंजूर सहायता अनुदान की रकम दर्शित करने वाला विवरण)

क्रम सं.	राज्य का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान मंजूर अनुदान की रकम		
		1992-93 रू.	1993-94 रू.	1994-95 रू.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	1,16,000	2,70,000	55,000
2.	असम	25,000	1,10,000	1,10,000
3.	बिहार	60,000	70,000	5,000
4.	गुजरात	1,75,136	1,25,000	1,00,000
5.	हरियाणा	1,65,000	5,000	1,75,000
6.	हिमाचल प्रदेश	1,00,000	-	50,000
7.	जम्मू व कश्मीर	-	-	10,000
8.	कर्नाटक	2,70,000	2,50,000	2,00,000
9.	केरल	1,10,000	10,000	1,10,000
10.	मध्य प्रदेश	2,20,000	1,00,000	1,15,000
11.	महाराष्ट्र	1,45,000	5,000	--
12.	मणिपुर	10,000	10,000	--
13.	उड़ीसा	3,27,000	2,60,000	1,00,000
14.	पंजाब	25,000	75,000	50,000
15.	राजस्थान	-	15,000	15,000
16.	तमिलनाडु	4,15,000	4,10,000	6,10,000
17.	उत्तर प्रदेश	25,000	1,70,000	2,55,000
18.	पश्चिमी बंगाल	96,000	60,000	30,000
19.	दिल्ली	9,74,500	9,55,000	8,95,000

कैंसर केन्द्र

1540. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में कार्यरत कैंसर केन्द्रों में मात्र बीस प्रतिशत ही कैंसर रोगियों की देखभाल की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के शेष कैंसर रोगियों की चिकित्सा के लिए जिला केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य शिक्षा, रोगी का शुरू में पता लगाने और पीड़ा राहत उपायों संबंधी जिला परियोजनाओं की एक स्कीम है। स्कीम के अधीन संबंधित क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों अथवा शीर्ष संस्थाओं द्वारा उपचार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में आन्कोलॉजी स्कन्धों के विकास की एक स्कीम देश में कैंसर उपचार सुविधाओं की उपलब्धता में भौगोलिक अन्तर को समाप्त करने हेतु शुरू की गई है। कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की खरीद हेतु सरकारी/धर्मार्थ संस्थाओं को भी सहायता दी जाती है।

(अनुवाद)

सैन्य छावनी का फालतू भूमि-क्षेत्र

1541. श्री येल्लैया नंदी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सैन्य छावनियों की वर्तमान राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रत्येक सैन्य छावनी का फालतू भूमि क्षेत्र खाली पड़ा है और इसका उपयोग रक्षा कार्यों में नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक सैन्य छावनी में ऐसी भूमि का एकड़-वार ब्यौरा क्या है जो रक्षा प्रयोजनों हेतु उपयोगी नहीं है;

(घ) आंध्र प्रदेश में सिंकदराबाद सैन्य छावनी में इस समय फालतू पड़ी भूमि का एकड़-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस भूमि का आबंटन सहकारी समितियों, कमजोर वर्गों आदि को करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क) देश में कुल 62 छावनियाँ है। इनकी राज्यवार ब्यौरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(ख) से (घ) सिकन्दराबाद छावनी सहित सभी छावनियों में कोई भी जमीन रक्षा संबंधी आवश्यकताओं से अधिक नहीं है। खाली पड़ी हुई जमीनों को, धनराशि की उपलब्धताके आधार पर, प्रशिक्षण अथवा निर्माण कार्य के लिए चिन्हित किया गया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

छावनियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	छावनी का नाम
	उत्तर प्रदेश	
1.	''	आगरा
2.	''	अल्मोड़ा
3.	''	इलाहाबाद
4.	''	बबीना
5.	''	चकराता
6.	''	क्लेमेंट टाउन
7.	''	देहरादून
8.	''	फैजाबाद
9.	''	फतेहगढ़
10.	''	झांसी
11.	''	कानपुर
12.	''	लंढौर
13.	''	लैंसडाउन
14.	''	लखनऊ
15.	''	मथुरा
16.	''	मेरठ
17.	''	नैनीताल
18.	''	रानीखेत
19.	''	रूड़की
20.	''	शाहजहाँपुर
21.	''	वाराणसी
22.	''	बरेली
	मध्य प्रदेश	
23.	''	महू
24.	''	मोरार
25.	''	सागर
26.	''	पंचमढ़ी
27.	बिहार	जबलपुर
28.	''	दानापुर
29.	महाराष्ट्र	राम गढ़
30.	''	अहमदनगर
31.	''	औरंगाबाद
32.	''	देहू रोड़
33.	''	देवलाली
34.	महाराष्ट्र	काम्पटी
35.	''	किरकी

36.	"	पुणे
37.	कर्नाटक	बेलगांव
38.	आंध्रप्रदेश	सिकन्दराबाद
39.	राजस्थान	अजमेर
40.	"	नसीराबाद
41.	तमिलनाडु	सेंट थॉम्स माउंट
42.	"	वेलिंगटन
43.	केरल	कण्णानूर
44.	गुजरात	अहमदाबाद
45.	पंजाब	अमृतसर
46.	"	जालंधर
47.	"	फिरोजपुर
48.	हरियाणा	अम्बाला
49.	दिल्ली	दिल्ली
50.	हिमाचल प्रदेश	डगसाई
51.	"	जतोग
52.	"	कसौली
53.	"	सुबाथु
54.	"	खस्योल
55.	"	डलहौजी
56.	"	बकलोह
57.	जम्मू-कश्मीर	बादामी बाग
58.	"	जम्मू
59.	मेघालय	शिलाँग
60.	पश्चिम बंगाल	लेबांग
61.	"	बैरकपुर
62.	"	जलापहाड़

भारत-रूस संयुक्त उद्यम

1542. श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच रंगों, टिटेनियम, वस्त्रों के उत्पादन तथा होटलों की स्थापना सहित नये क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने के लिये कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) रूस के उप-प्रधानमंत्री की हाल ही में हुई यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम लगाने के लिए कई नये क्षेत्रों का पता लगाया गया है। इनमें पोलीस्टर, होटल, बन्दरगाह, टिटानियम के लिए डाइआक्साइड इत्यादि शामिल हैं।

(ख) इस समय भारत की अनेक निजी फर्मों और रूसी वर्गों के बीच प्रारंभिक बातचीत चल रही है।

(हिन्दी)

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड

1543. श्री एन.जे. राठवा:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा गुजरात और अन्य राज्यों में परती भूमि के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गई है;

(ख) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के पास कितनी परियोजनाएं भेजी है;

(ग) इनमें से अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति न दिए जाने के प्रस्ताव-वार क्या कारण हैं, और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): (क) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड ने गुजरात राज्य सहित देश में गैर वनीय बंजरभूमि के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं:

(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना

(2) अनुदान सहायता योजना

(3) निवेश संवर्धन योजना

(4) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना

(ख) बंजरभूमि विकास विभाग के कार्यान्वयन के अन्तर्गत योजनाओं का विभिन्न एजेंसियों द्वारा संवध्रन किया जारहा है जिनका नीचे उल्लेख किया गया है:

(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती हैं और इनको राज्य सरकारों की मार्फत अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। अभी तक 201 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से 31.3.1995 तक 128 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। लंबित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(2) अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती हैं और इनको वित्त पोषण हेतु बोर्ड को सीधे ही भेजा जाता है न कि राज्य सरकारों की मार्फत।

(3) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को संवर्धन एजेंसियों द्वारा बोर्ड को भेजा जाता है न कि राज्य सरकारों की मार्फत।

(4) निवेश संवर्धन योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का वित्त पोषण हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात् संवर्धन कर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) 31.3.1995 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देश में अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है:

योजना का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या
1. समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	128
2. अनुदान सहायता	181
3. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण	53
4. निवेश संवर्धन योजना	1

(घ) लंबित पड़े रहने के परियोजना-वार कारणों सहित समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना के अन्तर्गत लंबित परियोजनाओं की सूची अनुबंध में दी गई है। सामान्य रूप से कारण ये हैं:

(1) 31.3.1995 से पूर्व अनुमोदित समेकित बंजरभूमि विकाय परियोजना योजना के चलने हेतु 1995-96 के लिए निधियों की कुल आवश्यकता 128.35 करोड़ रूपये की है। समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना के अन्तर्गत 1995-96 के लिए बजट प्रावधान 49.50 करोड़ रूपये है। यदि चल रही सभी परियोजनाओं को अनुमोदनानुसार वित्त पोषण की आवश्यकता पड़ेगी, तो नए प्रस्तावों का वित्त पोषित करना संभव न हीं होगा।

(2) निधियों की कमियों के कारण यह नीतिगत निर्णय लिया गया था कि सामान्यत: समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना के अन्तर्गत जिले में केवल एक परियोजना अनुमोदित की जाएगी ताकि समेलित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना का देश के समग्र कृषि जलवायु क्षेत्रों में विस्तार हो सके।

(3) वाटरशेड विकास हेतु सामान्य मार्गदर्शिकाओं के अनुसार 1.4.1995 से समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। सभी लंबित परियोजनाओं को तत्कालीन समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना मार्गदर्शिकाओं के अनुसार तैयार किया गया है। इसलिए राज्य सरकारें/जिला प्राधिकारियों को वाटरशेड विकास के लिए सामान्य मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप नई परियोजनाएं भेजने की आवश्यकता होगी।

(ङ) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित कारणों तथा विशेष रूप से निधियों की कमी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा सभी लंबित प्रस्तावों का किसी निर्धारित समय सीमा तक अनुमोदित कर पाना संभव नहीं होगा।

विवरण

क्रमांक	परियोजना का नाम	लंबित पड़े रहने के कारण
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	विजयानगरम में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (परियोजना-2)	दूसरी परियोजना
2.	विशाखापट्टनम में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (परियोजना-2)	दूसरी परियोजना
3.	विशाखापट्टनम में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (परियोजना-3)	तीसरी परियोजना

1	2	3
4.	विशाखापट्टनम में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (परियोजना-4)	चाथी परियोजना
5.	कुरनूल में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं की गई।
	असम	
6.	करबी-अंगलॉग में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (10 परियोजनाएं)	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
7.	कछार में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
	बिहार	
8.	दरभंगा में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
9.	सासाराम में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	31.3.1995 के बाद प्राप्त हुई।
10.	समस्तीपुर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
11.	कोसी क्षेत्र में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
12.	मुजफ्फरपुर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	31.3.1995 के बाद प्राप्त हुई।
	गुजरात	
13.	भावनगर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
14.	पंचमहल में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (परियोजना-2)	दूसरी परियोजना
15.	जूनागढ़ में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं हुई है।
16.	भड़ौच में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	अनुमोदित, लेकिन निधियों की कमी के कारण मंजूरी आदेश जारी नहीं किया गया।
17.	खेडा में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं हुई है।
	हरियाणा	
18.	रोहतक में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं हुई है।
	हिमाचल प्रदेश	
19.	उना में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
	कर्नाटक	
20.	दक्षिण कन्नड़ में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं की गई।
21.	काजू के पेड़ लगाना	अनुमोदित, लेकिन निधियों की कमी के कारण मंजूरी आदेश जारी नहीं किया गया।

1	2	3
	केरल	
22.	इड्डुकी में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
	मध्य प्रदेश	
23.	बालघाट में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	अनुमोदित, लेकिन निधियों की कमी के कारण मंजूरी आदेश जारी नहीं किया गया।
24.	राजनांदगांव में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
25.	शाजापुर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	31.3.1995 के बाद प्राप्त हुई।
	महाराष्ट्र	
26.	डिगी कैम्प, पुणे जिला	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
27.	पूना जिले में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	अनुमोदित, लेकिन निधियों की कमी के कारण मंजूरी आदेश जारी नहीं किया गया।
	नागालैंड	
28.	फेक (परियोजना-2) में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	दूसरी परियोजना
29.	जुनोबुट्टों में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	अनुमोदित, लेकिन निधियों की कमी के कारण मंजूरी आदेश जारी नहीं किया गया।
30.	मोकोचुंग में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
31.	वोखा में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	31.3.1995 के बाद प्राप्त हुई।
	उड़ीसा	
32.	रायगढ़ में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
33.	कोरापुट के दसामंथापुर खंड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	दूसरी परियोजना
34.	कोरापुट के पीट्टांगी खंड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	तीसरी परियोजना
35.	कोरापुट के नंदापुर खंड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	चौथी परियोजना
36.	कोरापुट के कोटषद खंड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	पांचवी परियोजना
37.	कोरापुट के जेयपोर खंड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	छठी परियोजना
38.	कोरापुट के बंधुगांव खंड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	सातवीं परियोजना

1	2	3
39.	कोरापुट के सैमलिगुडा खंड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	आठवीं परियोजना
40.	पुरी में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
41.	ढेनकनाल में हिंडोल खंड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	दूसरी परियोजना
42.	ढेनकनाल में गोंडिया खंड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	तीसरी परियोजना
	पंजाब	
43.	होशियारपुर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
44.	मंसा में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं हुई है।
45.	गुरदासपुर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं की गई।
	राजस्थान	
46.	सवाई माधोपुर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
47.	जैसलमेर जिले में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
48.	सवाई माधोपुर के गोथरा तहसील में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
49.	पाली जिले के सेंदरा वाटरशेड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	दूसरी परियोजना
50.	अजमेर जिले के बेवर तहसील में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	दूसरी परियोजना
51.	राजसमंद जिले के अमेद और भीम तहसीलों में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	दूसरी परियोजना
52.	राजसमंद जिले के राजसमंद और कुमवैदगढ़ तहसीलों में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
53.	बूंदी में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	31.3.1995 के बाद प्राप्त हुई।
	सिक्किम	
54.	पूर्वी सिक्किम के पेकोंग उप मंडल में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	दूसरी परियोजना
55.	उत्तरी सिक्किम के चोपता लस्सार में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	दूसरी परियोजना
56.	पश्चिम सिक्किम के रूंगडुंग और रानी खोला वोटरशेड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (परियोजना-1)	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3
57.	पश्चिम सिक्किम के रिंगयांग और रंगबंग वाटरशेड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (परियोजना-2)	31.3.1995 के बाद प्राप्त हुई।
58.	पश्चिम सिक्किम के रिम्बी-चू वाटरशेड में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (परियोजना-3)	31.3.1995 के बाद प्राप्त हुई।
	तमिलनाडु	
59.	मदुरई में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
60.	विल्लापुरा रामासामी पदयाचार में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
61.	डिंडीगुल अन्ना में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं हुई है।
62.	चेंगलपट्टू एम.जी.आर. में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं हुई है।
63.	कामराजर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं हुई है।
64.	पिथौरागढ़ में सेभा क्षेत्र में बंजरभूमि के विकास के लिए समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।
65.	हरदोई में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं की गई।
66.	आगरा में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं "
67.	इटावा में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं "
68.	बुलंदशहर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं "
69.	गाजियाबाद में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं "
70.	सीतापुर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं "
71.	सुल्तानपुर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं "
72.	फतेहपुर में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं "
73.	मुरादाबाद में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	निधियों की कमी के कारण तैयार नहीं "

टिप्पणी :

1. विभाग में यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि सामान्यत: निधियों की कमी के कारण एक जिले के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी जाएगी।

2. 31.3.1995 के पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं को निधियों की कमी के कारण संस्वीकृत नहीं किया जा सका।

3. 1.4.1995 से वाटरशेड विकास हेतु सामान्य मार्गदर्शिकाओं के अनुसार समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना को कार्यान्वित किया जाना है। अत: 31.3.1995 के बाद प्राप्त परियोजनाएं तैयार नहीं की गई हैं क्योंकि इन परियोजनाओं को तत्कालीन मार्गदर्शिकाओं के अनुसार तैयार किया गया है जो अब ग्रहण नहीं है।

4. राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ परियोजना पर चर्चा की गई तथा सूचित की गई कमियों को लंबित रखना पड़ा क्योंकि संशोधित परियोजनाएं प्राप्त नहीं हुई थीं।

(अनुवाद)

1544. डा. के.वी.आर. चौधरी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार):

(क) और (ख) सरकार देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और प्रयोग हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य को भी शामिल किया गया है। मुख्य कार्यक्रमों में बायोगैस, उन्नत चूल्हा, एकीकृत, ग्रामीण ऊर्जा योजना, सौर तापीय, सौर प्रकाशवोल्टीय, पवन ऊर्जा, लघु पनबिजली और ऊर्जाग्राम शामिल है।

आंध्र प्रदेश राज्य में उपरोक्त क्षेत्रों में संचयी उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की संचयी उपलब्धियों की स्थिति

क्र. सं.	कार्यक्रम	यूनिट	आरंभ से लेकर जून, 95 तक
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	लाख संख्या	1.74
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	81
3.	उन्नत चूल्हा	लाख संख्या	16.01
4.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	ब्लॉक	30
5.	सौर तापीय प्रणालियों	वर्गमीटर क्षेत्र में	
	(क) जल तापीय प्रणालियां		6806
	(ख) विलवणीकरण प्रणालियां		486
	(ग) सोलर कुकर		8025
6.	सौर प्रकाशवोल्टरीय		
	क प्रकाशवोल्टीय विद्युत यूनिट	संख्या	2
	ख प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी/टी.वी. और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	4
	ग प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां	संख्या	165
	घ प्रकाशवोल्टीय लालटेन	संख्या	1700
	ङ प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी	संख्या	2898
	च प्रकाशवोल्टीय पम्प और सिंचाई पम्प	संख्या	172
8.	पवन फार्म (स्थापित की गई क्षमता)	मेवा.	3.05
9.	मिनी-मैक्रोहाइड्रो (स्थापित की गई क्षमता)	मेवा.	6.01 (6 संख्या)
10.	ऊर्जाग्राम परियोजनाएं	संख्या	4
11.	बायोमास स्टैंडलएलोन गैसीफयर	मेवा.	3.3
12.	बैटरी चालित वाहन	संख्या	5

महाराष्ट्र में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा

1545. श्री अन्ना जोशी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का आयोजन करने हेतु केन्द्र खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परीक्षा केन्द्र कब तक खोल दिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीस कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा):

(क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग के पास महाराष्ट्र राज्य में अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए पहले में ही दो नियमित केन्द्र बम्बई तथा नागपुर हैं। औरंगाबाद भी सिविल सेवाएं (प्रारम्भिक) परीक्षा आयोजित करने के लिए एक केन्द्र है। फिलहाल महाराष्ट्र में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कोई नया परीक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव/अभ्यावेदन विचाराधीन नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के एककों को अर्थक्षम बनाना

1546. श्री जार्ज फर्नान्डीज:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों को अर्थक्षण बनाने के सम्बन्ध में, कोई विशिष्ट नीति तैयार करने के बारे में नये सिरे से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस नीति को मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का नवीकरण सरकार के लिए परम चिंता का विषय है। सरकारी उपक्रमों के नवीकरण हेतु रणनीतियों का निर्माण सतत एवं उद्यम-सापेक्ष प्रक्रिया है। जून, 1991 में सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषण की जिसमें रूग्ण सरकारी उपक्रमों के नवीकरण संबंधी नीति का भी समावेश है। इस नीति के तहत अब तक सरकारी क्षेत्र के 54 रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा जा चुका है। गैर-औद्योगिक सरकारी उपक्रमों के नवीकरण का प्रस्ताव सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, नवीकरण पैकेज तथा घाटा उठाने वाले सरकारी उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए विशेष त्रिपक्षीय समिति तथा मंत्रियों के एक समूह का भी गठन किया गया है।

जम्मू और कश्मीर में विस्फोटक पदार्थों का पकड़ा जाना

1547. श्री श्रवण कुमार पटेल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में हाल ही में बड़ी मात्रा में हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ पकड़े गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिविशिष्ट व्यक्तियों एवं राजनीतिक नेताओं की हत्या के षड्यंत्र का भी भंडाफोड़ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

पहली जनवरी, 1995 से 31 जुलाई, 1995 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर में उग्रवादियों से बरामद किए गए हथियारों और गोला बारूद के ब्यौरे निम्न प्रकार है:

राकेट प्रक्षेपक	16
मशीनगन	57
ए.के. श्रेणी की राईफलें	1212
स्नाईपर राईफलें	23
पिस्तौल/रिवाल्वर	546
पिस्तौल/रिवाल्वर की गोली बारूद (मिश्रित)	234265
हथगोले	1576
राकेट	89
राकेट बूस्टर	7
बारूदी सुरंगे	392
बंदूकें	182
विस्फोटक (कि.ग्राम)	876 कि.ग्रा.
बंदूकें	+ 63 छड़ें + 1 डिवाइस + 3 थैले + 2 पैकिट + 10 ट्यूब
बम	73
ग्रेनेड लांचर्स	18
मोर्टर	6
बाकी टाकी सैट्स	153

(ग) और (घ) लोगों में डर फैलाने तथा राज्य में राजनैतिक प्रक्रिया को पिष्फल करने के उद्देश्य से उग्रवादियों की ओर से संभावित धमकियों और जम्मू व कश्मीर के अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा प्रमुख राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की रिपोर्ट हैं। सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और राज्य प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी धमकियों के संबंध में सुग्राही बनाया गया है। राजनीतिक नेताओं तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए किए गए संबंधों की गहन और नियमित समीक्षा तथा प्रबोधन किया जाता है।

(हिन्दी)

कनाडा द्वारा भारत में निवेश

1548. श्री रामपाल सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने भारत में निवेश का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो कनाडा का किन क्षेत्रों में निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में भारत और कनाडा के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) कनाडा सरकार द्वारा भारत में निवेश करने संबंधी ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। फिर भी उन्होंने इस संबंध में निजी क्षेत्र संबंधी कनाडियन प्रयासों को सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में कदम उठाए हैं। और भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की है।

(ख) कनाडा सरकार ने कनाडियन व्यापार के लिए निम्नलिखित लाभकारी क्षेत्रों का पता लगाया है :-

- ऊर्जा, जिसमें तेल, गैस और विद्युत शामिल है।
- दूर संचार, और
- पर्यावरण सबंधी उत्पाद और सेवाएं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(अनुवाद)

जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों का अपहरण

1549. श्री डी. वेंकटेश्वर राव:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:
श्री चेतन पी.एस. चौहान:
डा. रमेश चंद तोमर:
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल:
श्री साइमन मरान्डी:
श्री गुरुदास कामत:
श्री जीवन शर्मा:
कुमारी सुशीला तिरिया:
श्री बलराज पासी:
श्री रामपाल सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में अब तक जम्मू और कश्मीर में अपहरण की कितनी घटनाएं घटी है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने कश्मीरी उग्रवादी, भाड़े के विदेशी सैनिक और नागरिक मारे गये;

(ग) उग्रवादियों द्वारा कितने पर्यटक मारे गए, कितने पर्यटक बंचकर निकले और कितने पर्यटकों को छोड़ा गया;

(घ) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में सेना को आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी नीति तैयार करने की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा राज्य में आतंकवाद पर काबू पाने हेतु समय-समय पर कोई समीक्षा की जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) वर्ष 1994 और 1995 में 31 जुलाई तक के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में 661 व्यक्तियों का अपहरण किया गया है।

(ख) इस अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में 2402 उग्रवादी मारे गए जिनमें से 157 भाड़े के विदेशी सैनिक थे। आतंकवादी हिंसा की वारदातों में इस अवधि के दौरान 1747 सिविलियन मारे गए।

(ग) इस अवधि में जम्मू एवं कश्मीर में 8 (विदेशी) पर्यटकों का अपहरण किया गया जिनमें से 2 को रिहा कर दिया गया, 1 पर्यटक उग्रवादियों की हिरासत से बचकर निकल आया और 5 पर्यटक अभी भी उग्रवादियों के कब्जे में है।

(घ) और (ङ) बड़े पैमाने पर वहां फैलाई जा रही आतंकवादी हिंसा से निपटने में राज्य सरकार की मदद के लिए ओर सीमाओं की संरक्षा के लिए राज्य में सेना की तैनाती की जाती है। आतंकवादी विरोधी आपरेशन, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस के साथ-साथ राज्यपाल और संबंधित सलाहकार के समग्र समन्वयन के अधीन चलाए जा रहे है।

(च) और (छ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंसा और आतंकवादियों के क्रियाकलापों पर प्रभावी ढ़ग से काबू पाया जाए, राज्य की सुरक्षा संबंधी स्थिति के सभी पहलुओं की नियमित समीक्षा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के स्तर पर की जा रही है।

(हिन्दी)

सैनिटरी टावेल्स

1550 **श्री गुमान मल लोढा:**

श्री नवल किशोर राय:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सैनिटरी टावेल के निर्माण के लिए कुछ प्रमुख औद्योगिक कंपनियों को लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कम्पनियों कौन-कौन सी हैं और प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है,

(ग) क्या सैनिटरी टावेल का निर्माण देश के लघु उद्योगों की सूची में आता है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रमुख औद्योगिक कंपनियों में से अधिकतर कंपनियां लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए समझौतों का उल्लंघन कर इनके निर्माण कार्य में लगी हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इन औद्योगिक कंपनियों के सदस्य कौन-कौन हैं और इन कंपनियों ने समझौते की किन-किन शर्तों का उल्लंघन किया है, और

(च) देश के लघु उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) और (ख) सूचना निम्नप्रकार है :-

(1) मैसर्स जानसन एंड जानसन इंडियां एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को आरक्षण से पहले प्रतिवर्ष 6 मिलियन सैनिटरी प्रोटक्शन उत्पादों तथा सैनिटरी पैडों के विनिर्माण की अनुमति दी गई थी।

(2) मैसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल इंडिया लिमिटेड की वर्ष 1992 में 75 प्रतिशत के निर्यात दायित्व सहित प्रतिवर्ष 10 करोड़ की पोलीथिलीन नैटिंग सैनिटरी पैडों के लिए एक आशय-पत्र प्रदान किया गया था।

(3) मैसर्स एम.आर.एस. हाईजीन प्रोडक्टस लिमिटेड को वर्ष 1991 में 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व सहित प्रतिवर्ष 144 मिलियन सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन करने के लिए एक आशय-पत्र प्रदान किया गया था।

(ग) जी, हां। सैनिटरी टावेल्स के विनिर्माण देश के लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है।

(घ) औद्योगिक लाइसेंसों में दर्शाई गई कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस वाली वस्तुओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाते हैं। अभी तक औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों के ऐसे किसी उल्लंघन की जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(अनुवाद)

चीन द्वारा प्रक्षेपास्त्र परीक्षण

1551. **श्री हरि किशोर सिंह:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हाल ही में डी.एफ.-31 अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क) और (ख) ऐसा समाचार है कि चीन ने 30 मई, 1995 को डौंग फ्रैंग (डी एफ)-31 अन्तर-महाद्वीपीय बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र पर नकली युद्धशीर्ष लगांकर "पुन प्रवेश वाहन" का प्रक्षेपण परीक्षण किया है। इस प्रक्षेपास्त्र का झिंगजियांग प्रान्त में सम्भवत: 2000 कि.मी. से भी अधिक की दूरी के लिए परीक्षण किया गया था। ज्ञात हुआ है कि डी एफ-31 प्रक्षेपास्त्र में ठोस ईंधन के उपयोग वाला सचल अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र है जिसकी रेंज लगभग 750 कि.ग्रा. पेलोड सहित 8000 कि.मी. तक है और यह आणविक और पारम्परिक दोनों ही प्रकार के युद्धशीर्ष वहन करने की क्षमता रखता है।

(ग) चीन द्वारा डी एफ-31 अन्तरमहाद्वीपीय बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र का विकास कर लिए जाने से चीन की ओर से हमारी सुरक्षा को होने वाले खतरे के मौजूदा स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि चीन के पास पहले ही ऐसे प्रक्षेपास्त्र मौजूद हैं जो पूरे भारतीय उप महाद्वीप पर प्रहार कर सकते हैं। सरकार ऐसी सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है और देश के सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए समुचित उपाय करती है।

(हिन्दी)

सौर ऊर्जा

1552. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत जल निकालने हेतु सौर फोटोवाल्टिक प्रौद्योगिकी के आधार पर सौर लालटैन की आपूर्ति करने तथा नलकूप लगाने हेतु कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान पूरे देश में तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने नलकूप तथा सौर लालटेन उपलब्ध कराए गए; और

(ग) इस पर कितना खर्च हुआ तथा आगामी वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार):

(क) सौर लालटेन तथा जल पंपन प्रणालियां पहले से ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) पिछले दो वर्षों (1993-94 और 1994-95) के दौरान देश में 605 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियों स्थापित की गई और 36,121 सौर लालटेन लाभार्थियों को वितरित किए गए। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में पांच सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां स्थापित की गई और 7945 सौर लालटेन लाभार्थियों को वितरित किए गए।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इन परियोजनाओं के लिए लगभग 279 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। 10,000 सौर लालटेनों के संवितरण के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान मंजूर किए गए कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस समय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ष 1995-96 के कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के लिए 5300 सौर लालटेनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणलियां की स्थापना के लिए राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(अनुवाद)

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद

1553. श्री सैयद शहाबुद्दीन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान उग्रवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच कितनी सशस्त्र मुठभेड़ें हुई;

(ख) इन मुठभेडों में कितने उग्रवादी, सुरक्षाकर्मी तथा नागरिक मारे गये;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान कितने उग्रवादियों को नजरबंद किया गया तथा। अप्रैल, 1994 और 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार नजरबंद उग्रवादियों की कुल संख्या कितनी थी;

(घ) 1 अप्रैल, 1994 और 1 अप्रैल, 1995 तक कितने उग्रवादियों के विरूद्ध मुकद्दमे चलाये गये;

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौराम विद्रोह में कितने मकान तथा सरकारी इमारतें नष्ट हुई; और

(च) वर्ष 1994-95 के दौरान विद्रोह तथा विद्रोह रोधी कार्यवाहियों में प्रभावित हुए लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में न्यूरोलॉजीकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना

1554. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यूरोलॉजीकल, न्यूरोसर्जीकल और मनोविकार संबंधी रोग के उपचार हेतु बंगलौर नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ तथा न्यूरो साइंस, दिल्ली की तरह का एक इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इन्स्टीट्यूट की स्थापना पर अनुमानत: कितना खर्च आएगा और इसकी विद्युत पोषण संबंधी योजना क्या है;

(घ) क्या इस इन्स्टीट्यूट को चलाने के लिए आधारभूत सुविधाएं और प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो यह इन्स्टीट्यूट कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) से (ग) मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान पहले ही दिल्ली में स्थापित किया जा चुका है। कुछ विभागों ने पहले ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के आदेशनुसार संस्थान के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ रूपए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 20 करोड़ रूपए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) यह परियोजना चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जाएगी।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा

1555. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद

श्री जी. देवराय नायक

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1995 के "स्टेट्समैन" में "पापुलेशन कंट्रोल प्लान रिव्यूड" शीर्षक से प्रकाशित प्रेस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व शुरू किये गये जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की कभी पुनरीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम राज्य सरकारों के जरिए क्रियान्वित किया जाता है। राज्य परिवार कल्याण सचिवों के साथ इस कार्यक्रम की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के संबंध में कार्यक्रम की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव द्वारा भी की जाती है।

(घ) एक परिणामोन्मुख कार्य योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से तैयार की गई है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

(हिन्दी)

दियासलाई और कागज उद्योग

1556. श्री प्रेम चन्द राम:

श्री सूर्य नारायण यादव:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में दियासलाई और कागज उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) से (ग) नयी औद्योगिक नीति के तहत दियासलाई उद्योग और कागज उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। दियासलाई उद्योग लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है और उद्यमी एककों की स्थापना करने व लघु क्षेत्र के लाभों को स्वयं पाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि कोई संगठित क्षेत्र की इकाई की स्थापना दियासलाई के विनिर्माण के लिए की जाती है तो उसके लिए अपने उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत नियति करना आवश्यक होगा। जहां तक कागज उद्योग का संबंध है, कम से कम 75 प्रतिशत अपंपरागत कच्ची सामग्री से बनी लुगदी पर आधारित कागज एकक अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट प्राप्त हैं बशर्ते कि वे नयी औद्योगिक नीति के तहत स्थापना स्थल संबंधी नीति की शर्तों को पूरा करते हों। ऐसे उद्यमियों को औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (एस.आई.ए.) में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करने होते हैं। तथापि, सरकार काष्ठ पर आधारित कागज उद्योग को बढ़ावा नहीं दे रही है ताकि हमारे वन क्षेत्रों का संरक्षण किया जा सके। यदि कोई उद्यमी काष्ठ आधारित कागज उद्योग की स्थापना करना चाहता है तो उसे औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिए आवेदन देना होगा जिस पर वर्तमान नीति के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का बिहार में अपना कोई कागज तथा दिया-सलाई उद्योग की स्थापना करने का विचार नहीं है।

(अनुवाद)

सौर ऊर्जा

1557. श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में सौर ऊर्जा पर आधारित कितने विद्युत संयंत्रों को लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन संयंत्रों को किन-किन राज्यों में लगाया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार):

(क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उसके प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है। राज्यवार भी कोई लक्ष्य नहीं है।

अब तक देश में कुल 144 छोटे सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में 47 संयंत्र स्थापना के अधीन हैं। ऐसे संयंत्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। राजस्थान के जोधपुर जिले में 35 मेवा का एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र अलग से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित किए गए	कार्यान्वयन के अंतर्गत
1.	आंध्र प्रदेश	2	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	-

3.	असम	1	-
4.	गोवा	2	-
5.	गुजरात	3	-
6.	हरियाणा	5	-
7.	कर्नाटक	-	5
8.	केरल	4	-
9.	मध्य प्रदेश	2	2
10.	महाराष्ट्र	3	-
11.	मणिपुर	5	-
12.	मेघालय	11	-
13.	नागालैंड	1	-
14.	उड़ीसा	5	-
15.	पंजाब	2	-
16.	राजस्थान	11	11
17.	तमिलनाडु	3	1
18.	त्रिपुरा	9	-
19.	उत्तर प्रदेश	45	20
20.	पश्चिम बंगाल	3	1
21.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	22	-
22.	दिल्ली	1	-
23.	लक्षद्वीप	1	2
	जोड़	144	47

प्रौद्योगिकी का आयात

1558. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान संदर्भ में जब प्रौद्योगिकी के मुक्त रूप से आयात की अनुमति प्रदान की गई है ऐसे में बड़े प्रतिष्ठानों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों की प्रासंगिकता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक सरकारी संगठन और संस्थान की उपयोगिता का आकलन करने हेतु विशेष लेखा परीक्षा कराने का है;

(ग) सरकार का विचार अलाभकारी अनुसंधान संस्थानों को किस प्रकार से बंद करने का है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) उदारीकृत आर्थिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक नीति प्रणाली में हमारे उद्योग को घरेलू तथा विश्वव्यापी दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करना है। अनुसंधान एवं विकास स्थापनाओं, प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों का लक्ष्य आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए उद्योग को अपेक्षित तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करना है और इस प्रकार वर्तमान संदर्भ में इनकी और भी अधिक प्रासंगिकता है।

(ख) और (ग) सरकारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा संस्थानों की कार्य-निष्पादकता तथा उपयोगिता के मूल्यांकन और अनुवीक्षण के लिए अनेक क्रियाविधि पहले से ही विद्यमान हैं। उनके कार्य-निष्पादन में होने वाली किसी भी प्रकार की कमी को यथोचित उपचारात्मक उपायों द्वारा ठीक किया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधीय जड़ी-बूटियां

1559 श्री रमेश चेन्नित्तला:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्राचीन आयुर्वेदिक किताबों में उल्लिखित दुर्लभ तथा बहुमूल्य औषधीय जड़ी-बूटियां को खोजने तथा पहचान करने का प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) जड़ी-बूटियों से बनाई गई औषधियों के संबंध में किए गए शोध का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) और (ख) जी, हां। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा सर्वेक्षण किए गए हैं। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक संगठन है, ने विभिन्न राज्यों में 350 वन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है और लगभग 1,20,000 वानस्पतिक नमूने एकत्र किए हैं जो अब 1600 कच्ची औषध नमूनों के साथ विभिन्न वनस्पति संग्रहालयों में भंडारित किए गए हैं जिन का आयुर्वेद ग्रंथों में उल्लेख है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद छह औषध अभिज्ञान अनुसंधान यूनिटों का रख रखाव कर रही है जिसका मुख्य उद्देश्य एकल औषधों के मानक तैयार करना है। 150 से अधिक औषधीय पादपों पर भेषज अभिज्ञानी अध्ययन किया गया है। परिषद ने अपनी छह यूनिटों के जरिए रासायनिक अनुसंधान का कार्य शुरू किया है जिसका उद्देश्य औषधीय जड़ी बूटियों के विभिन्न योगों अथवा सक्रिय अवयवों का अध्ययन करना है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और केन्द्रीय औषध और सुंगधित पादप संस्थान, लखनऊ भी आयुर्वेदिक औषधीय पादपों से निकाली गई औषधों पर अध्ययन कर रही हैं।

तारापुर संयंत्र में रिसाव

1560. श्री राम नाईक:

श्री राजेश कुमार:

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र में रिसाव और इससे आस-पास के गाँवों जैसे घिवाली में प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियों के संबंध में कोई श्वेत-पत्र जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) तारापुर परमाणु बिजलीघर से कोई रिसाव नहीं हुआ है। तथापि, सरकार को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अपशिष्ट अचलीकरण संयंत्र (डब्ल्यूआईपी), जो कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के आस-पास ही स्थित है, से रिसाव होने की रिपोर्ट मिली हैं।

(ख) इन रिपोर्टों में कहा गया है कि :

(1) यह रिसाव मामूली किस्म का था।

(2) रेडियोधर्मिता की जो थोड़ी सी मात्रा विरसित हुई थी वह भी अपशिष्ट अचलीकरण संयंत्र परिसर तक ही सीमित रही।

(3) संयंत्र परिसर से बाहर जन-आबादी वाले क्षेत्र में रेडियोधर्मिता का कोई संदूषण नहीं था। पर्यावरण जिसमें आस-पास के गाँव के जल स्रोत भी शामिल हैं, संदूषित नहीं हुआ था।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय नाभिकीय घटना पैमाने पर, इसका वर्गीकरण नम्बर एक पर किया गया था, जोकि निम्नतम स्तर है और जिसे केवल एक विसंगति माना जाता है।

(ग) जैसी ही रिसाव के स्रोत का पता चला, वैसे ही उसे पूरी तरह से पृथक कर दिया गया और स्राव को पूर्णत: बन्द कर दिया गया। संदूषित मृदा (लगभग 2 क्यूबिक मीटर) को हटा दिया गया और सुरक्षापूर्वक उसका निपटान कर दिया गया। इस घटना की पुनरीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा गठित सुरक्षा समितियों द्वारा की गई। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। संयंत्र जिसे बन्द कर दिया गया था, को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से अनुमति मिल जाने के बाद फिर से चालू किया जाएगा।

(घ) और (ङ) सरकार नाभिकीय सुरक्षा को सर्वोपरि महत्वपूर्ण समझती है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। अपशिष्ट अचलीकरण संयंत्र के रिसाव जैसी विसंगतियों से हमारे संयंत्रों में नाभिकीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता अथवा क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नाभिकीय सुरक्षा के बारे में श्वेत-पत्र इस समय आवश्यक नहीं समझा गया है।

कापार्ट की ओर से स्वयंसेवी संगठनों को धनराशि

1561. डा. पी. वल्लल पेरूमान

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन (कापार्ट) के पास तमिलनाडु में कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के कितने आवेदन धनराशि प्रदान करने हेतु लम्बित पड़े हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु, और सिक्किम में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट से कौन-कौन से स्वयंसेवी संगठन धन हासिल कर रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल):

(क) और (ख) 31.7.1995 तक तमिलनाडु में स्वयंसेवी संगठनों के 683 परियोजना प्रस्ताव लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) के पास वित्तीय सहायता अनुदान के विचार हेतु लंबित पड़े थे। लंबित प्रस्तावों के योजनावार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में 282 स्वयंसेवी संगठनों को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कापार्ट से

निधियां प्राप्त हुई हैं। वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	स्वयंसेवी संगठनों की संख्या
1992-93	116
1993-94	119
1994-95	47
कुल	282

गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट से सिक्किम में किसी स्वयंसेवी संगठनों को कोई निधियां नहीं मिली हैं।

विवरण

तमिलनाडु राज्य में स्वयंसेवी संगठनों से कापार्ट के पास लंबित परियोजना प्रस्तावों के योजनावार ब्यौरे।

	योजना	लंबित परियोजना प्रस्तावों की संख्या (31.7.1995 तक)
1.	जवाहर रोजगार योजना	29
2.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	115
3.	ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी कार्रवाई को बढ़ावा देना	38
4.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	86
5.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास	21
6.	ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना	104
7.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	66
8.	लाभार्थियों का संगठन	126
9.	पंचायती राज	53
10.	सामाजिक प्रेरणा कार्यक्रम	45
	योग	683

लघु और मध्यम उद्योगों की धन की अनुपलब्धता संबंधी सख्त शर्तें

1562. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध न होने के कारण लघु और मध्यम उद्योगों को बाध्य होकर 37% से 48% तक की अत्यधिक ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है;

(ख) क्या वर्तमान स्थिति से बाध्य होकर लघु और मध्यम उद्योगों को 3% से 4% के आसपास मासिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम):

(क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी

1563. डा. लाल बहादुर रावर:

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र में गत एक वर्ष के दौरान कितनी बार गोलीबारी की गई;

(ख) इसके क्या कारण थे और इसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) सरकार द्वारा बदले के तौर पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस गोलीबारी के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान नियंत्रण रेखा समेत भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी किए जाने की 2878 घटनाएं सामने आई।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि पाकिस्तानी सैनिक यह गोलाबारी मुख्यत: सीमा के आर-पार घुसपैठ करने में सहायता करने के लिए करते हैं। उन्होंने हाल ही में जम्मू-क्षेत्र में गोलाबारी इस प्रयोजन से की कि सीमा के साथ-साथ जो बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है उसमें रूकावट डाली जा सके।

पाक गोलाबारी में 6 सिविलियन मारे गए और 32 घायल हुए। पाक गोलाबारी के कारण हमारे कुछ सैनिक भी हताहत हुए।

(ग) भारत-पाक सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर सतत नजर रखी जाती है और अकारण गोलाबारी की ऐसी घटनाओं से पैदा होने वाली किसी भी संभावना से निबटने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं।

(घ) विवरण संलग्न हैं।

विवरण

भारत-पाक सीमा पर हुई गोलीबारी की घटनाओं तथा प्रति-विद्रोही कार्रवाइयों में मारे गए/घायल हुए सेना/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के निकट संबंधियों/पीड़ितों को प्रदान किए जाने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं:-

सेना

सीमा पर गोलीबारी या प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों में घायल हुए/मारे गए सैन्य कार्मिकों के निकटतम संबंधी/पीड़ित व्यक्ति उदारीकृत पेंशन का लाभ पाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करने के भी पात्र हैं जिनमें सेना सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत दावे तथा अनुकंपा आधार पर रोजगार आदि भी शामिल हैं। कुछ राज्य सरकारें भी कार्रवाइयों में मारे गए कार्मिकों के निकट संबंधियों को लाभ प्रदान करती हैं।

सीमा सुरक्षा बल

सीमा पर पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली गोलीबारी में मारे गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामले में केन्द्रीय सरकार से 1,00,000/- रूपए की अनुग्रह राशि और सीमा प्रहरी बीमा योजना के अंतर्गत 1,00,000/- रूपए के बीमे के दावे के अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के तहत भी सहायता दी जाती है इनमें अंशदायी कल्याणकारी निधि, विशेषष राहत निधि आदि शामिल हैं। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर गोलीबारी में घायल हुए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामले में, चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित निशक्तता के आधार पर, सीमा प्रहरी बीमा योजना के अंतर्गत बीमे के दावे के अतिरिक्त, कक्षा छठी तथा उससे आगे की कक्षाओं में पढ़ने वाली कार्मिक की एक संतान को प्रतिवर्ष 500/- रूपए से 3000/- रूपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

(अनुवाद)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1564. **श्री श्रवण कुमार पटेल:**

श्री छेदी पासवान:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले क्षेत्रों अथवा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों विशेषरूप से उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के संबंध में कोई नीति संबंधी निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकृति दिए जाने से देश की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) और (ख) विदेशी निवेश को आकृष्ट करने और प्रौद्योगिक अन्तरण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न निति संबंधी उपायों को 24.7.1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी व्यक्तव्य में पहले ही बताया गया है। जैसा कि व्यक्तव्य में बताया गया है कि अनुबन्ध-3 में सूचीबद्ध उद्योगों को प्राथमिकता वाले उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया है और ये अन्य निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने के अधीन 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वत: अनुमोदन के पात्र हैं। स्वत: अनुमति के मानदण्डों के बाहर विदेशी निवेश के अन्य प्रस्तावों, जिसमें 51 प्रतिशत से ज्यादा विदेशी निवेश की परिकल्पना वाले प्रस्ताव शामिल हैं, पर भी सरकार द्वारा गुण - दोष के आधार पर विचार किया जाता है और अनुमति प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संवर्धन आर्थिक सुधारों के मुख्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो भारत को तेजी से विश्व अर्थव्यवस्था के संपर्क में लाएगा, भारतीय उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी बनायेगा, मानव संसाधनों का इष्टतम् उपयोग सुनिश्चित करेगा और भारत को विकसित और विकासशील देशों का एक प्रमुख भागीदार बनायेगा। पिछले 40 वर्षों में भारतीय उद्योग में अपनी लोचशीलता और शक्ति विकसित कर ली है और यह विदेशी उद्योग के साथ और ज्यादा गत्यात्मक संबंध बनाने के लिए तैयार है ताकि विश्व व्यापी विपणन और निर्यात अवसरों, पैदा हो रही प्रबन्धकीय तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा सकें और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी बन सके। विश्लेषण से पता चलता है कि वास्तव में विदेशी निवेश के लिए 80% के ज्यादा अनुमोदन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिए गए हैं। विदेशी निवेश अनुमोदनों के क्षेत्रवार वितरण से पता चलता है कि बिजली, आयल रिफाइनरी, इलैक्ट्रनिक्स और इलैक्ट्रिक उपकरण, रसायन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काफी विदेशी निवेश किया गया है।

(हिन्दी)

माइक्रो पनबिजली योजना

1565. **श्री एन.जे. राठवा:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में माइक्रो पनबिजली के जरिए सस्ती और परिचालन में सुगम विद्युत उत्पादन की भारी संभाव्यता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गुजरात के इन आदिवासी क्षेत्रों का कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार):

(क) जी, हां। सरकार गुजरात राज्य में लघु/मिनी/लघु जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन की संभाव्यता के बारे में और विशेषत: राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से सचेत हैं।

(ख) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से किए क्रमबद्ध अध्ययन के पश्चात् लगभग 130 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले 161 संभाव्य लघु/मिनी/लघु पनबिजली योजनाओं के लिए स्थलों की राज्य में लघु नदियों/नहरों पर, जिसमें आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, पहचान की गई है।

(ग) और (घ) राज्य के आदिवासी क्षेत्र में कुल 7 मेगावाट समग्र क्षमता वाली 2 लघु जल परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी है और अन्य तीन योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं और कार्यान्वयन हेतु उनके विचाराधीन हैं।

(अनुवाद)

औद्योगिक विकास

1566. श्री डी. वेंकटेश्वर राव:

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 उद्योगों के समूह ने कुल मिलाकर 15.4% की विकास दर दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या जनवरी, 1995 में यह दर 9.9% थी;

(ग) अब तक हुई औद्योगिक प्रगति की कुल मिलाकर स्थिति क्या है; और

(घ) किन-किन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) और (ख) जी, हां। अप्रैल, 1995 में 24 चुनिन्दा उद्योगों की मदवार विकास दर संलग्न विवरण में दी गई हैं। इन उद्योगों ने जनवरी, 1995 में विकास दर 7.1 प्रगतिशत दर्ज की है। किन्तु 1994-95 के दौरान अप्रैल से जनवरी तक इन उद्योगों की समग्र विकास दर 9.1 प्रतिशत थी।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन संबंधी त्वरित सूचकांक के अनुसार समग्र औद्योगिक विकास दर 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान 8.4 प्रतिशत रही है।

(घ) त्वरित सूचकांक के अनुसार 1994-95 के दौरान सभी विशद् क्षेत्रों जैसे विनिर्माणकारी, खनन और उत्खनन और विद्युत की विकास दरें बढी है। 1993-94 और 1994-95 के दौरान विकास दरों के तुलनात्मक आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये है :-

तालिका : 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्षेत्रीय विकास दरें।

क्षेत्र	विकास दरें	
विनिर्माणकारी	5.5%	8.8%
खनन और उत्खनन	3.4%	6.3%
विद्युत	7.4%	8.5%
समग्र	5.6%	8.4%

विवरण

24 चुनिन्दा उद्योगों की मदवार विकास दरें

क्र. सं.	उद्योग	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में मात्रा (प्रतिशत)	प्रतिशत अन्तर अप्रैल, 1995 अप्रैल, 1994
1.	कोयला	6.61	6.1
2.	क्रुड पेट्रोलियम	2.41	31.5
3.	सीमेंट	1.60	8.8
4.	बिक्री योग्य इस्पात	5.21	18.3
5.	विद्युत	11.43	10.7
6.	पेट्रोलियम रिफाईनरी प्रोडक्ट्स	1-52	9.6
	मूलभूत उद्योग	28.77	12.7
7.	इस्पात दिण्डक	0.75	8.4
8.	नाइट्रोजन फरटालाईजर	1.52	7.6
9.	फासफोर फरटालाईजर	0.76	0.7

10. पिग आयरन	0.21	44.7
11. अल्यूमिनियम	0.17	21.4
12. कायर कथोड्स	0.17	13.2
13. चीनी	1.76	149.1
14. नमक	0.13	3.0
15. कपड़ा (मिल क्षेत्र)	2.98	-8.1
16. कपड़ा (विकन्द्रीकृत)	3.24	16.3
17. सूती धागा	5.78	6-7
18. जूट उत्पादक	2.00	7.9
19. वाणिज्यिक वाहन	1.37	30.5
20. कारें	0.14	0.9
21. जीपें	0.29	11.7
22. मोटर साईकिल	0.18	49.4
23. ऑटो रिक्शा	0.03	17.0
24. स्कूटर/मोपेड्स	0.19	21.9
18 मुख्य उद्योग	21.60	20.3
समग्र	50.37	15.4

सेनाध्यक्ष का नेपाल का दौरा

1567. श्री हरि किशोर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेनाध्यक्ष ने हाल में नेपाल का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल में रहकर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त भारतीय आतंकवादियों की समस्या पर भी चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क) और (ख) सेनाध्यक्ष ने रॉयल नेपाल आर्मी के सेनाध्यक्ष के नियंत्रण पर 6 से 9 जून 95 तक नेपाल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सेनाध्यक्ष ने नेपाल के प्रधानमंत्री, उप प्रधान मंत्री और रॉयल नेपाल आर्मी के सेनाध्यक्ष से भेंट की और उनके साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने नेपाल में कुछ रक्षा स्थापनाओं का भी दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य सामान्यत: दोनों देशों और विशेषकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ किया जाना था।

(ग) और (घ) दोनों देशों की सेनाओं से संबंधित अन्य विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ नेपाल में रहकर आतंकवादी गतिविधियाँ चलाने वाले भारतीय आतंकवादियों की समस्या पर रॉयल नेपाल आर्मी के सेनाध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इस संबंध में रॉयल नेपाल आर्मी के सेनाध्यक्ष का रूख सकारात्मक था।

अमेरिकी दल द्वारा तारापुर का दौरा

1568. श्री अन्ना जोशी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अमरीकी दल ने गत दिनों तारापुर संयंत्र तथा अन्य संयंत्रों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दौरे के क्या परिणाम रहे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) जी, हां। अमरीका के नाभिकीय नियामक आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल ने 12 से 17 फरवरी, 1995 के बीच नरोरा परमाणु बिजलीघर तारापुर परमाणु बिजलीघर और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई का दौरा किया था।

(ख) और (ग) जुलाई, 1994 और फरवरी, 1995 में अमरीका की ऊर्जा सचिव सुश्री हेजल ओ लियरी की यात्रा के दौरान, यह सहमति हुई थी कि भारत और संयुक्त राज्य अमरीका को नाभिकीय प्रौद्योगिकी विशेषकर नाभिकीय सुरक्षा, के क्षेत्र में सहकार किए जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। यह यात्रा इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मंडल द्वारा किए गए संयुक्त राज्य अमरीका के दौरे के बाद की गई यात्रा थी। इन चर्चाओं के दौरान आपसी हित के क्षेत्रों जिनमें सामान्य आग संबंधी सुरक्षा और अन्य संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, के बारे में बातचीत की गई थी।

(हिन्दी)

उत्तर प्रदेश में उद्योग

1569. श्री रामपाल सिंह:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1992-93 से लेकर अब तक कुल कितने उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने उद्योगों को बन्द कर दिया गया तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में और अधिक उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) अप्रैल, 1992 से जुलाई, 1995 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 58 औद्योगिका लाइसेंस तथा 155 आशय पत्र मन्जूर किये गये थे। उपर्युक्त के अलावा, अप्रैल, 1992 से जून 1995 की अवधि में 1342 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किय गये हैं।

(ख) लेबरा ब्यूरो, शिमला के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 1992 से 1994 की अवधि में वित्तीय कठिनाइयों, कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, मांग में कमी होने, मशीनों में खराबी, अनुशासनहीनता और हिंसा आदि कारणों से 297 एकक (अनन्तिम) बन्द कर दिये गये हैं।

(ग) राज्य के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और बुनियादी सुविधाएं देना राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। भारत सरकार बुनियादी सुविधाओं की अनुपूर्ति करती है। भारत सरकार ने विकास केन्द्र योजना की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को आठ विकास केन्द्र दिए गए है। इन केन्द्रों के विकास के लिए 31.3.95 तक 8.50 करोड़ रूपये की राशि दी गयी है।

(अनुवाद)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का वित्तपोषण

1570. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की क्या भूमिका है;

(ख) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का वित्तपोषण पहले की तरह ही किया जाता रहेगा;

(ग) क्या सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को दी जाने वाली भारी धनराशि को देखते हुए इससे देश को होने वाले लाभ का अध्ययन करने हेतु कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) आगामी वर्षों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उदारीकरण के परिणामस्वरूप, भारतीय उद्योग को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। उद्योग के प्रतिस्पर्धात्मक होने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मूल उत्पादान होंगे। अत: सीएसआइआर की भूमिका इस उद्देश्य को प्राप्त करने में उद्योग की सहायता करने की होगी।

(ख) परिषद सरकारी अनुदान से बाहर से अनुसंधान एवं विकास अनुबंध, सेवाओं और परामर्श के माध्यम से धनोपार्जन को बढ़ावा दे रही है। इस घटक को और बढ़ाया जाएगा।

(ग) और (घ) देश को होने वाले लाभों सहित सीएसआइआर के कार्य-निष्पादन की विभिन्न समितियों ने समय-समय पर समीक्षा की है। वर्तमानत: परिषद वार्षिक रूप से लगभग 50 नवीन प्रौद्योगिकियों का योगदान देती है, 200 लाइसेंस करारों पर हस्ताक्षर करती है, 250 भारतीय पेटेंट फाइल करती है और 2500 से अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेखों का योगदान देती है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों इत्यादि में स्वरोजगार से सृजन में सहायता करती है।

इन्दिरा आवास योजना

1571. डा. पी. वल्लल पेरूमान:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य-वार और श्रेणी-वार कितने आवासीय एककों का निर्माण किया गया हैं;

(ख) क्या इस योजना में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भी शामिल किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान इस कार्यक्रम हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल):

(क) से (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों को मुफत में मकान मुहैया करने के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल आवंटन की 6% राशि की योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित किया गया था। वर्ष 1993-94 में योजना का विस्तार करके इसके अन्तर्गत गैर-अनुसूचित जाति/जनजातिया के लोग, जो कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हो को शामिल किया गया तथा जवाहर रोजगार योजना के आंबटन को बढ़कर 6% से 10% कर दिया गया, बशर्ते कि गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे

जीवन बसर कर रहे लाभार्थियों पर खर्च का प्रतिशत जवाहर रोजगार योजना के कुल आवंटन का 4% सं अधिक न हो। योजना के अन्तर्गत इसके प्रारम्भ से लेकर मई/जून 1995 तक 2076181 मकानों का निर्माण किया गया राज्यवार आकडें अनुबंध में दिए गए है। जहां तक श्रेणीवार आंकडों का संबंध है 1993-94 तक यह पूरी योजना अनुसूचित जातियों/अनु. जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए थी तथा बाद में इसे गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले गैर अनुसूचित जातियों/जनजातिया के लोगों के लिए भी लागू किया गया।

(घ) वर्तमान वर्ष के लिए इंदिरा आवास योजना हेतु 1250.00 करोड़ रूपये की राशि (राज्य अंश सहित) निर्धारित की गई है।

विवरण

राज्य	मई/जून 1995 तक निर्मित मकानों की कुल संख्या
1. आंध्र प्रदेश	184974
2. अरूणाचल प्रदेश	1101
3. असम	21756
4. बिहार	326964
5. गोवा	1026
6. गुजरात	55821
7. हरियाणा	13639
8. हिमाचल प्रदेश	5602
9. जम्मू व कश्मीर	6454
10. कर्नाटक	70439
11. केरल	90125
12. मध्य प्रदेश	2496686
13. महाराष्ट्र	122819
14. मणिपुर	1492
15. मेघालय	2596
16. मिजोरम	2590
17. नागालैंड	7229
18. उड़ीसा	85326
19. पंजाब	15685
20. राजस्थान	100524
21. सिक्किम	1268
22. तमिलनाडु	313037
23. त्रिपुरा	5880
24. उत्तर प्रदेश	289517
25. पश्चिम बंगाल	99095
26. अंडमान नि. द्वीप समूह	256
27. दादर व नगर हवेली	532
28. दमन व द्वीव	110
29. लक्षद्वीप	0
30. पांडिचेरी	638
कुल :	2076181

पाकिस्तान के जलडमरूमध्य क्षेत्र का अवरोधन

1572. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने उत्तरी श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच तमिल उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिये पाकिस्तान के जलडमरूमध्य क्षेत्र को अवरूद्ध कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर ऐसा किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क) जी, नहीं। भारतीय नौसेना ने पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र की नाकेबंदी नहीं की है। तथापि, भारतीय नौसेना और तटरक्षक के जलयान और वायुयान इस क्षेत्र की समुद्री और हवाई टोह लेते रहते हैं ताकि विदेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ और तस्करी को रोका जा सके।

(ख) और (ग) लागू नहीं होता।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

1573. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के कार्य संचालकों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल):

(क) से (घ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, जिसकी घोषणा केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 1995-96 के अपने बजट भाषण में की थी, इस वर्ष (1995) 15 अगस्त से लागू होगी। इसके तीन घटक होंगे। वृद्धावस्था पेंशन, जो कि पहला घटक है, के अंतर्गत 65 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले वृद्ध दीनहीन व्यक्ति प्रति माह 75 रूपए की पेंशन ले सकते हैं बशर्तें कि वह पात्र हों। प्रसूति लाभों के अंतर्गत पोषाहार की जरूरत को पूरा करने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाली गर्भवती महिला को जीवित दो बच्चों तक के लिए 300 रूपये का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। अंतिम घटक परिवार लाभ योजना का है जिसके अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाल परिवार के 20 से 60 वर्ष की आयु वाले प्रमुख आजीविका कमाने वाले की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर शोकसतप्त परिवार को 5000 रूपए दिए जाएंगे। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 10,000 रूपए की सहायता दी जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसियों को संचलन संबंधी ब्यौरे तथा समय सूचित कर दिए जाएंगें।

औषधियों के उत्पादन पर उपकर

1574. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव:**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

श्री प्रभूदयाल कठेरिया:

श्री बलराज पासी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार औषधों तथा भेषजों के उत्पादन पर उपकर लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए कानून कब तक बना लिया जाएगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) और (ख) सितम्बर, 1994 में घोषित औषध नीति 1986 में किए गए संशोधनों में केन्द्र तथा राज्यों में औषध परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन तथा औषध तथा भेषजीय उत्पादों पर एक प्रतिशत लेवी उपकर लगाने तथा औषध नियंत्रण और कार्यान्वयन स्टाफ की वृद्धि करने का प्रस्ताव शामिल था ताकि औषधों पर गुणवत्ता नियंत्रण तथा औषध क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

(हिन्दी)

कम्पनियों का पंजीकरण

1575. **श्री एन.जे. राठवा:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा राज्य-वार पंजीकृत की गई कंपनियों की कुल संख्या कितनी है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज):

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान पंजीकृत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों में पंजीकृत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्षों के दौरान पंजीकृत कम्पनियों की संख्या		
		1992-93	1993-94	1994-95*
1.	आंध्र प्रदेश	1482	1730	2575
2.	असम	176	177	253
3.	बिहार	426	540	593
4.	गुजरात	1768	2464	3533
5.	हरियाणा	338	293	345
6.	हिमाचल प्रदेश	84	79	108
7.	जे. एंड के.	50	36	47
8.	कर्नाटक	1118	1272	2056
9.	केरल	597	732	1048
10.	मध्य प्रदेश	518	616	1030
11.	महाराष्ट्र	5186	5997	9563

12. मणिपुर	5	12	7
13. मेघालय	4	10	19
14. नागालैंड	9	7	7
15. उड़ीसा	262	263	373
16. पंजाब	616	826	1169
17. राजस्थान	672	893	1540
18. तमिलनाडु	2767	3087	4548
19. त्रिपुरा	3	0	3
20. उत्तर प्रदेश	993	1016	1508
21. पश्चिम बंगाल	3340	4365	7918
22. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
23. अरूणाचल प्रदेश	10	13	15
24. चन्डीगढ़	326	282	483
25. दादर व नगर हवेली	5	1	20
26. दिल्ली	4565	5293	8424
27. गोवा	107	206	241
28. दमन एंड द्वीव	9	6	17
29. मिजोरम	2	0	0
30. पांडिचेरी	73	75	113
कुल योग	25511	30291	47556

(अनुवाद)

महिलाओं हेतु रोजगार योजनाएं

1576. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में केवल महिलाओं हेतु एक विशेष और पृथक ग्रामीण रोजगार योजना की घोषणा की जाएगी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल):

(क) इस समय मंत्रालय द्वारा ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

1577. **डा. पी. वल्लल पेरूमान:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कालामिसरी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के विस्तार कार्यक्रम को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसके विस्तार कार्यक्रम के लिए अलग से कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) से (घ) एच.एम.टी. ने, आंतरिक संसाधनों की कमी तथा अपेक्षित पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सरकार से बजटीय सहायता की अनुपलब्धता को देखते हुए, कलमस्सेरी स्थित अपनी इकाई के संबंध में विस्तार की कोई बड़ी योजना सरकार को प्रस्तुत नहीं की है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में प्रयोग होने वाले कीटनाशक

1578. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधिकारी मलेरिया रोग वाहकों के नियंत्रण के लिए हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइडस लिमिटेड के डी.डी.टी. और बी एच सी उत्पादों का ही प्रयोग अब तक करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उन्मूलन कार्यक्रम के जरिये मलेरिया रोग वाहक को नियंत्रित करने के लिये पाइरेथरोइडरा की तुलना में इन कीटनाशकों की क्षमता का हाल ही में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित सिंथेटिक पाइरेथरोइड्स का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि

ये मलेरिया रोगवाहक के नियंत्रण में डी डी टी और बी एच सी की तुलना में अधिक प्रभावी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उनके मंत्रालय ने डी डी टी और बी एच सी के स्थान पर सिथेटिक पाइरेथोराइडों के प्रयोग के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यक्रम में शुरू करने हेतु सिथेटिक पायरेथ्रायड की प्रभावकारिता का आकलन किया गया है।

(घ) से (छ) कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों के अनुसार मलेरिया विषाणुओं के नियंत्रण के लिए पहले ही सिथेटिक पायरेथ्राइड का चुनिंदा इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में जहां तीन गुणा प्रतिरोध शक्ति देखी गई है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन पायरेथ्रायड इस्तेमाल करने की बात सोची गई है, बशर्ते धन उपलब्ध हो।

ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं

1579. **श्री दिलीप भाई संघाणी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं प्रयोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परिवार कल्याण सेवाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में से ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(घ) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई सेवा चलाई जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) और (ख) जी हां। ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं पूरे देश में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए प्रदान की जा रही हैं।

(ग) पूरे देश में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) गुजरात राज्य में 251 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, 956 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 7284 उपकेन्द्र और 184 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

विवरण

देश में ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने वाले केन्द्रों की संख्या का विवरण।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप-केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	420	1283	7894	46
2.	असम	146	619	5280	105
3.	बिहार	587	2209	14799	148
4.	गुजरात	251	956	7284	184
5.	हरियाणा	89	397	2299	60
6.	हिमाचल प्रदेश	77	240	1906	43
7.	जम्मू और कश्मीर	82	335	1700	45

1	2	3	4	5	6
8.	कर्नाटक	269	1428	7793	204
9.	केरल	163	929	5094	54
10.	मध्य प्रदेश	460	1841	11936	190
11.	महाराष्ट्र	428	1695	9725	295
12.	मणिपुर	31	72	420	15
13.	मेघालय	23	88	333	10
14.	नागालैंड	7	33	244	5
15.	उड़ीसा	314	1055	5927	157
16.	पंजाब	129	472	2964	104
17.	राजस्थान	232	1493	8000	246
18.	सिक्किम	15	23	142	2
19.	तमिलनाडु	383	1436	8681	72
20.	त्रिपुरा	35	63	535	10
21.	उत्तर प्रदेश	907	3761	20153	262
22.	पश्चिम बंगाल	335	15	7873	89
23.	अंडमान नि. द्वीप समूह	-	17	96*	4
24.	अरूणाचल प्रदेश	-	40	203	7
25.	चन्डीगढ़	1	-	12	1
26.	दादर व नगर हवेली	2	6	34	
27.	दिल्ली	8	8	42	
28.	गोवा	13	21	175	5
29.	लक्षद्वीप	-	7	14	2
30.	मिजोरम	14	43	244	6
31.	पांडिचेरी	12	26	79	4
32.	दमन व द्वीव	2	4	19	2
	कुल योग	5435	22156	131900	2377

* बहुत से राज्यों में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एकीकृत पर दिए गए हैं।

(हिन्दी)

मेडिकल कालेज

1580. **श्री सुरेशानंद स्वामी:**

श्री चिन्मयानंद स्वामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कु ल कितने मेडिकल कालेज हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार कुछ और मेडिकल कालेज खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में और मेडिकल कालेज खोलने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा):

(क) राज्यवार मेडिकल कालेजों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में मेडिकल कालेजों की संख्या - राज्यवार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मेडिकल कालेज
आंध्र प्रदेश	10
असम	3
बिहार	10
गोवा	1
गुजरात	6
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	3
कर्नाटक	18
केरल	5
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	31
मणिपुर	1
उड़ीसा	3
पंजाब	5
राजस्थान	6
तमिलनाडु	14
उत्तर प्रदेश	9
पश्चिम बंगाल	7
दिल्ली	4
पांडिचेरी	1
चंडीगढ़	1
कुल मेडिकल कालेज	146

समान नागरिक संहिता

1581 **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**

श्री हरि किशोर सिंह

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त, 1996 तक समान नागरिक संहिता अपनाने हेतु किए गए अपने प्रयासों की प्रगति बताने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या सरकार ने प्रमुख विधिवेताओं के इस विचार पर ध्यान दिया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर इस प्रकार का दिशा निर्देश दिया है और विधायिका तथा कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिनिधि मुस्लिम संगठनों की इस मांग पर ध्यान दिया है कि या तो अनुच्छेद 44 को समाप्त कर दिया जाए अथवा अल्पसंख्यकों और जनजातियों सहित अनिच्छुक समुदायों को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता से छूट की जाए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) :

(क) से (ग) जी हां।

(घ) सरकार की यह संगत नीति रही है कि किसी समुदाय की सवीय विधियों में तब तक दखल न की हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार का एक समान सिविल संहिता लाने के संबंध में कोई विधान लाने का विचार नहीं है।

जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कार्यशाला

1582. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):**

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में जून, 1995 के दौरान पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया और यूनाइटेड नेशलस् पोपुलेशन फंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "महिलाओं के पुनर्जनन, स्वास्थ्य एवं स्थिति पर विशेष बल सहित जन-संख्या नियंत्रण के क्षेत्र में हाल के विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला ने देश में चिंताजनक रूप से बढ़ रही आबादी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए सरकार से बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा.सी. सिल्वेरा):

(क) और (ख) जून 1995 में एक कार्यशाला संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि तथा एक गैर सरकारी संगठन, नामत: पोपुलेशन फंड ऑफ इंडिया द्वारा भोपाल में आयोजित की गयी। इस कार्यशाला का प्रयोजन काहिरा में जनसंख्या और विकास पर सितम्बर 1994 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर अमल करने के लिए जन जागरूकता पैदा करना था। इस कार्यशाला में जो विचार-विमर्श हुए उनमें प्रजनक स्वास्थ्य, परिचर्या की गुणवत्ता, महिलाओं की स्थिति और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल था।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग

1583. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमेरिका ने देश में सतत ऊर्जा के विकास हेतु कोई संयुक्त समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अपारम्परिक ऊर्जा आधारित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

और

(घ) किन-किन कंपनियों के साथ में संयुक्त समझौते किये गये हैं और किस प्रकार की सहायता दी गई है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार):

(क) और (ख), (ग) और (घ) सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय परियोजनाओं के परीक्षण, गैर-स्वामित्व वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान, सौर विकिरण डाटा संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार, भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा सूचना नेटवर्क सम्पर्कों की स्थापना आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सौर ऊर्जा केन्द्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी, ऊर्जा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर 21.12.94 को हस्ताक्षर किए गए।

पारम्परिक लाभ के लिए अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के आंकलन, विकास और प्रदर्शन के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा इलैक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 13.02.1995 को एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस उद्देश्य के लिए भारत में उन्नत लागत-प्रभावी प्रकाशवोल्टीय, पवन और बायोमास रूपान्तरण प्रौद्योगिकियों को लगाने के कार्य में तेजी लाने के लिए दोनों पक्षों की और से संस्थाओं, एजेंसियों और उद्योगों द्वारा संयुक्त-प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा पिछले एक वर्ष के दौरान मुख्यतया पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लघु पन बिजली, सह उत्पादन सहित बायोमास आधारित विद्युत, सागर ऊर्जा, इलैक्ट्रिक वाहन और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीयन तंत्र के क्षेत्र में दोनों सार्वजनिक और

(अनुवाद)

12.04 मध्याह्न

हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराये जाने की पचासवीं वर्षगांठ के बारे में संकल्प

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प रखता हूँ।

"यह सभा 50 वर्ष पूर्व हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराये जाने से उत्पन्न त्रासदी का स्मरण करती है;

उस भयावह आक्रमण के शिकार निर्दोष लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूमि पुन: प्रकट करती है;

उस त्रासदी के उत्तर जीवी लोगों, जो अपने कष्टों को भुलाकर भविष्य के नव निर्माण में जुट गये, के साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति की प्रशंसा करती है;

और महात्मा गांधी के इन शब्दों "मैं पुरुषों, महिलाओं और बच्चों

के समूल विनाश के लिए परमाणु बम गिराये जाने को विज्ञान का अत्यंत पैशाचित प्रयोग मानता हूं'' को स्मरण करती है;

यह विश्वास करती है कि आणविक अस्त्रों का होना मानवता के अस्वित के लिए सबसे बड़ा खतरा है;

खेद प्रकट करती है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बावजूद मानवता को आणविक सर्वनाश का खतरा निरन्तर बना हुआ है;

यह विश्वास करती है कि आणविक युद्ध के निवारण और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विश्व परमाणु नि:शस्त्रीकरण एकमात्र प्रभावी गारंटी है;

इस बात की पुन: पुष्टि करती है कि परमाणु शस्त्र-मुक्त और अहिंसक विश्व की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा 1988 में प्रस्तुत कार्यवाही योजना की वैधता निरंतर बनी हुई है;

भारत के लोगों की ओर से, दृढ़ संकल्प करती है कि मानवीय कुचेष्टा या दुर्घटनावश हिरोशिमा एवं नागासाकी की त्रासदी की पुनरावृत्ति कदापि न हो;

यह संकल्प करती है कि भारत अन्य देशों के साथ मिलकर सभी परमाणु शस्त्रों को स्थाई रूप से और पूरी तरह समाप्त करने के लिए अपना प्रयास जारी रखेगा।''

क्या मैं यह मान लूँ कि यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित हो गया है?

कुछ माननीय सदस्य: हाँ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

12.05 म.प.

भारत छोड़ो आन्दोलन को तिरपनवीं वर्षगांठ

अध्यक्ष महोदय : आप यह सभा एकजुट होकर भारत छोड़ो आन्दोलन की तिरपनवी वर्षगांठ मना रही है।

यह सभा स्मरण करे है कि 1994 में इस दिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं ने महात्मा गांधी के मागदर्शन में देश को अंग्रेजी शासन के शिकंजे से आजान करवाने के लिए भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू करने एवं स्वराज एवं प्रभुसत्ता का सूत्रपाल करने का स्पष्ट और उच्च स्वर में एक आहवान किया था।

यह सभा भी स्मरण करते हैं कि इस दिन समूचा राष्ट्र विदेशी शासन के दबाव का विरोध करने के लिए एक जुट हो कर उठ खड़ा हुआ था।

सभा यह भी नोट करती है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के इस अद्वितीय संघर्ष की विशेषता की अहिंसा तथा महात्मा गांधी द्वारा समर्पित आहिसां एवं सत्याग्रह के दो सिद्धान्तों का अत्यंत उत्तेजनायकी स्थिति में भी पालन किया गया था।

यह सभा उस नेतृत्व के व्यापक विचारशीलता एवं उस पीढी निस्वार्थ बलिदान के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता प्रकट करती है, जिन्होंने इस देश को आजादी की राह दिखाई;

यह सभा उन सभी देश भक्तों का ससम्मान स्मरण करती है, जिन्होंने राष्ट्र हित में महान बलिदान दिया।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य कार्य प्रारम्भ करते हैं।

(हिन्दी)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और एटा आदि पांच जिले आते है और उस फैसले के हिसाब से सारे उद्योगों को शिफ्ट करने के लिए केन्द्र सरकार को नोटिस दिया गया है और यह कहां गया है कि चार हफ्ते के अंदर इनको शिफ्ट करने के लिए केन्द्र सरकार स्कीम दे दे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह सही है कि भारत सरकार के वकील ने वरदराजन समिति की रिपोर्ट के सारे फैक्ट्स को कोर्ट के सामने ठीक से प्रकट नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डा. वरदराजन कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है-

(अनुवाद)

इकाइयों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा करने से ये सभी इकाइयों वित्तीय रूप से अव्यवहार्य हो जायेंगी। यदि इन्हें बंद कर दिया जाता है, तो इससे बहुत से लोग बेकार हो जायेंगे। यह कदम अवांछित है। यह उच्चतम न्यायालय का फैसला है।

(हिन्दी)

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि श्री एम.सी. मेहता और श्री कृष्ण महाजन ने वरदराजन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताया है कि उसने उद्योगों को स्थानांतरित करने की संस्तुति की है, इसलिए इन उद्योगों को शिफ्ट कर दिया जाए। तो यह बात जो फैक्ट डा. वरदराजन कमेटी ने दिए हैं, उसके ठीक विपरीत है। बल्कि डा. वरदराजन कमेटी ने कहा है कि अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण ऐसा है। इसके लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाए, इसके अभाव के कारण प्रदूषण पैदा होता है। डीजल जनरेटर सैटों के कारण वहां प्रदूषण पैदा हो रहा है, इनका चलन रोका जाए। वाहनीय प्रदूषण रोका जाए। आगरा में बैराज बनाया जाए जिससे प्रदूषण रोका जाए। इतनी ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि 700 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से मथुरा रिफाइनरी सल्फर डाइआक्साइड उगल रही है, इसको घटाने की आवश्यकता है। बड़े बलपूर्वक उन्होंने कहा है कि आगरा के जो उद्योग

थे वे 1975 की आपात-स्थिति में शहर से अलग कर के उनके आधार पर फाउंड्री नगर और इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दिये गये थे जहां पर वे आलरेडी बने हुए हैं। उसके रीएलोकेशन की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह कह कर कि नैचुरल गैस की पाइप लाइन डाली जाएगी, इसलिए इनका रीएलोकेशन आगरा, फिरोजाबाद क्षेत्र में किया जाना चाहिए, परन्तु सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बात भी नहीं है।

अनुवाद

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकते। आप जो कह सकते थे, मैंने बता दिया है। कृपया अब अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

(हिन्दी)

श्री भगवान शंकर रावत: अध्यक्ष जी, मैं वही कह रहा हूँ। मैं सीधा कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योगों को स्थानांतरित कर भी दिया गया, तो भी ताज को प्रदूषण से खतरा बना रहेगा। इससे आगरा एवं इसके आसपास के सारे क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है। नान-पाल्युटेड, परम्परागत उद्योग, चमड़ा उत्पाद के उद्योग, कांच का सामान बनाने आदि के उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने वकील को निर्देश दे कि वह रिव्यू एप्लीकेशन लगाए और सही तथ्य सामने रखे और ठीक प्रकार से पैरवी करे और कोर्ट के सामने जो गलत फैक्ट रखे गए हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगों को ट्रांसफर करने की बात कह दी है वह अपने इस निर्णय पर पुनर्विलोकन कर सके क्योंकि उद्योगों के वहां से ट्रासफर के कारण सारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तीन लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और सारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भारत सरकार को इस बात का निर्देश दें कि सुप्रीम कोर्ट में सही स्थिति को रखा जाए और जो अनवरत विद्युत आपूर्ति की बात इस रिपोर्ट में कही गई है, उसकी निरन्तर आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। मैं आपसे और आपके माध्यम से बार-बार सरकार से और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस बारे में आवश्यक निर्देश दें। धन्यवाद।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोज़ाबाद): अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मेरे क्षेत्र से संबंधित विषय है इसलिए मुझे भी अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : **हाँ**, श्री नीतीश कुमार जी ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार के वक्तव्य के अलावा, अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(हिन्दी)

श्री प्रभु दयाल कठेरिया: अध्यक्ष महोदय, **(व्यवधान)** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

(हिन्दी)

श्री नीतीश कुमार (बाढ): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पीड़ा के साथ इस सवाल को पुन: उठा रहा हूं। आपको स्मरण होगा कि आज से 2 साल पहले हमने इसी सदन में आपकी इजाजत से दिल्ली में जो दूध की आपूर्ति की जा रही है, उसमें जहरीले मिलावट की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया था और यह सवाल उठाया था कि डी.एम.एस. के दूध में एस.एन.एफ. कन्टेंट को बढ़ाने के लिए यूरिया मिलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि दूध में मुख्यत: तीन चीजें होती हैं-पानी, एस.एन.एफ. कन्टेंट और तीसरा फैट कन्टेंट होता है। एस.एन.एफ. कन्टेंट और फैट कन्टेंट को नाप करके दूध की क्वालिटी के बारे में आंका जाता है और उसी हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित होता है। सरकार ने एक स्टैण्डर्ड निर्धारित कर दिया है कि पासचराईज्ड मिल्क का क्या होगा और पूर्ण मिल्क का क्या होगा और नागरिकों को उसी की आपूर्ति की जाती है। जब हमने डी.एम.एस. का सवाल उठाया था तो उस पर एक बहस हो गयी थी और मंत्री जी ने उसके जवाब में इसका खंडन किया था लेकिन ये बातें चलती रही हैं। अभी यह बात प्रकाश में आयी है कि बेबी फूड बनाने वाली कम्पनी नेस्ले, जो कि मल्टी नेशनल कम्पनी है, उसने सिंथेटिक मिल्क का इस्तेमाल किया है और सिंथेटिक मिल्क में यूरिया, कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। इसके अलावा उसके फैट कन्टेंट को बढ़ाने के लिए उसमें वेजीटेबल ऑयल मिलाया गया है। इस प्रकार से वह सिंथेटिक दूध बनता है। उसको सुखाकर मिल्क पाऊडर तैयार होता है और वह हमारे बच्चों, बच्चियों और नौनीहालों को खिलाने के लिए दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर बाहर भी कुछ बातें हुई हैं लेकिन इस पर कोई हरकत नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, आजकल कृषि नीति पर बहस चल रही है। इसलिये मैंने इस सवाल को उठाया है। हम एक दूरगामी नीति के बारे में अपनी नीति तय कर रहे हैं और कृषि मंत्री जी ने कहा था कि हम मल्टी नेशनल्स को अपने अंगूठे के नीचे रखेंगे लेकिन जो मल्टी नेशनल्स कम्पनी है, उसका यह कारनामा है। जिस प्रकार से दूध की आपूर्ति हो रही है, भगवान की मालिक है कि उससे

इस देश का क्या होगा। किस प्रकार का दूध हम अपने बच्चों को पिलायेंगे, किस प्रकार से हम दूध का पाऊडर बच्चों को पिलायेंगे, किस प्रकार से उनको कैंसर का रोग होगा, किस प्रकार से वे अपंग हो जायेंगे, कौन-कौन सी बीमारियां के वे शिकार होंगे। आज यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

इसलिये मैं आपका और सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर सरकार बयान दे और पूरी समस्या को जनता के सामने स्पष्ट करें। इस प्रकार की जो गड़बडी हुई है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करे और इस प्रकार का दूध खिलाने वाले लोगों के कारोबार को बंद करे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि नीतिश कुमार जी ने जो बात कही, वह बहुत गंभीर बात हे और आप जानते हैं कि मल्टी नेशनल्स कार्पोरेशन में बहुत सी ऐसी कम्पनियां हैं, जो ऐसी दवा बना रही है, ऐसे खाद्य पर्दाथ बना रहे हैं, जो पाश्चात्य देशों में बैन हो गये हैं। वे वही टेक्नोलॉजी, वही पद्धति लाकर विकासशील देशों में बनाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा गंभीर प्रश्न जो एक राष्ट्रीय महत्व का है, हमारे बच्चों से संबंध रखता है; हमारे स्वास्थ्य से संबंध रखता है, उसके खिलाफ मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है और एक खतरनाक बात है। उस पर सरकार सफाई दे और इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे, इसके बारे में सदन को अवगत करे।

(अनुवद)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे निर्देश देने को कह रहे हैं।

(हिन्दी)

श्री चन्द्रजीत यादव: आप कुछ तो बताइये। इस पर बयान दीजिये। हम कुछ पूछेंगे। आप कुछ तो बोलिये। ...(**व्यवधान**)

(अनुवाद)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। यह एक अत्यंत गम्भीर मुद्दा प्रतीत होता है। मैं आपको निर्देश नहीं दे रहा हूँ। आपके माध्यम से, मैं सरकार से यह वक्तव्य देने के लिए अनुरोध कर रहा हूं कि इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है। हमें यह जानना चाहिये। स्वास्थ्य मंत्री को ऐसा करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई सरकार की ओर से, सदस्यों द्वारा सभा में उठाये गये इस मुद्दे का उत्तर देना चाहता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): इस मुद्दे के प्रति कोई भी गम्भीर नहीं दिखाई देता।

श्री चन्द्रजीत यादव: स्वास्थ्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: श्री अन्तुले जैसे कुशल मंत्री इस बात का उत्तर दे सकते हैं।

(हिन्दी)

श्री विनय कटियार (फैज़ाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं। यह बहुत गंभीर मामला है लेकिन मैं एक और मामला उठाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के अंदर जितने भी टूथपेस्ट बनते हैं। उनमें से एक आध को छोड़कर...

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गयी है।

(**व्यवधान**)

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : टूथपेस्ट का मिल्क से क्या संबंध है। आप बैठ जाइये।

(अनुवाद)

इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया बैठ जाईये।

(**व्यवधान**)

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : आपको जितना बोलना है, आप बोलिये। आप किसी भी चीज को किसी भी जगह ले आते हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको बोलते रहना है तो बोलते रहिये। यह रिकार्ड में नहीं आएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा और मैं मंत्री महोदय द्वारा इसके उत्तर दिए जाने की आशा नहीं करता।

(व्यवधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : मैं नोटिस में ला दूंगा। श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि दूध का पाऊडर बनाने वाली किसी कंपनी में कोई सिंथैटिक वस्तु मिलाई जा रही है तथा यह बच्चों तथा जो लोग वह दूध पीते हैं, उनके लिये हानिकर एवं खतरनाक है। क्या सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) **:** मैं इस सभा को निष्ठापूर्वक यह विश्वास दिला सकता हूं कि यदि दूध में सिंथैटिक इस तरह से मिलाया जाता है, तो यह एक अत्यंत घातक कार्य है और हम निश्चित रूप से इस मामले पर पूरी गम्भीरतापूर्वक ध्यान देंगे। वास्तव में, उस दिन मैं सी.आई.एफ.टी.आई. की बैठक में पहले ही यह चुका हूं कि न केवल बेचे जाने वाले दूध के ही मामले में बल्कि उपभोग होने वाली सभी खाद्य वस्तुओं के मामलों में भी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जानी चाहिये।

हम इस पर न केवल गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे बल्कि, जैसा कि खाद्य एवं औषधि अधिनियम में प्रावधान किया गया है, यदि निरीक्षण, जांच और पूछताछ के बाद यह प्रमाणित हो जाता है तो कठोर दण्ड अर्थात आजीवन कारावास दिया जाएगा .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उसकी जांच कर सकते है और उचित कार्रवाई कर सकते है।

श्री ए.आर. अन्तुले: मैं यहां पर केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : 'उचित कार्रवाई' के अन्तर्गत सब कुछ आ जाता है।

श्री ए.आ. अन्तुले: 'उचित कार्रवाई' से पहले यदि वे लिखित में वास्तविक ब्यौरों के बारे में और कुछ सामग्री मुझे देंगे तो उससे मुझे सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया रिकार्ड को ध्यान से पढ़िये। माननीय सदस्य ने वक्तव्य दिया है। यदि आप रिकार्ड को पढ़ेंगे तो आप को पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप किसी को भी कहिए कि इसकी जांच करे।

श्री ए.आ. अन्तुले: जी, हाँ।

(हिन्दी)

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़): अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के हापुड़ क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे हड्डी मिलों के कारण कई किलोमीटर तक का वातावरण दूषित हो रहा है जिससे उस क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों का जीना दूभर हो गया है। इसके साथ ही उस क्षेत्र से जो रास्ता निकलता है, उस पर बदबू होने के कारण लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आज हालत यह हो गयी है कि खाना खाते ही उन्हें तुरंत उल्टी हो जाती है। लड़के-लड़कियों का विवाह आदि होना भी बंद हो गया है। उस समस्या के निदान के लिए उन गांवों के लोगों ने अनेक बार धरना व प्रदर्शन भी किया है लेकिन केन्द्र सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। वहां के लोग मजबूरी में गांव छोड़ कर जा रहे हैं।

उस क्षेत्र में पड़ने वाले सैंकड़ों गांवों के लोगों का जीवन असुरक्षित है। इसलिए मेरा आपके द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वहां पर अवैध रूप से चल रहे हड्डी मिलों को तुरंत हटाने का निर्देश दें।

(अनुवाद)

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, कर्नाटक के भारत गोल्ड माइन्स लि. के लगभग 6500 कर्मचारी अन्तरिम राहत, अतिरिक्त महंगाई भत्ता और अनुग्रह राशि बोनस, आदि की मांग को लेकर 2 अगस्त, 1995 से हड़ताल पर हैं। इस कम्पनी को 1992 में रूग्ण उद्योग घोषित किया गया था। इसको पुन: चालू करने के बारे में विचार करने के लिए इसे बी आई एफ आर से सुपुर्द कर दिया गया है।

बी आई एफ आर ने प्रबंधन को यह सुझाव दिया है कि वे कर्मचारियों को अन्तरिम राहत का भुगतान करने के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। कम्पनी के एक रूग्ण उद्योग होने के कारण 1992 से उनके वेतन रोक दिये गये है।

इस उद्योग को पुन:ऽचालू करने के लिए उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इसके विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया है और सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए एक उप-समिति का गठन किया था और साथ ही कोलार गोल्ड फील्ड्स का तत्स्थामिक अध्ययन भी किया था। संसदीय समिति की सिफारिशों को संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है और इसमें से कुछ सिफारिशों को खान मंत्रालय ने पहले ही लागू कर दिया है।

मैं, गोल्ड माईन के खनन कार्य को जारी रखने के लिए माननीय प्रधान मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री जी का आभारी हूँ। इस हेतु खान मंत्रालय ने प्राचीन गोल्ड माईन्स के पुन:रुद्धार को ध्यान में रखते हुए विश्व-व्यापी निविदा आमंत्रित किया है जिस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है।

12.19 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसके साथ ही, कर्मकार आन्दोलन कर रहे है और हड़ताल कर रहे हैं और इसका कोलार गोल्ड् फील्ड्स में विद्यमान राजनैतिक दलों से संबंधित सभी संघ समर्थन कर रहे हैं। इस हड़ताल में कोई दल अपने स्वार्थ के लिए कर्मकारों को उकसाकर, सरकार और सत्ताधारी दल की निन्दा करते हुए और बिना किसी आधार के इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को संलिप्त करके परिस्थिति का लाभ उठाना चाहता है।

यदि खान मंत्रालय; भारत सरकार द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयास नहीं किया जाता तो यह गोल्ड माईन उद्योग बहुत पहले ही बन्द हो गया होता। इस उद्योग में खनन कार्य अभी भी जारी है और यह उद्योग अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के हितों की रक्षा भी करता है।

मैं माननीय खान मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिला रहा हूँ ओर उनसे विनती करता हूँ कि उन कर्मकारों की मांगों को बिना विलम्ब निपटाने/मान लेने के लिए तुरन्त कार्रवाई करें और इस हड़ताल को समाप्त कर दें व इनकी सहायता करें।

कल एक माननीय संसद सदस्य ने माननीय सदन में तथ्यों को बिना जाने इस मामले को उठाया था। यद्यपि वे उस उप-समिति के सदस्य थे जिन्होंने हड़ताल को राजनैतिक रंग देने का प्रयास किया है जबकि वो ऐसा मामला नहीं था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी बातों को ध्यान में रखें और सदन की कार्यवाहियों से उन आरोपों को निकाल दें जो कि तथ्यों पर आधारित नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, यदि आप प्राइवेट/निजी टीवी पर विज्ञापन देखेंगे तो आप पायेंगे कि एक सर्वोच्च संवैदामिक पद पर आसीन अधिकारी सफल (एस ए एफ ए एल) द्वारा प्रयोजित एक विज्ञापन में प्रकट होते हैं, और प्रतिदिन अंग्रेजी में कहते हैं कि "आई ईट पोलिटिशियन्स विद माई ब्रेकफास्ट"।

(हिन्दी)

हिन्दी में वह कहता है – मैं राजनीतिक आदमी को कच्चा चबाकर खाता हूँ। यह बोलते हुए वह गाजर चबाता है। यह अजीब बात है। हिन्दुस्तान में यदि कोई तंदूर मार्क पौलीटीशियन के बारे में बोले तो हमको कोई ऐतराज नहीं है।

(अनुवाद)

हम इज्जतदार लोग है। हम राजनीति में है। हम तन्दुर मार्क राजनीतिज्ञ नहीं है।

(हिन्दी)

यदि वह तंदूर मार्क पौलीटीशियन के बारे में बोले तो हमको ऐतराज नहीं है लेकिन औनैस्ट पौलीटीशियन के बारे में हाईएस्ट कौन्सटीटयूशनल अथारिटी **(व्यवधान)**... ऐडवर्टाइज़मैंट में ऐसा बोले कि "मैं उसको चबाकर खाता हूँ", यह बहुत गलत बात है, यह हमारा राजनैतिक अपमान है, राजनैतिक नेता का अपमान है। एक कौन्सटीटयूशनल अथारिटी प्राईवेट ऐडवर्टाइज़मैंट कैसे देता है। ...**(व्यवधान)**

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। हम नहीं जानते हैं कि वह विज्ञापन में काम करने के लिए पैसे लेते है अथवा नहीं। यह क्या है? विज्ञापन में भाग लेना संविधान के खिलाफ है। यह गरिमा के खिलाफ है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के कामों पर रोक लगाना देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को राजनीतिज्ञों पर ऐसे ही आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। हम जानते हैं कि राजनीतिज्ञों के साथ कुछ समस्याएं होती है। हम जानते हैं कि राजनीतिज्ञों और अपराधियों में गठबंधन है। लेकिन सभी राजनीतिज्ञ एक जैसे नहीं है। इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगा देनी चाहिए। मैं अपील करता हूँ कि सदन को इसका खण्डन करना चाहिए क्योंकि सदन राजनीतिज्ञों से बनता है। ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह एक गम्भीर समस्या है। यह शिष्टाचार एवं हर एक व्यक्ति के सम्मान का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या कोई सर्वोच्च संवैधामिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना और घृणापूर्ण ढंग से पेश आ सकता है? मैं समझता हूँ उनके लिए पागल खाना ही उपयुक्त स्थान है। यही उपयुक्त स्थान है। उन्हें जितनी जल्दी वहां भेजा जायेगा देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी देखिए वह कैसे पेश आ रहे हैं। उनको उच्चतम न्यायालय की कोई चिन्ता नहीं है और न ही उनको संसद अथवा किसी की परवाह है। इसमें कोई सभ्यता अथवा शिष्टाचार नहीं है। क्या वे जो चाहे कर सकते हैं?

(हिन्दी)

कंट्री क्या चिड़ियाखाना बन गया?

(अनुवाद)

महोदय, क्या कोई भी व्यक्ति मनमाना व्यवहार कर सकता है? उनको भारत की संचित निधि से वेतन दिया जा रहा है ...(व्यवधान) अत: संसद को भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं। मुझे सोचना चाहिए था कि अब बहुत हो गया है। लेकिन इस अनुपयुक्त एवं निकम्मी सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। वे आपस में लड़ रहे हैं। लोग निस्सन्देह अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा? इस देश के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। मैं 'क' और 'ख' राजनीतिज्ञों के बीच कोई अन्तर नहीं करता। मैं राजनीतिज्ञों के लिए इससे बेहतर विशेषाधिकार की मांग नहीं करता। लेकिन हर व्यक्ति में आत्म-सम्मान की भावना भी होती है। क्या इस देश में हमें यह सब कुछ इस लिये सहना चाहिए कि यह प्रजातंत्रिक देश है? इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

मैं समझता हूँ कि सरकार को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहिए और अध्यक्ष महोदय, में आप से भी यह अपेक्षा करता हूं कि आप इस प्रकार की घृणापूर्ण एवं हास्यास्पद स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे यह स्थिति ऐसे ही चलती नहीं रहनी चाहिए ...(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ ...(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे): हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्या? ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: जोशी जी, क्या बात है? ...(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी: फिर हमारा नम्बर नहीं लगता है। हमने भी नोटिस दिया है। ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं तो हम लोग नहीं उठते हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, यह मामला बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से दो बातें जानना चाहता हूं। पहली बात, क्या किसी कांस्टीट्यूशनल एथारिटी को टीवी के ऊपर जाने या एडवरटाइजमेंट में जाने का अधिकार है कि नहीं? नम्बर दो- यदि टीवी के ऊपर एडवरटाइजमेंट हो रहा है तो कितना पैसा उसको मिल रहा है?

यह कोई मामूली चीज नहीं है कि 'मैं आदमी को खा जाता हूं, मैं पोलिटीशियन को चबा जाता हूं, मेरे दांत बहुत मजबूत है।' आपके दांत बहुत मजबूत हैं तो जाकर टूथपेस्ट कीजिए, लेकिन इस तरह की बात एक कांस्टीट्यूशनल एथारिटी करे, जिसके खिलाफ बार-बार सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे रहा है, वह इलैक्शन कमिश्नर इस तरह की बात करता है, जिसके माथे पर देश की बहुत बड़ी जवाबदेही है। उसके बाद भी पार्लियामेंट चुप है, इतने दिन से चुप रही है, मात्र इसलिए कि हमारा कुछ बिगाड़ न ले। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है और सरकार की तरफ से किसी भी आदमी को उठकर यह कहना चाहिए कि कम से कम किसी कांस्टीट्यूशनल एथारिटी को पैसा कमाने का अधिकार है कि नहीं और क्या वह टीवी में एडवरटाइजमेंट के ऊपर जा सकता है या नहीं? हम यह दो बातें आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री हाराधन राय (आसनसोल): उपाध्यक्ष महोदय, यह पता चला है कि नई भर्ती के विद्यमान मानकों के उल्लंघन में कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कम्पनियों में कम से कम 800 कर्मियों की भर्ती की गई है। ये सभी भर्तियां कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय द्वारा विभिन्न सहायक कम्पनियों को वायरलेस और टेलीफोन के जरिए अनुदेश दे कर अप्रैल, मई और जून, 1995 के महीनों में की गई। मैंने इस मामले की ओर कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों, प्रधानामंत्री और कोयला मंत्री तथा मजदूर संघ के नेताओं का ध्यान दिलाया था। यह मामला पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश विशेषकर से प्रकाशित बंगाली और हिन्दी समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। कि साउथ ईस्टर्न कोल फिल्डस लिमिटेड, कोल इंडिया, लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी, जो कि इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए नोडल एजेंसी थी। मध्यप्रदेश से हिन्दी में प्रकाशित समाचारपत्रों ने आरोप लगाया है कि इस बदनीयती से की गई भर्ती के सौदे में गैर-कानूनी ढंग से करोड़ों रूपये का लेन-देन हुआ है।

अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाराधन राय, पढ़ना मना है। आप इसे मत पढ़िए।

श्री हाराधन राय: महोदय, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद को इस पद के उम्मीदवारों के साथ धन की सौदेबाजी के उद्देश्य से स्थायी तौर पर नहीं भरा जा रहा है क्योंकि इस पद के चयन में उच्चतम स्तर के कर्मियों के कुछ निजी स्वार्थ हैं।

सबसे अधिक संदेहास्पद और आश्चर्यजनक पहलू यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में बहुत अधिक संख्या में गैरकानूनी और बदनीयती से की गई भर्ती के इस आरोप के सम्बन्ध में कोल इंडिया लिमिटेड या कोयला मंत्रालय के किसी भी अधिकारी से कोई उत्तर या स्पष्टीकरण या वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ। मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने की विशेष मांग करीब तीन सप्ताह पहले प्रधानामंत्री से समक्ष रखी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब, श्री सुब्रत मुखर्जी बोलेंगे।

(व्यवधान) कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, आप इसे पढ़ नहीं सकते। आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं लेकिन इसे पढ़िए मत। मैं आपसे बार-बार यह कह रहा हूं। आप इस बात का उल्लंघन कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। अब, मैं श्री सुब्रत मुखर्जी को बोलने के लिए बुलाता हूं।

(व्यवधान)

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? क्योंकि माननीय सदस्य ने एक वक्तव्य पढ़ा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे देखें और यदि किसी सूचना के बिना किसी के विरूद्ध कोई आरोप लगाए गये हैं तो उन्हें कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, यदि कोई आरोप हैं तो उन्हें निकाल दिया जायेगा।...

(व्यवधान)

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के लोग ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी, आप इसे पढ़िए मत।

श्री सुब्रत मुखर्जी: महोदय, मैं पढ़ नहीं रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले उठाते वक्त आप इसे पढ़ सकते हैं लेकिन अभी आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ वाक्यों में ही कहें। क्योंकि ऐसा करना सभा के नियमों के उल्लंघन के समान ही है। आप ऐसा न करें।...

(व्यवधान)

श्री सुब्रत मुखर्जी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के लोग विशेषकर उत्तरी बंगाल के लोग दूर संचार विभाग की हाल में हुई हड़ताल के कारण बहुत लम्बे समय से परेशानी का सामना कर रहे हैं। दूरसंचार प्रणाली यहां लगभग पूर्णत: ठप्प पड़ी है। मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, व्यापार संघों, वाणिज्य एवं उद्योग संघ और राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों से बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैंने संचार मंत्री को एक पत्र लिखा है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई। अत:, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल इस बारे में कदम उठाएं।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी): महोदय, मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के गौंडारमोर इलाके में 31 जुलाई, 1995 को हुई एक दु:खद घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। उस दिन सीमा सुरक्षा बल कैम्प के एक जवान की छुरा घौंप कर हत्या कर दी गई थी। इसे सुनकर कैम्प से काई जवान सड़कों पर निकल गए और यात्रियों, बसों और टैक्सियों समेत निर्दोष लोगों को मारने लगे। उन्होंने आसपास के क्षेत्र की दुकानों और घरों को लूटा और जलाया भी था।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह इस प्रकार की पहली घटना नहीं है। उस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के दो या तीन कैम्प हैं और जवानों को अक्सर गांव में प्रवेश करते पाया गया है। वे लोगों को परेशान कर रहे हैं और उस क्षेत्र की शान्ति को भंग कर रहे हैं।

अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की जांच करें और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की खिंचाई करें। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि पीड़ित परिवारों की मदद भी करें।

(हिन्दी)

श्री प्रभु दयाल कठेरिया: उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य भगवान शंकर रावतजी ने जो मुद्दा उठाया, मैं भी अपने को उसी से सम्बद्ध करता हूं। फिरोजाबाद में जितने भी उद्योग हैं वे बर्बाद हो जायेंगे। यह ठीक है कि ताजमहल की सुरक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन इससे लाखों मजदूर बेकार हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की पहल करनी चाहिए। अगर पहल नहीं की गई तो लाखों मजदूर सड़क पर आ जायेंगे और बड़ी भयंकर स्थिति आगरा-फिरोजाबाद में हो जायेगी। लाखों मजदूर बेकार न हों, इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभु दयाल, क्या आप रेलवे स्टेशन की सफाई के बारे में इस मामले को संबंधित महाप्रबंधक या संबंधित अधिकारियों की नोटिस में नहीं ला सकते। मुझे यह कहते हुए कि खेद है कि सभा को इस तरह के मामलों में न घसीटा जाय।

प्रो. प्रेम कुमार धूमला: ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभु दयाल, आप अपनी बात कह चुके है।

(हिन्दी)

प्रो. प्रेम धूमला (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, लगभग सभी सांसदों को सांसद की स्थानीय विकास निधि कोष में से खर्च करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें बताया गया है कि फंड जिलाधीश के पास

रहेगा उसके ब्याज को भी हम विकास के लिए खर्च कर सकते हैं। लेकिन मुझे जिलाधीश का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांटीजेंसी चार्जेज उसमें से काटे जायेंगे और वह फंड वहां भेजा गया कंटीजेंसी फंड काट काट कर बाकी का आबंटन किया गया है।

अपनी तरफ से बहुत से जिलाधीश शर्तें लगा रहे हैं, विशेष करके उन प्रदेशों में जहां सरकार किसी दूसरी पार्टी की है।

महोदय, बहुत से लोग श्रमदान करके अपना योगदान देना चाहते हैं, जैसे महिला मंडल का भवन बन रहा है, युवा संगठन अपने लिए बनाना चाहते हैं, वे वहां योगदान देना चाहते हैं लेकिन सरकार की ओर से उनको हतोत्साहित किया जा रहा है। कर्मचारी और अधिकारी सहयोग नहीं देते। बहुत से कार्यक्रमों में जिस संस्था को धन देना होता है उस संस्था में जब वे जाते हैं तो वहां का प्रमुख अधिकारी वहां से भाग जाता है। स्कूल का मुखिया बुलाएगा कमरे के लिए पैसा दो। ...(व्यवधान) वहां पर बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से बहुत सी अड़चने खडी की जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र की ओर से स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी को दिए जाएं कि वे सांसद के स्थानीय विकास निधि के धन को आबंटित करने और खर्च करने में पूरा सहयोग दें और केन्द्र की ओर से संसद की एक समिति बनाएं जो उसके सारे काम की जांच करे।

महोदय इस वर्ष की जो राशि है वह 1 करोड़ की अपेक्षा मात्र 50 प्रतिशत भेजी गई है, यह पूरा का पूरा धन जिलाधीशों को भेजा जाए ताकि सांसद समय रहते अपनी अनुशंसा दे सकें और विकास के कार्य भी सब जगह हो सकें। मैं चाहूंगा कि इसमें सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. धूमल सांसदों की निधि के बारे में, यदि कोई कठिनाइयां हैं तो आप ग्रामीण विकास सचिव से मिल सकते हैं। फिर भी यदि इसका समाधान नहीं होता है, यदि कोई शंकाएं रहती हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट किया हुआ है कि सदस्य किसी भी समय उनसे मिल सकते हैं ताकि इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए जा सकें।

प्रो. प्रेम धूमल: दूसरी सभा में कार्यवाही यह दर्शाती है कि इस मामले की जांच करने के लिए उन्होंने पहले ही एक समिति गठित करने का निर्णय ले लिया है। महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस पर कार्यवाही करना चाहती है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो: महोदय, स्थिति यह है कि अधिकांश राज्यों में 2.05 करोड़ रू. की पूरी राशि जारी कर दी गई है। यह पहली बात है। यह सच है कि कार्यक्रम वैसे ही नहीं चल रहा है जैसे इसे चलना चाहिए था। इस लोक सभा की अवधि समाप्ति के कुछ ही महीने रह गये हैं। समस्या मूल रूप से क्रियान्वयन एजेंसी की है और वे क्रियान्वयन एजेंसियां जिला स्तर पर कार्य करती है। जैसा कि आपने ही ठीक ही कहा कि अध्यक्ष महोदय इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की देखरेख और मार्ग-दर्शन करने के लिए राजी हो गये हैं। इस कार्यक्रम में मेरी गहरी रूचि होने के कारण न केवल मंत्री के रूप में अपितु संसद का सदस्य होने के नाते, मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकार की मशीनरी को इस तथ्य के बारे में सजग किया जाना चाहिए कि सामान्य ढंग से, सामान्य प्रशासनिक विलम्ब के ढंग से, इस कार्यक्रम की प्रगति नहीं हो सकती है। प्रक्रिया संबंधी विलम्ब को कम करने और अगले तीन महीनों या इतनी अवधि में पूरी राशि खर्च करने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम बनाया गया है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. धूमल का आरोप यह है कि वे इस राशि में से आनुषंगिक प्रभार की कटौती कर रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो: ये ब्यौरे संबंधी मामले हैं और इन्हें देखा जा सकता है ...(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): महोदय, सरकार ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि केवल 50 लाख रूपये दिए गए हैं और सरकार ने शेष 50 लाख रूपये की राशि निर्वाचन-क्षेत्र को नहीं दी है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो: मैं मंत्री जी से इस पर रोक लगाने के लिए अवश्य कहूंगा। लेकिन नियमों के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जब तक वह विशेष धनराशि खर्च नहीं की जाती, तब तक और धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि पहले खर्च की जानी चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो: मैं इसे मंत्री जी के पास भेजूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थिति यह है कि एक करोड़ रूपये पहले ही जारी किए गए हैं और उसके अतिरिक्त 50 लाख रूपये की धनराशि भी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को जारी की गई है। लेकिन क्रियान्वयन प्राधिकारी बहुत धीरे कार्य कर रहे है; वे शीघ्र कार्य नहीं कर रहे है। इसलिए इसे तुरन्त पूरा करने के लिए एक विशेष निर्देश देना होगा।...

(व्यवधान)

श्री राम नाईक: 50 लाख रूपये की शेष धनराशि क्यों नहीं भेजी गई। महोदय, क्रियान्वयन पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि जब तक 50 लाख रूपये की शेष धनराशि निर्वाचन क्षेत्र को भेजी नहीं जाती, तब तक राज्य सरकार इस कार्यक्रम को प्रारम्भ नहीं करेगी। इसलिए, सरकार 50 लाख रूपये की इस शेष धनराशि को क्यों नहीं भेज रही है। यहां मुद्दा यह है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो: मुद्दा यह है। आपके अनुसार, 1.55 करोड़

रूपये भेजे गये है। क्या उस धनराशि को खर्च किया गया है? क्या कार्यक्रम कम से कम उस सीमा तक स्वीकृत किया गया है? मुद्दा यह है। उत्तर कमोबेश 'नहीं' होगा। हम जो आवश्यक होगा करेंगे। मैं यहां सांसद में माननीय मंत्री से इस पर और आगे चर्चा नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को मशीनरी को चुस्त बनाना है।

श्री राम विलास पासवान : हमने पहले ही परियोजना को भेज दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सरकार का कर्तव्य है। माननीय मंत्री जी यहा अस्थित हैं।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरी धर गमांग): हमने पहले ही 50 लाख रूपये जारी कर दिए है।

श्री राम नाईक: आपको अन्य 50 लाख रूपये भी जारी करने चाहिए।

श्री गिरी धर गमांग: क्लैक्टर की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर मार्ग निर्देश बनाए जाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : वह मार्ग निर्देश नहीं है। आपको पैसा भेजना है।

श्री गिरी धर गमांग: आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे है?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के पास जो जानकारी है, वह सुनें।

श्री राम विलास पासवान : संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा धनराशि का दुरूपयोग किया जा रहा है। वे छोटे ठेकेदार नियुक्त कर रहे हैं। कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है।

श्री गिरिधर गमांग: मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। मंत्रालय द्वारा जारी की गई 50 लाख रूपये की धनराशि वर्ष 1995-96 से संबंधित है। वह धनराशि मार्ग निर्देशों के आधार पर जारी की गई है।

श्री राम नाईक: मार्ग निर्देश कहां है?

श्री गिरिधर गमांग: मार्ग निर्देश सभापटल पर रखे गये थे। मैंने सदस्यों को पत्र लिखे है। मैंने मार्ग निर्देश सभापटल पर रखे थे और मैंने मार्ग निर्देशों के साथ व्यक्तिगत रूप से पत्र भी लिखे हैं। मार्ग निर्देशों तथा किए गये निर्णय के अनुसार 50 लाख रूपये जिला कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जारी किए जायेगें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ): यह गलत है। कलेक्टर कभी भी धनराशि खर्च नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें माननीय मंत्री जी की पूरी बात सुननी चाहिए। यदि कोई शंकाएं हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : यह मार्ग निर्देश नहीं है। माननीय मंत्री जी जो कुछ कह रहे है वह बहुत भ्रामक है।

श्री चन्द्रजीत यादव: माननीय मंत्री को मार्ग निर्देश दिखाने चाहिए। वह मार्ग निर्देश कहाँ है जिसमें बताया गया है कि धनराशि कलेक्टर से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात दो किस्तों में जारी की जायेगी? वह रिपोर्ट कभी प्राप्त नहीं हुई। एक करोड़ रूपये की धनराशि संसद सदस्यों की सिफारिश पर जारी की जानी चाहिए। इस धनराशि को लेकर कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

(हिन्दी)

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, ठेके करवाए जा रहे हैं, कलेक्टरों के द्वारा पैटी कांट्रेक्टर्स नामीनेट किए जा रहे है। रूपये की बंदर-बांट हो रही है।

(अनुवाद)

श्री गिरिधर गमांग: धनराशि कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर जारी की जायेगी। मार्ग निर्देश यह है। पिछले वर्ष, सभा की इस समय-अवधि के दौरान एक करोड़ रूपये की समस्त धनराशि को एक साथ जारी करने के लिए माननीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की गई थी और इस संबंध में माननीय सदस्यों ने भी मांग की थी। हमने वित्त मंत्रालय के साथ भी बातचीत की, लेकिन इस समय विद्यमान मार्ग निर्देशों के अनुसार, हम एक करोड़ रूपयें एक साथ जारी नहीं कर सकते।

श्री राम विलास पासवान : आप ने मार्ग निर्देशों का अध्ययन नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें माननीय मंत्री जी को सुनना चाहिए। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

(हिन्दी)

श्री गिरिधर गमांग: आपको कोई क्लेरीफिकेशन चाहिए तो मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग बीच में मत बोलिए ...(व्यवधान)

एक करोड़ रूपये भेजने का जहां तक सवाल है तो एक करोड़ रूपया एक साथ नहीं भेजा जा सकता, इंस्टालमेंट्स में भेज सकते हैं। इसलिए 50 लाख पहले भेजा गया है, 50 लाख फिर भेजेंगे। ...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, समस्या दो प्रकार की है। एक है कि पैसा जहां पहुचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहा है। उसके बारे में मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि हमने एक करोड़ रूपया पिछले साल का रिलीज किया है और इस साल 50 लाख का एक इन्सटालमेंट रिलीज किया है और इसके बाद फिर 50 लाख रिलीज करेंगे जब कलेक्टर से रिपोर्ट आ जायेगी। अब स्थिति दूसरी हो रही है। पहली तो यह कि जहां जो मेम्बर है अगर उनकी

मन-पसंद सरकार है तो कोई समस्या नहीं है और अगर नहीं है तो जैसे मैं बता रहा हूं कि हमने अपनी स्कीम रिकमेंड की ओर स्कीम की सूची भेजी और एस्टीमेट बन गया। जो एस्टीमेटिड एमाउन्ट था उसको बता दिया। कि इस स्कीम में इतना पैसा लगना चाहिए। अब दुबारा एस्टीमेट बन रहा है जिससे देरी हो जाए और काम न होने पाए। इस प्रकार से समस्या पैदा की जा रही है। दूसरे, हम लोग चाहते हैं कि जो गाइड-लाइन्स हैं उसके अनुसार सरकार की कोई एजेंसी इस काम को करे और इस पर हम लोगों को कोई एतराज नहीं है लेकिन पैटी-कंट्रक्टर इस काम के लिए बहाल किये जा रहे हैं और जिसमें राजनीति से काम लिया जा रहा है जिससे यह प्रचारित किया जा सके कि यह एम.पी. फंड का स्कीम नहीं है और यह दूसरे फंड का स्कीम है। दूसरा, इसको डिले करा देंगे और फंड को लोग खा जायेंगे। इस प्रकार से गाइड-लाइंस का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप इसकी मॉनिटिरिंग कराइये, जांच कराइये। इस पर तो एम.पी. का अधिकार होना चाहिए कि वह कौनसी एजेंसी से काम कराए। एम.पी. की स्कीम है लेकिन उससे शिलान्यास नहीं कराया जा रहा है। आप गाइड-लांइस दीजिए कि यह लोकल एरिया डवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत यह स्कीम है। हमें शिलान्यास करने में कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन एम.पी. स्कीम का यह पैसा है यह लोगों को पता होना चाहिए। आज पैसे का बंदरबांट हो रहा है। आज कुछ लोगों को मालामाल बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को शिकायत है कि पैसा लेकर फंड को रिलीज किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए जिससे सही मायने में स्कीम का क्रियान्वयन हो। इस स्कीम के लिए स्पीकर साहब ने भी इनीशियेटिव लिया था और अंत में सरकार ने इस स्कीम को माना था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्कीम का जो परपज था वह ही डिफीट हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि पूरी की पूरी राशि को इस साल रिलीज कर दिया जाए।

(अनुवाद)

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा सामान्य अनुभव और हमारी सामान्य शिकायत है कि संसद सदस्यों द्वारा मद्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत सुझाई गई और सिफारिश की गई परियोजनाएं जिनके लिए केन्द्र से धनराशि प्रदान की जाती है, सही भावना से क्रियास्थित नहीं की जाती। इसके बारे में वह बहुत सख्त हैं और वास्तव में प्रगति बहुत धीमी है। मैं इस प्रश्न पर सोचता हूं, हम सब को एक होना है। मैंने माननीय सदस्यों से यह आशा की थी कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य तेजी से किया जाये, हमें कतिमय सुझाव देने चाहिए थे। माननीय सदस्यों की इच्छा के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि क्रियान्वयन एजेंसी जिला कलेक्टर होगा। भारत सरकार ने अपना कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया है जो प्रत्येक जिले में जाकर योजना को क्रियाम्बित करे। हमारी संघीय राजनैतिक व्यवस्था में कतिमय कार्य दूसरों पर छोडे जाते हैं। हम सभी चाहेंगें कि सभी राज्य सरकारें तथा उन के द्वारा नियुक्त कलेक्टर इस योजना को उसी भावना से देखें जिससे यह भारत सरकार द्वारा यहां स्वीकृत की गई थी। लेकिन यदि कुछ कलेक्टर, कुछ कारणों से योजना को समय पर क्रियाम्बित नहीं करते, यदि माननीय सदस्यों की इस तरह की समस्या हो, तो मैं यह सुझाव दूंगा कि यहां एक प्रमुख एजेंसी बनाई जानी चाहिए। हम अपनी शिकायतें भेज सकेंगे - मैं वह शब्द जान बूझ कर प्रयोगकर रहा हूं - कि तीन माह पूर्व एक सिफारिश की गई थी और कोई भी प्रगति नहीं हुई है।

यह मेरा अनुभव भी है कि सिफारिशें भेजने के पश्चात् जिला कलेक्टर अन्य अधिकारियों को लिखता है। उससे वरिष्ठ अधिकारी उस मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है और फिर जो रिपोर्ट आप प्राप्त करते है अथवा संदेश जो आप प्राप्त करते है उससे केवल यह उल्लेख किया गया है कि इसे अनुमोदन हेतु भेजा गया है। अथवा अनुमोदन एक विशेष प्राधिकारी से अनुमानों के प्राप्त होने के पश्चात ही प्रमान किया जायेगा। अब 'अनुमोदन' शब्द बहुत भ्रामक है। अनुमोदन कौन देगा? मेरे विचार से अनुमोदन संसद सदस्य द्वारा दिया जाना होता है। और अन्य क्रियान्वयन एजेंसिया है। हमारा उसमें और कोई काम नहीं है। हम उस धनराशि को छूना नहीं चाहते। वह जिला कलेक्टर द्वारा खर्च की जानी है। परन्तु यदि योजना मार्ग निर्देशों, जो यहां बनाये गये है, के अन्तर्गत आती है तो उसे अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से, हमें इस विषय में पार्टी लाइन से ऊपर उठना है। ऐसा नहीं है कि केन्द्र सरकार की कोई कमी है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि केन्द्र से क्या चाहते है। केन्द्र सरकार ने हमें धनराशि प्रमान कर दी है। यह अच्छा होगा कि आप एक बैठक करे, माननीय अध्यक्ष विभिन्न दलों के सभी नेताओं के साथ एक बैठक करे और इसके उपाय करें। एक विस्तृत प्रकार्या परिचालित किया गया है। मुझे एक प्रति मिली है, अन्य माननीय सदस्यों करे भी वह अवश्य मिली होगी जिसमें हमें किए गये कार्य का विवरण देना है। उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। एक व्यक्ति की यहाँ नियुक्ति की जा सकती है जो इन लोगों को लिखेगा कि वे यह सुनिश्चित करे कि कार्य बिना किसी विलम्ब के किया जा रहा है। मेरे विचार से वह समाधान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मेरे विचार से प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है।

डा. विश्वनाथम कैनिथी (श्री काकुलम): महोदय, संसद सदस्यों को कार्य का चयन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन संसद सदस्यों को उस पर निगरानी रखने अथवा उसका निरीक्षण करने का अवसर नहीं दिया जाता है। कहीं भी उनका संबंध उससे नहीं है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए। जिस ढंग से इसका अनुसरण किया जा रहा है, वह अस्पष्ट है। इस तरह वे कार्य को एक ठेकेदार को दे रहे है। ठेकेदार अनुमानित लागत को कम कर सकता है अथवा उसे बढा सकता है। यदि लागत अधिक है तो आप पैसा कहा से प्राप्त करते है? यह एक प्रश्न है। संविदा नियमों के अनुसार यदि ठेकेदार कार्य में विलम्ब करता है, तो एक संसद सदस्य उसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? यहां ऐसे भी कार्य है जो कई वर्षों से लम्बित है। यदि संसद

सदस्यों के लिए इस क्षेत्र विकास निधि का भी यही हाल हुआ तो निश्चय ही जिस उद्देश्य के लिए वह दी गई है, वह ही समाप्त हो जायेगा मैं सुझाव देता हूं कि या तो यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाना चाहिए क्योंकि यह केन्द्र का निकाय है या इसे ग्रामीण स्तरीय समिति को सौंपा जाना चाहिए जहां वह विशेष कार्य किया जाना है। संसद सदस्यों को कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। यदि संसद सदस्यों को यह उत्तरदायित्व दिया जाता है, तो कोई भ्रम नहीं होगा – (व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, इस तरह का कार्य पहली बार प्रारम्भ किया गया है। लेकिन जहां तक इसके क्रियान्वयन का संबंध है, कोई उचित धारणा नहीं है। जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने बताया है, इसके क्रियान्वयन के संबंध में कई कठिनाइयां अनुभव की जा रही है।

अब जहां तक ठेकेदारों का संबंध है, 20,000 रू. या 25,000 रूपये के छोटे कार्य को करने के लिए वे आगे नहीं आते हैं और वे इसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। कोई स्तर होना चाहिए जिसके अन्दर ही इन कार्यों को ग्राम विकास समितियों को सुपुर्द किया जाए, जैसा कि संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है।

दूसरा, 1 करोड़ रू. कलेक्टर के पास वितरित करने के लिए दिये जाते हैं। लेकिन अधिकांश कलेक्टरों ने इस राशि को विभिन्न बैंकों में जमा करा दिया है। इस 1 करोड़ की राशि पर कुछ ब्याज भी जमा होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस ब्याज का हिसाब-किताब कैसे रखा जाता है और क्या यह राशि छः महीने, दस महीने या एक वर्ष के लिए जमा की जाती है। ये कठिनाइयों हैं। मेरा सुझाव है कि एक खास स्तर की राशि के नीचे या यों कहिए 1 लाख रू. से कम की राशि का कार्य जैसा कि संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है ग्राम विकास समितियों को सौंपा जाये ताकि काम का वितरण सही तरह हो सके और कार्य की प्रगति भी बेहतरह हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे राजनीतिक दलों के नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाएं जिससे माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा की जा सके और इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए कुछ नए नियम और विनियम बनाए जायें और इन्हें लागू करने वाले प्राधिकरणों को चुस्त बनाया जा सके।...

(व्यवधान)

श्री गिरिधर गमांग: मैं, माननीय सदस्यों और अध्यक्षपीठ ने इस कार्यक्रम को नीचले स्तर पर लागू करने में आ रही अनेक कठिनाईयों के बारे में जो कहा है उसका समर्थन करता हूं। मैं आपके इस विचार का भी समर्थन करता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने जो इस कार्यक्रम पर दिशानिर्देश देते आए है, पहले भी एक बैठक की थी जो बहुत उपयोगी रही थी।(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: परसों आप भी बैठक में उपस्थित थे। यहां माननीय सदस्य के समक्ष संसदीय कार्य मंत्री ने बताया नहीं था। मेरा मुद्दा केवल यही है।

(हिन्दी)

माननीय मंत्रीजी जो बात कह रहे हैं और पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने स्पीकर साहब के सामने जो कहा, इन दोनों में अन्तर है। पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने कहा कि हम पैसा तत्काल वहां भिजवा रहे हैं। ये कह रहे है कि गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं जाएगा। इस तरह की गाइडलाइन कहीं नहीं है। गाइडलाइन यह है कि किसी तरह का प्रोजेक्ट आप देंगे। लेकिन पैसा इन्स्टालमेंट्स में जाएगा, ऐसा गाइडलाइन में कभी नहीं था। अगर इस तरह की बात मंत्रीजी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ब्यूरोक्रेसी को और गुमराह कर रहे हैं। यह पैसा लैप्स होने वाला नहीं है। अगर एक साल में खर्च नहीं होगा तो दूसरे साल में खर्च होगा। हमको इस बात की चिन्ता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, 6 महीने बाद इलेक्शन होगा, कौन मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट होगा, यह पीपुल्स के विल पर है। अगर तत्काल पैसा नहीं जाता है तो फिर एम.पी. एक करोड़ की अपनी स्कीम किस आधार पर तैयार करके देंगे। मेरा आग्रह है कि गाइडलाइन में इन्स्टालमेंट्स का नहीं है। इसको कहकर आप उनको बरगलाने का काम मत करिए।(व्यवधान)

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने भी बैठक में भाग लिया था। हम यहां कोई निर्णय नहीं लेते हैं और इस योजना को क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाइयां हैं। पुनः, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मंत्री महोदय को भी बुलाएं। यदि कुछ कठिनाइयां है तो हम मिल बैठ कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं भी इस समस्या का सामना कर रहा हूं। योजना को मंजूरी देने में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है। क्रियान्वयन भी पर्याप्त नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह खड़े हो गए है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बंसल जी, आपकी अपनी समस्या है और उनकी अपनी समस्या है, वे शौक से इस प्रश्न को नहीं उठा रहे है। वास्तव में उनकी कोई समस्या है। मैं उपाध्यक्ष हूँ फिर भी, मेरी अपने निर्वाचन क्षेत्र में समस्या है। मैं यह अधिकार के साथ कह रहा हूं। इसीलिए,

यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनकी समस्याओं को सुनें। सरकार और संसद सदस्यों में आपस में उचित तालमेल नहीं है। कुछ कार्यकारी अधिकारियों को इसे तुरंत लागू नहीं करने के लिए कहा गया है। वे अनावश्यक रूप से इसमें विलम्ब कर रहे हैं। हमें कार्यकारी अधिकारियों की दया पर छोड़ दिया गया है।.....

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री सुरेशानन्द स्वामी (जलेसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र चार जनपदों में आता है। आपने एक करोड़ रूपया सांसदों के लिए दिया है।

1.00 म.प.

मैंने सभी जगह अपने कार्यक्रम दिये, लेकिन एटा के जिला अधिकारी महोदय ने बिना मेरी मर्जी के 20 लाख रूपये खर्च कर दिये जबकि मैं बारबार कहता रहा कि मेरी मर्जी के बिना काम मत करिये। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और समाजवादी पार्टी का शासन चल रहा था। उस पार्टी के कार्यकर्ता जैसा कहते थे, उसी तरह काम हो जाता था। मैंने कई बार यहां लिखकर दिया और माननीय उत्तमभाई एच. पटेल साहब को भी लिखा। जब वहां से जांच होकर आयी तो मैंने उन्हें दिखाया कि देखिये, हमारे यहां क्या हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इच्छा के बिना, जिला अधिकारी हमारे यहां पैसा खर्च कर रहे हैं, जो वर्तमान व्यवस्था के अनुकूल नहीं है ...(व्यवधान) हमारे जिले में 20 लाख रूपया ऐसे ही खर्च कर दिया गया।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हर संसद सदस्य की कार्यवाही अधिकारियों के साथ किसी न किसी तरह की समस्या है। कलेक्टर उचित ढंग से कार्यवाही नहीं करते हैं। वे वस्तुत: इस कार्यालय द्वारा भेजे गये दिशानिर्देशों को समझते नहीं है। इसलिए, मैं माननीय सदस्य से अनुरोधध करता हूं कि वे बैठक आयोजित करें, प्रत्येक सदस्य को सुनें और समस्या का समाधान करें। 1 करोड़ रूपये पहले ही दिए जा चुके हैं लेकिन कलेक्टर काम में बहुत अधिक देरी ऐसे कर रहे हैं जैसे यह लोक निर्माण विभाग का काम है। वे धनराशि में भी कुछ कटौती करते हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि कलेक्टर इस तरफ समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से एक बार फिर बैठक बुलाने का अनुरोधध कर रहा हूं।....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि कई माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं क्योंकि यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। वस्तुत: मैं इस मुद्दे पर 12.35 म.प. के आस-पास बहस समाप्त कराना चाहता था, लेकिन सभा के विचारों को जानते हुए मुझे इसे 1.00 बजे म.प. तक जारी रखना पड़ा। इसे और अधिक खींचना सभा के नियमों का उल्लंघन होगा। अत: मेरे साथ सहयोग कीजिए। मैं माननीय अध्यक्ष से कहूंगा कि वे स्वयं यह देखें कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो।

श्री गिरिधर गमांग: महोदय, मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके आज के उत्तर से कोई भी सदस्य संतुष्ट नहीं होगा। अत:, मेरा आप से अनुरोध है कि कलेक्टरों से आवश्यक सूचना प्राप्त करके पूरी तरह तैयार होकर आयें। यदि मंजूरी प्रदान करने में कोई विलम्ब होता है तो आप ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। वे विकास की प्रक्रिया में आड़े आई है।

(हिन्दी)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके आदेश के लिए आपको बधाई देते हैं। आपने बहुत अच्छा आदेश दिया ...(व्यवधान)

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय आज सत्र का अंतिम दिन नहीं है। यह सत्र लम्बा चलना है। आप सभी आवश्यक सूचना को हमारे सदस्य चाहते हैं किसी दिन सवेरे एकक करके सभा में विस्तृत विवरण दे सकते हैं। आपने उत्तर देने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ और जानकारी की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि अगली बार आप यथावश्यक सूचना देने की स्थिति में होंगे। धन्यवाद।

अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

1.03 म.प.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश 1955 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): श्री पी.ए. संगमा की ओर से, मैं बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1955 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7995/95)

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा की ओर से मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1995, जो 15 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 176 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1995, जो 15 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 177 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा. का. मि. 213, जो 29 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 22 अक्तूबर, 1994 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 513 का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1995, जो 14 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 548 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7996/95)

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) (i) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7997/95)

(तीन) (i) फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7998/95)

(पांच) (i) लाला राम स्वरूप इंस्टिट्यूट आफ टयूबरक्लोसिस एण्ड एलाईड डिसीजेस, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) लाला राम स्वरूप इंस्टिट्यूट आफ टयूबरक्लोसिस एण्ड एलाईड डिसीजेस, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(छः) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7999/95)

(सात) (i) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(आठ) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखते में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 8000/95)

1.4½ म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

श्री संत राम सिंगला (पटियाला): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों संबंधी समिति का चवालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.05 म.प.

लोक लेखा समिति

एक सौ चारवां प्रतिवेदन

(हिन्दी)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) मैं 'मोडवेट योजना – धोखाधड़ी से क्रेडिट का लाभ उठाना' के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) का एक सौ चारवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(अनुवाद)

1.05½ म.प.

संचार संबंधी स्थायी समिति

बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) महोदय, मैं संचार स्थायी समिति के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

(एक) फिल्म प्रभाग के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

1.06 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :-

''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 अगस्त, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1995 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

1.06½ म.प.

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1995

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव: महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 8 अगस्त, 1995 को यथा पारित बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक 1995 सभा-पटल पर रखता हूं।

1.07 म.प.

कार्यकरण समिति

तिरपनवां प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

''कि यह सभा दिनांक 8 अगस्त, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य समिति के तिरपनवां प्रतिवेदन से सहमत है।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा दिनांक 8 अगस्त, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य समिति के तिरपनवां प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1.08 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आवास सुविधाएँ उपलब्ध कराने संबंधी नियमों में विसंगतियों को दूर किये जाने की आवश्यकता

डा. विश्वनाथम कैनिथी (श्रीकाकुलम): महोदय, देश में सभी परिवारों को स्थायी और पक्के मकानों की निस्संदेह एक अनिवार्य

आवश्यकता है। परन्तु, अधिकांश परिवार, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कम आय के कारण सभी मौसमों के अनुकूल मकानों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। श्रमिक वर्ग, छोटे और सीमात किसान, कृषि दस्तकार और मछुआरे अपने पुराने छप्परों को नहीं बदल पाये हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पिछले दस वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन गरीब वर्गों को 17 लाख मकान दिये गए थे जिनके मकान प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ अथवा वर्षा के कारण नष्ट हो गए थे। हाल ही में यह सुविधा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों को भी दी गई है और 1995-96 के दौरान देश के सभी राज्यों में दस लाख आवास आंबटित किये जायगें। हालाँकि, विद्यमान नियमों में कुछ कमिया हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह इन विसंगतियों को दूर करे और राज्य सरकारों को संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों की समिति बनाने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों का पता लगाने का निर्देश दे। अन्य मार्गनिर्देशों का पालन करते हुये इस मामले में विशेषत: पहले आओ पहले पाओं के आधार पर आवास प्रदान किए जाने चाहिए क्योंकि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए धन से चलाई जा रही है।

(दो) **अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतीराज अधिनियम लागू करने हेतु विधान बनाये जाने की आवश्यकता**

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, संसद ने जिलों और नगरपालिकाओं में पंचायतों की एक समान तीन स्तरीय व्यवस्था कायम करने तथा उनके नियमित चुनाव कराने हेतु 73 वां और 74 वां संविधान संशोधन पारित कर दिया है। ये संशोधन अनुच्छेद 244 (1) तथा अनुच्छेद 244 (2) में उल्लिखित देश के अनुसूचित क्षेत्रों अर्थात संविधान की पाँचवी और छठी अनुसूचियों के उपबंधों के अनुसार शासित किए जाने वाले क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा अनुच्छेद 243 को यथारूप में लागू किए जाने को रोकते हैं।

अनुच्छेद 234 ड 4 (ख) में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता अनुसार कुछ संशोधन करके पंचायती राज प्रावधानों को लागू कर सकती है। कई राज्य सरकारों ने जिला पंचायतों और अन्य पंचायतों को, अनुच्छेद 234 के अनुसार चुनाव कराने के लिये, भंग कर दिया है। परन्तु, कुछ राज्यों में विवाद है कि अनुसूचित क्षेत्रों में चुनाव कराये जाये या नहीं। अगर राज्यों द्वारा अनुसूचित जिलों में पंचायतों के चुनाव नहीं कराये जाते हैं, तो वहाँ पर रिक्ति रहेगी। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम को लागू करने के लिए तत्काल एक विधेयक लाया जाए और राज्यों को अन्य जिलों के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों में चुनाव कराने की अनुमति दी जाये।

(तीन) **कोलार गोल्ड फील्डस कर्नाटक के दोहन के लिए परियोजना स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता**

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय पिछले कई सौ वर्षों से कोलार गोल्ड फील्डस से सोना निकाला जा रहा है। अभी भी, उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में स्वर्ण अयस्क मौजूद है। कोलार गोल्ड फील्डस और उसके आस-पास के क्षेत्रों में एक टन से करीब तीन से चार ग्राम तक सोना प्राप्त होता है। इस प्रयोजनार्थ खोज कार्य शुरू किया जाना है। इसके अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत गोल्ड माइन्स लि. के बोर्ड ने खोज कार्य के लिये विश्व स्तर पर निविदायें जारी की थीं। आस्ट्रेलिया की एक बड़ी कंपनी ने न्यूनतम राशि की निविदा दरें दी हैं। भारत गोल्ड माइन्स लि. बोर्ड ने आस्ट्रेलिया की कम्पनी की निविदा स्वीकार कर ली है। परन्तु इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

यदि खोज कार्य आरम्भ कर दिया जाया है तो इससे भारत गोल्ड माइन्स लि. के करीब 20,000 कर्मचारी और इस कंपनी पर निर्भर तीन लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। कर्नाटक के लोग इस महत्वाकांक्षी परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने का बेसब्र से इन्तजार कर रहे हैं।

इसलिये, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को तत्काल मंजूरी दी जाये ताकि भारत गोल्ड माइन्स लि. के कर्मचारी और उनके परिवार के लोग अपनी आजीविका अर्जित कर सकें।

(चार) **केरल के कन्नानौर जिले में अजीक्कल पत्तन को बारहमासी पत्तन के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर): उपाध्यक्ष महोदय, केरल का तटीय क्षेत्र काफी लम्बा है। कई शताब्दियों से केरल समुद्री व्यापार के किये विख्यात है। परन्तु, वर्तमान में कोचीन पत्तन को छोड़कर केरल के अन्य छोटे और मझोले पत्तनों का उपयोग नहीं हो रहा है। केरल के सामाजिक-आर्थिक विकास में इन छोटे और मझोले पत्तनों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

मैं सभा में केन्द्र सरकार का ध्यान हो केरल के मालाबार क्षेत्र के कन्नानौर जिले में अत्यधिक क्षमता वाले अझीकल पत्तन की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। यह पत्तन आदर्श स्थान पर स्थित है और यह केरल के कासरगौड, कन्नानौर और वायनाड जिलों तथा कर्नाटक के कुर्ग तथा मैसूर जिलों में पैदा की गई नकदी फसलों के निर्यात के लिये महत्वपूर्ण केन्द्र बन सकता है। इस पत्तन के निकट अझीमाला नौसेना अकादमी स्थापित किये जाने के कारण इस पत्तन का महत्व और बढ़ गया है। इस जगह से राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और मद्रास-मंगलौर रेल मार्ग के गुजरने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है।

इस पत्तन के बढ़ते हुये महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस पत्तन को बारह मासी पत्तन के रूप में विकसित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये क्योंकि इससे केरल के पिछड़े मालाबार क्षेत्र के चहुमुखी विकास की सभावनाएं काफी बढ जायेंगी।

(हिन्दी)

(पाँच) बरेली, उत्तर प्रदेश को जाने डीजल और मिट्टी के तेल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): मान्यवर उपाध्यक्ष जी, बरेली जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महानगर है, मैं पिछले कुछ महीनों से डीजल एवम् मिट्टी के तेल की आपूर्ति निरन्तर बाधित हो रही है। इस कारण इनका कृत्रिम अभाव हो रहा है तथा यह वस्तुएं कालेबाजार में बिक रही हैं, जहां उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ रहा है। यह कमी विभिन्न कारणों से हो रही है, जैसे रेल वैगनों का न मिल पाना आदि है। इस क्षेत्र में नियमित सप्लाई हेतु निकटवर्ती जनपद बदायूं के अनुरूप इन पदार्थों की आपूर्ति मथुरा रिफाइनरी से किये जाने का सुझाव मैंने पूर्व में भी दिया है, परन्तु अभी तक उपयुक्त कदम नहीं उठाये गये हैं।

मेरा माननीय तेल एवम् प्राकृतिक गैस मंत्री जी से आग्रह है कि इस ओर ध्यान देकर इन पदार्थों की नियमित आपूर्ति हेतु उपयुक्त कदम उठायें।

(छ:) सेवा निवृत्त रक्षा कर्मियों की पेंशन में एक बार बढ़ोत्तरी की योजना में विसंगतियों को दूर किए जाने की आवश्यकता

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर): रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त अनेक श्रेणी के कर्मचारियों को ''वन रैंक वन पेंशन'' की नीति के अन्तर्गत जो एक समय की वेतनवृद्धि दी गई है उसमें अनेक श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है। जिसके कारण भू.पू. सैनिकों में भारी असंतोष हैं।

देश की रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त भू.पू. सैनिक शांतिप्रिय एवम् अनुशासित नागरिक है, लेकिन इस एक समय की पेंशन वृद्धि से उन्हें वंचित रखने के कारण उनमें असंतोष व्याप्त है और सरकार की इस कार्यवाही के कारण अनुशासित एवम् शांतिप्रिय लोगों को अन्दोलन की राह पकड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है। .

रक्षा सेवाओं में सेवा निवृत्ति के बाद कुछ लोगों ने थोड़े समय के लिए कहीं शासकीय या अर्धशासकीय विभाग, निगम एवम् अन्य निकायों में सेवा (रीएम्पलायमेंट) के कारण उन्हें इस एक समय की वेतनवृद्धि से वंचित किया गया है। इसी प्रकार से जो आनरेरी रैंक सेना की तरफ से कर्मियों को दिया गया है, उन्हें भी इस पेंशन वृद्धि से वंचित रखा गया है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि ऐसे सभी भू.पू. सैनिकों को जिन्हें इस पेंशन वृद्धि से वंचित रखा गया है, अविलम्ब यह पेंशनवृद्धि दी जाए ताकि देश के भू.पू. सैनिकों में व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सके।

(अनुवाद)

वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम): महोदय, सिक्किम की कुल जनंसख्या का एक चौथाई भाग विद्यार्थी हैं। परन्तु विद्यालयों में बीच में ही पढ़ाइ छोड़ देने की दर निरन्तर बढ़ती जा रही है।

इसका एक कारण लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, योग्य अध्यापकों की कमी दुर्गम भू-भाग तथा राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी आदि है।

ऐसी स्थिति में, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों, जो अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, में खुले विद्यालय लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय खुले विद्यालयों में पढ़ाई का माध्यम केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी है। इससे विद्यार्थी हतोत्साहित हो रहे हैं। अत:, यह नितात आवश्यक है कि उनकी पढ़ाई का माध्यम नेपाली भाषा हो, जिससे ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग को भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके।

अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि राज्य में और अधिक खुले विद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक वित्तीय तथा व्यवसायिक सहायता दी जाए और सीनियर सेकेन्डरी स्तर तक शिक्षा का माध्यम नेपाली किया जाये।

(हिन्दी)

(आठ) उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं को बेहतर बनाये जाने की आवश्यकता

डा. एस.पी. यादव (सम्भल): मेरे लोक सभा क्षेत्र सम्भल में दूरसंचार के साधनों की स्थिति ठीक नहीं है। जबकि यह क्षेत्र दिल्ली राजधानी से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सम्भल के सरायतरीन कस्बे से हड्डी, सींग व चमड़े का सामान ज्वेलरी, बेत, कंघा-कघी आदि विदेशों को बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। मेंथा शुगर व अनाज का भी बहुत बड़ा व्यापार है। लेकिन सभी व्यापारी टेलीफोन की व्यवस्था से अत्यन्त दुखी है। कुछ वर्ष पूर्व आटोमेटिक टेलीफोन व्यवस्था की गई थी। परंतु यह ठीक तरह से काम नहीं कर रही है।

अत: भारत सरकार से मेरी मांग है कि सम्भल लोक सभा क्षेत्र के नगरों में सम्भल सरायतरीन, हयातनगर, बहजोई, खिरसी, गुन्नौर, बबराला तथा सभी थानों, तहसीलों एवम् ब्लाक्स में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन व्यवस्था अतिशीघ्र की जाये।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हमें क्या करना चाहिये? क्या हम मध्याह्न भोजनावकाश को स्थगित करके अगला विषय लें? क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।...

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न नीति संबंधी है। क्या हम मध्याह्न भोजन अवकाश को स्थगित करके अलग विषय लें ताकि हम कम से कम एक घण्टा समय तो बचा सकें? यह सभा की इच्छा पर निर्भर है।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): महोदय, चूंकि हमने काफी समय ले लिया है और दो दिन के अवकाश के कारण हमारे पास और भी कम समय है। अत:, मेरा सुझाव है कि मध्याह्न भोजनावकाश को छोड़ दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का क्या कहना है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): महोदय, मैं तो आपकी मर्जी के अनुसार चलूंगा।

(हिन्दी)

जो सदन कहेगा, मैं वैसे ही हाजिर हूं।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : अत:, हम कृषि नीति पर चर्चा आरम्भ करते हैं।

1.20 म.प.

प्रारूप कृषि नीति संकल्प (यथा उपान्तरित) पर विचार करने के बारे में प्रस्ताव जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री ए. वेंकट रेड्डी बोलेंगे।

श्री ए. वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर): महोदय, मैं प्रारूप कृषि नीति संकल्प का समर्थन करता हूं।

महोदय, कृषि पर निर्भर लोगों की आय का स्तर बढ़ाने के लिए इसे लाभपूर्ण और उत्पादक व्यवसाय बनाया जाना चाहिये।

पिछले चार दशकों के दौरान हमारे देश ने कृषि के क्षेत्र में भारी प्रगति की है। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उनके प्रयास से ही देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बना।

महोदय, कृषक देश की रीढ़ है और आज उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, हालांकि वह अपने और अन्य लोगों के लिए अन्न पैदा करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करता है।

महोदय, मैं इस महान सभा से यह निवेदन करता हूं कि कृषक कोई व्यापारी नहीं है। वह अपने उत्पादन के विपणन में असमर्थ है। कृषि सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति ने एक मूल्य नीति सुझाई थी। समिति ने यह सुझाव दिया था कि मूल्य नीति और पूंजी निर्माण का उद्देश्य केवल लागत आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही नहीं होना चाहिए बल्कि किसानों को लाभकारी मूल्य देना भी होना चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।

सरकार द्वारा कृषि उत्पाद के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य से बहुत कम है। किसान को कृषि हेतु निवेश भी वापस नहीं मिलता है। चूंकि समर्थन मूल्य बहुत कम है, अत:, बिचोलिए समर्थन मूल्य के आस-पास मूल्य देकर किसानों का शोषण करते हैं। किसानों को दिया जाने वाला समर्थन मूल्य उसके निवेश से कुछ तो अधिक होना चाहिए। कृषि व्यवसाय एक अर्थक्षम व्यवसाय होना चाहिए ताकि यह पूंजी-निर्माण को आकर्षित कर सकें।

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम सभी कृषि उत्पादों अर्थात् खाद्यान्नों, दालों, मूगफली, सूर्यमुखी, कपास, बागवानी, रेशम उत्पादन एवं सब्जियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

महोदय, सरकार ने दिसम्बर, 1993 में नए 'गैट' समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं यह बात पुन: दोहराना चाहता हूँ कि 'गैट' समझौते के बहुत से उपबन्धों से भारत को लाभ मिलेगा क्योंकि हमारे कृषि-निर्यातों को तुलनात्मक एवं स्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है। यह बात हमारे माननीय कृषि मंत्री, डा. बलराम जाखड़ एवं तत्कालीन वाणिज्य मंत्री तथा अब विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी भी सभा में स्पष्ट कर चुके है।

सरकार ने उर्वरकों एवं कीटनाशकों से कुछ राजसहायता वापस ले ली है। इससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें उर्वरकों एवं कीटनाशकों के लिए भारी कीमतें देनी पड़ रही हैं किन्तु उन्हें कृषि लागत भी नहीं मिल पा रही है। इसके अतिरिक्त, श्रम लागत में भी कई गुणा वृद्धि हुई है और किसान को श्रमिकों को काफी पैसा देना पड़ रहा है लेकिन उन्हें इसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है।

मैं मंत्री महोदय को किसानों की सहायतार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूं:-

1. सरकार को पहले की तरह उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर राजसहायता जारी रखनी चाहिए।

2. सरकार को किसानों को उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य देने चाहिएं। खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इस समय मंत्रालय में जो लोग इन मामलों पर निर्णय लेते हैं। वे नौकरशाह हैं तथा उन्हें कृषि संबंधी जानकारी नहीं हैं। किसानों की उपज का समर्थन मूल्य निर्धारित करते संबंधी मुद्दे पर निर्णय लेने वालों में एक व्यक्ति ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसे कृषि क्षेत्र का पूरा ज्ञान हो।

3. सरकार की कृषि को उद्योग के रूप में मान्यता देनी चाहिए तथा इस क्षेत्र

को भी आज उद्योग को दी जाने वाली सभी रियायतें तथा सुविधाएं दी जानी चाहिएं। देश के चहुंमुखी विकास के लिए कृषि विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

4. आई.ए.आर.आई. एवं अन्य संबंध संस्थानों में बहुत से अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। यह बहुत जरूरी है कि इन सभी अनुसंधान कार्यों के परिणाम देशभर में किसानों तक पहुंचाए जाएं ताकि वे बीजों की नई किस्मों तथा कृषि संबंधी नवीनतम तकनीका अपना सकें।

5. मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत प्रदान करने पर जोर दे ताकि किसान अद्यतन उपकरणों का उपयोग कर सकें तथा उन्हें खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। सरकार द्वारा किसानों को नि:शुल्क बिजली दी जानी चाहिए। मध्यप्रदेश में किसानों को पांच हार्स पावर बिजली मुफ्त दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : रेड्डी गारू, आप माननीय कृषि मंत्री को बधाई देना भूल गये हैं। ड्रिप सिंचाई योजना हेतु भारी धनराशि जारी की गई है। महिला किसानों को यह धनराशि 75 प्रतिशत तक तथा पुरुषों को 50 प्रतिशत तक दी जाती है। मेरे विचार में माननीय कृषि मंत्री की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

श्री ए. वेंकटरेड्डी: महोदय, मैं उन्हें इस बात के लिए भी बधाई देता हूं।

(हिन्दी)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं कल से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मुझे अवसर मिलेगा, आपकी मेहरबानी से मुझे यह अवसर मिला है।

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय कृषि मंत्री जी को, जिनका मैं बड़े भाई के रूप में आदर करता हूं, बधाई देना चाहूंगा और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कम से कम इस मुद्दे पर सोचा-समझा और इस विषय में एक नीति इस सदन में प्रस्तुत करने की पहल की।

मान्यवर, यह बात खासतौर पर वर्षो से कही जा रही है कि भारत गांवों और किसानों का देश है। 90 करोड़ आबादी में से लगभग 55 करोड़ लोग यहां पर खेती पर निर्भर हैं। समाज निर्माण के प्रथम चरण में हमारे देश में खेती को पूजा जाता था, किसान को देवता कहा जाता था। देश के लोगों की आस्था थी कि धरती उनकी मां है। खेती के संबंध में हमारी अवधारणा थी, हम निरंतर सदियों से कहते आ रहे थे कि -

उत्तम खेती मध्यम बान,

अधम चाकरी, भीख निदान।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हजारों वर्ष के बाद हम जिस युग में जा रहे हैं, इस युग में हम खेती को उत्तम कहने में हिचक रहे हैं, आज हमारी मान्यताएं बदल गई हैं। धरती से उत्पन्न होने वाले अन्न प्रति जो हमारी पूजा की भावना थी, युग बदलने के साथ वह भी बदल गई है, पुरानी मान्यताएं बिल्कुल परिवर्तित हो गई हैं। यह कहा जाए कि आज की खेती डालर और पाउंड उगाने लगी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूंजी निवेश करने वाले लोग खेती को एक कारखाना समझते हैं और शायद यही कारण है कि बार-बार आवाज उठती है कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए, लेकिन मैं उन लोगों की मनोवृत्ति को देख रहा हूं, जो बड़े किसानों की बात कर रहे हैं, जो अमूमन बहुत अरसे से इस बात को कहते आ रहे हैं कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। मैं भी यह चाहता हूं कि खेती लाभकारी होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कृषि नीति बनाते समय कृषि को दुकानदारी न समझा जाए। अरसे से खेती के प्रति जो पवित्रता की भावना हिन्दुस्तान में चली आ रही है, उस भावना का लोप न होने पाए। मान्यवर लाभ कमाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। खेती लाभप्रद होनी चाहिए और हमारा नारा रहता है कि किसानों को लाभ मिले, लेकिन इस लाभ की सीमा क्या हो? यह लाभ किस रूप में मिले? किस ढंग से मिले? इस विषय पर कृषि मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। आज प्रोसेसिंग की बात की जाती है। कल तालमखाने की बात की जा रही थी, हमारे यहां 300 तरह के अनाज का प्रोसेसिंग होता है, लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा कि उत्पादक को क्या मिलता है, जो अन्न का या उस वस्तु का उत्पादन करता है, जिसका प्रोसेसिंग होना है।

हम देखते हैं कि हमारा किसान जो आलू पैदा करता है उसका उसको 80 पैसा प्रति किलो मिलता है जबकि यही आलू प्रोसेसिंग होकर 100 ग्राम के पैकिट में जब आता है तो उसकी कीमत 10 से 15 रूपये प्रति पैकेट होती है। आलू पैदा करने वाले को 80 पैसे मिलें, यह कितना कम है। इस पर हमें सोचना होगा। कितना जमीन और आसमान सा अंतर है दोनों में। अभी हम बंगलौर गये थे। हमें एक मित्र से मिलना था। हमने वहां एक दुकान में देखा कि चावल की विभिन्न किस्में, उड़द की विभिन्न किस्में, चने की विभिन्न किस्में वहां रखी हुई थी और 50 से लेकर 200 गुने तक उनकी कीमत में अंतर था। जो चना 18-20 रूपये किलो का है वह प्रोसेसिंग होकर 200 रूपये प्रति किलो बिक रहा है। इसके ऊपर हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना होगा कि इससे कितना किसना को लाभ हो रहा है और कितना उस प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी को लाभ हो रहा है? जब हम कृषि नीति बना रहे है तो हमें इसपर गंभीरता से सोचना होगा। आज गरीब किसान चुप है। वह तमाशा देख रहा है। सब जानते हैं कि उसकी स्थिति क्या है? मैं समझता हूं कि यह कल्पना से बाहर की बात है और इसपर हमें संजीदगी से सोचना होगा। मैं प्रोसेसिंग के खिलाफ नहीं हूं लेकिन उसके द्वारा लाभ एक सीमा तक ही होना चाहिए। उसका मूल्य एक सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो किसान उसका उत्पादन करता है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए।

श्रीमन् आज भले ही जैविकी विविधता की रक्षा की बात की जाये, किसानो के अधिकारों की रक्षा की बात की जाये, हरित-क्रांति की बात की जाये लेकिन में अपने किसान पुत्र कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि इन परिणामों को देखने से पता चलता है कि हमारे कदम निरंतर उल्टी दिशा की ओर ही चल रहे हैं। किसानों की आत्म-निर्भरता समाप्त करने, खेती को औद्योगिक स्वरूप देकर मुझे व्यापारिक घरानो के हितों के लिए बंदी बनाने का काम होता चला जा रहा है। एक बार जब मैं एम.पी. नहीं था और हमारे कृषि मंत्री जी स्पीकर थे तो मैंने कहा था कि मै चाहता हूं कि आप इस गरिमामय पद पर रहें क्योंकि हम फिर चुनकर आ रहे हैं। तक इन्होंने कहा था कि क्या आप चाहते है कि मैं हमेशा स्पीकर ही बना रहूं। तब मेरे मन में आया था कि आपको भारत का कृषि मंत्री होना चाहिए और आज आप कृषि मंत्री है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कृषि मंत्री तो आप हुए और कृषि के बारे में आप माहिर भी हैं लेकिन आप इस पद पर रहकर भी भारत के किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, आपने कुछ भी उनके लिए नहीं किया है। मान्यवर, आज आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, कृषि की नीति बनाने जा रहे हैं और उस कृषि नीति का जिसका इंतजार इस देश को 40 वर्ष से रहा है। आपने परसों इस सदन में बड़ी पीड़ा के साथ कहा था कि किसको कहूं, कौन यहां राय देने वाला हैं। निश्चय ही आपकी पीड़ा कृषि नीति को पेश करते हुए बड़ी मार्मिक थी। मैंने उसी समय खड़े होकर कहा था कि यह नहीं पेश होनी चाहिए जब तक कि सारे के सारे लोगों इस हाउस में न रहे। किसान का मसीहा बनाने वाले हम लोग न रहें, तब तक इस पर विचार न किया जाए।

लेकिन उस समय परिस्थितियां थीं, लोक सभा के कुछ अपने नियम हैं। कुछ कार्यविधियां हैं। उनके तहत आपने स्पीच शुरू करायी। डिसकशन शुरू कराया और इस एक डिसकशन में कई बातें आई। एक तो मैंने देखा कि उस पक्ष के लोग जहां हमारे नीतीश कुमार जी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आलोचनाओं की झड़ी लगा दी और यही सोचा कि इस ढंग से कर लिया जाए कि जैसे हम ही सब कुछ देख रहे हैं, हम ही कृषि में माहिर हैं।

बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने इस पर कहीं, लेकिन जब हम इस पर निष्पक्ष रूप से विचार कर रहे हैं तो हमें निष्पक्षता से अपने दिमाग को साफ़ रखकर भारतीय कृषि और उसकी समस्याओं पर सोचना होगा। कल किसी ने कहा था कि विश्व बैंक के दबाव में और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश के दबाव में लगातार कृषि संबंधी अनुदानों को कम करने का फैसला हमारी वर्तमान सरकार लेती जा रही है। हम इस बात का समर्थन करते हैं। निश्चित ही यह बात देखने में आई है कि कृषि पर खर्च होने वाला जो बजट है, यह कुछ स्थानों में बहुत ही कम होता जा रहा है। हमको इस पर नियंत्रण करना होगा। इससे वस्तुत: यह सवाल उठता है कि क्या हमारी कृषि नीति यह विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के दबाव में तो नहीं किया जा रहा है।

सिंचाई की बात उठाई गई है। एक बात सही है कि आज जितना पानी हम खेती में इस्तेमाल करते हैं, उस पानी का कम से कम सौ गुना भाग नष्ट हो जाता है। समुद्र में चला जाता है और हम कभी-कभी तो बूंद-बूंद पानी के लिए तड़पते हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा।

आज एक नयी समस्या सामने आयी हैं। हम किसानों को पहले तो आधुनिक खेती इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम उनसे कहते है कि यह सबसिडी है। ये सारी चीजें है, सरकार तुम्हारी सहायता करेगा। तुम इसका इस्तेमाल करो। अपनी खेती को आधुनिक खेती बनाओ। खेती की उपज बढ़ाओ। खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी जाकर घर-घर में इसका प्रचार करते हैं। सबसिडी की बात करते हैं। जब हमारे किसान उन सब बातों को सीख लेते हैं। उनको करना शुरू कर देते हैं तो सबसिडी बंद हो जाती है और किसान को जो सहायता मिलनी चाहिए वह बंद हो जाती है। किसान के ऊपर इस सबसे बड़ा असर पड़ता है और इतना बड़ा अन्याय होता है जिसकी सीमाएं नहीं रहती और छोटा किसान ही इस जरूरत को समझ सकता है।

श्रीमन्, निजीकरण और उदारीकरण के तहत किसानों को सरकारी बैंकों से सस्ता ऋण देने में तो अब बिल्कुल संकोच किया जाने लगा है। पहले कभी-कभी देखा जाता था आज से पांच साल पहले जब खण्ड विकास अधिकारी गांवों में जाते थे तो यह तरह-तरह की बातें करते थे। ऋण की बातें करते थे। हर प्रकार की बात होती थी, लेकिन आज कोई किसान को पूछने वाली नहीं है। ऋण कहां और कैसे मिलेगा इसका भी पता नहीं चलता है। आज बड़े-बड़े व्यापारिक कृषि फार्मों को, कृषि कंपनियों को करोड़ों लाखों रूपए का कर्ज मिल जाता है लेकिन गांवों में जो चार बीघा खेत वाला है, दो बीघा या एक बीघा खेत वाला है, उसको कौन ऋण देता है? उसको तो महाजन से सूद पर पैसा लेना पडता है जिसके लिये उसको चौगुना चुकाना पड़ता है। प्रेमचंद जी ने 'गोदान' उपन्यास लिखा था। उन्होंने उसमें होरी के माध्यम से भारत में किसानों का वर्णन किया था। उपन्यास में होरी परेशान और फटेहाल किसान था। आज आज़ादी के 48 साल गुज़रने के बाद भी देश में प्रेमचन्द के लाखों-करोड़ों होरी घूम रहे हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा।

मान्यवर, आज भारत में कृषि आयात व निर्यात को खुला किया जा रहा है। कृषि नीति में यह बात आई है कि हम आयात और निर्यात खुला करें। यानी हमारा आयात भी होगा। विदेशी अन्न, तिलहन आदि के खुले आयात से क्या हमारे उत्पाद की कीमतें नहीं गिरेंगी? हम माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यह उस पर भी ध्यान दें। अपना उत्तर देते समय बताएं कि जो आयात होगा, उससे हमारे वर्तमान उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, उसके मूल्य पर क्या असर पड़ेगा? दूसरी ओर निर्यात को भी आपने खुला रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब आपने निर्यात खुला रखा है तो निर्यात से संबंधित उत्पादन होगा और विशेष वस्तुओं का उत्पादन होगा। इस उत्पादन को कौन करेगा? इस उत्पादन को तो बड़ा किसान करेगा, बड़े फार्म हाउस करेंगे और उनको तो पूंजी मिल जाएगी। इससे हमारे देश में जो 90

प्रतिशत छोटे किसान हैं, जो छोटी जोत वाले हैं, वह क्या निर्यात करेंगे, उनको कैसे प्रोत्साहन मिलेगा, उनका क्या पुरसा हाल होगा, इस बात पर भी माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा।

श्रीमन्, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय शाखाओं के अलावा मैं समझता हूं कि इस निर्यात के खुलेपन से कोई दूसरे लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। आम किसान के हित में कैसे यह बात आएगी इस पर हमें कृषि नीति बनाते समय सोचना होगा और माननीय कृषि मंत्री जी को इसका जवाब भी देना चाहिए। श्रीमन्, इसमें कोई शक नहीं कि छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ हैं। आज हमारे देश में छोटे, लघु और सीमान्त किसानों का सर्वाधिक प्रतिशत है। खेद की बात है कि यही लोग सबसे ज्यादा दरिद्र है। हमारा कृषि क्षेत्र तब तक समुचित विकसित नहीं हो सकता जब तक छोटे किसानों के हितों की हिफाजत नहीं की जाएगी। इनकी हिफाजत करना जरूरी है। हमें कृषि नीति बनाते समय इस पर भी ध्यान देना होगा।

हम तो किसानों के लिए बड़ा दर्द रखते हैं। किसानों के चिन्तक चौधरी चरण सिंहजी थे। उनके साथ काम करने का अवसर भी हमें मिला। चौधरी चरणसिंह जी कहा करते थे कि देश की तरक्की और उसकी खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों, गांवों और उसकी पगडण्डियों से होकर गुजरता है। हमारी कृषि नीति में हमें अपने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए गांवों, पगडण्डियों, खेतों और खुशहाली से जाना पड़ेगा। इन खेतों और खुशहाली से चौधरी चरण सिंहजी का मकसद था कि जो छोटे किसान गांवों में रहते हैं उनकी बात हमको करनी चाहिए और उस किसान को ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिए।

मान्यवर, आज दस्तकार हो, शिल्पकार हो या खेतीहर मजदूर हो, जब तक ये तरक्की नहीं करेंगे तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। इसलिए इनको ध्यान में रखकर ही हमको कृषि नीति बनानी होगी। हमारे देश के किसान व मजदूर के विकास के लिए केवल रोजी-रोटी ही आधार नहीं है बल्कि उसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत, उसका अपना सम्मान, उसका त्याग और बलिदान उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें उनकी इन बातों की भी रक्षा करनी होगी। इन बातों को हम कृषि नीति से अलग नहीं कर सकते।

श्रीमन्, भूमि की समस्या है, छोटे-छोटे जोत चारों तरफ हैं। इसके लिए आप चकबंदी की धारणा लाए, लेकिन उससे क्या हुआ? हमारे क्षेत्र में चकबंदी शुरू है। एक किसान के पास चार स्थानों पर 10-10 बिस्वा जमीन है। यह बड़ा अच्छा हुआ कि चार जगह 10 बिस्वा है तो कुल 40 बिस्वा जमीन एक जगह होगी और उसको एक हल की खेती के लिए जमीन मिल जाएगी। लेकिन चकबंदी से क्या हुआ? उसकी 40 बिस्वा जमीन काटकर उसको 10 बिस्वा रख दिया और कहा था कि उसको मालियत एक रूपए की है ओर तुम्हारी मालियत चार उसका मालिकाना दो आने की है, उसको ज्यादा बढ़ाया जाय। जिसके पास एक बिस्वा खेत था उसके पास 10 बिस्वा हो गया है जिसके पास 4 बिस्वा खेत था उसके पास एक बिस्वा हो गया। इतनी बड़ी धांधली चकबंदी में हुई है। हमारी भावना अच्छी थी लेकिन हमारा ईमान, लोगों का ईमान, हमारे राष्ट्र की नैतिकता लड़खड़ा उठी। सरकार का कर्तव्य है कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

आज गांवों में स्थिति बड़ी बदतर हो गयी है।

अब हम उदारीकरण की चर्चा करते हैं। यह खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उदारीकरण के लाभ में किसानों को सम्मिलित करने की बात कह रहे है। जब उदारीकरण की बात आती है तो हमारे कृषि मंत्री जी भी कहते हैं कि उदारीकरण का लाभ देश के किसानों को मिलेगा। उदारीकरण से किसान लाभान्वित होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उदारीकरण के कारण हमारे किसानों को बेहतर क्रैडिट पौलिसी मिलेगी, जिसकी आज आवश्कयता है। हमारे सामने सवाल है कि यह सब कैसे होगा? इस बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है।

लम्बी अवधि से कृषि संबंधी असंतुलन को दूर करने के लिये एक राष्ट्रीय कृषि नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है लेकिन आज जिस रूप में इसे लाया गया है, मैं समझता हूं कि इसे बुनियादी ढंग से हमें देखना होगा।

मैं जानता हूं उपाध्यक्ष जी, आप घंटी बजा रहे हैं इसलिये मैं अपने चार-पांच सुझाव संक्षेप में देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे। पहला सुझाव है कि कृषि सबंधी केन्द्रीय नीतियों को हमें बदलना होगा। कल भी यहां बात उठी थी कि पहले हमारा एक कृषि मंत्रालय होता था लेकिन आज उसमें से कई विभाग निकाल कर अलग मंत्रालय बना दिये गये हैं, जैसे ग्रामीण विकास विभाग उसमें से हटा दिया गया, जल संसाधन मंत्रालय अलग बना दिया गया, सिंचाई मंत्रालय भी अलग हो गया, उर्वरक मंत्रालय अलग बन गया, जो नहीं होना चाहिये। जब तक कृषि मंत्रालय एक वृक्ष की तरह नहीं बनेगा और दूसरे सभी संबंधित विभाग उसके अधीन नहीं किये जायेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी वे सब एक वृक्ष की विभिन्न डालियों के रूप में ही होंगे। ऐसी स्थिति में तक आप चाहे कैसी भी कृषि नीति बनाते जाईये, इधर का उधर और उधर का इधर होता जायेगा। मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी उर्वरक मंत्री भी हो, ग्रामीण विकास मंत्री भी हों और उनके पास सारे अधिकार रहने चाहिये। तभी देश में सही मायनों में हम कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रैक्टिकल हो सकता है?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: हां, प्रैक्टिकल हो सकता है और 10 साल पहले ऐसा था, प्रैक्टिकल था। पहले उर्वरक कृषि मंत्रालय का एक हिस्सा था लेकिन आज इसे कई टुकड़ों में बांट दिया गया है।

सैद्धान्तिक रूप से कृषि राज्यों का विषय है। आज जब भी कोई समस्या आती है तो केन्द्र के जिम्मे उसे थोप दिया जाता है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृषि को समवर्ती सूची में शामिल किया जाये, जिस तरह आपने

पर्यावरण और वन मंत्रालय के काम को समवर्ती सूची में शामिल किया है। आज कृषि को समवर्ती सूची में डालकर उसका एक नियंत्रण केन्द्र बनाने की आवश्यकता है और केन्द्र के इशारे पर राज्यपाल महोदय इसके अंतर्गत निर्देश दें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। मैं फिर जोर देकर कहता हूं कि कृषि को समवर्ती सूची में लाया जाये, जिस तरह पर्यावरण और वन विभाग लाया गया है।

भारतीय किसान का उद्योग कृषि है। इस उद्योग को देश के केवलमात्र तमिलनाडु राज्य में ही किसानों को बिजली मुफ्त दी जाती है। देश के किसी दूसरे राज्य में मुफ्त बिजली नहीं मिलती। इतना ही नहीं दूसरे राज्यों में हर साल बिजली के रेट्स बढ़ा दिये जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल आदि राज्यों में किसानों को पहले तो बिजली मिलती ही नहीं और ऊपर से उसके रेट हमेशा बढ़ा दिये जाते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि जब हम कृषि नीति बना रहे हैं तो इस संबंध में भी विचार करें कि कैसे किसानों को मुफ्त बिजली सप्लाई की जा सकती है। इससे कृषि के उत्पादन में सुधार आयेगा।

समर्थन मूल्य के बारे में सदन में कल काफी विस्तृत चर्चा हुई और समय को देखते हुए मैं इस विषय में डिटेल में जाना नहीं चाहता लेकिन जब हम देहातों में जाते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ सरकार विभिन्न जिन्सों के समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा करती है, हर जिन्स के दाम पिछले साल की तुलना में 10-12 रूपये बढ़ाये जाते हैं जो बहुत अच्छी बात है लेकिन दूसरी तरफ तुरन्त कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, खाद की कीमते बढ़ जाती है, ढुलाई के रेट बढ़ जाते हैं तथा अन्य चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। मेरा मतलब है कि कृषि से संबंधित सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इस पर भी हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि कृषि नीति बनाते समय कृषि मंत्री जी इसे ध्यान में रखें क्योंकि इस कारण किसानों को मिलने वाला समर्थन मूल्य आज निष्प्रभावी साबित हो रहा है। इसे प्रभावी बनाना होगा।

अब मैं कृषि की आधुनिक संरचना के बारे में एक बात कहूंगा।

यह अभी भी अधूरी है। पानी भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधि से बने छोटे-छोटे तालाब, नहरों की राष्ट्रीय ग्रिड, उपजाऊ भूमि की वृद्धि, वनों के विनाश की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए हैं। यह अलग नहीं हैं और जब तक इसमें तालमेल नहीं होगा तब तक आप बेशक कृषि नीति बनाइये लेकिन उनको आप व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं दे पायेंगे। इसलिए आज इन प्रश्नों पर राजनीतिक मोर्चा निरंतर खड़ा होता जा रहा है। कोई भी राजनीतिक मोर्चा चल जाता है इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बीजों की गुणवत्ता पर मैं कुछ कहूंगा। गत वर्ष सरकार ने एक अधिनियम के तहत बीजों को आवश्यक उपभोक्ता सामग्री घोषित किया, यह आवश्यक है। इसमें किसानों को खराब बीज देने पर दण्ड का प्रावधान है। लगभग 30 करोड़ की एक परियोजना बीजों की गुणवत्ता पर नियंत्रण करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने के लिए शुरू भी की गयी है। यह आपने शुरू की है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप इसको और विस्तृत रूप में चलाइये।

श्रीमन् बीज परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जा रही है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। छोटे किसानों को ऋण न मिलने की भी समस्या है। एक बार हाउस में यह बात आयी थी कि उनको 25 हजार रूपये तक का ऋण कम ब्याज पर मिलेगा तो उनकी बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। मैं इसका समर्थन करता हूं। छोटे किसान जिनकी जोत एक एकड़ है या एक एकड़ से भी कम है, डेढ़ या दो एकड़ है, उनको 4 प्रतिशत बयाज की दर पर 25 हजार रूपये ऋण के रूप में मिलने चाहिए। इसी संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। यह भी एक समस्या है। जब किसान के पास माल तैयार होता है तो वह माल बाजार में सस्ता हो जाता है। किसान परेशान होता है क्योंकि उसको रखने के लिए उसके पास गोदाम तक नहीं होते। सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान उन गोदामों में जाकर अपना माल रख सकें और उसके एवेज में उनको ऋण प्राप्त हो सके। जब किसान को ऋण मिलता है तो ऐसी स्थिति में किसान को लाभ होगा ओर छोटे किसानों की समस्या हल होगी।

श्रीमन् मैं भूमि के बारे में कह रहा था कि लैंड रिफार्म एक्ट बना था। भूमिहीन लोगों की बात थी। हम लोग भी डा. राम मनोहर लोहिया के साथ नारा लगाया करते थे कि 'धन और धरती बंटकर रहेगी'। हम लोग कहते थे तुमने हमें पढ़ाया पाठ; पिछड़े पावें सौ में साठ। ये सौ में से साठ क्या था? कौन से लोग पिछड़े हुए थे? उससे इस देश का किसान जुड़ा हुआ था। लोहिया की यह जन जाति, राजनीति नहीं थी। लोहिया के दिमाग में यह था कि जो किसान हैं, उनको 60 प्रतिशत हक मिलना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूदान आन्दोलन चला था। भूदान आंदोलन के माध्यम से जमीनें वितरित की जा रही थी लेकिन आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विनोबा जी के उस पवित्र आंदोलन को भी कुचल दिया गया और आज भी भूदान में प्रत्येक भूमि, जो कि 40 वर्ष पहले देश के किसानों को प्राप्त करायी की गयी थी, आज भी ज्यों की ज्यों है। उस पर किसान का कब्जा नहीं हो सका है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा अनुसूचित जाति का मामला बार-बार उठता है। हमारी सरकार निरंतर यह कहती है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को हक मिलना चाहिये। उनके लिए आरक्षण है। आपने अपनी कृषि नीति में उनके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का 22 प्रतिशत आरक्षण है लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स ओर शैड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थिति क्या है? आप गांव में जाकर किसी भी शैड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी से पूछिये कि वह क्या करता है तो वह कहता है 'मैं हल जोतता हूं।' मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वे भावनाप्रधान व्यक्ति है। वे शैड्यूल्ड कास्ट के किसी किसान से पूछे कि वह क्या काम करता है तो वह हमेशा यही कहेगा कि 'मैं हल जोतता हूं' वह हल जोतने के बाद अपने घर में खूंटी पर उसे टांग देता है। हल तो कभी जोता नहीं जाता। यदि वह कहता कि मैं खेत जोतता हूं, मैं खेत में हल

चलाता हूं तब शायद वह भावना होती कि वह खेत का मालिक होगा। वही मालिक होगा जो खेत जोतेगा। लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को तो यह पढ़ाया गया है कि तुम खेत जोतते हो। तुम तो केवल हल जोतते हो और हल जोतने के बाद उसे खूंटी पर टांग देते हो। तुम्हारी जिंदगी बस इतनी है। तुम्हें केवल हल से मतलब है खेत से नहीं।

मान्यवर, आप कृषि नीति बना रहे हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि कृषि नीति में रिजर्वेशन की व्यवस्था हो।

मंडल कमीशन में हमने देखा है। उसमें केवल नौकरी की बात ही स्पष्ट नहीं है बल्कि यह बात भी है कि खेती में रिजर्वेशन कैसे होगा, उद्योगों में रिजर्वेशन कैसे होगा? इसको देखना होगा।

आपको भ्रष्टाचार दूर करना होगा। अभी पिछलें वर्ष बाढ़ की चर्चा हुई थी। हमारा क्षेत्र बाढ़ से तबाह हुआ था। मैंने केन्द्र सरकार से निवेदन किया, मंत्री जी से कहा। काफी रूपया भेज दिया गया और यह हुआ कि बाढ़ से नदियों के किनारे कटाव हो जाते हैं, जमीन पर तटबन्ध बना दिए जाएं। तटबन्ध बनाने हेतु करोड़ों रूपये गए। हमारे क्षेत्र में शांगी गामी नदी है, नाद और गोमती नदी है। वहां पर 1 करोड़ 55 लाख रूपये तटबन्ध बनाने के लिए गए लेकिन एक पैसे का तटबन्ध नहीं बना और सारा रूपया हजम हो गया। जब कहा जाता है तो कहते है कि हमने तो राज्य को दे दिया। यह राज्य का विषय है। डी. एम. ने खुलेआम रूपया खाया। मैं चिल्लाता रह गया। हमको लोक सभा से त्यागपत्र देने की नौबत आ गई। दे भी दिया लेकिन बाद में समझा-बुझाकर वापस हो गया। जो ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं, उनको भी देखना होगा। कृषि नीति में इसको भी रखना होगा।

कृषि उत्पादन से निरन्तर ह्रास होता जा रहा है। हम अभी पढ़ रहे थे, 1980 से 1992 के बीच कृषि उत्पादन वृद्धि दर बंगलादेश को छोड़कर एशिया के सभी पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है। क्यों कम है, इसपर हमको ध्यान देना होगा। हमने ऐसे ही एक नीति बना ली और इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हमारे यहां अनाजों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता शेष विश्व के औसत की तुलना में दो-तिहाई से भी कम है। हमको इसपर भी सोचना होगा।

अन्त में 1-2 बातें संक्षिप्त में कहूंगा। हमारे कृषकों की मुख्य तौर से दो मांगें हैं - ग्रामीण किसानों की तरक्की के लिए एक मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए और दूसरा, उनकी शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, बिजली आपूर्ति जनसंख्या के अनुपात में हो। यह आपको सोचना होगा। कृषि क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की भांति दकियानूसी प्रतिबंधों से मुक्त किया जाए। अपनी उपज को देश-विदेश में बेचकर अपनी क्षमता के मुताबिक अपना विकास किया जाए, तभी आपकी कृषि नीति सफल होगी। कृषि नीति बनाते समय नीचे तबके के लोगों की ओर ध्यान देना होगा, बड़े-बड़े फार्म हाउस के मालिकों की ओर ध्यान ज्यादा देकर कृषि नीति बनाने से कोई त्याग नहीं होगा।

कल यहां जिक्र हो रहा था कि कोका कोला ने टोमैटो बेचना शुरू कर दिया है। दूसरी चीजों का धन्धा करना शुरू कर दिया है। इसपर भी हमें ध्यान देना होगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत बुरी है। गोरखपुर, बस्ती से लेकर मिर्जापुर तक, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, देवरिया, ये सब देश के एक अलग हिस्से बनते जा रहे हैं। आज से ही नहीं, इसी हाउस में विश्वनाथ प्रसाद गहमर्र. थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू सामने उस सीट पर बैठे थे। हमारे यहां गोबर से निकला हुआ दाना होता है। उस दाने को लाकर उन्होंने इस टेबल पर रख दिया ओर रोकर कहने लगे कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान, 30 जिलों तक मजदूर गोबर में से दाना निकालकर रोटी खाता है। उसी समय आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया के लिए पटेल कमीशन बैठाया गया। पटेल कमीशन ने तमाम संस्तुतियों दी लेकिन वे कागजों पर धरी की धरी रह गई। कृषि नीति को बनाते समय गहमरी जी के उन वाक्यों की ओर पटेल कमीशन की बातों को भी ध्यान में रखे ओर उसकी खास बातों को यहां लाएं। हमारे क्षेत्र में गणेश राय महाविद्यालय डोभी में है। यह जौनपुर में हमारे पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा विद्यालय है। उसमें इस समय साढ़े तीन हजार छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें से साढ़े तीन सौ छात्र केवल कृषि विषय को लेकर पढ़ रहे हैं। हमको ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि यह विश्वविद्यालय जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी और गाजीपुर के सैन्टर में है।

2.00 म.प.

इस महाविद्यालय के बारे में आई.सी.ए.आर. को अनेकानेक निवेदन-पत्र दिये गये, मैंने कहा। वहां के प्रिंसीपल ने कहा। वहां की जनता ने मांग की। सरकार ने मांग की लेकिन आज तक एक पैसे का अनुदान नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस स्कूल को यह चलायें। वह भी कृषि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन तीन जिलों में शायद उस स्कूल की ओर से भी वहां के कृषि के विकास और उन्नति के लिए बहुत कुछ किया जा सके। कृषि विज्ञान केन्द्र वहां पर जरूर बनना चाहिए।

मैं इन बातों को कहते हुए पुन: अपने बड़े भाई, भारत के कृषि मंत्री माननीय श्री बलराम जाखड़ जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। उन्होंने 50 वर्ष बीत जाने के बाद आज यहां पर एक मसविदा पेश किया है। उस मसविदे को वह उन लोगों से जोड़े, जो आज एक-एक एकड़ जमीन के मालिक हैं, जो आज 10-10 बिस्वा जमीन के मालिक है। जो आज 1000 रूपये के लिए रो रहे हैं, जो आज अच्छे बीज के लिए रो रहे हैं और जिनकी जिंदगी में लिख दिया गया है कि तुम हल जोतते हो, तुम खेत नहीं जोतते हो। साल भर बीत जाने के बाद खेत जोतकर आना और अपना हल खूंटी पर टांग देना। तुम केवल हल के मालिक हो, तुम जमीन के मालिक नहीं हो। तुमसे जमीन का कोई मतलब नहीं है।

मैं माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर से अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करते

हुए यह कहूंगा कि यदि हिन्दुस्तान को बनाना है, यदि हिन्दुस्तान की कृषि को आगे ले चलना है और दुनिया के मुकाबले में हिन्दुस्तान के किसानों को खड़ा करना है तो आपको एक दुरुस्त और गरीबों को ध्यान में रखकर, पिछड़ों को ध्यान में रखकर, छोटे लोगों को ध्यान में रखकर कृषि की नीति बनानी होगी।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : याइमा सिंह युमनाम जी, मेरा आपसे एवं अन्य सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना भाषण दस मिनट तक ही सीमित रखें। कई समस्याएँ हैं। आप रचनात्मक सुझाव दीजिए कि उन समस्याओं को सुलझाने में आपने अपने विवेक का कैसे इस्तेमाल किया है, इससे मंत्री महोदय को सहायता मिलेगी। नि:स्सेंवह यह देश बहुत विशाल है और बहुत सी समस्याएं हैं।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह करने की कोशिश करूंगा।

मैंने राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत मसौदा प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया है और इसका अध्ययन करने के बाद मैं इसका समर्थन करता हूं।

मैं आरंभ में ही यह उल्लेख करना चाहता हूं कि पहले इस सदन को यह आशंका थी कि कृषि के संबंध में गैर समझौता भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। यह आशंका इस सदन में लगभग सभी सदस्यों ने प्रकट की थी। अब मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इन टिप्पणों को पढने के बाद मैं यह समझ गया हूं कि अब यह आशंका दूर हो गयी है और गैर समझौता कृषि के संबंध में भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी ओर यह उल्लेख किया गया है कि कृषि के संबंध में यह भारत के हितों को बढावा देने में सहायक होगा।

प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत किसानों के टिटैन करने और विनियम करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। अत: इन टिप्पणों को पढने के बाद और इस तथ्यों का पता लगने के बाद कि गैर समझौते का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार हूं।

तैयार किए गए टिप्पण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन उपायों से भारत को लाभ होगा क्योंकि हमारे कृषि निर्यात को तुलनात्मक ओर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है। मैं इस से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं :

"अत: भारत के कृषि निर्यात को ऐसे समय में स्वागत योग्य प्रोत्साहन मिलेगा जब कि घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन ढांचा किसानों के लिए लाभकारी साबित होने जा रहा है।" अत: मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और इन परिस्थितियों में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध हैं मैं इस प्रस्ताव को इसलिए भी प्रशंसा करता हूं क्योंकि इसमें समन्वयकारी कृषि विकास और अनुसंधान कार्यक्रम शामिल है जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में चुनौतियों का मुकाबला करना है और साथ ही इसमें भारतीय कृषि में पूंजी संघटन के गिरावट की प्रवृत्ति को कम करने और सार्वजनिक निवेश बढाने की कोशिश की गई है जिससे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सहायक मूलभूत सुविधाओं के विकास में तेजी आ सके। इसकी सराहना की जा सकती है और मैं इसकी सराहना करने के लिए तैयार हूं।

साथ ही इस मसौदा प्रस्ताव में कृषि के विविधीकरण और कृषि आधारित उद्योगों को बढावा देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करके ग्रामीण गरीबी, अर्द्धबेरोजगारी, बेरोजगारी और कुपोषण दूर करने को उच्च प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है। मैं इसकी बहुत अधिक सराहना करता हूं।

मसौदा प्रस्ताव में स्थानीय लोगों के हितों के बारे में यह प्रस्ताव है कि गैर सरकारी संगठनों को कृषि विकास में शामिल किया जाए। इस प्रश्न की सारे सदन को सराहना करनी चाहिए। मैं प्रस्ताव में इस परिचर्चा के परिप्रेक्ष्य में इसका समर्थन करने के लिए तैयार हूं।

इस बारे में मैं अपने कुछ अनुभव बताना चाहता हूं। मैं इस प्रस्ताव के संबंध में संसदीय स्थाई समिति के टिप्पणी से सहमत हूं। समिति ने टिप्पणी की है कि कोई भी नीति या प्रस्ताव अच्छा हो सकता है लेकिन यदि उसे उचित एवं प्रभावी तरीके से और समय पर कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो यह केवल कागजों पर मात्र एक दस्तावेज ही रह जाता है। स्थाई समिति की यह एक सही टिप्पणी है और मुझे आशा है कि माननीय कृषि मंत्री जी इस पहलू पर गौर करेंगे ताकि प्रस्तावों को उचित एवं प्रभावी तरीके से और समय पर कार्यान्वित हो सकें। अन्यथा, यह मात्र एक दस्तावेज ही रह जाएगा। यह हमारा अनुभव भी रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृषि नीति प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अब मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ बातें लाना चाहता हूं जिन पर वह गौर करें और उन्हें इस नीति के अन्तर्गत ला सकें। यह बातें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की कृषि संबंधी समस्याओं के बारे में हैं। मैं यह बात स्मरण कराना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सभा में घोषणा की थी कि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र को स्वयं चुना है। इसका मुतलब यह है कि वह स्वयं या सरकार इस क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान देगी। हमें निराशा हुई है क्योंकि इस क्षेत्र की ओर अभी तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

अब मैं केन्द्र सरकार के विचारार्थ एक प्रस्ताव रख रहा हूं। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय, और अरूणाचल प्रदेश राज्य आते हैं। किसी समय मणिपुर राज्य पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन करता था और यह इस क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों को खाद्यान्न उपलब्ध करता था।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, मणिपुर की धरती बहुत उपजाऊ है ओर यह पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न करती है। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री प्रिय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि मणिपुर पूर्व का खाद्यान्न भण्डार है। एक समय इसको इस नाम से जाना जाता था। उस समय मणिपुर खाद्यान्न राज्य से बाहर भेजता था। मणिपुर, नागालैण्ड और मेघालय को खाद्यान्न भेजता था। लेकिन दुर्भाग्य से यह राज्य खाद्यान्नों की कमी वाला क्षेत्र बन गया है। इसका कारण दिन-प्रति-दिन बढती जनसंख्या है। उत्पादन की मात्रा बढती हुई जनसंख्या के अनुरूप नहीं है। यहां की धरती बहुत उपजाऊ है और बहुत बड़ा भू-भाग कृषि के लिए उपलब्ध है।

महोदय, मैं केवल मणिपुर राज्य की बात ही नहीं कर रहा हूं। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत बड़े भू-भाग है जो कृषि के योग्य हैं और यदि इस भूमि को उपयोग में लाया जाये और इसका दोहन किया जाए तो यह क्षेत्र आत्मनिर्भर बन जाएगा। यह राष्ट्रीय पूल में पर्याप्त अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने में समर्थ होगा।

जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के मामले में अग्रणी है। देश का यह भाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र बागवानी उत्पादन में बहुत आगे है।

आप मणिपुर और इस क्षेत्र में अन्य भागों में गए होंगे। अनानास, संतरे और अन्य फलों की किस्में बहुत अच्छी हैं। यदि इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाए तो उन्हें पूरे देश में उपलब्ध करवाया जा सकता है। इससे किसानों को भी अच्छी आय होगी। अत: मैं मंत्री महोदय से इस पर गौर करने और इसे राष्ट्रीय नीति अन्तर्गत लाने का अनुरोध करता हूं।

भूमि वर्षा पर आधारित है, वहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। नौवें दशक के मध्य में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी और कुछ नहरों का निर्माण किया गया था। करोड़ों रूपए निवेश करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है ओर अब वे बेकार पड़ी हैं। यह करोड़ों रूपए का दुरूपयोग है। इन नहरों को छोड़ दिया गया है और वे बेकार पड़ी हैं। लोकटक झील से पानी पहुंचाने के लिए अपेक्षित ऊर्जा पर्याप्त नहीं है और यह उपयोगी नहीं हो सकती है। बिजली की कमी के फलस्वरूप लोकटक झील से पानी को नहरों में नहीं पहुंचाया जा सकता है। अत: जब यह नहरें उपयोगी नहीं हैं तो इनपर बहुत अधिक राशि निवेश करने का क्या लाभ है? इस मामलें पर गौर किया जाना चाहिए।

वहां पर खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं नहीं हैं और विपणन के लिए भी सुविधाएं नहीं हैं। अत: होता यह है कि जब किसान अनानास, संतरे और अन्य फलों और सब्जियों का अधिक उत्पादन करते हैं और उनके लिए बाजार नहीं होता है तो वे यह सब छोड़ने का मन बना लेते हैं। इस बात पर गौर करना होगा अन्यथा इस क्षेत्र की स्थिति यथावत रहेगी।

महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। किसान बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल पर निर्भर रहते हैं, वे बैलों की सहायता से भूमि जोतते हैं। आजकल एक जोड़ी बैलों की कीमत 10,000 रूपए से अधिक है। छोटे भूस्वामियों के पास मानव श्रम है लेकिन वे बैलों के एक जोड़े पर निर्भर नहीं रह सकते हैं क्योंकि इन जानवरों से चार या पांच घंटे से अधिक देर तक काम नहीं लिया जा सकता है। उनके पास मानव श्रम आवश्यकता से अधिक है। अत: मेरा प्रस्ताव है कि सरकार को छोटे पावर टिलर्स का उत्पादन शुरू करना चाहिए ताकि ये कृषि प्रणाली में बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का स्थान ले सकें। इस स्थिति में किसान पावर टिलर्स का पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी भूमि को केवल पहली और दूसरी फसल के लिए ही उपयोग में नहीं ला सकते हैं बल्कि उससे अधिक फसलों के लिए उसे उपयोग में ला सकते हैं।

इस पूर्वी क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार की खेती होती है। जैसा कि आप जानते ही है, इसे सीढ़ीदार खेती कहा जाता है और इसके लिए एक विशिष्ट प्रकार के पावर टिल्लर की आवश्यकता होती है। इनको उपलब्ध करवाना है। अन्यथा, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती कर रहे बहुत से किसानों की दशा पहले जैसी ही रहेगी। ये किसान बेरोजगारी एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री याइमा सिंह युमनाम जी, आप 20 मिनट ले चुके हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं। जब अन्य सदस्यों ने 35 मिनट का समय लिया था, उनको ऐसा करने दिया गया था। ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो परेशानी है। यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि हर एक सदस्य को केवल दस मिनट लेना चाहिए। घण्टी बजाने के बावजूद आप अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मिनट तक बरदाश्त कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझमें सहनशक्ति है। लेकिन आप को भी सहनशीलता से काम लेना चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं तो उसी तरह बोल रहा था। लेकिन जब मुझे केवल पांच मिनट का समय दिया गया है तो मैं इन सब बातों को कैसे रख पाऊंगा। कृपया सोचिए। मुझे कभी भी दस मिनट से अधिक का समय नहीं मिला है। मेरे धैर्य की परीक्षा की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक महत्वपूर्ण स्थान से संबंधित है। इसलिए आपको प्राथमिकता दी गई है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मैं अब इन कृषकों, किसानों को बड़े स्तर पर शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर आता हूं। उनको इस आशय

की शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनको अनाज क्यों पैदा करना चाहिए उनको क्यों काम करना चाहिए। हमें उनमें यह कहते हुए देश प्रेम की भावना जाग्रत करना चाहिए कि उनको देश की और जनता की सेवा करने के लिए काम करना चाहिए और यदि वे काम नहीं करेंगे तो इससे जनता को कष्ट पहुंचेगा और बाद में उन्हें स्वयं भी कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए, हमें उनको यह समझाना चाहिए। लेकिन इसे एक राष्ट्रीय नीति के रूप में लिया जाना चाहिए।

महोदय, मणिपुर में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसके लिए मुझे कृषि मंत्री को अपना आभार व्यक्त करना है। वह सदन में उपस्थित नहीं है। परन्तु मैं उनके इस उदारता के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे उचित ढंग से चलाऐ। यद्यपि इस विश्वविद्यालय को वहां स्थापित किया गया है, पर यह उचित रूप से नहीं चल रहा है। इसमें न तो स्टाफ कर्मचारी है और न ही तत्संबंधी आधारभूत ढांचा ही उपलब्ध है। इस विश्वविद्यालय को इन सबके बिना ही स्थापित किया गया है। अत: मेरा यह अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को सभी आवयकताओं की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय उचित रूप से कार्य कर सके जिससे कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। मैं यहां पर ये कहना चाहूँगा कि जो लोग मणिपुर के बाहर से यहां काम करने आये हैं, वे वहां पर उचित रूप से काम नहीं कर सकते हैं। वे तुरन्त ही वापस जाना चाहेंगे क्योंकि वे वहां पर एक लम्बे समय तक काम नहीं करना चाहेंगे। कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां पर कोई भी रहना नहीं चाहेगा। अत: केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि स्टाफ की नियुक्ति करते समय स्थानीय लोगों अगर वे उपयुक्त हो तो उनकी अधिक से अधिक भर्ती करने की कोशिश की जाये। इससे काफी हद तक इस उद्देश्य की पूर्ति होगी।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि संकल्प के साथ-साथ कृषि संबंधी राष्ट्रीय नीति को अपनाते समय केन्द्रीय सरकार को इस क्षेत्र को अधिक मात्रा में आयातित उपकरण विशेषकर पावर टिल्लर्स देने के बारे में चाहिए तथा इन सभी उर्वरकों आदि को समय पर उपलब्ध करवाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यहां मौसम के समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र को उर्वरक मिलता है। इस मामले में विलम्ब हो रहा है। इन सभी तथ्यों को कृषि मंत्रालय के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है और इसीलिए मैंने इन तथ्यों को आपके समक्ष रखा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं।

(हिन्दी)

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम हिन्दुस्तान की संसद में आज कृषि नीति पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस कृषि नीति का बहुत शोर मचाने वाले हमारे कृषि मंत्री माननीय बलराम जी यहां मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि जाखड़ जी जगन्नाथ जी को अपनी जगह बैठा गए हैं। ...(व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री अनंतराव देशमुख (वाशिम): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यद्यपि माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं है परन्तु अन्य वरिष्ठ मंत्री यहां पर उपस्थित है। अत: मैं नहीं समझता कि ऐसी टिप्पणी करना सदस्य के लिए उचित है।

श्री शिवराज सिंह चौहान: हम तो जगन्नाथ और बलराम दोनों को एक ही मानते हैं। इसलिए जगन्नाथ में ही बलराम को देखते हुए अपनी बात शुरू करते हैं।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : यह टिप्पणी मात्र सदन के माहौल को हल्का बनाने के लिए की गई है। इसे गंभीरता से मत लीजिए।

श्री अनंतराव देशमुख: तब ठीक है।

(हिन्दी)

लेकिन 'खुशी के बारे में शोर मचाने वाले बलराम जी यहां पर मौजूद नहीं है,', इस बात पर मुझे आपत्ति थी। ...(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष जी, भारत गांवो और किसानों का देश है। यहां की तीन-चौथाई आबादी गांवों में रहती है। वह खेती और खेत में मजदूरी करता है। किसान खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होंगे। गांवो की प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। अगर किसान के घर में अच्छी फसल होगी तो उसकी जेब में पैसे आएंगे। उसकी जेब में पैसे आएंगे तो वह सामान खरीदने बाज़ार में जाएगा। बाज़ार से सामान खरीदेगा तो दुकानदार की दुकान चलेगी। दुकानदार की दुकान चलेगी तो वह कारखाने से माल उठाएगा। जिससे कारखाने का चक्का चलेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। उद्योगों का निर्माण होगा और इससे देश का विकास होगा। इसके दूसरी तरफ अगर किसान खुशहाल नहीं है, उसकी जेब में चार पैसे नहीं है तो देश की प्रगति ठप्प हो जाएगी, देश की प्रगति रुक जाएगी।

आज 48 साल बाद आज हम कृषि नीति पर हिन्दुस्तान की संसद में चर्चा कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि यह सरकार का बहुत क्रांतिकारी कदम होगा, लेकिन उस कृषि नीति के मसौदे को पढ़कर यह लगा कि ''खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वह भी मरी हुई।'' कुछ बातें कही गई लेकिम उन्हें कौन क्रियान्वित करेगा, कैसे क्रियान्वित करेगा, कब क्रियान्वित करेगा यह नहीं पता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने आज़ादी के बाद से खेती को

कितनी प्राथमिकता दी है, एक बार इस पर विचार कर लें। आज़ादी के तत्काल बाद तत्कालीन सत्ताधीशों ने हर मामले में पश्चिम का अंधानुकरण प्रारंभ किया। हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री जी ने औद्योगीकरण को ही देश के विकास का पर्याप्त माना और उद्योग तथा उससे संबंधित चीजों पर पर्याप्त महत्व दिया गया, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना में खेती पर केवल 10 प्रतिशत खर्च किया गया जबकि तीन चौथाई जनता इस पर अवलंबित है। चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 12.9 प्रतिशत खर्च किया गया जो आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का केवल 5.7 प्रतिशत खर्च किया गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना में तो यह और भी कम हो गया। हमने केवल 5.2 प्रतिशत कृषि के विकास पर खर्च किया। इससे यह सिद्ध होता है कि हम खेती को कितनी प्राथमिकता देते हैं। खेती की उपेक्षा का ही दुष्परिणाम है कि 1957-58 में जहां इस देश में 18 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करते थे, वहां 1993-94 में 35.48 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे है। देश की आबादी का 40 प्रतिशत से ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे जी रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कोई भी कृषि नीति बनाने से पहले किसान की उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं उन किसानों की बात नहीं कर रहा जो इस देश में केवल दो प्रतिशत हैं और 20 प्रतिशत ज़मीन पर जिनका कब्ज़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में अगर रिकार्ड में देखें, तो वे सीमान्त कृषक हैं। उनके पास पांच एकड़ से काम जमीन है, लेकिन उन्होंने अपनी जमीनें कई अलग-अलग फर्जी नामों से कुत्ते के नाम से, बिल्ली के नाम से और जब ये नाम भी खत्म हो गए, तो तुअर सिंह, चना प्रसाद, बबूल सिंह, गेहूं लाल, इन नामों से अपनी जमीने रख लीं। सारा देश जानता है। हमारे देश में सीलिंग एक्ट लागू तो हुआ, लेकिन कितना पालन हुआ, इस बात को सभी जानते हैं। ये बड़े जोत वाले जो किसान हैं मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन किसानों की बात भी नहीं करना चाहता हूं जो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए जमीन पर एक टुकड़ा खरीद लेते हैं और अपने सारे काले धंधें उसकी आड़ में चलाते हैं और अपने काले धन को सफेद कृषि की आमदनी बताकर करते हैं। मैं तो उन किसानों की बात कर रहा हूं जो इस देश में कुल आबादी के 73-74 प्रतिशत हैं और केवल 28 प्रतिशत जमीन के टुकड़े पर खेती करते हैं। आज उनकी क्या हालत है? किसान आज दिन-रात मेहनत करता है, अपना खून-पसीना एक करता है। वह आप भी मेहनत करता है, उसकी पत्नी भी मेहनत करती है, उसके बच्चे भी मेहनत करते हैं, लेकिन पूरे परिवार के मेहनत करने के बावजूद उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। किसान आज पूरे हिन्दुस्तान को अन्न पैदा कर के खिलाता है, लेकिन उसके बच्चे आधे पेट खाकर सो जाते हैं। किसान आज पूरे देश के लोगों को कपास पैदा करके कपड़ा पहनाता है, लेकिन उसके बच्चे अधनंगे घूमते हैं। किसान गन्ना पैदा करके पूरे देश के लोगों को शक्कर खिलाता है, लेकिन दशहरे और दीपावली पर उसके बच्चे पकवान खाने के लिए तरस जाते हैं। वह कर्जे में जन्म लेता है, कर्जे में पलता है और कर्जे में ही मर जाता है और अपना कर्जा आने वाली अपनी पीढ़ी के ऊपर छोड़ कर चला जाता है। आज हमने इसकी हालत सुधारने के लिए क्या किया है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास कृषि के उपकरण नहीं है। ये ट्रैक्टर के मालिक नहीं है। कई ऐसे हैं जिनके पास बैल नहीं है। इनके पास उर्वरक खरीदने के लिए पैसा नहीं है। किसान जैसे-तैसे अपनी फसल को तैयार करता है। जहां तक ऋण का सवाल है, ऋण भी इन्हें बिना कमीशन के नहीं मिलता है। कई बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद थोड़ा-बहुत ऋण मिलता है, तो उसमें भी आधा-आधा हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी फसल पक कर तैयार होती है और कटकर घर आती है, तो हालत यह होती है कि साहूकार जिससे उसने कर्जा लिया है वह डंडा लेकर पीछे पड़ जाता है कि उसका कर्जा वापस करे। सरकारी बैंक, सहकारी बैंक वालों का कर्जा देना होता है। मैं मध्यप्रदेश की जानता हूं वहां कई ऐसे किसान है जो खड़ी फसल को औने-पौने दाम में बेच देते हैं, ताकि कुछ पैसा उनको मिल जाए और साहूकार से वह अपना पिंड छुड़ा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक हकीकत आपको सुनाना चाहता हूं कि कई बार किसानों के साथ ऐसा भी होता है। मैं एक गांव में गया। वहां स्कूल के पास कुछ लोग खड़े हुए थे। मेरी जीप को देखकर वे भागने लगे। मैंने उनको भागते हुए देखा, तो मैंने जीप रोक दी और मैं जीप से उतर गया और मैंने पूछा कि भाई आप भाग क्यों रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई? क्योंकि मैं बिना सूचना के उस गांव में अचानक चला गया था, तो भागते हुए लोग रुक गए और बोले कि अरे आप तो हमारे सांसद हैं, हमने तो समझा कि बैंक वाले आ गए और बैंक वाले तो कर्ज उगाहने के लिए ही आते हैं तथा चूंकि हमारे पैसे नहीं हैं, इसलिए हम भागने लगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है और यह किसान की हालत है, जो मैंने स्वयं देखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनकी उपज का क्या मूल्य मिलता है उस बारे में भी इनके साथ बहुत अन्याय होता है। किसान जब अपनी फसल बोने जाता है तो सोयाबीन का भाव बाजार में होता है 1600 रूपए प्रति क्विंटल और जब वही सोयाबीन किसान के घर में आ जाता है और जब वह उसको बेचने जाता है, तो उसके भाव उसको 600-700 रूपए प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं मिलते हैं। जब किसान बोए, तो चने का भाव 1800 रूपए प्रति क्विंटल और जब किसान बेचने जाए तो चने का भाव 800 रूपए प्रति क्विंटल। जब किसान बेचे, तो महंगा और जब फसल किसान के घर में आ जाए तो सस्ती बिकती है और जब वही फसल व्यापारी के गोदाम में चली जाए, तो फिर रेट बढ़ जाता है। किसान को अपने पसीने की कमाई नहीं मिलती है और कुछ लोगों की अपनी तिजोरियां भर जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान जो कच्चा माल पैदा करता है, जैसा अभी राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने कहा, मैं उस उदाहरण को दोहराना नहीं चाहता हूं। उन्होंने आलू की बात कही और बताया कि आलू 80 पैसे किलो

बाजार में बिकता है ओर उसी आलू के चिप्स बनकर उसका छोटा सा पैकेट 16-17 रूपए में बिकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं दिया जाएगा तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। विज्ञापन की चकाचौंध से कुछ नहीं होगा। मेहनत किसान करता है। हमारा किसान गेहूं 300-350 रूपए प्रति क्विंटल गेहूं बेचता है और टेलीविजन खोलो, तो विज्ञापन आता है- "सोने जैसे दाने का गेहूं" अब हमने तो सोने जैसे दाने का गेहूं देखा नहीं। पत्नी जी परोस रही है और पतिदेव भोजन कर रहे हैं। पतिदेव कहते है कि बस, अब बहुत हो गया। पत्नी कहती है कि कैप्टन कुक आटे से बनाई रोटियां हैं, तो पति कहता है कि चार रोटी और ले आओ। हमें अपने उत्पादन की पूरी कीमत नहीं मिलती और ये लोग विज्ञापन देकर अंधा मुनाफा कमाते हैं। यह किसान के साथ हो रहा है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कृषि विकास की कोई संभावना न हीं है। कृषि की दृष्टि से अगर देखें, तो ,..

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा चल रही है और न तो कृषि मंत्री यहां उपस्थित है और नहीं कृषि राज्य मंत्री जी?

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कृषि नीति होनी चाहिये जो समिति कृषकों को, जो छोटे किसान है, उनको लाभ दे सके। उनको बीज, खाद, कृषि के उपकरण उपलब्ध करा सकें जिससे किसान को अपना उत्पादन ओने-पौने दामों में न बेचना पड़े ओर कारखानों में बनने वाले माल ओर जो कच्चा माल किसान पैदा करेगा, उसकी कीमतों में संतुलन रहे ताकि कारखाने वाले अंधा मुनाफा न कमा पायें। इन सब चीजों का कृषि नीति में समावेश होना बहुत आवश्यक है। कृषि की दृष्टि से भारत में विकास की व्यापक संभावनायें मौजूद हैं। अगर कृषि की दृष्टि से देखे तो पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में न केवल 11 फीसदी कृषि के योग्य है बल्कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 52 फीसदी कृषि के योग्य है। भारत में 15 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। हमारे पास इतना पानी है, जल के इतने स्रोत है कि उससे हम 83 प्रतिशत भूमि को सींचित कर सकते हैं। 83 प्रकार की मिट्टियों में से 45 प्रकार की मिट्टी इस देश में पाई जाती हैं। अच्छा पानी, मेहनती किसान, अच्छी जमीन है लेकिन इसके बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में जो काम हुआ है, वह बहुत कम हुआ है। हम भले ही ढिंढोरा पीटते रहें कि हमारे अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गये हैं लेकिन एफ सी आई के गोदाम जरूर गेहूं से भरे हुए हैं लेकिन इस देश की 40 प्रतिशत जनता आधे पेट सोती है। अगर हम कृषि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो दलहन और तिलहन के क्षेत्र में बहुत कम उत्पादन बढ़ा है। केवल गेहूं के क्षेत्र में हम देखें तो 60 के दशक में 17 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की वृद्धि हुई थी। अब यह उत्पादन 23 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो गया है। केवल 6 क्विंटल प्रति हैक्टेयर 30 साल में बढ़ा है तो अगले 30 सालों में पैदावार यह 29 क्विंटल प्रति हैक्टेयर बढ़ेगी। तब तक आबादी इतनी बढ़ चुकी होगी कि हमारा सारा देश भोजन के नीचे होगा। यू.के. और यू.एस.ए. में गेहूं का उत्पादन 50 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो रहा है लेकिन हमारे यहाँ 23 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है। मेरी जानकारी के अनुसार 74.44 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है और अगर हम अपने पड़ोसी देश चीन के उत्पादन की तरफ देखें तो 10 करोड़ हैक्टेयर में खेती होती है और वह 33.6 टन अनाज पैदा कर रहा है जबकि हम 14.2 हैक्टेयर में केवल 18 करोड़ टन पैदा कर रहे हैं। चीन में प्रति व्यक्ति को 330 किलो अनाज मिलता है और हमारे देश में 169.5 किलो मिलता है। हमने देखा कि हमने कृषि के क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से कितना विकास किया है। यही हाल चावल और दूध का है। दूध के बारे में कृषि मंत्री ने कहा था कि विश्व में हम दूध के उत्पादन में दूसरे नम्बर पर हैं और जल्द ही पहले नम्बर पर आने वाले हैं। लेकिन अगर हम विदेशों से मिल्क पाउडर आयात न करते तो शायद हमें ठीक ये चाय भी न मिल पाती। जहां तक कृषि का सवाल है, उसमें कुछ चीजे जरूर हैं। अच्छे बीज, समय पर खाद व कीटनाशक दवाइयां।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी गांव के किसानों को अच्छे बीज नहीं उपलब्ध होते हैं। बीज विकास निगम वाले किसान से कुछ बीज खरीदता है और उसके दाम बढ़ाकर उन्हीं किसानों को दे देता है। उनको समय पर खाद नहीं मिलती। मैं जानता हूं कि पिछले साल मध्यप्रदेश में यूरिया की क्या स्थिति थी। हम किसानों को समय पर यूरिया नहीं दे पाये और यूरिया के बिना किसान का उत्पादन कई जगह बहुत कम रहा है। हमारे यहां घटिया कीटनाशक मिलते हैं। मैं मध्यप्रदेश की बात कर रहा हूं। और भी कई प्रदेशों में ऐसा हो रहा है। जो कीटनाशक दवाइयां बनाते हैं, वह बहुत घटिया बनाते हैं। एक बार मैं एक गांव में दौरे पर गया था। मेरे वहां पहुंचने पर गांव के लोगों ने मेरे सामने एक बोरी लाकर रख दी और मुझे कहने लगे कि आप इसे खोलिए। मैंने कहा कि आप यह बोरी क्यों खुलवा रहे हैं तो वह कहने लगे कि आप खोलिए तो सही। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कीटनाशक पाऊडर था तथा उसमें एक मुट्ठी भर उल्लियां पड़ी हुई थीं। मैंने उनसे कहा कि आप यह क्या दिखा रहे है तो वे कहने लगे कि चार घंटे पहले जब हमने आपके आने की खबर सुनी तो हमने इसमें यह उल्लियां डाली थीं। यह मरी नहीं हैं बल्कि यह जिन्दा है और मोटी हो रही हैं। यह आज के कीटनाशक दवाइयों के हाल हैं और इसलिये हम कीटनाशक लेकर परेशान है क्योंकि हम अपनी फसल को उल्लियों से नहीं बचा पाते। उल्लियां नहीं मरती जबकि किसान मर जाता है। इसको आप ठीक से उपलब्ध कराइये।

मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि हमारे देश में जल के संसाधन इतने है कि उससे हम 83 फीसदी जमीन को सींच सकते हैं।

लेकिन आजादी के 48 साल के बाद 45 हजार करोड़ रूपये खर्च करके भी हम अपनी कृषि के केवल 35.3 प्रतिशत हिस्से को ही सींच पाए हैं। अभी तक 67 प्रतिशत खेती आज भी मानसून पर निर्भर है।

जहां तक बड़ी सिंचाई की योजनाओं का सवाल है, हमने बड़ी-बड़ी

सिंचाई योजनाएं बनाई, 289 सिंचाई योजनाएं प्रारंभ की लेकिन उनमें से केवल 65 ही पूरी हो सकी हैं, बाकी सब जैसी की तैसी पड़ी है। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी सिंचाई योजनाओं की क्या आवश्यकता है। उनमें ज्यादा पैसा खर्च होता है, वन डूबते हैं, कई लोग विस्थापित होते हैं। बड़ी योजनाओं पर 35 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर खर्च होता है, यदि उसके स्थान पर लघु सिंचाई योजनाएं बनाई जाएं तो उसमें केवल 7,330 रूपये प्रति हैक्टेर पर खर्च आता है। ऐसी कृषि नीति बनानी चाहिए जिसमें छोटी-छोटी योजनाएं हों। पुराने समय में तालाब होते थे लेकिन अब वे या तो टूट गए है या उनपर कब्जा किया जा रहा है। सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे तालाबो को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। छोटे-छोटे स्टौप डैम बनाकर हम पानी के गिरने स्तर को रोक सकते हैं। सिंचाई का दूसरा साधन कुआं और टयूबवैल हैं। लेकिन हालत यह है कि जल का स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। बहुत से किसान कुआं खुदवा नहीं पाते, जैसे-तैसे लोन लेकर कुआं खुदवाते हैं तो पता लगता है कि नीचे पानी नहीं है। यदि पानी निकल भी आया तो बिजली नहीं मिलती, 3-3, 4-4 साल बिजली के कनैक्शन लेने में लग जाते है लेकिन कर्जा पहले दिन से चलना शुरू हो जाता है। बिजली नहीं है लेकिन बिजली का बिल आता रहता है। जहां नहरें बनी है, उनका रखरखाव ठीक नहीं है। 38 प्रतिशत पानी तो उड़ जाता है या रिसकर व्यर्थ हो जाता है, बाकी जो 62 प्रतिशत पानी है, पुरानी पद्धति से देने के कारण उसका केवल 15 प्रतिशत ही पौधों को पहुंच पाता है।

हमारी खेती बहुत कुछ मानसून पर निर्भर करती है। कभी औले पड़ते हैं तो कभी सूखा पड़ जाता है। औले पड़ जाते हैं तो किसान की सारी फसल चौपट हो जाती है। किसान आसमानी मार कैसे सहन कर पाएगा। इसके लिए मैं सरकार को दोष नहीं देता लेकिन एक बार किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो वह 3-4 साल तक पनप नहीं पाता, उसने जो कर्जा लिया हुआ होता है, उसे कैसे चुकाएगा।

यहां फसल बीमा योजना की बातें की गई। मध्य प्रदेश में दो साल पहले ओला वृष्टि हुई थी तो किसानों ने बीमा सेवा सहकारी समिति के माध्यम से फसल का बीमा करवाया था। जब बीमा देने की बात हुई तो उसमें किसान को इकाई नहीं माना गया, गांव को इकाई नहीं माना गया, तहसीलको इकाई माना गया और कहा कि जब तक पूरी तहसील की इतने प्रतिशत फसल नष्ट होगी तब तक यह बीमा नहीं दिया जाएगा। अब किसान क्या करे। क्या वह भगवान से यह प्रार्थना करे कि पूरी तहसील की फसल नष्ट हो जाए। इसलिए बीमा योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसानों के नुकसान की भरपाई हो। जहां तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, रिजर्व बैंक ने सारी बैंकिंग संस्थाओं को यह निर्देश दिए थे कि खेती के लिए कम से कम 18 प्रतिशत ऋण दिया जाए। हमारी जानकारी के अनुसार 11-12-13 प्रतिशत से ज्यादा किसी बैंकिग संस्थान ने नहीं दिया। वह ऋण भी भ्रष्टाचार के बिना नहीं मिल पाता, कई कमीशन खाने वाले होते हैं। यदि 25 हजार तक के रेंज की बात की गई तो कम से कम 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

कृषि अनुसांधन के क्षेत्र में कल भी यह चर्चा आई थी कि विश्व के जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं, वह कुल कृषि उत्पादन का दो से तीन प्रतिशत अपने कृषि अनुसंधान पर खर्च करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि की प्रगति में बड़ा उल्लेखनीय योगदान दिया है, लेकिन तकलीफ की बात है कि हमारे देश में 0.32 परसेण्ट हम अपने कृषि अनुसंधान पर खर्चा करते है, इसको ज्यादा नहीं तो कम से कम एक परसेण्ट तो जरूर कर दिया जाये।

अभी चकबन्दी की बात हो रही थी। चकबन्दी उत्तर प्रदेश में हुई होगी, उसमें कुछ खामियां रही होगी, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में और बाकी कई प्रदेशों में चकबन्दी नहीं हुई। बंटवारे के कारण छोटी-छोटी जोत, छोटे-छोटे टुकड़े खेती के हैं। अगर चकबन्दी लागू करके उनको एक स्थान पर कर दिया जाय तो शायद थोड़ी सी लाभकारी वह जमीनें बन पाऐंगी।

भूमि सुधार का जहां तक सवाल है, ऊबड़-खाबड़ जमीनें हैं, ऊंची-नीची जमीने हैं, हमारे भाई लक्ष्मण सिंह जी भी यहां बैठे है, राजगढ़ जिले में कई जमीनें ऐसी हैं, जो पठारी हैं, उनमें ज्यादा उत्पादन होता नहीं, पैदा होती नहीं, ताकत नहीं है कि वह अपने पैसे से उनको लेबिल करवा लें, उनको बराबर करवा लें, उनके बण्ड बनवा लें, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी योजना बननी चाहिए, जिसके कारण वह ऊंची नीची जमीनें ठीक की जायें, उनमें बण्ड बनाये जायें, तब हो सकता है कि कृषि की भूमि के उस टुकड़े से किसान थोड़ा बहुत लाभ कैमा सकें। ऐसी परती भूमि के विकास के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 39 मिलियन हैक्टेयर भूमि ऐसी है, जिसका विकास करके इसको कृषि के योग्य बनाया जा सकता है। यह हमारे देश में बनी हुई है, टैक्नीकल ग्रैजुएट्स को ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय और लूंगा।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लगभग 25 मिनट का समय लिया है।

(हिन्दी)

श्री शिवराज सिंह चौहान: दो चार मिनट और लेने दीजिए। जो धाकड़ सदस्य हैं, वह तो एक-एक घण्टा बोले हैं।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो कठिनाई है। ...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कहना है कि आपसे पहले के वक्ताओं ने अधिक समय लिया है और इसलिए आप भी अधिक समय लेंगे। आप भी उनकी सूची में शामिल होना चाहते है और उनका अनुसरण करना चाहते हैं। यदि यही मामला है तो हम अपनी कार्यवाही पूरी कैसे कर सकते हैं?

(हिन्दी)

श्री शिवराज सिंह चौहान: मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा।

39 मिलियन हैक्टेयर भूमि को अगर किसानों को, टैक्नीकल ग्रैजुएट्स को, शिक्षित बेरोजगारों को, भूतपूर्व सैनिकों को हम बांट दे तो मैं समझता हूं कि करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश में उत्पादन भी बढ़ेगा और जो भूमि का क्षरण होता है, वह भी रुक जायेगा।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां विराजमान है। गांवों का विकास और खेती का सीधा-सीधा सम्बन्ध है। गांवों में सड़के नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। स्कूल हैं तो उनमें मास्टर नहीं है, अस्पताल हैं तो उनमें डाक्टर नहीं हैं। जब तक गांवों में सड़के नहीं होगी तो बुनियादी सुविधाऐं हम गांव-गांव को, किसानों को जब तक उपलब्ध नहीं करवाऐंगे, तब तक हमारी खेती का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए जो यह बात कही गई थी कि सिंचाई मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, मैं यह नहीं कहता कि इनका आप कोई एक महामंत्रालय बना दें, लेकिन इनमें एक समन्वय होना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, विकास भी नहीं होगा।

गांवों में सड़के नहीं है, आज मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उड़ीसा के कई गांव ऐसे है, जहां 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर तक सड़के नहीं है। वहां बरसात के दिनों में अगर कोई बीमार पड़ जाये तो खटिया पर रखकर, डोली बनाकर, कन्धों पर लादकर शहर तक लानेके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ते में आते-आते वह बच जाय तो ठीक है, नहीं तो रास्ते में ही वह आदमी मर जाता है और वही खटिया उसकी अर्थी बनकर शमशान घाट पहुंच जाती है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कह रहा हूं, लेकिन पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था गांवों में नहीं है। शिक्षा के बारे में लोग कह रहे हैं, हम आज यहां बहस कर रहे हैं, लेकिन इस देश के कितने लोगों को मालूम है, इस देश के कितने किसान जानते हैं कि हिन्दुस्तान की संसद में कृषि नीति की चर्चा हो रही है।

कुछ लोगों ने AC की ठण्डी हवा में बैठकर यह कृषि नीति बनाई है। जिन्होंने खेत नहीं देखा, खलिहाल नहीं देखा, कीचड़ नहीं देखा, धूल नहीं देखी, ईलाज के अभाव में दम तोड़ते हुए गरीबों के बच्चों को नहीं देखा, उन लोगों ने यह कृषि नीति बनाई है। लेकिन जिस आम किसान का इससे वास्ता है, उनमें से कितनों से बात की गई? व्यापक पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार किया जाता और अखबारों में विज्ञापन दिये जाते और जो आम किसान है, उसके भी सुझाव और सलाह, जो खेती के मामलों में व्यावहारिक जानकारी रखता है, उसकी भी सलाह नहीं ली जाती तो मैं यह मानता हूं कि यह कृषि नीति और ज्यादा व्यावहारिक बन सकती थी।

पशुधन का जहां तक सवाल है, एक तरफ तो दमध का उत्पादन हम बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ दुधारू जानवर हमारे देश में काटे जा रहे हैं। कई जायज और नाजायज पशुवधगृह हैं, जिनमें यह जानवर कट रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह पशुवधगृह सख्ती से बन्द किये जाने चाहिए।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर दूसरे कामों में उपयोग हो रहा है, उनपर कारखाने लगाये जा रहे हैं, उनपर सड़के बनाई जा रही है। जहां तक सम्भव हो, कृषि योग्य भूमि का उपयोग गैरकृषि कामों में रोका जाये, एवोइड किया जाये।

हमारे देश में बहुत सी नदियां प्रदूषित हो रही है। कारखानों से जो दूषित जल निकलता है, अगर उन नदियों का पानी मवेशी पी लें तो वह बीमार हो जाये, अगर वह नहा लें तो उनको चर्म रोग हो जाये। इन नदियों को भी प्रदूषणमुक्त करना बहुत आवश्यक है।

मैं आपकी भाव भंगिमा समझ रहा हूं। मन में तो बहुत सी बातें थी, जो मैं कहना चाहता था, लेकिन अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। मैं फिर से एक बार यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कृषि नीति को बनाने के लिए एक बार व्यापक पैमाने पर पूरे देश में एक बहस कराई जाये।

आम किसानों से भी चर्चा की जाये। उनके दुख-दर्द कैसे कम होंगे, विशेषकर सीमांत और लघु किसान को कैसे लाभ मिलेगा, कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, इस पर व्यापक विचार-विमर्श करके हम एक ऐसी कृषि नीति बनाये जो वास्तव में कृषि उत्पादन बढ़ा सके, इस देश का समन्वित विकास कर सके और देश के गरीब किसानों को लाभ पहुंचा सकें, ऐसी कृषि नीति हमें बनाने की जरूरत हैं।

श्री अनंतराव देशमुख: उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं यह नीति दस्तावेज लाने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और उन प्रश्नों पर बल देना चाहता हूं जिन पर उस नीति दस्तावेज में बल नहीं दिया गया था।

इस देश के कृषि समुदाय को राज सहायता के रूप में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपने कृषि उत्पादों के लिए अच्छे लाभकारी मूल्यों के रूप में प्रोत्साहनों की आवश्कता है। इस पहलु पर बल दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस नीति दस्तावेज में ऐसा नहीं किया गया है। नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ लाभकारी मूल्य देश में खाद्यानों के उत्पादन के लिए निरन्तर वृद्धि दर को सुनिश्चित करेंगे।

मैं यह नहीं कहता कि सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर रही है। वर्तमान प्रणाली में, सरकार ने कृषि उत्पादों को समर्थन मूल्य देकर एक उपाय किया है और समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि भी रही है। बहुत अच्छा दिखता है

स्पष्टता, यह मानों इस देश के कृषि समुदाय को समर्थन मूल्य दिया गया है। लेकिन यदि सरकार बाज़ार में आने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है और किसानों से खाद्यान्न नहीं खरीदती है तथा कीमते समर्थन मूल्य नीचे आ जाती है तो समर्थन मूल्य की समस्त अवधारणा ही निर्थरक हो जाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास आगामी पांच वर्षों में यदि गोव स्तर पर नहीं, तो कम-से-कम प्रखण्ड स्तर पर ऐसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना है।

जब मैं कृषि समुदाय को बेहतर लाभकारी मूल्य देने के बारे में कहता हूं तो उसके कई पक्ष है जो वास्तव में इससे जुड़े हुए हैं। मैंने पहले ही यहां एक पहलु पर चर्चा की है। दूसरा पहलू यह है कि हमारे पास एक सही आयात-निर्यात नीति होनी चाहिए। सिर्फ निर्यात तथा आयात प्रतिबंधों को हटाने से काम नहीं चलेगा। इस सभा में खाद्यान्नों के आयात पर काफी शोर-शराबा हुआ था। मैं महाराष्ट्र का मामला उद्घृर करूगा। एक ओर, महाराष्ट्र सरकार कपास की गांठे निर्यात करने के लिए उनको अनुमति प्रदान करने पर बल देती रही है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया जा रहा है। अत: कृषि समुदाय को लाभकारी मूल्य नहीं दिए जाते हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है इससे आम आदमी को भी सहायता मिल रही है? आम आदमी को सस्ती दर पर वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अत: यह एक कटु मुद्दा है और इसकी ओर ध्यान दिया जाता चाहिए।

दूसरी ओर, हमने संसद में चीनी आयात के मुद्दे पर चर्चा की थी। काफी स्टॉक उपलब्ध थे, फिर भी हमने चीनी का आयात किया। हमने आशा की थी की चीनी के मूल्य कम होगे। लेकिन आम आदमी को यह सस्ती दर पर नहीं मिली। दूसरी ओर, कृषि समुदाय को अच्छे लाभकारी मूल्य नहीं मिले। अत:, इस समस्त प्रणाली की जांच की जानी है और इस नीति दस्तावेज में इस पर बल दिया जाता है।

एक अन्य बात भी है जिस पर मैं यहां बल देना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमतें विशेषकर ग्रामीण स्तर पर प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करनी है जब मैं प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने की बात करता हूं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें चीनी, उद्योग, कटाई उद्योग जैसे बड़े उद्यम लगाने चाहिए बल्कि एक लघु प्रसंस्करण एकक लगाना चाहिए जिससे एक किसान अधिक मूल्य प्राप्तत कर सके। बाजार में चना लाने की अपेक्षा, वह चने की दाल ला सकता है। इस प्रकार देश में इस तरह के मूल्य वृद्धित करने वाले और बिक्री केन्द्रों की एक लड़ी बनानी है। दुर्भाग्य से, इस नीति दस्तावेज में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन मुद्दों पर विचार करे।

अब मैं विपणन पर आता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हम समर्थन मूल्य दे रहे है। लेकिन साथ ही, यदि कीमतें नीचे जाती है तो बाज़ार में उन्हें नियंत्रित करने के लिए हम कोई मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे है।

इसका प्रतिकार हम बहुत सुदृढ विपजन संरचना प्रदान करके कर सकते हैं। माण्डरगार बनाकर भी एक बहुत सुदृढ विपणन ढ़ाचा प्रदान किया जा सकता है। माण्डागार में किसान अपने खाद्यान्नों को रख सकता है और बाजार में उतार-चढ़ाव का लाभ उठा सकता है। ये माण्डागार गोव स्तर अच्छा प्रखण्ड स्तर पर बनाये जाने चाहिए। वास्तव में, मैं चाहता था कि इन बातों का नीति दस्तावेज में उल्लेख किया जाना चाहिए था कि सरकार ने आगामी पांच वर्षों में माण्डागार बनाने का निर्णय किया है। दुर्भाग्यवंश, ऐसा नहीं किया गया है। मैंने कहा है कि ये प्रखण्ड स्तर पर न बनाकर गांव स्तर पर बनागे जाने चाहिए क्योंकि किसान अपनी उपज प्रखण्ड स्तर पर अथवा जिला स्तर पर नहीं लायेगा। जैसा कि नीतीश जी ने कहा है कि यहां हमें दो संस्कृतियों में अन्तर करना है। मैं आम आदमी अथवा आम किसान के बारे में बात का रहा हूं। जब मैं माण्डागारों के रूप में अवसंरचना की बात करता हूं तो उससे मेरा तात्पर्य उनको ग्राम पंचायत स्तर अथवा गांव स्तर पर बनाने से है। पहले मैंने कहा था कि नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ-साथ किसानों को अच्छे लाभकारी मूल्यों देने से देश में निरन्तर खाद्यान्न वृद्धि सुनिश्चित होगी।

जहां तक प्रौद्योगिकी का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि आई सी.मी. आर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन प्रायोगशाला से जमीन तक इस प्रौद्योगिकी को पहुचाने के लिए हमारे पास अवसंरचना कहां है। हमारे पास किसान विकास केन्द्रों के रूप में अवसंरचना है। लेकिन किसान विकास केन्द्रों का हम क्या कर रहे हैं? हम 21वी शताब्दी की दहलीज पर है जिसमें यह प्रौद्योगिकी मानवता के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। किसान विकास केन्द्रों के रूप में हमारे पास एक प्रणाली है जो प्रयोगशाला से भूमि तक नवीनतम प्रौद्योगिकी को पहुंचा रही है। लेकिन यहां, हम किसान विकास केन्द्रों को दिए जाने वाले आबंटन की राशि तथा कर्मचारियों की संख्या कम कर रहें है। मैं सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के प्रयासों से ही विगत दो वर्षों में कई नये किसान विकास केन्द्र बनाये गये और इस संबंध में और अधिक भी किया गया है।

हाल ही में, हम कोचीन के दौरे पर गये थे जहां हमने नाराकल में एक किसान विकास केन्द्र का दौरा किया था। हम वहा मोती पालन नामक अनोखा उद्योग देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हमें यह भी बताया गया कि एक हैक्टेयर में मोती पालन से एक किसान को दस लाख रूपये की आय होगी। मेरा जैसा व्यक्ति, जो संसद सदस्य है, कोचीन जा सकता है लेकिन, महोदय, आम किसान का क्या होगा? इसलिए, हमें अवसंरचना प्रदान करनी है जिससे इस प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से भूमि तक पहुंचाया जा सके। अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस मुद्दे को ले और इस क्षेत्र को वरीयता दे।

कुछ अन्य बाते भी है जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। लेकिन यह पुनरावर्ती होगी। भूमि सुधार जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस संबंध में काफी अनुसंधान तथा विकास कार्य किया गया है। जहां तक क्षारीय भूमि के सुधार का संबंध है, केवल कुछ राज्यों ने काफी प्रगति की है लेकिन कई राज्य ऐसे भी है जो पीछे है। इसलिए एक उद्देश्य अथवा लक्ष्य निर्धारित करना है जिसके द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास उपलब्ध विभिन्न कृषि

संस्थाओं को क्षारीय भूमि के सुधार के कतियम लक्ष्य दिए जाने चाहिए। इसलिए एक अच्छी नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

अन्त में, मेरे पास मत्स्यिकी के संबंध में एक प्रश्न है। जहां तक अपतटीय या मत्स्यन का संबंध है, हमारे देश में काफी प्रगति की गई है क्योंकि हम अपने उपलब्ध संभावित संसाधनों के लगभग 75 प्रतिशत का दोहन कर रहे है। लेकिन जहां तक देश में मात्स्यिकी का संबंध है, हम काफी पीछे है। हम अपने उपलब्ध संसाधनों का केवल 25 प्रतिशत का ही दोहन कर रहे है। अत: हम इस में निश्चय ही काफी प्रगति कर सकते है बशर्ते कि हम एक नीति निर्णय ले। हमें इस मुद्दे को राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहिए और मेरे विचार से माननीय मंत्री यह सिफारिश कर सकते है कि सभी राज्य सरकारों को मत्स्यन को कृषि के समान मानना चाहिए और देश में मत्स्यन को जल विद्युत तथा अन्य कई अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने में वरीयता दी जानी चाहिए।

3.00 म.प.

महोदय, ये कुल मसले हैं जो मैं चाहता था कि इस नीति दस्तावेज में शामिल किया जाने चाहिए थे और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे विषय पर विचार करे और अपने उत्तर में इन सुझावों पर विचार करें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देश मुख, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने बहुत रचनात्मक सुझाव दिए है।

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती आने ही वाली है। मैं दुखपूर्वक कहना चाहता हूं कि यह अत्यंत शर्मनाक बात है कि राष्ट्र अब तक कृषि नीति नहीं बना पाया है जबकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तथापि अब संसद को कृषि नीति संकल्प के प्रारूप पर चर्चा करने का अवसर मिला है। परन्तु इस कृषि नीति संकल्प में गम्भीर कमियाँ हैं।

सर्वप्रथम, मैं कहना चाहता हूं कि कृषि मजदूरों की समस्याओं के बारे में इस संकल्प में कुछ भी वर्णन नहीं है। कृपक समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि मजदूर है। वे अत्यंत पीड़ित हैं और हमारी जनसंख्या का अत्यंत संवेदनशील वर्ग है। यह वर्ग अत्यंत शोषित और वंचित है। मेरे विचार में हमारे जैसे देश में, जहां पर कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु समुचित प्रावधान नहीं हैं, कोई कृषि नीति नहीं बनाई जा सकी है। इस संकल्प का प्रारूप बनाते समय सरकार ने कृषि मजदूरों की समस्याओं को आसानी से भुला दिया है।

महोदय, दूसरे इस संकल्प में भूमि के पुन: वितरण संबंधी भूमि सुधार कार्यक्रमों का भी कोई उल्लेख नहीं है। भूमि सुधारों के बारे में इस संकल्प में वर्णन होना चाहिये कि किस प्रकार यह छोटे और सीमांत किसानों को क्षमताओं को बढ़ाएगा ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। संकल्प में छोटी और सीमांत जोतों के सुधारों का उल्लेख है। परन्तु, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार बड़ी जोतों के बारे में कौन-कौन से कदम उठाने का विचार रखती है और अतिरिक्त भूमि, बंजर भूमि और राज्य सरकारों के पास उपलब्ध भूमि को वितरित करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या बड़ी जोतों का ऐसे ही रहने दिया जाएगा अथवा सरकार ऐसी भूमि को अपने कब्जे में लेकर इन्हें भूमिहीन गरीब किसानों में वितरित कर देगी?

महोदय, इस संकल्प में उल्लिखित है कि जोतों के आकार में कमी आने के कारण और भूमि के बंटते जाने के कारण प्रबंधन विकल्प कम होते जा रहे हैं। कम आय का स्तर हमारी कृषि के सामने एक मुख्य चुनौती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की भूमि के पुन: वितरण की भूमि सुधार नीति से प्रयाण है ताकि भूमि के बँखारे को रोका जाए और उनका माप और अधिक कम न हो? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कृषक को भूमि नारे को भुलाया नहीं जा रहा है?

महोदय, मैं सरकार के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि छोटे और सीमांत जोतों के कारण प्रबंधन विकल्प कम होते जा रहे हैं और आय कम होती जा रही है। विभिन्न देशों में किये गए कई सर्वेक्षणों से मालूम चलता है कि बड़े भूमि के टुकड़ों की अपेक्षा छोटे खेतों की उत्पादकता अधिक है। बड़े खेतों में प्रबंधन कुशलता कम होती है।

मैं जानना चाहता हूं कि 1991 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पूर्व गत वर्षों में कृषि का जोर मुख्यत: किन बातों पर था? मुख्यत: जोर हमारी निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन आवश्कयताओं को पूरा करने के लिये खाद्यान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना था? यही हमारी हरित क्रांति का लक्ष्य था। इसकी वजह से भारत में खाद्यानों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। भारत में खाद्यानों का भण्डार काफी बड़ा है। परन्तु, हमारी 50 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। वह लोग एक दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं। हमारी ग्रामीण आबादी के आहार के पोष्टिकता स्तर में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। राष्ट्र के समक्ष प्रश्न यह है कि शताब्दी के अन्त तक 100 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के लिये 240 से 250 मिलियन टन अनाज कैसे पैदा किया जायेगा। इसलिये, आवश्यक है कि हम आत्म-निर्भरता की नीति को जारी रखें। तदनुसार, खाद्यानों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर जारी रहना चाहिये।

परन्तु, इस कृषि नीति का उद्देश्य खाद्यानों के उत्पादन की बजाय नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का है, यह कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से किया जा रहा है। इसके पीछे विचार यह है कि अगर अधिक धन उपलब्ध है तो हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से आवश्यकता के अनुसार खाद्यान खरीद सकते हैं। इसलिये, सम्भव है कि भारत आने वाले वर्षों में खाद्यानों के आयात पर निर्भर हो जाए। लेकिन महोदय, खाद्यानों के आयात पर स्थायी रूप से निर्भर हो जाना एक अत्यंत घातक बात है। इससे हमारी सम्प्रभुता भी संकट में पड़ सकती है। मैं कृषि उत्पादों के निर्यात के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह आत्मनिर्भरता की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिये।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): परन्तु यह डकल नीति की एक शर्त है।

श्री जायनल अबेदिन: मेरे विचार में उद्देश्यों को बदलने से और निजीकरण से छोटे और सीमांत किसानों को फायदा नहीं होने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जानने के लिए कोई गहन अध्ययन कराया गया है कि छोटे और सीमांत किसान खाद्यानों के पारंपरिक उत्पादन को छोड़कर इन नए उत्पादों अर्थात रेशम कीट पालन, बागवानी और मछलीपालन को अपनाने के लिये तैयार है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सीमांत किसान के लिये अपने छोटे खेत को तालाब अथवा बगीचे में बदलना तर्कसंगत होगा? अगर वह किसान इच्छा भी रखता है तो भी अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने के लिये धन कहाँ से लायगा? मछलीपालन, बागवानी और रेशम कीट पालन जैसे कार्यों में काफी लम्बा समय लगता है इसलिये, कोई भी सीमांत किसान, जिसको परिवार का पोषण करना होता है तथा जो रोज की आमदनी पर निर्भर करता है, किस प्रकार इतने लम्बे समय तक इन्तजार कर सकता है? छोटे और सीमांत किसान बाजार में बेचने के लिये उत्पादन नहीं करते हैं। वह जो भी बाजार में बेचते है उसका कारण आर्थिक विषमताएं हैं। वे मूल्य वृद्धि कृषिप करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिये, यह निर्यातोन्मुखी कृषि नीति से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे कृषक समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच तथा सिंचित और गैर-सिंचित क्षेत्रों अथवा वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के बीच असमानता और अधिक बढ़ जायगी। अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक सराहनीय कार्य कर रहे हैं परन्तु आवश्यकतानुसार किसानों तक अनुसधान के परिणाम नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिये, प्रयोगशालाओं को खेतों के निकट ले जाने के नेटवर्क को मजबूत किया जाना चाहिये। विस्तार सेवा केन्द्रों के कार्य की समीक्षा की जानी चाहिये। हमारे किसान नई प्रौद्योगिकी को अपनाएं इसके लिये किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। किसान कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिये तैयार हैं।

महोदय, व्यापक भूमि और फसल बीमा योजना से किसानों को बहुत सहायता मिलेगी। पूरे देश में एक समान नीति, जिसमें सभी फसलें आयें, को लागू किया जाना चाहिये और इसको ऋणों से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

महोदय, किसी भी कृषि विकास नीति की सफलता के लिये सिंचाई एक महत्वपूर्ण आदान है। सिंचाई के समुचित प्रावधानों के अभाव में किसी भी कृषि नीति के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते हैं। महोदय, दो-तिहाई कृषि योग्य भूमि अभी भी किराये पर है। निर्यातोन्मुखी कृषि नीति की सफलता, जिस पर कि विचार किया जा रहा है, वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि उपलब्ध सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाये। सिंचाई को अधिकतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये, परन्तु अभी नहीं दी जा रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये परिव्यय काफी कम है। इसलिये, यह कैसे आशा की जा सकती है कि इस कृषि नीति से कृषि का चहुंमुखी विकास होगा।

महोदय, मैं समाप्त करने के पूर्व कुछ सुझाव देना चाहता हूं। भाषण के प्रारम्भ में मैंने कहा था कि कृषि मजदूर कृषक समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस कृषि नीति में उनके बारे में एक भी शब्द नहीं है और नहीं कोई सुझाव-

श्री सैयद मसूदल हुसैन: यह बड़े किसानों के लिये नीति है।

श्री जायनल अबेदिन: कृषि नीति संबंधी वक्तव्य में कृषि श्रमिकों के लिए, जो राष्ट्र-सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान भी क्यों नहीं किया जाना चाहिये? भागीदारी में खेती करने वालों के नाम रजिस्टर करने का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए ताकि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें उस भूमि का स्वामित्व दिया जा सके जिसे वे जोतते हैं कृषि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय कानून क्यों नहीं बनाया जाना चाहिये?

महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन प्रश्नों का, जिनके उत्तरों की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, स्पष्ट जवाब दें। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ (चिकमगलूर): महोदय, माननीय कृषि मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रारूप कृषि नीति संकल्प मे कृषि क्षेत्र, जिसकी पूर्ण क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने में अब तक मुश्किलें आती रही हैं, को सुदृढ़ और वाणिज्यिक रूप से सक्षम क्षेत्र बनाने में काफी मदद मिलेगी। इस प्रारूप कृषि नीति से किसानों के जीवन-स्तर में निश्चित रूप से सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्र में भी परिवर्तन आयेंगे। मैं इस प्रारूप कृषि नीति संकल्प का समर्थन करती हूं।

महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अन्य सभी क्षेत्र, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो या अन्य सेवा क्षेत्र, अधिकांश लोगों के लिए कृषि ही मुख्य आधार है। कृषि का विकास ही औद्योगीकरण का मुख्य आधार है। इसीलिए, कृषि के विकास से अन्य क्षेत्रों के विकास में भी तेजी आयेगी। अत: कृषि भारत में सभी आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है।

महोदय, भौगौलिक क्षेत्र का लगभग 43 प्रतिशत भाग कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त होता है। ग्रामीण घरेलू उत्पाद का मात्र 30 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है तथा 70 प्रतिशत कामगारों को इससे रोजगार मिलता है। इसी से यह पता चलता है कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में कृषि का कितना महत्व है।

यह सच है कि स्वतंत्रता के पश्चात सभी सरकारों ने कृषि क्षेत्र के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया है। हम इस बात को विस्मरित नहीं कर सकते कि हरित क्रान्ति से खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जो चमत्कार हुए हैं, उसे हम भूल नहीं सकते। यह सच है कि हमारा उद्देश्य खाद्य के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है।

आज, हमारा खाद्य उत्पादन प्रति वर्ष 190 मिलियन टन तक पहुंच गया है। हालांकि, अगर हम आर्थिक दृष्टि में देखें तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमने जो नीतियां और उपाय अपनायें है, क्या उनसे कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से एक सक्षम क्षेत्र के रूप में विकसित करने में मदद मिली है तथा क्या जो नीतियां हमने लागू की हैं, उनसे एक समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज बनाने में मदद मिली है।

महोदय, अभी तक जो कृषि नीति सरकार अपनाती रही है, उसका उद्देश्य एक सुदृढ़ खाद्य सुरक्षा स्थापित करना रहा है। लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना राष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिये। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे नीति निर्माता खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अल्पावधि उपाय अपनाते रहे हैं। अब हमें एक व्यापक कृषि नीति बनानी चाहिए जो कृषि विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे आधार-संरचना का निर्माण, सरकारी निवेश, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक वितरण, उत्पादन और उत्पादकता, बाढ़ तथा अकाल नियंत्रण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि अनुसंधान और इसी प्रकार के विषयों पर प्रभावशाली ढंग से विचार कर सके। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि ये कृषि के चहुंमुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

महोदय, सरकार ने अब तक उद्योगों को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान की है। खाद्य प्रखंडों के निर्माण, देश के भीतर ही खाद्यान्नों के मुक्त प्रवाह पर रोक और अनिवार्य कर लगाने तथा निर्यातों पर रोक लगाने के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो जाते हैं।

मेरे विचार में उद्योग की तुलना में कृषि को पूरा न्याय नहीं मिला है। कृषि तथा उद्योग में निवेश, ऋण-प्रवाह, सिंचाई, व्यापार में जोखिमपूर्ण निवेश में मतभेद के कारण कृषि का विकास तुलनात्मक रूप से कम हुआ है और विकास दर में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कम हुआ है। परन्तु श्रमिकों की संख्या में कोई अधिक कमी नहीं हुई है। इसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि के बहुत छोटे भाग पर निर्भर हो गया है। इससे ग्रामीण और शहरी आय में काफी असमानता उत्पन्न हो गई है। महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय तथा कृषि मंत्री जी ने इस नीति में इन खामियों को दूर करने की पहल की है।

हमारे देश की जनसंख्या का बड़ा भाग किसानों और कृषि कामगारों का है, जो गाँवों में रह रहा है। महोदय, उनके विचार में आर्थिक सुधारों के पश्चात् सरकार ने कृषि से राजसहायता और बहुत से प्रोत्साहनों को वापिस ले लिया है। इसीलिए हमारे किसान यह सोच रहे हैं कि सुधार उनके हित में नहीं हैं तथा इससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। आर्थिक सुधार तथा उदारीकरण के लिए किए गए प्रयास अभी तक कृषि क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं और किसानों ने इसके लाभों को महसूस नहीं किया है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हैं और मुझे *बताते हैं कि आप आर्थिक सुधारों और उससे किसानों को होने वाले फायदों के बारे में इतनी बातें करते हैं लेकिन उदारीकरण के आर्थिक सुधारों का लाभ औद्योगिक क्षेत्र को अधिक मिला है। प्रतिदिन हम पढ़ते हैं कि उद्योगों को कर, शुल्क, ऋण और निर्यात प्रोत्साहनों के रूप में अनेक रियायतें दी जा रही हैं लेकिन हमें जो फायदे मिल रहे हैं उन सभी को सरकार ने वापिस ले लिया है। सरकार हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है? यही प्रश्न वे मुझसे कर रहे हैं।*

3.23 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस भावना को समाप्त करने के लिए सरकार को कृषि नीतियों तथा कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा तथा बल के साथ लागू करना चाहिये। केवल तभी हमारे किसानों को विश्वास होगा कि आर्थिक सुधार उनके फायदे और सहायता के लिए हैं। किसानों के विश्वास तथा समर्थन से ही हम इन सुधारों को सफलता से लागू कर सकते हैं।

कृषि नीति में बहुत सी चुनौतियों और अनेक उपायों पर विचार किया जा रहा है, जो कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश, ऋण संबंधी सुधार, आधारभूत संरचना के निर्माण, फसल की कटाई के पश्चात् व्यवस्था संबंधी सुविधाओं, प्रसंस्करण और विपणंन तथा नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से नई जान फूंकने के लिए अनिवार्य हैं।

इस नीति की सफलता मुख्यत: कुछ तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है, सार्वजनिक निवेश। जबकि सार्वजनिक निवेश नीतियाँ काफी हद तक उद्योगों के पक्ष में है। निजी तथा सार्वजनिक संस्थानों के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को काफी ऋण दिया गया था। लेकिन सफल घरेलू पूँजीगत निर्माण में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 1982 के 19 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1992 में 11 प्रतिशत तक गिर गया है। इसलिए सरकार को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक निवेश योजना को पुर्नगठित करना चाहिए और कृषि क्षेत्र पर जोर देना चाहिए।

दूसरा मुद्दा ऋण उपलब्धि के संबंध में है। हमारे कृषक बहुत निर्धन हैं और उनके पास बहुत कम भूमि है। वे उन तकनीकों तथा तरीकों को प्रयोग में लाना चाहते है जो कि हमारे विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित किए गए हैं। वे उन्हें प्रयोग में लाना चाहते हैं, वे उन्हें शामिल करना चाहते हैं लेकिन समस्या यह है कि उनके पास इन सब कार्यों के लिए धन का अभाव है। इस कारण वे पीछे हैं। वर्तमान ऋण प्रणाली तथा ग्रामीण ऋण प्रणाली कृषकों के पक्ष में नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसका पुर्नगठन किया जाना चाहिए, इसमें सुधार किया जाना चाहिए तथा इसे इस प्रकार गठित किया जाना चाहिए कि इसके द्वारा गरीब किसानों को सहायता मिल सके। उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो अनुसंधान द्वारा निकाले गए परिणामों

को अपने खेतों में ले जा सके और उन्हें प्रयोग में लाकर लाभ उठा सके।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम नीतियों तथा कार्यक्रम तैयार करते हैं। वे हमें यह महसूस करवाते हैं कि उससे सभी समस्याओं का हल निकलेगा। लेकिन आरम्भिक स्तर पर तथा कार्यान्वयन के स्तर पर कुछ कमियों होने के कारण यह नीतियों भिन्न तरीके से कार्य करती हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मैंने निर्वाचन क्षेत्र में काफी कृषकों ने ऋण लिए हुए हैं लेकिन उनमें काफी कृषक चूककर्ता बन गए हैं क्योंकि वे ऋण चुकाने में असफल रहे हैं। मुख्य कारण यह है कि उन्होंने सिंचाई के उद्देश्य से ऋण लिए हैं। उन्होंने कुएं खुदवाए, उन्होंने नलकूप लगवाए लेकिन उन्हें इन्हें चलाने के लिए बिजली मिलने में दो से तीन वर्ष लग गए। इन तीन वर्षों में, वे इन नलकूपों को इस्तेमाल नहीं कर पाए और उन्हें अच्छी फसल के लिए पानी नहीं मिल पाया लेकिन बैंक ने इन वर्षों का ब्याज लगा दिया और उनका ब्याज जमा हो गया। अन्तत: कृषक ऋण के जाल में फँस गए। देश में यह स्थिति विद्यमान है। इसलिए, मैं जिस बात पर जोर देना चाहूंगा वह यह हैं कि केवल नीति ही काफी नहीं है, नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियाँ आरम्भिक स्तर पर कहाँ तक सहयोग करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

एक अन्य बात जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है वह हैं उच्च तकनीक द्वारा की जाने वाली कृषि, बागवानी तथा फूलों की खेती। इस क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश तथा पूंजीगत तकनीक की आवश्यकता है। आधारभूत सुविधाओं के लिए काफी निवेश की आवश्यकता है। उत्पादन की कुशल तथा लाभकारी प्रणाली के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए यह स्थिति संसाधन के धनी लोगों के पक्ष में है। मेरी आशंका यह है कि उच्च तकनीक द्वारा की जाने वाली कृषि तथा फूलों की खेती में कारपोरेट क्षेत्र जैसे निजी निवेशकर्ताओं को शामिल करने के जोश में लघु कृषक तथा असंगठित श्रमिक जो कि योग्य हैं, जिनके पास शक्ति है और जो वचनबद्ध हैं लेकिन संसाधनों के मामले में निर्धन है, वे इन अवसरों का उपयोग करने में और इनका लाभ उठाने में पीछे रह जायेंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केवल कोऑपरेटिव क्षेत्र में कृषकों को इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने से यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सरकार को लघु कृषकों के एक बड़े हिस्से को निवेश के लिए धन प्राप्त करने, मूलभूत सुविधाएं जुटाने तथा अन्य सहायक उपाय करने में सहकारी संस्थानों को एक प्रभावी तंत्र के रूप में पुनर्गठन करना चाहिए।

मैं मंत्री जी के वक्तव्य की प्रशंसा करता हूं कि यह नीति कृषि क्षेत्र के पक्ष में तथा कृषि को उद्योगों के स्तर के समान लाने के लिए व्यापार की शर्तें बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार के अनाज को लाने-लेजाने के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंधों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत करता हूं।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कर्नाटक के पास बागवानी तथा फूलों की खेती की काफी संभावना है। लेकिन संगठित विपणन और फसल की कटाई के पश्चात् की प्रबंध सुविधाओं की अनुपस्थिति में हमारे लघु कृषक इसे व्यावसायिक जोखिम के रूप में आगे बढ़ाने में संकोच कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे कर्नाटक सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करें ताकि वे हमारे कृषकों की मदद के लिए आधारभूत सुविधाएं जुटा सके।

अन्तत: एक बार फिर मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्न किए तथा अपना योगदान दिया। मैंइस बात केलिए भी धन्यवाद देता हूंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री एस. मल्लिकारजुनय्या (तुमकुर): महोदय, मैं वास्तव में आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे प्रारूप कृषि नीति के संबंध में बोलने का अवसर दिया।

मैं उस क्षेत्र से संबंध रखता हूं जहां नारियल की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र आठ खंडों से मिलकर बना है और सभी आठ खंड नारियल के पेड़ों से लदे हुए है। वहां मुख्य रूप से नारियल की खेती होती है। हमारे जिले में वर्षा बहुत कम होती है और इसलिए कुएं खोदे जाते हैं। पेड़ सूख रहे हैं और नारियल के बागों की हालत बहुत खराब है।

जब मुझे शिमोगा में प्लेटफार्म पर माननीय मंत्री जी का साथ देने का अवसर मिला तो मैं उन्हें अपने जिले की अवस्था के बारे में समझाने में सफल हुआ था। माननीय मंत्री जी बैंगलोर से शिमोगा तक गए और वे हमारे क्षेत्र के नारियल के बाग देख सके। वे बहुत खुश थे कि वहां बहुत सारे हरे-भरे नारियल के पेड़ थे। जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब वे तुमकुर से गुजरे तो उन्होंने नारियल के बाग देखे, जब वे शिमोगा आए तो उन्होंने धान के खेत तथा गन्ने के खेत देखे, जिनमें पानी भरा हुआ था। तब मैं अपनी कठिनाईयों प्रस्तुत कर सका चूंकि मुझे मालूम था कि माननीय मंत्री जी ने नारियल के पेड़ ऊपर से देखें होंगें। लेकिन जब हम उन्हें नीचे से देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें 10 से 12 नारियल भी नहीं है और पानी की कमी के कारण पेड़ झुके हुए भी हैं। वे खड़े नहीं रहते, तैयार होने से पहले ही वे गिर जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे खाना पकाने के उद्देश्य से भी उपयोगी नहीं है।

वहाँ से हम श्री प्रफुल्ल चन्द्र के बागों की ओर गए। वह बाग भी पानी से भरा हुआ था। हर पेड़ पर कुछ 200 से 250 नारियल होंगे। उसके बाद हम तीर्थाहाली गए। वह क्षेत्र भी नारियल के बागों से भरा हुआ था और वह भी लदा हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी को अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहता था। तत्पश्चात् मैंने पत्र भी लिखे। माननीय मंत्रीजी ने हमारी कठिनाईयों को समझा। यदि नारियल के पेड़ या सुपारी के पेड़ एक बार सूख जाते हैं तो उनको दुबारा हरा-भरा करना बहुत कठिन कार्य है। अत: मैं वास्तव में माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं।

हमारे देश के इतिहास में पहली बार ड्रिप सिंचाई को इतनी अधिक रियायतें दी जा रही हैं। अब तक दो हैक्टेअर या तीन हैक्टेअर तक की जमीन वाले छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन अब यदि सम्पति किसी महिला के स्वामित्व में है तो 75 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है और यदि यह किसी पुरुष के स्वामित्व में है तो 50 प्र.श. राज सहायता दी जाती है। इसकी कोई सीमा नहीं है। भूमि सुधार अधिनियम 53 एकड़ तक की भूमि के स्वाभित्व की अनुमति देता है तथापि, मैं एक बात के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मेरे अपने जिले में यदि आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पर पूछें तो उन्हें श्री बलराम जाखड़ का नाम याद रहता है और उन्हें पूजते वे है। वस्तुत:, हमारे सभी बगीचे सूख गए होते **(व्यवधान)**। मैं कृषक हूं। मुझे कठिनाईयों के बारे में पता है। मेरा पास करीब 15 से 20 पम्पसेट हैं। मेरे पास लगभग 5000 नारियल के वृक्ष हैं, लेकिन मेरी स्थिति क्या है? जो कुछ भी मैं कमाता हूं, मैं उसे कुएं खुदवाने में लगा देता हूं। कभी-कभी, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने से मोटर खराब हो जाती है और उसे ठीक करने के लिए हमें 300 रूपये खर्च करने पड़ते हैं। यह वस्तुत: खेदजनक है। कई बार तो मैं सोचता हूं कि मैंने कोई गम्भीर अपराध कर दिया है। मैं विधि के क्षेत्र से संबंधित था लेकिन विधि के क्षेत्र में अपने को रख नहीं पाया और मैं खेती को अपना नहीं सका क्योंकि मैं एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हूं और मेरा पेशा मेरे पास नहीं रहा। अत:, किसी प्रकार के जीविका के साधन के लिए मैंने बागवानी को अपनाया, लेकिन मुझे यहां कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सौभाग्यवश, श्री बलराम जाखड़ हमारी सहायता के लिए आ गये हैं और हमें इतनी अधिक रियायतें दी हैं। मेरा विचार है कि अधिकारियों को हिदायतें देनी होंगी, रिकार्ड तैयार करने होंगे ओर राज्य सरकार को भी कुछ अंशदान करना होगा और रिकार्ड भेजे जाने हैं और उन्हें अनुमोदित किया जाना चाहिए। धनराशि इसी चालू वर्ष के दौरान भेजी जानी है।

दूसरा, इससे बिक्री कर हटाया जाये। यदि बिक्री कर हटाया जाता है, तो शायद लागत कम होगी और जिस तरह से मिट्टी के तेल, चावल आदि की दरें निर्धारित की जाती हैं, उसी तरह लागत भी निर्धारित करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति उससे अधिक दर पर नहीं बेच सकता है। हमें पूरक वस्तुओं का प्रयोग करना होगा और दरें निर्धारित करनी होगी अन्यथा विनिर्माता मनमाना मूल्य निर्धारित करेंगे क्योंकि हमें राज-सहायता मिल रही है, जेसे कि वे खुद की जेब से दे रहे हों। इस तरह, आपका शोषण किये जाने की सम्भावना है। इसलिए इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

मैंने माननीय मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र लिखने की कृपा की जिसमें उनसे इन वस्तुओं दर से बिक्री कर हटाने का अनुरोध किया गया था।

तीसरा, समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। हमारा जिला, तुस्मबेकेरे, आरसीकैर और टीपतुर प्रमुख बाजार हैं। आरसीकेर हासन जिले में पड़ता है, लोकसभा में जिसका प्रतिनिधित्व पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री करते थे। समर्थन मूल्य 2750 रू प्रति क्विंटल है। अब कोई इसे खरीदने वाली कोई एजेंसी नहीं है। पहले समर्थन मूल्य 5,000 रू. प्रति क्विंटल हुआ करता था, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 2,750 रू. प्र. क्विंटल है। लेकिन इस मूल्य पर इसे खरीदने के लिए बिल्लहुल कोई भी एजेंसी नहीं है। बाजार में मूल्य अब भी 2,300 रू. से 2,400 रू. प्रति क्विंटल के बीच है। यह इससे अधिक नहीं जाता है। इन वस्तुओं को खरीदना खरीददार की मन-मर्जी पर निर्भर करता है और किसानों के पास कोई विकल्प नहीं होता है। उन्हें माल वहीं छोड़ना पड़ता है। वे माल अपने गांवों को वापस भी नहीं ले जा सकते हैं।

इस प्रकार, यह वस्तुत: व्यापारियों की दया पर निर्भर करता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि एक एजेंसी बनाई जाये और उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाये ताकि वे बाजार में माल खरीदने के लिए आगे आयें। सबसे अधिक कोपरा खरीदने वाले हमारे दल से ही संबंधित हैं। वह टिपतुर में रहते हैं। वह व्यापारी हैं। उनका सुझाव यह है कि यदि समर्थन मूल्य 2,750 रू. निर्धारित किया जाता है और एक बार उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया तो मूल्य स्वत: ही 3000, 3400 ओर 3500 रू. हो जायेगा। यह उनका अनुभव है। वस्तुत: वह एक ही ऐसे व्यक्ति है जिनका पूरे देश पर एकाधियक है। वे सबसे बड़े खरीददारों में से एक हैं और वे इसका विपणन कर रहे हैं ---

इसलिए, मेरा अनुरोध है कि एक एजेंसी स्थापित की जाये ताकि यह बाजार में आ सके और इस वस्तु को खरीद सके।

जहां तक सिंचाई का संबंध है, वस्तुत:, कई अच्छी स्कीमें हैं लेकिन कर्नाटक सरकार धन के अभाव में इन स्कीमों को आरम्भ नहीं कर पा रही है। उदाहरण के लिए नेत्रवती नदी को ही ले लिजिए। तटवर्ती क्षेत्र में काफी बारिष होती है। समुद्र में प्रति वर्ष 350 टी एम सी पानी चला जाता है। अभी हाल ही में, मैं दक्षिण कनारा गया हुआ था। प्रत्येक नदी लबालब भरी हुई थीं। यदि केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए धनराशि दी होती- मैं समझता हूं कि निजलिगप्पा जी भी इसके लिए लड़ रहे हैं तो फिर मैं समझता हूं कि चित्रदुर्गा, बेलारी और तुमकुर क्षेत्रों को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता था जो खेतीहरों के लिए काफी मददगार सिद्ध होता। बस मैं यही कहना चाहता था।

(हिन्दी)

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज): आज हम इस सदन में कृषि पर चर्चा कर रहे हैं और सदन में पहले भी कृषि पर चर्चा होती रही है। भारत किसानों का देश है। किसान का संबंध कृषि से है। हम यह भी कहते आ रहे हैं कि इस देश में 70 प्रतिशत किसान हैं। कृषि किसानों से संबंधित है। यह सभी मानते हैं कि किसानों की हालत इस देश में खराब है। यही वजह है कि आज गांवों का किसान शहरों की ओर भाग रहा है। जहां तक खेतिहर मजदूरों की बात है, कृषि से संबंधित लगभग 15 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं और रोजगार का सबसे बड़ा साधन कृषि है। बरसों से देश में कृषि नीति बनाने की चर्चा

चली आ रही थी और आज तक वह राष्ट्रीय नीति नहीं बन पाई है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने के लिए किसान संघर्ष करते आ रहे हैं। इस बारे में आपने यह कहा है कि कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन उद्योग की बराबरी का दर्जा देंगे। यह नीति भी आपकी अधूरी रही है। 1992 में भानू प्रताप कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन वह आज तक नहीं दिया गया है। हमारे पूर्ववक्ता ने जो आरोप लगाया है, मैं उस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप बराबर कहते रहे हैं कि हम किसान हैं और किसान के लिए आपके दिल में दर्द भी है। कल आपने प्रश्नकाल के दौरान भाषण में कहा, अगर मैं यह ड्रैस पहने हुए हूं, तो कहते हैं कि किसान होकर यह ड्रैस नहीं पहननी चाहिए। मैं आपकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं। किसान को सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, देश की आत्मा गांवों में बस्ती है, जहां किसान हैं और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, गांव खुशहाल नहीं होंगे और गांव खुशहाल नहीं होंगे, तो देश खुशहाल नहीं होगा। इसलिए आपको जो नीति बनानी चाहिए, वह गांवों के खुशहाल करने के लिए बनानी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि खेती के लिए सबसे बड़ी चीज पानी है और अभी भी हम केवल 31 प्रतिशत खेती को पानी दे पाए हैं। जहां तक ट्रैक्टर की सुविधा की बात है, वह भी हम किसानों को मुहैया नहीं करा पाए हैं। किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए हम बेहतर स्कूल नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। किसानों को इनकी फसल के उचित दाम मिलें, वह भी नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही किसानों को हम ऋण की सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। सबसे बड़ी बात है, इस देश में सबसे ज्यादा छोटे किसान है ओर उनकी संख्या किसानों की संख्या में दो-तिहाई है।

आज वे किसान गरीब हैं और भारत जैसे देश में अगर हम सघन कृषि के माध्यम से तरक्की कराना चाहते हैं तो हमें छोटे-छोटे, मझोले किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि हर साल बड़े किसान लाखों की संख्या में भूमिहीन होते जा रहे हैं। यह किसानों की दुर्दशा है।

महोदय, जब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक शायद हमारा देश भी खुशहाल नहीं होगा। यहां कई तरह के भ्रष्टाचार है, अनैतिक कार्य हो रहे हैं, कहीं किसानों के बच्चे भूखे मर रहे हैं उनको हम कहीं कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। बड़े-बड़े विशेषज्ञों का भी कहना है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए, लेकिन हम उनको बिजली, पानी तो दे नहीं पाते हैं, खेती हमारी सूखी है, किसान हमारा भूखा है। आज भी लगभग 35 करोड़ किसानों के बेटों को खाना नहीं मिलता है। अगर वे एक टाइम खाते हैं तो दूसरे समय उनको खाना मुहैया नहीं होता। यह बात ठीक है कि आपके भंडारण में अनाजों की मात्रा बढ़ गई है लेकिन अगर आज आप गांवों में जाओ तो अभी भी इस वर्षा के मौसम में खेती पर निर्भर करने वाले मजदूर के बेटे एक टाइम खाते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, सरकार की तरफ से यह कृषि नीति बना कर टेबल पर रखी गई है और आपकी राय उस पर मांगी गई है। आप उन मुद्दों को लेकर बोलें तो ठीक हैं।

श्री राम प्रसाद सिंह : हम उन्हीं पर बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके मन के मुद्दों पर है। अ इसका फिर कोई अर्थ नहीं हो जाता है।

...(व्यवधान)

श्री राम प्रसाद सिंह : करीब हर वक्ता ने यही बात बोली है।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर क्यों टाइम बढ़ाया और क्यों इस पर बोले.

...(व्यवधान)

श्री राम प्रसाद सिंह : हमारा कहना यह है कि हम किसानों को कृषि के लिए पूरी सुविधाएं दें। जैसे साग-सब्जी, रेशम के कीड़े, मछली पालन, मुर्गी पालन है और गांव में रहने वाले जो लौहार और बढ़ई हैं, जो खेती पर आधारित हैं, जिनकी जीविका इसी से लगी हुई है अगर हम इसको बढ़ाएंगे, उद्योग का दर्जा देने का मतलब ज्यादा उत्पादन करना है, जब हम यह करेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा। अभी हमारे यहां कृषि से साग-सब्जी का बहुत बड़ा स्कोप है लेकिन जहां हम कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे, साग-सब्जियों और फलों का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए किसानों को सब्सिडी दें। यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में किसान को केवल 10 परसैंट सब्सिडी दी जाती है और अमेरिका में 30 प्रतिशत, जापान में 38 प्रतिशत और यूरोप में 48 प्रतिशत दी जाती है और आप 10 परसैंट देते हैं। इस तरह से तो हम किसानों को मार डालेंगे। हम उनके दुख-दर्द को कभी नहीं समझे। ...(व्यवधान) हम जिस खाद का प्रयोग करते हैं उससे हमारी जमीन बंजर होती जा रही है। उस पर अनुसंधान केन्द्र होना चाहिए, मिट्टी रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। बड़े-बड़े जो शहर हैं मैं चाहता हूं कि जिला स्तर पर अनुसंधान केन्द्र स्थापित हों और किसानों को उचित सलाह मिले। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए भी उस अनुसंधान केन्द्र में सुविधा मिले और वे मिट्टी का रिसर्च करें। अभी हमने कहा कि कृषि में जो खाद देते हैं वह खाद उनको ठीक से नहीं दे पाते। कृषि के एक्सपर्ट लोग जो खाद देते हैं उससे खेती बंजर हो रही है। हमारा कहना है कि मिट्टी का रिसर्च होना चाहिए। उसके अनुसार किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे उनकी खेती अच्छी हो।

हमारे यहां बिहार में एक भी कृषि अनुसंधान केन्द्र नहीं है, इतनी बिहार की उपेक्षा हर मामले में हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि बिहार में भी कृषि अनुसंधान केन्द्र की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

सिंचाई के बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां सोन केनाल परियोजना 1875 की बनी हुई है, जो अब जर्जर अवस्था में है, सारी नहरें टूट-फूट गई है। बिहार सरकार ने इसके आधुनिकीकरण की 1400 करोड़ की योजना बनाकर केन्द्र के पास भेजी थी, जो अब बढ़ कर 2200 करोड़ की हो गई है, लेकिन अभी भी इस कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है। जगन्नाथ मिश्र जीर बिहार के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, इस परियोजना के बारे में जानते हैं। कोसी नदी में भी सिल्ट बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कैसे चर्चा होगी? नेशनल एग्रीकल्चर पालिसी में आप सोन नहर की बात कर रहे हैं।

श्री राम प्रसाद सिंह : हम अपना दुख बतला रहे हैं। अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 24 लाख एकड़ जमीन पटवन हो रही है, जमीन की दुर्दशा हो रही है, जब पानी नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे होगा।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों की चर्चा आप इरीगेशन पालिसी में करना।

श्री राम प्रसाद सिंह : बस मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात बार-बार की जाती है, लेकिन उद्योग में तो बीमा सुविधा है, तो क्या मंत्री महोदय कृषि क्षेत्र में भी बीमा सुविधा प्रदान करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह सब इसके अंदर दिया हुआ है, पढ़ लीजिए।

श्री राम प्रसाद सिंह : इसके अंदर बीमा सुविधा नहीं दी जा रही है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। अच्छी वर्षा हो तो उसका श्रेय मंत्री जी ले लेते हैं और अच्छी वर्षा न हो और फसल अच्छी न हो तो कह दिया जाता है कि सब भगवान की मर्जी है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा भाषण है। अब, कृपया आप बैठ सकते हैं।

(हिन्दी)

श्री राम प्रसाद सिंह : मैं चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में भी बीमा सुविधा प्रदान की जाए। हमारे यहां कृषि विकास पर अन्य देशों की अपेक्षा कम खर्च किया जाता है। सिंचाई की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और जिस तरह से तमिलनाडु में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है, उस तरह से सारे देश में किसानों को मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए। यह बात राष्ट्रीय कृषि नीति में आनी चाहिए। सस्ती बिजली के साथ-साथ प्रमाणित बीज भी उचित दामों पर किसानों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि अच्छी फसल हो सके। इसी तरह से हमारे यहां जल-जमाव की समस्या है, इससे निपटने के लिए भी कारगर उपाय किए जाने चाहिए। आज भी हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है। सूखे से हम आज तक नहीं निपट पाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सिंचाई पर हमारे क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाए। छोटे किसानों को सबसिडी दी जाती है मगर उसकी प्रक्रिया इतनी क्लिष्ट है कि किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसी तरह से छोटे किसानों की उपज का औसत भी सघन कृषि के मुकाबले बहुत कम आता है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश की भूमि इतनी अच्छी है कि हर तरह की फसल यहां पर पैदा की जा सकती है, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं न होने की वजह से हमारे यहां कोरिया, जापान और अन्य देशों के मुकाबले उत्पादन का औसत बहुत कम है। कृषि क्षेत्र में हम पिछड़े हुए है। गरीब किसान अपना पेट पालने के लिए ही मुश्किल से अन्न पैदा करता है, बाहर बेचने की तो बात दूर है। किसान का जीना दुश्वार हो रहा है। मूल्य निर्धारित करते समय भी किसानों के प्रतिनिधि को नहीं रखा जाता, इस बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार का दुर्भाग्य है कि ...।

अध्यक्ष महोदय : यह बिहार की कृषि नीति नहीं है।

श्री राम प्रसाद सिंह : मैं बिहार से आता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे यहां केवल 14 प्रतिशत भूमि सिंचित है। यह कैसी नीति है जो बिहार को पानी नहीं दे पा रही है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से कहा कि बिजली, पानी और खाद का जिम्मा भी कृषि मंत्रालय के अधीन दिया जाना चाहिए, ताकि नीति निर्धारण में सुविधा मिल सके।

ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। हम बैठके तो जगह-जगह कर रहे हैं लेकिन किसी मुद्दे पर तय करना होता है तो हम बिना कृषि मंत्री के बात करते हैं। इन शब्दों के साथ में चाहूंगा कि किसानरों के ऋण मुहैया कराया जाए, उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की जाए और उनकी समस्याओं को निपटाने की ओर तरजीह दी जाए।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर): अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। देश में एक राष्ट्रयी नीति बने इसके लिए उन्होंने पहल की है। वे स्वयं किसान के बेटे हैं। मैं उनको डंकल किसान नहीं मानता हूं क्योंकि वे स्वयं भी खेती करते हैं और बहुत अच्छी खेती करते हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में जो उनका बगीचा है सदस्सों को वह उसमें किसी दिन ले चलें।

कृषि के बारे में कुछ भ्रांतियों हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। कुछ लोगों का ख्याल है कि कृषि की समस्या केवल किसान की समस्या है। कृषि की समस्या जब तक किसान की समस्या समझी जाती रहेगी तब तक इसका समाधान नहीं होगा। सब जानते हैं कि किसान संगठित नहीं है इसलिए किसान की समस्या का कोई समाधान नहीं होता है और वह उपेक्षित ही रहता है। उसी उपेक्षा का परिणाम है कि आज 50 वर्ष के बाद ही राष्ट्रीय कृषि नीति को बनाने की बात हो रही है, चेष्टा हो रही है। कृषि की समस्या केवल किसान की समस्या नहीं है, यह सारे राष्ट्र की समस्या है। आप जानते ही हैं कि जब

खेती में सूखा पड़ता है तो सारे देश को नुकसान होता है और सब को कष्ट उठाना पड़ता है। इसका असर कारखानों पर भी पड़ता है। कारखानों में जो सामान बनता है उसमें रिसेशन आ जाता है। इसलिए कृषि को किसान की समस्या न मानकर सारे राष्ट्र की समस्या मानकर इसका समाधान किया जाना चाहिए।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह है मूल्य-निर्धारण के संबंध में बहुत सी बातें हैं। हम जानते हैं कृषि मंत्री जी जब से आए हैं उन्होंने बहुत सी सुविधाएं देने की कोशिश की है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से कारखानों में मशीन सें बनने वाली चीजों के दाम निर्धारित होते है क्या खेती में भी उसी प्रकार से दाम निर्धारित करने की कोई सुविधा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसी तरह से खेत में पैदा होने वाली चीजों के भी दाम निर्धारित होते हैं ? खेत में जो इंवेस्टमेंट किसान का होता है उसका मूल्यांकन नहीं होता है और जब मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उसमें उसका कोई लेखा-जोखा नहीं होता है। जिस तरह का लेखा-जोखा कारखाने से उत्पादित वस्तुओं का होता है उसी तरह का लेखा-जोखा जमीन पर जो इंवेस्टमेट होता है उसका भी होना चाहिए और मूल्य-निर्धारण के समय उसे सामने रखना चाहिए।

सबसे बड़ी कठिनाई किसान को जो आती है वह बैंकों से ऋण लेने के समय आती है। उसे आप महसूस न करते हो।

4.00 म.प.

लेकिन सारे साधारण और सीमान्त किसान कठिनाई अनुभव करते हैं। जब उन्हें ऋण मिलता है तो उन्हें बहुत सी राशि रिश्वत के तौर पर बैंक कर्मचारियों के हवाले करनी पड़ती है। यह एक बुनियादी समस्या है। आपने ग्रामीण विकास बैंक खोले हैं। आज उनकी हालत अच्छी नहीं है। वे किसानों को ऋण मुहैय्या कराने की स्थिति में नहीं है। उन्हें ऋण देने के लिये आपको विशेष प्रावधान करने पड़ेगे।

तीसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि आपने कृषि नीति में फसल बीमा योजना की चर्चा की है। जिस तरह से फैक्ट्रियों और मीटर व्हिकल्स का इंश्योरेंस होता है, उसी तरह से खेती का भी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होना चाहिये। सीमान्त और लघु किसानों के लिये सरकार इसको लायें। राज्य सरकार अगर इसको करने की स्थिति में न हो तो केन्द्र सरकार को यह प्रावधान करना चाहिये तभी हमारे किसानों को लाभ होगा।

चौथी चीज भंडारण के संबंध में कहना चाहूंगा। भंडारण पंचायत स्तर पर होना चाहिये। किसानों के पास अपनी फसलों के संबंध में एक पुस्तिका होनी चाहिये और उसके आधार पर भंडारण की सुविधा पंचायत स्तर पर होनी चाहिए। निर्धारण मूल्य से आधा पैसा देने की सुविधा होनी चाहिये। यह पद्धति ऑटोमैटिक होनी चाहिये। अगर पंचायत स्तर पर भंडारण की व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह पद्धति सफल नहीं हो सकती है। फूड कारपोरेशन आफ इंडिया ने भंडारण की व्यवस्था की थी। लोगों ने बैंकों से ऋण लेकर शहरों में बड़े-बड़े गोदाम बनाये। मैं चाहूंगा कि पंचायत स्तर पर निजी क्षेत्र में भंडारण की व्यवस्था कराये। आज भी लोग निजी क्षेत्र में बैंकों से ऋण लेकर भंडारण की व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं। इसकी निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये और कोई कठिनाई उनको नहीं आनी चाहिये। ऋण के मिलने और चुकता करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिये। भंडारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपनी उपज सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है। इससे बिचौलियों को फायदा हो जाता है जिस को आप रोक नहीं पाते हैं। व्यावहारिक तौर पर मैं ऐसा समझता हूं कि यह काम सीधे किसान और उपभोक्ता के बीच नहीं हो पायेगा। दुनिया में कही नहीं हो पाया है। ऐसे में अपने देश में कैसे हो सकता है जबकि यह बहुत असंगठित क्षेत्र हैं। यहां बिचौलियें तो रहेंगे ही। उपभोक्ता और उत्पादक के बीच का जो रिश्ता है, उसे कम दूरी तक रखना चाहिये। उत्पादक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में 15 फीसदी से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिये। व्यवस्था की चुस्ती और दुरुस्ती का एक मापदंड होना चाहिये। इसका ऐक्सपैरिमैंट करना चाहिये। प्रखंड या जिला स्तर पर पायलट प्रोजैक्ट बना कर इसे चलाना चाहिये।

यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेती की बात की गई। आज भंडारण की सबसे अधिक आवश्यकता है। एयरकंडिशन्ड गोदाम और वेअर हाउस होने चाहिये। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होगी तब तक किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। आप भंडारण की उचित व्यवस्था करें जिससे निर्यात भी समुचित ढंग से किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, आज निर्यात का जमाना है। निर्यात की कोई सीमा नहीं है। निर्यात किया जा सकता है, लेकिन उस निर्यात की सुविधा हमारे उत्तर बिहार में जो ग्रामीण लोग है उनको मिल पाएगी ? हमारे मंत्री जो बिहार से हैं मिश्र जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे उत्तर बिहार के किसान अपने फल व सब्जियों को चाहे वह लीची हो, आम हो या केला हो या कोई और सब्जी हो, क्या उसी तरह से निर्यात कर सकते हैं जैसे महाराष्ट्र का किसान कर सकता है ? क्या हमारे उत्तर भारत का किसान, मध्यप्रदेश का किसान जिसके पास इन चीजों को पैदा करने की क्षमता काफी है, वह अपनी चीजों को निर्यात कर सकता है ? क्या जर्मनी को हमारे यहां का बैंगन जो यहां बहुत अच्छा होता है और जिसकी जर्मनी में काफी मांग है, उसको निर्यात कर सकेगा? जो फूट और सब्जियां हमारे उत्तरी बिहार में चार आने, आठ आने और रूपय किलो बिकती हैं, वही यहां दिल्ली में दस रूपए किलो बिकती है, क्या वहां का किसान अपनी सब्जियों को यहां भेज कर अच्छा पैसा ले सकता है?

अध्यक्ष महोदय : हरि क़िशोरे सिंह जी, इसके अंदर सब है। आप दस नंबर का आइटम पढ़ लीजिए। इसमें दिया है।

श्री हरि किशोरे सिंह: अध्यक्ष महोदय, वह सब इसमें है, लेकिन इसका जो व्यावहारिक पहलू है, उस पर मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष जी, आप कहीं जाते हैं वहां अंगूर पांच रूपए किलो मिलता है और यह दिल्ली में 25

रूपए किलो मिलता है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): इसीलिए हम काम कर रहे हैं। इसी को ठीक करने के लिए यह है।

श्री हरि किशोर सिंह: किसन को निर्यात करने और भंडारण करने की सुविधा मिले।

अध्यक्ष महोदय : आपकी वह बात सही है। बिलकुल सही बात है। यह जो आप बोल रहे हैं वह सब इसमें हे। वेजीटेबल्स का, एक्सपोर्ट का सब इसमें दिया हुआ है।

श्री हरि किशोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, कृषि निवेश की आवश्यकता है। इसमें इस बात की भी चर्चा है, लेकिन आप कैसे निवेश करने जा रहे हैं, वह इसमें नहीं है। आजकल जो नई नीति आई है, उदारीकरण की नीति आई है उसके अंतर्गत आप विदेशी कम्पनियों को बुला रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी कंपनी या पूंजी निवेश करने वाला आज भारत के उन इलाकों में जाने के लिए तैयार नहीं है, जो विकास की दृष्टि से पिछड़े इलाके हैं। कोई भी पूंजी निवेश करने वाला पूर्वी उत्तर भारत में नहीं जाना चाहता है। कोई भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में जाने को तैयार नहीं है। जब स्थिति ऐसी है, कृषि के विकास की जिम्मेदारी किसकी होगी, केन्द्र सरकार की होगी, तो क्या सरकार इसके लिए कोई विशेष सुविधा देने के लिए तैयार है? जिस तरह से पहले उद्योग के विकास के लिए सुविधा देती थी क्या उसी तरह से पिछड़े क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए क्या कोई विशेष सुविधा देंगे जिससे इन इलाकों में निर्यात की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से लोग आकृष्ट हों? आपने इसमें लिख कर तो दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन क्या कारण है कि इस देश में पांचवें दशक में ग्रास डौमैस्टिक प्रोडक्ट का 56 प्रतिशत हिस्सा कृषि के क्षेत्र से आता था,...

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक ऐसे विषय को यहां उठाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहां पर संसद में आने के लिए...

(अनुवाद)

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर): आप किस नियम के अधीन यह मामला उठा रहे हैं?

(हिन्दी)

श्री शिव चरण माथुर: अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ लोगों शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए फिरोजशाह कोटला मैदान में इकट्ठे हुए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए, संसद आपसे मिलने के लिए आ रहे थे।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : जब वह यहां बैठे होंगे तब वह यह प्रश्न पूछ सकते है।

(हिन्दी)

श्री शिव चरण माथुर : एक ऐसी घटना घटी है कि मेरे जैसे व्यक्ति को आपके सामने आकर अपनी बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। करीब दो लाख व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने के लिए यहां आ रहे थे। गवर्नमेंट ने इस देश को बेचने के लिए जो नीति बनाई है जिसको वह अपना रही है उसके बारे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए, हम सब लोग जिनमें श्री नारायण दत्त तिवारी जी, श्री अर्जुन सिंह जी भी थे, अपनी बात कहने के लिए आपके पास आ रहे थे।

पुलिस ने वहां पर बहुत ही निर्मम तरीके से लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन छोड़ें। श्री नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह जी को चोट लगी है, कम से कम 25 लोगों के सिर टूटे हैं। इतने सीनियर लोगों को, जो शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने के लिए यहां पर आ रहे थे, पीटा गया। मैं समझता हूं कि जो गलती हो रही है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उसे आपके सामने कहे। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज किया गया और वाटर कैनन छोड़े गए। अभी तक मेरी आंखे नहीं खुल रही है। पता नहीं कितने लोग घायल हुए है।

मुझे क्षमा करें, मैंने बीच में व्यवधान करके हाउस की प्रोसीडिंग को रोका। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और आज की घटना के लिए कोई न कोई इन्क्वायरी मुकर्रर करके उसकी जांच की जानी चाहिए और दोषी लोगों को सजा दी जानी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष जी, कृषि नीति पर चर्चा चलते हुए आपने माथुर जी को इस मामले को उठाने की अनुमति दी। जो वर्णन उन्होंने किया, उसके आधार पर इस समय मैं इतना ही कहूंगा कि आप सरकार को कहें कि इस विषय में वक्तव्य दे, सदन को जानकारी है।

मैं जानता हूं कि विगत दो वर्षों से यह एक प्रवृत्ति चली है जिसमें पहली बार मैं, मेरे बहुत सहयोगी जिनमें डा. मुरली मनोहर जोशी भी है, बहुत गंभीरतापूर्वक आहत हुए। यह तब से चली है और शायद उस समय माथुर जी को लगा होगा कि इनके साथ अच्छा किया। मुझे नहीं पता। ...**(व्यवधान)**

श्री शिव चरण माथुर: ऐसी बातों में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, उस पर इस प्रकार का निर्मम प्रहार करना, शक्ति प्रयोग करना, यह प्रवृत्ति जो पिछले दिनों में बढ़ी है, इसपर अंकुश लगना चाहिए।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में पूरा वक्तव्य दिया जाए।

श्री हरि किशोर सिंह: माथुर जी ने जो बयान किया और जो घटना घटी, वह निन्दनीय है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूं कि इसपर चर्चा हो और सरकार वक्तव्य दे।

मैं चर्चा कर रहा था कि पांचवे दशक में जी.डी.पी. का आधा हिस्सा लगभग 56 फीसदी कृषि के स्रोत से आता था, वह अब घटकर 32 फीसदी हो गया है। क्या इस कृषि नीति के तहत इसमें परिवर्तन होगा और कृषि की कोई अवस्था ऐसी आएगी? यदि आएगी तो कितने दिन में आएगी जब जी.डी.पी. के हिस्से में कृषि को वही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना जो पांचवे दशक में था। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में निश्चित रूप से कोई आश्वासन दें।

ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों का पलायन हो रहा है। आज गांवों में कौन रहना चाहता है? क्या हम अपने परिवार के बच्चों को गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? क्या जाखड़ जी प्रोत्साहित कर सकते हैं? यदि पढ़े-लिखे लोग गांवों में नहीं रहेंगे तो गांवों की तरक्की कैसे होगी? जिस तरह से विकासशील देशों से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसी तरह से गांवों से शहरों की और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। गांवों में वही रहता है जो किसी लायक नहीं है, जिसको बाहर काम करने की सुविधा नहीं मिलती।

तो इसको रोकने के लिए इस कृषि नीति के दस्तावेज में तो मैंने कुछ देखा नहीं है कि इसको कैसे रोकेंगे। इसको रोकना आवश्यक है, अगर यह नहीं रुका और गांवों को इतना आकर्षक नहीं बनाया गया कि लोग शहरों तक नहीं आये तो शहर में जो गंदगी बढ़ रही है, वह बढ़ती चली जायेगी, शहर में जो अराजकता की स्थिति आ रही है, वह बढ़ती चली जायेगी, शहर में जो अव्यवस्था हो रही है, वह बढ़ती चली जायेगी और गांव सूखे और अभावग्रस्त रहेंगे। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि गांवों में, ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधन की एक सुनिश्चित योजना बने, जिससे गांवों में कम से कम लोग शहरों की तरफ आयें, तभी कृषि नीति की सफलता हो सकती है, अन्यथा कृषि नीति की रूपरेखा बनी, चर्चा हो गई, लेकिन चर्चा के बाद उसपर कोई कारगर तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकेगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और सरकार को, खास तौर पर बलराम जी जाखड़ को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही कोशिश करके, बहुत ही आरजू विनती करके अपनी सरकार से इसको इस सत्र में चर्चा के लिए रखा है।

(अनुवाद)

*** श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य):** अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। चूंकि हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक यह मुख्य व्यवसाय नहीं बन पायी है। देश की 33 करोड़ जनता कृषि पर निर्भर है। परन्तु अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति हैक्टेयर पैदावार बहुत कम है। यदि हमारे पास रसायन आभियान्त्रिकी टिश्शु कल्चर, जीव-प्रौद्योगिकी, सूक्ष्मजीवविज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान करने हेतु कुछ और कृषि वैज्ञानिक एवं प्रविधिज्ञ होंगे तो हम निश्चित ही अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने की स्थिति में आ जाएंगे। फिलहाल, हम यहां की मिट्टी पर परीक्षण नहीं कर रहे हैं और हम यह भी निर्णय नहीं ले रहे हैं कि उस मिट्टी में कौन सी फसल उगायी जाये। सरकार किसानों के लिए आवश्यक बीज का पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं करती है और सरकार उन किसानों को पर्याप्त राजसहायता भी नहीं दे रही है जिससे कि किसान बीज खरीद सकें। जापान में किसानों को 72% राजसहायता दी जाती है और यूरोप में 40% राजसहायता दी जाती है। परन्तु हमारे देश में दी जाने वाली राजसहायता बहुत कम है। परन्तु यदि हम वैज्ञानिक आधार पर कृषि का काम करेंगे तो इससे पैदावार निश्चित ही बढ़ेगी। यदि हमें प्रति एकड़ एक हजार रूपये भी मिलते हैं तो हमे कृषि से 50,000 करोड़ रूपये की आय होगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत मात्रा में बंजर भूमि है। हमारे देश में अधिक संख्या में लोग बेरोजगार है। हम भी चीन की तरह एक प्रयोग कर सकते हैं। हमारे देश में हमें प्रति हैक्टेयर भूमि से 1700 कि.ग्राम खाद्यान्न की प्राप्ती होती है। परन्तु चीन में वन-खेती की गई और इस प्रकार उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। अत: मेरा कृषि मंत्रालय से अनुरोध है कि हमारे देश में भी वन-खेती शुरू की जाय। यदि हम अपने देश की बंजर भूमि का एक-तिहाई भाग भी जोतते हैं तो इससे हम चीन की तरह प्रति-हैक्टेयर 4500 कि.ग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे।

हनुमन्तय्या समिति ने वर्ष 1990 में खेतीहर मजदूर के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें समिति की यह सिफारिश थी कि इन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बीस रूपये प्रति दिन होनी चाहिए और प्रत्येक छह माह के बाद इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। परन्तु सरकार ने इस प्रकार की कोई भी योजना शुरू नहीं की।

चूंकि हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थान मिल रहा है इसलिए वहां भारत के गुलाब की बहुत मांग है। वर्ष 1993 में गुलाब का उत्पादन केवल .3% (दशमलव तीन प्रतिशत) था। परन्तु आज स्थिति कुछ ऐसी है कि हम गुलाब का निर्यात कर पा रहे है। बगलूर एवं पुणे में 15 हैक्टेयर भूमि पर गुलाब की खेती होती है। वर्तमान में 'ग्रीन हाऊस' में इसकी खेती होती है। परन्तु यदि हमारे देश में दिल्ली, नासिक एवं अन्य स्थानों पर गुलाब की खेती होगी तो यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1996 में हमारे देश में गुलाब का निर्यात कुल निर्यातों का 5% होगा। गुलाब का उत्पादन .3% से बढ़कर 5% हो जाएगा। अत: मैं यह समझता हूं कि यदि हम 10 अथवा 12 किसानों को मिलाकर एक किसान संस्था (फार्मर्स सोसायटी) की स्थापना कर और 'ग्रीन हाऊस' की स्थापना कर के बड़े स्तर पर गुलाब की खेती करेंगे तो इससे हमारे देश में गुलाब के उत्पादन में निश्चित ही वृद्धि होगी।

महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। जब श्री जार्ज फर्नान्डीज

* मूलत: मराठी मे दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

उद्योग मंत्री थे तब उन्होंने एक सुझाव दिया था। हमारे देश में 5 लाख टन खोई और 50 लाख टन शीरा उपलब्ध है। 90% खोई का उपयोग बॉयलर में ईंधन के रूप में होता है और 80% शीरा को फेंक दिया जाता है। इस खोई से अच्छी गुणवत्ता वाले कागज का उत्पादन किया जा सकता है। हम जिस कागज का आज आयात कर रहे हैं, उसका हम निर्यात भी कर सकते हैं यदि हम इसके लिए खोई का उपयोग करते हैं। इससे हम 30 लाख टन कागज का उत्पादन कर सकते हैं जिससे हमें 5000 करोड़ रूपयों की आमदानी हो सकती है।

हमें शीरा से 15 लाख टन अल्कोहल प्राप्त हो सकता है और इस अल्कोहल से कई रसायनिक पदार्थ बनाये जा सकते हैं और शेष अल्कोहल से कई और पदार्थ बनाये जा सकते हैं जिससे हमें 1500 करोड़ रूपये मिल सकते हैं।

कल माननीय बूटा सिंह जी ने यूरिया के बारे में सही कहा था। यूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं। परन्तु हमें यह सोचना चाहिए कि कीमतों में बढ़ोतरी क्यों होती है। जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत 202 डॉलर थी तब सरकारी अभिकरणों ने यूरिया की खरीदारी में काई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन उन अभिकरणों ने यूरिया की खरीद तब की जबकि यूरिया की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़कर 245 डॉलर हो गई। इसलिए हमारे देश में यूरिया की कीमतें बढ़ गई। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूरिया की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बारे में जांच की जानी चाहिए।

यहां पर माननीय वस्त्र मंत्री मौजूद है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई वस्त्र/कपड़ा मिलें है। चूंकि उन मिलों को कपास/सूत की आपूर्ति नहीं हुई थी इसलिए उनको बन्द कर दिया गया। हमारे देश में सूत/कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। परन्तु चूंकि हम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी एवं ओटाई जिन्निंग के आधुनिक पद्धतियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारे देश में सूत और वस्त्रों का अत्याधिक उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें।

हमारे देश में केवल 33% भूमि पर सिंचाई हो रही है। शेष दो-तिहाई भूमि वर्षा के भरोसे छोड़ दी गयी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से कृषि निवेश केवल 10% रहा है। चालू योजना में, सिंचाई के लिए केवल 7% निवेश रखा गया है। माननीय कृषिमंत्री जी को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए।

उत्पाद का विपणन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसके अनुसार महाराष्ट्र में 250 करोड़ रूपये मूल्य का सूत बेकार हो गया था।

मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन देने का अनुरोध करता हूं कि कृषि उत्पादों को इस प्रकार बेकार होने नहीं दिया जाएगा। मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मंत्री जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। लेकिन आपको नीति पर बोलना है। यदि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र पर बोलते है, तो यह अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री राम नगीना मिश्र (पडरोना): मेरा भी नाम है।

अध्यक्ष महोदय : नाम होगा, लेकिन पालिसी पर बोलिये। दो पेज की पालिसी है, आप पढ़कर नहीं बोल रहे है।

श्री राम नगीना मिश्र: पालिसी पर बोलेंगे।

(अनुवाद)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रास कृषि नीति संकल्प पर यहां सभा में बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

महोदय, स्वतंत्रता के 48 वर्षों के पश्चात ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। सभा में एक नीति प्रस्तुत की गई थी। मैं यहां था। यह भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: महोदय, अपनी कृषि नीति के कारण चीन में काफी विकास हुआ है। लेकिन रूस कृषि के क्षेत्र में विकास करने में असफल राह है जिसके लिए यद्धदि यह एक विकसित देश है, इसे अब गंभीर खाद्यान्न संकट का सामना करना पड रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि वह हमारे देश में कृषि के विकास के लिए उपाय कर रहे है। अब हम खाद्यान्नों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। प्रथम सिफारिश में यह कहा गया है :

''समिति ने यह सुझाव दिया है कि मूल्य नीति तथा पूंजी निर्माण का लक्ष्य केवल लागत आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना भी होना चाहिए, ताकि कृषि एक अर्थक्षम व्यवसाय रहे और पूंजी निर्माण को आकर्षित करे जो पंचवर्षीय योजनाओं में कम होता जा रहा है।''

मंत्री जी ने सिफारिश के अनुसार ठीक कार्य किया है। जहां तक सिफारिश संख्या 2 का संबंध है, इसमें कहा गया है :

एक अच्छी अवसंरचना बनाने के संबंध में --

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही नीति में है। वे लाभकारी मूल्यों, अवसंरचना, फसल उगाने आदि के बारे में हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं प्रश्न पर आऊं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर बोलिए। कृपया रिपोर्ट पर न बोले।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: मैं प्रश्न पर आता हूं। इसमें बताया गया है

''स्वतंत्र भारत की प्रथम कृषि नीति तैयार करने में शीर्षस्य मंत्रालय द्वारा एक नया, दृढ निश्चय किया हुआ प्रसाय किया जाना चाहिए जो कई अन्य नीतियों के लिए मार्ग निर्देश निर्धारित करेगी।''

यहां आवोचनात्मक मूल्यांकन क्या है? वे भी दिए जाते है।

''भारत में कृषि विकास नीति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्रास करना रहा है।''

वह मंत्री जी द्वारा पूरा कर दिया गया है और उस के आधार पर एक नीति तैयार की गई है।

मेरे मित्र, जो पहले बोल रहे थे, ने प्रो. थिमैय्या के बारे में उल्लेख किया था। इसमें आगे यह बताया गया था :

''सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर के प्रो. जी थिमैय्या के अनुसार, इस नीति में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए।'' उसकी सिफारिश के अनुसार ---

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रासम कृषि नीति संकल्प पर बोलिए और रिपोर्ट के बारे में बात न करें। जो प्रश्न आप उठा रहे है वे पहले ही नीति में है। क्या आपने दो पृष्ठ की प्रासम कृषि नीति को पढ़ा है?

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: मैंने उसको पूरा पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : फिर, उस पर ही बोलिए।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: बोलने के लिए समय दिया जाना चाहिए। पृष्ठभूमि बताने के लिए समय होना चाहिए। हमें पृष्ठभूमि सामग्री के बारे में चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। आप जिन प्रश्नों का उल्लेख कर रहे है वे पहले ही नीति में है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: सरकार को हमारे देश में पान की खेती जैसी कुछ लाभकारी कृषि पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 9 लाभकारी कृषि मूल्यों के बारे में है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: मैं लाभकारी कृषि मूल्यों अपति पान की खेती के मुद्दे पर आ रहा हूं। नीति में कुछ भी नहीं कहा गया है। यद्यपि इसका उल्लेख किया गया है, इस खेती का विशेष संदर्भ नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बताया चाहता हूं कि यह किस पैरा में है। यह पृष्ठ सं. 2, प्रश्न सं. 11 में है। यह पहले ही है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: यह सही है।

अध्यक्ष महोदय : यह पृष्ठ सं. 2 पर प्रश्न सं. 11 में है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: महोदय, आप एक समझदार व सक्षम वक्ता है। आज उसमें पारंगत हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप पारंगत नहीं हैं, तो आपको बोलना नहीं चाहिए। आपको बैठ जाना चाहिए।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: मैं एक छोटा सा संसद विज्ञ हूं और इसलिए मैं आप से निवेदन कर रहा है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र ग्राम्यआधारित उद्योगों का निर्वाचन क्षेत्र है। यह समुद्र तट पर भी है। अत: पान की खेती होनी चाहिए।

दूसरे, मैं आपका ध्यान दूसरी तरह की कृषि कर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें झींगा पालन भी शामिल है। यह इतनी अधिक लाभकारी है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग गरीब किसानों को लूट रहे हैं। जो जमीदार है और जो भूपति है केवल वे भी ही इस तरह की खेती कर रहे है। वे गरीब किसानों से बहुत कम कीमत पर भूमि खरीद रहे हैं और करोड़ों रूपये कमा रहे है।

अध्यक्ष महोदय : यह भी नीति में है - पृष्ठ सं. 1, प्रश्न सं. 5 पर।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: वे करोड़ों रूपये कमा रहे है। सरकार को उनके हितों की सुरक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है। हम अपना मजाक उड़ा रहे है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: यह नीति होनी चाहिए। सरकार को गरीब किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। जमींदारों, भूपतियों तथा पूंजीपतियों को गरीब किसानों का शोषण नहीं करने देना चाहिए।

मैं आपका ध्यान कृषि कर की तरफ दिलाना चाहता हूं। जिसका यहां उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं यहां माननीय मंत्री महोदय के समक्ष अनुरोध करना चाहता हूं कि वे यह बताएं कि कौन से किसान ऐसे हैं जो कृषि कर का भुगतान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई कृषि कर है?

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: हां जोत-कर है। कृषि कर होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मुझे जानकारी है। कोई ऐसा कर नहीं है। भू-राजस्व जरूर है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: कृषि कर उन लोगों पर लगना चाहिए जो देश को लूट रहे हैं जैसे कुछ भू-मालिक, कुछ जमींदार, कुछ पूंजीपति। उन्हें कृषि

कर लगाए जाने वालों की श्रेणी में लिया जाना चाहिए ...(**व्यवधान**) यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पात्र जी कृपया सहायता कीजिए। ये तीन दिनों से चल रहा है। आप मंत्री महोदय की बात सुनना चाहिए।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: तीन से पांच मिनट के अन्दर में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। एक बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल बोलने का ही आनन्द मत लीजिये। आपको सुनने का आनन्द भी लेना चाहिए।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: यह बोलने का आनन्द लेने वाली बात नहीं है। आपको देश के किसानों के बारे में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। आपको दिये गए आंकड़ों के अनुसार देश की कुल भौगोलिक भूमि के बारे में मालूम है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 30,65,243 वर्ग कि.मी. है। इसमें से कृषि के लिए प्रयोग किए जाने वाला क्षेत्र केवल 21,249 वर्ग कि.मी. है। एक प्रयास किया जाए क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी कृषि मानसून के ऊपर निर्भर है। लेकिन हमें कृषि के उपर जोर देना है। इसीलिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। वे शुरू से ही कृषि पर जोर दे रहे हैं। हमें देश की कम से कम 60 प्रतिशत भूमि खेती के अधीन लानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह पृष्ठ सरकार पर दिया गया है। नम्बर 2 और 3 देखिए।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: हम 42,596 हेक्टेअर जमीन पर चावल की और 23,977 हेक्टेअर जमीन पर गेहूं की खेती कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। अन्यथा इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप जो भी बातें उठा रहे हैं पहले से ही इसमें बता दी गई हैं। दूसरे सदस्य भी बोलना चाहते हैं। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: खैर, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री महोदय को अनाजों के उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बनने के लिए बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाये। अब श्री लक्ष्मण सिंह जी बोलेंगे।

(**व्यवधान**) **

(हिन्दी)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का दमन दिया। मैंने जो भाषण तैयार किया हुआ है वह नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है, इसलिए केवल प्वाइंट पढ़ कर बता दूंगा। मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आप कृषि नीति सदन में लाए।

अध्यक्ष जी, देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जो केवल कृषि की आमदनी पर निर्भर हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार है। यहां पर अगर फसल खराब हो जाती है तो इनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन राज्यों को जब आप बजट आबंटित करें तो इनका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जो आपने कृषि निर्यात की सुविधा उद्योगों को प्रदान की है, आपने बताया है कि आप 38 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश कृषि क्षेत्र में करने जा रहे हैं, आवश्यक है कि हम सभी उद्योगपतियों से बात करें, ताकि वे अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अनुसंधान पर खर्च करें और जो छात्र अनुसंधान करना चाहे, उनको स्कालरशिप प्रदान की जा सके।

स्टैंडिंग कमेटी ने 1994-95 में जो सिफारिशें दी हैं, उन पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। कमेटी ने बताया है कि 1994 में 1/10 भाग ही किसानों को ऋण के रूप में वितरित किया गया, यह बहुत कम है। किसानों की ऋण सुविधा को बढ़ाया जाना चाहिए।

भविष्य में जोजोबा पौधे का महत्व बहुत बढ़ने वाला है, जिसका उपयोग पैट्रोलियम इंडस्ट्री में होता है। इसके उत्पादन के प्रति किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। इसी तरह से मक्का से स्टार्च बनता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनता है, कई देशों में तो इससे उत्पन्न गैस से वाहन भी चल रहे हैं, इसके उत्पादन बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इस पर आधारित उद्योग भी लगाए जाने चाहिए। कृषि पर आधारित उद्योग ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में लगाए जाने चाहिए, ताकि ग्रामीण युवकों को रोजगार प्राप्त हो सके और वे शहरों की तरफ न भागें। स्टैंडिंग कमेटी ने भी यह सिफारिश की है।

बड़ी नदियों के किनारे की जमीन हर साल बड़ी मात्रा में बीहड़ में परिवर्तित हो रही है। मध्य प्रदेश में चंबल रेज परियोजना है, जहां के किसान डाकू बन रहे हैं। यूरोपियन इकनामिक कम्युनिटी ने इस भूमि के समतलीकरण की एक 70000 करोड़ की योजना दी है, जो केन्द्र सरकार के पास है। इन युवकों को वापिस खेती की तरफ मोड़ने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की योजनाएं लागू की जायं। मध्य प्रदेश के साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, आपके यहां महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : यह किसी स्टेट की पालिसी नहीं है, इसलिए पूरे देश के स्तर पर बात कहिए, किसी राज्य के स्तर पर मत कहिए।

श्री लक्ष्मण सिंह: फिशरीज के बारे में मेरा सुझाव है कि जहां पर तालाब है वहां पर और जहां पर नहीं हैं, वहां पर 5-5 हैक्टर के तालाब बना कर सिंचाई की खेती के साथ मछली पालन का काम किया जाना चाहिए। इससे लाभ होगा और ग्रामीण बेरोजगार इस काम में संलग्न हो सकेंगे।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : गुड प्वाइंट्स। श्री राम नगीना मिश्र। आप भी सिर्फ उत्तर प्रदेश के गन्ने के बारे में नहीं, बल्कि सारे देश के गन्ने के बारे में बात करना।

श्री राम नगीना मिश्र: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अन्य नियमों के तहत इस विषय को उठाना चाहा, लेकिन कहा गया कि कृषि नीति पर चर्चा के समय इस विषय पर बात कर लाजिए।

मान्यवर, कृषि मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है, जिसको यदि समय पर पानी, खाद और बिजली नहीं मिले तो यह मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि बिजली का तो अलग विभाग है, लेकिन पानी और खाद को कृषि मंत्री के अधिकार में रखना चाहिए, इन विभागों की मोनिटरिंग कृषि मंत्री को करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह नया प्वाइंट है।

श्री राम नगीना मिश्र: यह खुशी की बात है कि कृषि मंत्री जी कृषि पंडित भी है और किसानों से बहुत सहानुभूति रखते हैं। किसानों की दुर्दशा समय पर पानी, बिजली और खाद न मिलने की वजह से होती है।

अगर खेत को पानी नहीं मिलेगा तो कृषि मंत्री जी क्या करेंगे।'' रोहिन रवे, मिगदाई तवे, कछु दिन अदरा जाए, कहे घाघ घाघिन से स्वान भात नहीं खाए। चढ़ते बरसे रोहिनी, उतरत बरसे हस्त, असरेसा मगा चटक जाए, तो क्या करिये गृहस्थ। आप कृषि पंडित जो हैं और अधिकारी भी हैं और पानी की तरफ कृषि मंत्रालय का ध्यान जाना चाहिए।''

दूसरा, किसान जो भी सामान तैयार करे उसे भेजने की छूट सारे देश में उसको होनी चाहिए। हमें याद है कि जब किदवई साहब मंत्री थे तो उन्हें बहुत सफलता मिली थी। आज किसान को यह छूट होनी चाहिए कि वह जहां चाहे अपनी फसल को बेचे।

गन्ना-किसान जो है वह बहुत ही दु:खी है। आज गन्ना-किसान अपना गन्ना अरबों रूपये का बेचता है लेकिन मिल-मालिक उसको दाम समय पर नहीं देता है। अगर किसान का कुछ रूपया सरकार पर बकाया है तो किसान को हथकड़ी लगाकर जेल भेजा दिया जाता है। मान्यवर मैं निवेदन करूंगा कि गन्ना-किसान के हित के लिए कोई नीति बने।

मान्यवर, गन्ना-किसान से गन्ना टैक्स लिया जाता है। प्रदेश सरकारें तथा केन्द्र सरकार अरबों- खरबों रूपया टैक्स लेती हैं। किसलिए लेती हैं कि किसान को सुख-सुविधाएं दी जाएंगी और उसको सुखी बनाया जाएगा। दक्षिण भारत में तो सारी सुविधाएं राज्य सरकारें देती है। ये सब सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। कानून यहां तक बना दिया गया है कि एक मिल-जोन निश्चित किया गया है। वहां के मिल-मालिक किसानों के लिए सड़कें बनवाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, गन्ने की छिलाई की व्यवस्था करते हैं, धुलाई की व्यवस्था करते हैं, वहां पर बौनस के रूप में किसानों को लाभ देते हैं। उत्तर भारत की मिलें ठीक इसके विपरीत काम करती हैं। मान्यवर कानून यहां तक बना दिया गया है कि एक जोन का किसान अगर बाहर गन्ना ले गया तो 6 महीने जेल जुर्माना और 500 रूपये जुर्माना होगा।

उत्तर प्रदेश में 110 चीनी मिले हैं जिसमें से 35 चीनी मिलें चीनी निगम की हैं, सरकारी क्षेत्र में 32 हैं और निजी क्षेत्र में 34 हैं और भारत सरकार की कपड़ा मिले चार हैं श्रीमान् जी। जो चार मिलें भारत सरकार की मेरे क्षेत्र के अंदर हैं उनकी हालत खराब है। 18 चीनी मिलें जो चीनी निगम की है चलने वाली नहीं हैं और चार हमारी कपड़ा मिलें जो कपड़ा मंत्रालय के अधीन है उसके जिम्मे 27 करोड़ रूपया बाकी है और मिल चलने वाली नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी आप बताएं कि जो गन्ना किसान है क्या आप उसकी मदद करेंगे?

सभापति महोदय: आप अगर बंद नहीं करेंगे, कुछ तो रैलीवेंस होना चाहिए।

श्री राम नगीना मिश्र: आज किसान मर रहा है, उसका सारा रूपया बकाया पड़ा हुआ है। यह कृषि मंत्री जी मेरे वकील हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि गन्ने का आप क्या करेंगे, क्या आग लगा देंगे उसको। मैं चाहता हूं कि गन्ना किसानों को गन्ने का दाम मिले और जो मिलें न चले और गन्ना मूल्य न दें उनकी गिरफ्तारी हो, मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूं।

साथ ही गन्ना किसान जहां चाहे, वहां गन्ना बेच दें, यह उनको सुविधा होनी चाहिये। जो मिलें चलने लायक नहीं हैं, उनको आप चलाने की कोशिश कीजिये। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 32 परसैंट गन्ना शुगर मिलों को सप्लाई होता है। शेष गन्ना क्रशर कोल्हू में चला जाता है ...(**व्यवधान**) भारत सरकार की 1-2 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बंद हैं।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : यदि अब आप अपना भाषण समाप्त नहीं करते हैं तो मैं अगले वक्ता का नाम पुकारता हूं।

(हिन्दी)

श्री राम नगीना मिश्र: मैं खत्म कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दयनीय दशा को आप सुधारें। आप उन किसानों को ऊपर उठाने के लिये कोई कदम उठायें। इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज राष्ट्रीय कृषि नीति के संलल्प पर बहस हो रही है। राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने की जब बात चल रही है तो मैं चाहूंगा कि कृषि को समवर्ती सूची में रखा जाये। दूसरी बात यह है कि किसान जो पैदा करता है, उसके आधार पर किसानों को कुछ छूट मिलनी चाहिये। किसान गन्ना पैदा करता है लेकिन जब गन्ने से चीनी बनाने के लिये चीनी मिल स्थापित करने की बात आती है तो उसके लिये लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस को समाप्त किया जाना चाहिये। किसान धान पैदा करता है

लेकिन जब उस धान को चावल के रूप में परिणत करने की बात आती है तो उसके लिये भी लाइसेंस लेना पड़ता है। इसको भी समाप्त किया जाये।

किसान फसलें पैदा करके जब उसको गोदामों में ले जाता है तो उसको ही जमानत मान कर कर्जे के लिये पैसा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये। किसानों को उत्पादन के लिये जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वे उचित सामान समय पर उपलब्ध कराये जायें।

अध्यक्ष महोदय, अभी आपसे पूर्व जो यहां पीठासीन थे, वह चर्चा कर रहे थे कि जब यूरिया की आवश्यकता पड़ती है तो यूरिया मार्किट से गायब हो जाता है। कृषि के विकास के लिये जिन सामानों की आवश्यकता है, वे प्रचुर मात्रा में और समय पर उपलब्ध कराये जाये।

हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। हम कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से परेशान रहते हैं। यह राष्ट्रीय कृषि नीति बन भी जाये लेकिन राष्ट्रीय पैमाने पर जब तक बाढ़ और सूखे की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की जाती तब तक कृषि को विकसित नहीं किया जा सकता है।

कृषि नीति के संकल्प में सबसे बड़ी खामी मैंने यह देखी कि जो सीमान्त और लघु किसान हैं, उनके लिये कोई बात नहीं कही गई है। आज हमारे देश में आर्थिक संकट है। इसका असर परिवारों पर भी पड़ता है। परिवार जब आर्थिक संकट में पड़ता है तो वह बंट जाता है। आर्थिक संकट की वजह से ही बंटवारा होता है। लघु और सीमान्त किसान जो बहुसंख्यक हैं, उनको राहत पहुंचायी जाये जिससे वे खेतों में उत्पादन कर सकें। आज किसान अपने खेत बंधक रख कर जीविका चलाता है। फिर उस कर्ज को चुकाने के लिये जमीन को बेच कर भूमिहीन होकर सड़कों पर आ जाता है। इस संकल्प में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सीमान्त और लघु किसान जो कि बहुसंख्यक हैं वे अपनी जीविका के लिये और शादी विवाह के लिये अपनी फसल को बेच देते हैं।

फसल बेच देने के बाद, जब वह बाजार में खरीदने के लिये जाता है तो उसे बढ़े हुये दामों पर अनाज खरीदना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि कृषि नीति के अंतर्गत हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि किसानों द्वारा उत्पादित चीजों के क्रय-विक्रय मूल्यों में 15 परसेंट से ज्यादा फर्क न हो। फसल तैयार होने के बाद, जब किसान बाजार में उसे बेचने ले जाता है, उसे जो दाम मिलते हैं और जब वही वस्तु वह खरीदने जाता है तो दोनों रेट्स में 15 परसेंट से अधिक मार्जिन नहीं होना चाहिये।

जिस तरह कृषि विकास के लिये एक तरफ हम समर्थन मूल्य बढ़ाते हैं, अभी आपने कई जिन्सों के समर्थन मूल्यों की यहां घोषणा की लेकिन उसके तुरन्त बाद डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, खाद के दाम बढ़ जाते हैं, ट्रैक्टर के दाम बढ़ जाते हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। मैं अपने क्षेत्र की स्थिति जानता हूं। जिन किसानों ने ट्रैक्टर लिया है, उनमें से एक भी किसान आज कृषि की आय से ट्रैक्टर की किश्त नहीं दे पा रहा है। हर तहसील में सैकड़ों की संख्या में काश्तकार बंद हैं, उनके ट्रैक्टर नीलाम हो रहे हैं। उनके ट्रैक्टर ही नीलाम नहीं हो रहे हैं बल्कि किश्तों को देने के लिये उनकी जमीनें नीलाम की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि नीति के अंतर्गत किसानों को इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिये कि वे जो कर्ज लें, वह कर्ज उन्हें कम इंटरैस्ट पर मिले तथा सीमान्त और लघु किसानों का इंटरैस्ट माफ किया जाये। आज स्थिति यह है कि आम किसान जो कर्ज लेता है, उससे चक्रवृद्धि ब्याज वसूल किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इसे आप बंद करिये। इसके कारण आज हमारा किसान त्राहिमाम बोल रहा है और बड़ी गम्भीर स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छे पाइंट्स दिये हैं, अब आप कन्क्लूड करिये।

श्री विश्वनाथ शास्त्री: इसलिये मैं आपसे पुरजोर अपील करूंगा कि किसान को आप जो कर्जा देते हैं, उसे कम इंटरैस्ट पर उपलब्ध करायें और किसानों के कर्ज पर लगने वाले इंटरैस्ट को घटाईये। आज आप उससे जो चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, उसे समाप्त कीजिये। यदि सही मायनों में किसान को आप दो जून का भोजन देना चाहते हैं तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप कृषि नीति पर बोलेंगे और नारियल के बारे में नहीं बोलेंगे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): यह भी तो कृषि नीति के अन्तर्गत ही आता है।

महोदय, मुझे समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बातों तक सीमित रहूंगा। इस नीति में उत्पादकता बढ़ाने के आधारभूत कारण पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है और मैं इसके लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

मैं यह बात कहना चाहूंता हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त होने जा रहा है। वस्तुत: उद्योग कई कृषि उत्पादों के मूल्यों के नियंत्रित कर रहा है। उद्योग में ऐसा नहीं होता है। उद्योग में उद्योगपति ही विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करते हें जबकि कृषि में मूल्य ढांचा पूर्ण रूप से कुछ व्यक्तियों के नियंत्रण के अधीन होता है, मुख्यतया उन उद्योगपतियों के पास जो कृषि उत्पादों का व्यापार करते है। इसलिए, मैं यह निवेदन करता हूं कि एक ऐसा पहलू है जिसको नीति में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

मैं फलस बीमा योजना पर बल देना चाहूंगा यह सच है कि नीति में इस पर विचार किया गया है लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे कई उत्पादक, बागवानी करने वाले और नकदी फसल वाले भी इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : पृष्ठ 3, नंबर 8 में यह दिया गया है।

श्री पी.सी. थामस: जहां तक फसल बीमा योजना का संबंध है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि एक ऐसी योजना बनाएं जिससे नकदी फसलें भी इसके अन्तर्गत आ सकें। अन्यथा नकदी फसलों के उत्पादन में लगे व्यक्तियों के प्रति घोर अन्याय होगा क्योंकि एक बार यह चली जाती है तो अगले वर्ष यह सम्भव नहीं हो सकेगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात समर्थन मूल्य के बारे में है। समर्थन मूल्य उत्पादन लागत को आधार बनाकर निर्धारित किया जाता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय जीवन-यापन लागत पर भी उसी तरह ध्यान दिया जाये जैसे कि मंहगाई भत्ते पर ध्यान दिया जाता है।

जीवन यापन-लागत एक ऐसा पहलू है जिस पर समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान दिया जना चाहिए।

मैं दूसरा प्रश्न इसके उप-प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह यह है कि विद्यमान वस्तुओं के अलावा कई अन्य वस्तुओं का भी समर्थन मूल्य निर्धारित किया जना होता है। मैं यहां नारियल के बारे में बोलने के लिए बाध्य हूं। क्योंकि नारियल उन वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है जो कृषि मूल्य आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं, मंत्रालय के पास उत्पादन-लागत के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए समुचित आंकड़े नहीं हैं, यह उत्तर मुझे संसद में दिया गया था। इसलिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इसे कृषि मूल्य आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाये या कोई अन्य मशीनरी गठित की जाये जिससे नारियल और अन्य कई बागवानी और नकदी फसलों की वास्तविक उत्पादन-लागत का पता लगाया जा सके।

महोदय, मैं जल्दी में उतनी बातें प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं जितना सम्भव है। कई अन्य बातों को समयाभाव के कारण छोड़ रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कई वस्तुएं जो वस्तुत: कृषि-उत्पाद की वस्तुएं हैं जिन्हें वास्तव में कृषि-उत्पादों की श्रेणी के अन्तर्गत आना चाहिए और जिसकी माननीय बलराम जाखड़ जी को चिन्ता होनी चाहिए, दुर्भाग्यवश उन्हें कृषि-उत्पाद के रूप में नहीं लिया गया है। मैं महसूस करता हूं कि यह अन्याय है। मैं पुन: रबड़ के बारे में बोलने के लिए बाध्य हूं। रबड़ कृषि-उत्पाद है और यह हमेशा ही कृषि-उत्पाद रहा है। रबड़ उत्पादन में हमने काफी प्रगति की है लेकिन यह वस्तु कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिए कृषि मंत्रालय इस उत्पाद के लिए दिलचस्पी जताने में समर्थ नहीं है। ऐसा हो रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय हमेशा व्यापार निर्यात और लाभ कमाने में इच्छुक रहता है यह अच्छी बात है। फिर भी किसानों की भावनाओं का ध्यान दिया जाना चाहिए इस संबंध में मेरे पास एक मर्मस्पर्शी उदाहरण है यद्यपि मेरे पास उदाहरण देने का समय नहीं है, फिर भी मैं सोचता हूं कि यह उसे बताना चाहिए। एक समय था जब रबड़ का मूल्य बहुत कम था। उस समय यह विचार किया गया था कि ----

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री पी.सी. थामस: मेरे विचार में जब अत्यधिक दबाव डाले जाने पर नीति में हुए परिवर्तन के कारण किसानों को उचित कीमत मिल रही है तो उद्योगपति विदेशों से आयात करके उसे भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात कह चुके हैं।

श्री पी.सी. थामस: इसलिये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय को आयात-निर्यात नीति में उल्लिखित अन्य बातों की तरफ किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और विचार करना चाहिये।

अन्त में संक्षेप में कहना चाहता हूं कि कृषि के उचित विकास हेतु भूमि विधान आवश्यक है और उन्होंने इस पर गम्भीरता से विचार किया है। परन्तु, भारत के अनेक भागों में भूमि विधानों से गरीब और सीमांत किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। वास्तव में जरूरतमंद लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला हे क्योंकि ऐसे मामले अभी भी राज्य के विषय हैं और राज्यों आगे नहीं आए हैं। मेरे विचार में, नीति में राज्यों को बाध्य किया जाना चाहिये कि वे भूमि संबंधी विधान बनायें। मेरे विचार में यह मंत्रालय समायोजन कर सकता है और इसकी सहायता भी ली जा सकती है।

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर): अध्यक्ष महोदय, इस नीति पर बोलते समय मेरे दिमाग में समय की कमी का ध्यान निरंतर बना रहेगा। मैं दिये गए समय में कुछ बातों को नहीं उठा पाऊंगा, परन्तु मैं कृषि से संबंधित एक गंभीर समस्या को उठाना चाहता हूं।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि इस नीति की घोषणा करते समय देश में खाद के प्रयोग की पद्धति को या तो नजरअन्दाज कर दिया गया है या फिर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने खाद पर दी जा रही राज सहायता को वापस ले लिया है। इसके कई ठोस कारण है। परन्तु, एन.पी.के. के प्रयोग का 1:2:4 का अनुपात आदर्श खाद है न कि जैसा कि इसे माना गया है। अब यह कहा जाता है कि अब यह 1:4:20 का अनुपात है। मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों से मालूम चलता है कि खाद के प्रयोग के ऊपर अति उल्टा प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि नाइट्रोजन और अमोनिया के लिए राज सहायता जारी है, ओर फासफोरस तथा पोटाश के लिए राज सहायता नहीं दी जा रही है।

महोदय, खाद नीति और सिंचाई नीति दोनों ही कृषि नीति का अभिन्न अंग हैं। मैंने सभी प्रस्तावों को बहुत ध्यानपूर्वक देखा है। मैंने कृषि क्षेत्र के समक्ष 17 चुनौतियों और मंत्री महोदय द्वारा दिए गए 14 समाधानों का अध्ययन किया है।

5.00 म.प.

मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूं। परन्तु, सच यह है कि हमने ऐसे समय में राज सहायता वापस ली है जब देश राज सहायता देने में समर्थ नहीं था।

महोदय, जून, 1991 में विदेशी मुद्रा का भण्डार 3,000 करोड़ रूपये था। अब हमारा भण्डार संतोषजनक है। यह अच्छा है कि अब हमने नीति बनाई है। यह बहुत स्पष्ट नीति है। परन्तु इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूं कि इसमें सुधार किया जा सकता है। कृषि मंत्री को इसमें सुधार करने की तरफ ध्यान देना चाहिये।

महोदय, जहाँ तक खाद का सवाल है किसानों को केवल 5,000 करोड़ रूपये की कुल राज सहायता दी जा रही थी। परन्तु, धनाभाव के कारण इसे वापस ले लिया गया है। अब सरकार राज सहायता आसानी से दे सकती है। खाद पर दी जा रही राज सहायता को पुन: शुरू करना चाहिये। वर्ष 2,000 तक खाद्यान्न की आवश्यकता 240 मिलियन टन हो जायगी। इस समय देश में सिर्फ 190 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन हो रहा है। कृषि मंत्रालय को आशा है कि इस नीति के फलस्वरूप हम अपने लक्ष्य को बढ़ा सकते हैं। महोदय, हमको इस मामले में निश्चित न हीं होना चाहिये क्योंकि इससे जो असुविधा होने वाली है उससे खाद्यान्न नीति पर भी प्रभाव पड़ने वाला है।

महोदय, मैं इस नीति के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु मैं कुछ और मुद्दों को संक्षेप में उठाने की अनुमति चाहता हूं। उदारहण के लिए नकदी फसलों के बारे में देखें इस नीति में गेहूं, चावल और अन्य कृषि उत्पादों पर अधिक जोर डाला गया है। रबड़, इलाइची, लोंग और अन्य नकदी फसलें, जो कि कई राज्यों में पैदा की जा रही हैं, को पर्याप्त बढ़ावा नहीं दिया गया है। मैं महसूस करता हूं कि इस नीति में नकदी फसलों को पर्याप्त बढ़ावा नहीं दिया गया है। श्री पी.सी. थामस ने नारियल के संबंध मर्तें एक बात कही थी। अब मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता हूं।

महोदय, कृषि मंत्री अति उदार हैं। आपने हमको सभा में इस मामले को उठाने के लिये समय दिया और कृषि मंत्री ने भी उदारतापूर्वक कई बातों को, जा हमने उठाई हैं, स्वीकार किया है जबकि वह कृषि मंत्रालय की परिधि में नहीं आती हैं। इसलिये हमारा सुझाव है कि जो बातें हम सभा में उठा रहे हैं उनको भी कृषि नीति के कार्यक्षेत्र में लाया जाना चाहिये। मंत्रालय चाहते हुये भी इन बातों पर विचार नहीं कर सकता है जब तक कि ये मुद्दे कृषि नीति के अंतर्गत नहीं लाये जाते हैं।

माननीय उपमंत्री महोदय ने भी कुछ बातें कहीं हैं। हाँलाकि, भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति संबंधी घोषणा सभा में की गई थी परन्तु सरकार द्वारा घोषणा की गई नीतियों का लाभ उत्पादकों को नहीं मिल रहा है। श्री पी.सी. थामस ने कहा नारियल का उदाहरण अनोखा है। नारियल का समर्थन मूल्य 2750 रूपये प्रति टन निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन किसी भी किसान को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने अनुपूरक अनुदानों की माँगों, जिनके ऊपर अगले दो दिन में सभा में चर्चा होने वाली है, को ध्यान से पढ़ा है। इसमें नैफेड को केवल इस उद्देश्य के लिये 120 करोड़ रूपये दिये जाने हैं। परन्तु, नैफेड अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँलाकि, नीति की घोषणा का दी गई है, परन्तु किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। आज भी, मेरे राज्य में, किसानों को 2400 रूपये प्रति टन अथवा 2500 रूपये प्रति टन मिल रहे हैं। इसी प्रकार रबड़ के मामले में भी ऐसा हो रहा है। हाल ही में किसानों को 45 रूपये और 50 रूपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य जो भी हो भारतीय किसानों को भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्राप्त करने के योग्य बनाना चाहिये। दुर्भाग्यवश, भारत में जब भी मूल्य वृद्धि होती है, सरकार के ऊपर उद्योग दबाव डालता है और रबड़ का आयात किया जाता है। रबड़ के थोड़ी मात्रा में आयात किये जाने पर भी देश में लाखों टन उत्पादित रबड़ के मूल्य में, बिना सोचे समझे आयात किये जाने के कारण, गिरावट हो रही है। यह भारतीय किसानों के साथ किया जा रहा अन्याय है।

मैं अनुरोध करता हूं कि किसानों की आमदनी को घटने से बचाने के लिये पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिये।

अब मैं लोंग की खेती की बात करता हूं। मुझे इस संबंध में एक वाक्य जोड़ने की अनुमति दी जाये। देश की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना लोंग का बिना सोचे समझे आयात किया जा रहा है। इससे मूल्यों में कमी आ रही है। जब पर्याप्त मात्रा में लोंग का उत्पादन हो रहा है तो आप लोंग के आयात की अनुमति क्यों देते हैं? इसको नीति में शामिल किया जाना चाहिये।

अब मैं नकदी फसलों अर्थात फूलों की खेती और जलचर पालन पर बोलना चाहता हूं। हाँलाकि, इस नीति में यह सब बातें उल्लिखित हैं, परन्तु सरकार को इसे और अधिक बढ़ावा देना चाहिये।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ऋण के आबंटन के बारे में उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि इसको बढ़ावा दिया जायगा। वास्तव में बैंक सिर्फ वाणिज्यिक मुद्दों को ही ध्यान में रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे 12,000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

श्री पी.सी. चाको : 20,000 करोड़ रूपये कोई बड़ी रकम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : 12,000 करोड़ रूपये से 20,000 करोड़ रूपये करना एक बड़ी बात है।

श्री पी.सी. चाको : हो सकता है। लेकिन आवश्यकता भी बढ़ रही है। बैंक वाणिज्यिक आधार पर ही पनप रहे हैं।

महोदय, मुझे अब एक अन्तिम बात कहने की अनुमति दी जाये। बैंक वाणिज्यि आधार पर ही चल रहे हैं। उच्च प्राथमिकता वाले सभी ऋण वहीं से लिये जाते हैं। उन्हें सिर्फ लाभ कमाने का निर्देश दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप छोटे और सीमान्त किसानों की उपेक्षा हो रही है। यह एक

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वे उन्हें अधिक महत्व दें।

(हिन्दी)

श्री अनादिचरण दास (जाजपुर): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में रहते हुए भी मैं एक घण्टा इसी कृषि के काम में लगाता हूं। सब्जियों की कीमत मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं खुद उगाकर खाता हूं। आज आप मेरे घर चलिये तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या-क्या काम किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे ऐग्रीकल्चरल पौलिसी पर आ जाइए।

श्री अनादि चरण दास: मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कृषि नीति में आपने लैण्ड रिफॉर्म की बात कही है। दिन पर दिन लैण्ड होल्डिंग किसानों के पास कम होती जा रही है। कुछ भाइयों में बंटवारे में कम हो जाती है और शादी-ब्याह में भी कुछ ज़मीन दे देते हैं। किसी के घर में कोई मुसीबत हो या कोई बीमार हो तो वह अपनी थोड़ी जमीन बेच देते हैं। आप इसको नहीं रोक पाएंगे। इसका उपाय यह है कि जो लोग बड़े फार्म हाउस बनाकर रखते हैं, उन पर आप लेवी लगाएं। उससे आपको एक फण्ड क्रिएट करना चाहिए जिससे हमारे जो गरीब काश्तकार हैं, भूमिहीन मज़दूर हैं, जो सचमुच ऐग्रीकल्चरिस्ट ही हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो शैड्यूल्ड कास्ट्स हैं जिन्होंने सचमुच ज़मीन पर काम किया है उनको कुछ फायदा हो। दूसरे लोगों ने उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है। उन गरीबों के लिए आपने कोई सोशल सिक्यूरिटी नहीं रखी है। जैसे एक सरकारी नौकरी वाले को आप 38 बैनिफिट्स दे रहे हैं लेकिन हमारे कृषकों के बैनिफिट के लिए आपने कुछ जिक्र नहीं किया है। फिर इसमें आपने लिखा है कि इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं और कुछ सुविधाएं उनको दे भी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई.आर.डी.पी. बिल्कुल फेल हो रहा है।

(अनुवाद)

कोई भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है, यहाँ तक कि दो व्यक्ति भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठे हैं।

(हिन्दी)

वह भी ऐग्रीकल्चर के लिए आप ज्यादा दे रहे हैं। इस तरह से जो यह स्कीम फेल हो रही है उसको आप उस तरह से कीजिए जैसे आपने कैपिटल फौरमेशन की बात कही। कैपिटल फौरमेशन के लिए मैं आपको एक सुझाव दूं कि जितना भी वेस्टलैण्ड है, गरीब और ट्राइबल्स को आप एक-एक हैक्टेयर ज़मीन दे दो और उसमें बिजली और सिंचाई का बन्दोबस्त करके उनको दे दो। मैं विश्वास से कहता हूं कि पांच साल में वह जरूर लखपति बन जाएंगे। फिर उस पैसे को आप उपयोग में ला सकते हैं। यह मेरा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : वह सबकी समझ में आ गया है।

श्री अनादि चरण दास: हमारे यहां ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है। जिनके पास कम जमीन है जैसे आधी एकड़ है, उनके लिए आप 50,000 रूपए का बैण्ड बना दीजिए जिससे हर महीने उनको 500 रूपए मिल जाए। इसकी अवधि आप पांच साल के लिए रखिए और उसी से वह 70-80 रूपए का रोजगार कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिस्ट बनाकर एक खास प्रोग्राम उनके लिए बनाना चाहिए जैसे हमारे ट्राइबल लोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि ...।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, तीन दिन से यह डिसकशन चल रहा है।

(अनुवाद)

मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कम से कम एक घंटा तो मिलना ही चाहिये।

श्री अनादि चरण दास: आपको एक प्रोविडेण्ट फण्ड उनके लिए बनाना चाहिए। ऐसा प्रावधान सरकार को करना चाहिए कि 30 रूपए महीना वह दे दें।

आप इतना पैसा दे दें, उसमें मैक्सिमम लिमिट 150 रूपये तक रखें, जो सरकार उसको दें। उसके लिए आपको फण्ड क्रिएट करना चाहिए। जो लोग अनउत्पादक हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, कई लोग उत्पादन नहीं करते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था होती हैं, उनके लिए कुछ लेवी लगानी चाहिए, चावल के ऊपर, चीनी के ऊपर, गेहूं के ऊपर। अगर एक किलो पर 10-10 पैसे भी उनके ऊपर डालेंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ पैसे का फण्ड क्रिएट हो जायेगा। इसी से आप उसको पैसा दे सकते हैं, सरकार पर इससे बोझा नहीं पड़ेगा।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : यह एक बड़ा अच्छा सुझाव है।

(हिन्दी)

श्री अनादि चरण दास: एक बोरोइंग कैपेसिटी का सवाल है। अभी हम लोग 10 परसेण्ट एक महीने पर लोन लेते हैं, 100 रूपये का साल में 120 रूपये हमको ब्याज देना पड़ता है। आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग गांवों में रहते हैं, हमको 10 रूपये और कम से कम पांच रूपये महीने में 100 रूपये पर ब्याज देना पड़ता है। बोरोइंग कैपेसिटी के लिए मेरा यह सजेशन है कि जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हम तय करें कि उनको एक तोला गोल्ड की चीज बनाकर दे दें, ताकि उससे उनको कम से कम पैसा मिल सके और उनको 2-3 सौ रूपये से ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़े। क्योंकि, अगर उनको पैसे

की जरूरत पड़ती है और वह जमीन वगैरह उसके लिए देते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, सर्टिफिकेट वगैरह के लिए उनको बहुत दिक्कत होती है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बैठेंगे नहीं तो मैं इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(हिन्दी)

श्री अनादि चरण दास: मेरा सजेशन क्या अच्छा नहीं लगता? ठीक है, मैं बैठ जाता हूं।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं कोई लम्बा भाषण नहीं दूंगा और कुछेक बातों तक ही अपने को सीमित रखूंगा। मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका संबंध नीति से होना चाहिये।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : वे नीति से ही संबंधित होंगे। मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

लम्बे समय से जिस कृषि नीति की प्रतीक्षा की जा रही थी, वह श्री बलराम जाखड़ जी की अध्यक्षता में अपना आकार ग्रहण कर रही है। मैं सचमुच इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।

यहां सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है और वे सभी फायदे, जो औद्योगिक क्षेत्र को दिये जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र को भी दिये जायेंगे लेकिन जहां तक कृषि पर कर लगाने की नीति का संबंध है, उस संबंध में विशेष कुछ नहीं किया जा रहा है। मेरे विचार में हमारे माननीय मंत्री इसका काफी ध्यान रख रहे हैं।

अन्य सभी पहलुओं के अलावा आम तौर पर जिन्हें मुख्य निवेशक समझा जाता है, वे बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा ऋण हैं। मैं सिर्फ इन चार पहलुओं का ही उल्लेख करूंगा हालांकि इस नीति में इन पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया है।

अब जो नीति अपनाई जा रही है वह यह है कि प्रति वर्ष कम से कम 30 प्रतिशत बीज को बदला जाये। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस पर पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य बीज विकास निगम दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में गुणक कार्यक्रम होने चाहिये और उन्हें बीज की आपूर्ति करने का काम शुरू करना चाहिये।

बीज, कीटनाशक और उर्वरक, इन तीन चीजों को अनिवार्य वस्तुएं माना जाना चाहिये और जहां तक उनकी आपूर्ति का संबंध है, उसमें जो भी कमियां है, उन्हें अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। जब 1983 के बीज नियंत्रण आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई तो उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी सांविधानिक वैधता को बनाये रखा और बीज को एक अनिवार्य वस्तु घोषित किया गया था। अत:, बीज अथवा उर्वरक अथवा कीटनाशकों की आपूर्ति में जो कोई भी गलती की जाती है, इसे उसी प्रकार गंभीरता से लिया जाना चाहिये जिस प्रकार वित्तीय चूककर्ता के मामले को लिया जाता है। इस एक पहलू पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

दूसरी चीज उर्वरक हैं। हमारे अनेक मित्रों ने इसका उल्लेख किया है। एन.पी.के. अनुपात बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। सामान्य रूप से एन.पी.के. के 4:2:1 की सिफारिश की जाती है लेकिन अगर यह 5:2:1 तक भी चला जाये तो भी क्षम्य है। यह सामान्यत: सिफारिश की जाती है। वर्ष 1992-93 के दौरान यह बढ़कर 15:4.6:1 हो गया है। यह बहुत चिन्ताजनक स्थिति है। अगर कृषि उत्पादकता में यही प्रवृत्ति जारी रही तो मृदा शीघ्र ही अपनी उत्पादक क्षमता खो देगी और गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

ऋण के संबंध में वास्तव में ऋण की स्थिति चिन्ताजनक है। प्राथमिक क्षेत्र को संस्थागत वित्त का 40 प्रतिशत दिया जाता है जबकि कृषि क्षेत्र के लिए यह 18 प्रतिशत ही है। वर्ष 1993-94 में भारतीय स्टेट बैंक जैसे बैंकों ने भी कृषि क्षेत्र को केवल 14.7 प्रतिशत ऋण दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने केवल 13.58 प्रतिशत दिया। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक से कृषि क्षेत्र को 18 प्रतिशत ऋण दिये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं लेकिन इसे 13 या 14 प्रतिशत ऋण भी नहीं दिया जा रहा है। और उसमें से भी अधिकांश भाग धीरे-धीरे केवल उच्च कृषि प्रौद्योगिकी को जा रहा है। छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है।

सभी स्वर्ण-ऋणों को कृषि ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। स्वर्ण ऋण के अन्तर्गत जो कोई भी ऋण प्राप्त करना चाहता है, वह तत्काल सोना लेकर उसे गिरवी रख देता है और ऋण प्राप्त कर लेता है। अत:, सभी प्रकार के स्वर्ण-ऋणों को कृषि ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। अत., इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। हालांकि 12,000 करोड़ को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रूपये कर दिया गया है लेकिन वास्तव में जरूरतमंद छोटे और सीमान्त किसानों को संस्थागत ऋण पर्याप्त रूप से नहीं दिये जा रहे हैं।

जहां तक बीमा का संबंध है, यद्यपि इसका काफी विस्तार किया गया है, इसमें गांव को भी एक इकाई के रूप में लिये जाने और बीमा को ऋणों न्मुखी बनाने पर, विचार किया जाना चाहिये। ऐसी नीति नहीं है कि जो कोई प्रीमियम लेता है, उसे फसल बीमा का लाभ भी दिया जाना चाहिये। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

अंतत: कृषि लागत तथा मूल्य आयोग, कृषिगत फसलों के लिए लागत की गणना और उनके लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित करते समय प्रबंध संबंधी लागतों पर ध्यान नहीं दे रहा है। अत: जब तक आप इन प्रबंध संबंधी लागतों पर ध्यान नहीं देते, तब तक आप लाभकारी मूल्य निर्धारित करते समय उसकी समुचित लागत का अनुमान नहीं लगा सकते।

अंत में कृषि संबंधी अनुसंधान और शिक्षा की बात आती है। कृषि अनुसंधान के लिए अब कुल योजनागत आबंटन में से 0.04 प्रतिशत दिया जा रहा है। यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। कृषि अनुसंधान में जिस किसी भी प्रौद्योगिकी का आज अविष्कार होता है, वह कृषि विकास के लिए किये जाने वाला भावी निवेश है। आज हम कृषि संबंधी जो भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वह कृषि के विकास के लिए भविष्य में किया जाने वाला निवेश है। अत:, इस विशेष पहलू पर पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जहां तक इसका संबंध है, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हम कृषि भूमि राजस्व एकत्रित कर रहे हैं। हम कृषि शिक्षा और शोध संबंधी उपकर को इसके घटक के रूप में क्यों नहीं लेते ताकि इससे एक बड़ी धनराशि प्राप्त हो सके? छोटे किसानों से लेकर बड़े किसानों तक जो कुल कृषि राजस्व वे अदा कर रहे हैं, उसे कृषि शोध और शिक्षा के लिए क्यों नहीं लिया जाना चाहिये ताकि इससे एक बड़े कोष का गठन हो सके और उसे कृषि संबंधी अनुसंधान और विकास के लिए दिया जाये और इसे पहलू पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह आपका अंतिम पाइन्ट है।

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:

अत: शुल्क भूमि की जोत पर भी पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस नीति के बारे में तीन दिन तक चर्चा की है और माननीय मंत्री महोदय को कम से कम आधे घण्टे का समय मिलना चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ जी, आपको बोलने के लिए एक घण्टें का समय दिया जाता है।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो मिनट का समय दे दें। मैं सिर्फ दो बिन्दुओं पर बोलूंगा जिन पर कोई सदस्य नहीं बोला है। मुझे भाषण नहीं करना है, सिर्फ दो बिन्दुओं पर बोलना है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिस पीड़ा से वे बोले हैं, मेरे ह्रदय में उनके लिए सिर्फ धन्यवाद के और कुछ नहीं है। मैंने धन्यवाद शब्द इस बात को जानते हुए कहा कि आज तीन दिन हो गये हैं और जिन-जिन माननीय सदस्यों ने बोलने में हिस्सा लिया, उनमें से 90 फीसदी यहां नहीं हैं, मैं जवाब किसको दूं, यह समझ में नहीं आ रहा है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सुनने के लिए नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : शुक्र है, आप चीनी बनाते हैं, मीठे हैं।... **(व्यवधान)**

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी): हम यहां बैठे हैं, हमको भी धन्यवाद दे दीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : मैं दे रहा हूं। मैं उनको भी दे रहा हूं, जो बैठे हैं।...**(व्यवधान)**

डा. छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): हम लोग तीन दिन से यहां पर बैठे हुए हैं बोलने के लिए, मौका नहीं दिया जाता है।...**(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : जिनको दिया, वे भी तो चले गए।... **(व्यवधान)**

डा. छत्रपाल सिंह: हम लोग जो कहना चाहते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते हैं।... (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़: आप मेरी बात तो सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**

डा. छत्रपाल सिंह: अध्यक्ष जी, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। ...**(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़: तीन दिन से बहस चल रही है, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन समय इनके पास हो तो करें।...**(व्यवधान)**

श्री बृजभूषण शरण सिंह (गोण्डा): महोदय, जब हम लोगों का नम्बर आया, तो समय हो गया ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको मिनिस्टर साहब का भाषण नहीं सुनना है और आपको बोलना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

...(व्यवधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुझसे बहस मत कीजिए। किसी ने किसी को तो सदन को नियंत्रण में रखना ही है। तो मुझे सदन को नियंत्रण में रखना है या फिर आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: कल लोगों ने पचास-पचास मिनट का समय लिया है।...(व्यवधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने बात मान ली है। आज अपना भाषण शुरू कीजिए। लेकिन आप केवल कृषि नीति के बारे में ही बोलिए।

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : मन में जो आया बोलेंगे, फिर कहेंगे कि समय नहीं दिया।

डा. छत्रपाल सिंह: अध्यक्ष जी, मैं प्वाइन्टवाइज बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बोलिए,

डा. छत्रपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कृषि पालिसी रखी है, उसमें व्यापक सुधारों की बात कही गई है, मगर जो भूमि सुधार का कार्यक्रम है, जिसमें आपने अलग से वेस्टलैंड विभाग बनाया है, उसमें काम करने की बात कम कही गई है। इस बारे में मेरा एक सुझाव है। पूरे देश में वेस्टलैंड, ऊसर भूमि पड़ी हुई है और हमारे देश में बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है, विशेषकर ग्रेज्युएट्स, यदि इन लोगों को वेस्टलैंड में दस एकड़ भूमि दे दी जाए, तो वेस्टलैंड में भी सुधार होगा और देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, वह भी दूर हो जाएगी।

सिंचाई के संबंध में आपने विचार रखे हैं और बड़ी योजनायें दी हैं। इस समय हमारे देश में पांच सौ परियोजनायें ऐसी हैं, जिन पर काम चल रहा है और काफी समय के बाद दे पाए हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो टोटल जमीन है, उसकी 43 प्रतिशत ही कृषि के लिए ले पाए हैं तथा तिहाई भाग सिंचाई की योजनाओं में ले रहे हैं। हम तिहाई भाग से पूरी जमीन को सिंचित नहीं कर पायेंगे, जब तक हमारे यहां सिंचाई परियोजनाओं के लिए अलग से समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनायेंगे, अलग से बजट में प्रवधान नहीं करेंगे, तब तक हमारी परियोजनायें पूरी नहीं होगी और हम टार्गेट पर पहुंचने वाले नहीं है।

जहां तक बीज में सुधार की बात कही गई है, पिछले दिनों हरितक्रान्ति में कुछ बीजों पर सुधार कार्यक्रम किए हैं। हरितक्रान्ति के बाद कोई भी बजट में सुधार कार्यक्रम नहीं किया गया है।

जहां तक कीटनाशक दवाइयों की बात कही जा रही है, विशेष तौर से कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। मैं इस संबंध में केवल इतना कहना चाहूंगा कि पहले केन्द्रीय सरकार 110 प्रतिशत इस पर टैक्स लगाती थी और अब उसको कम करके 50 प्रतिशत पर ले आए हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से किसानों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी कीटनाशक हैं, उन पर आयात कर और कोई भी शुल्क नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि किसानों को नुकसान हो।

जहां तक फर्टिलाइजर का मामला है, इसमें आप कह रहे हैं कि हम 1 हजार पर क्विंटल सब्सिडी दे रहे हैं। मगर उसके बाद भी किसान का फर्टिलाइजर दिन-पर-दिन महंगा होता जा रहा है।

महोदय, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा समय और लूंगा। 1965 के आसपास सिंदरी के कारखाने में जो अमोनियम सल्फेट बनता था, केवल 30 रुपए का एक क्विंटल बोरा आता था।... (व्यवधान) आज वहीं फर्टिलाइजर हमको साढ़े तीन सौ, पौने चा सौ रुपए पर क्विंटल मिल रहा है। मगर उस ऐश्यो में आपने गेहूं कया दूसरी चीजों के दाम नहीं बढ़ाए। आप उचित मूल्य की बात करते हैं, मगर कभी भी आपने यह नहीं सोचा कि किसान को हम लाभकारी मूल्य देंगे, यह बात सरकार ने आज तक नहीं की। मैं इस संबंध में कहना चाहता चाहूंगा कि पिछले 30 सालों में जहां दूसरी चीजों के दाम 40 गुना तक बढ़े हैं वहां गेहूं का केवल 10 गुना बढ़ा है और गन्ने का दाम 9 गुना बढ़ा है। इस देश में महंगाई की दर सोने के भावों से नापी जाती है आप मुझ पर नाराज हो रहे है, मगर मैं किसान की दुर्दशा को बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पालिसी पर बोलिए।

डा. छत्रपाल सिंह : मैं उसी पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पालिसी पर नहीं बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

डा. छत्रपाल सिंह : महोदय, इस देश में महंगाई का दाम सोने के भावों से नापा जाता है। सन् 1961 के आसपास सोने का दाम केवल 55 रुपए तोला था और आज बढ़ कर 5280 रुपए तोला हो गया है, 96 गुना सोने का दाम बढ़ गया है। मगर आपने गेहूं या गन्ने का दाम 10-15 गुना बढ़ाया है। किसान के साथ कब तक अन्याय चलेगा।... (व्यवधान) जहां तक अनुसंधान की बात है। अनुसंधान केन्द्र आपने पूरे देश में केवल 140 जिलों में खोले हैं। हमारे हाउस के सांसद आपसे मांग करते रहते हैं कि मेरे जिले में भी खोलिए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह पालिसी की बात है।

डा. छत्रपाल सिंह : जी हां।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह की बातों की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

डा. छत्रपाल सिंह : महोदय, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में अनुसंधान केन्द्र खोला जाना चाहिए। होर्टीकल्चर के किसानों को जहां तक बढ़ावा दे रहे हैं, मगर आप न तो प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं और न ही आपने अच्छा मार्जिन देने की बात की है। ...(**व्यवधान**) आप जब तक किसानों को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रेंड नहीं करेंगे, ... (**व्यवधान**) **

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(हिन्दी)

डा. छत्रपाल सिंह: मेरी बात अधूरी रह गई है लेकिन मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह:

अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपनी एक बात मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं। सदन में 3 दिन से बहस चल रही है और जो भी सुझाव आए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक जानकारी और एक सुझाव आपको देना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो नहरों से संबंधित हैं और वे योजनाएं आज धनाभाव के कारण लम्बित हैं। उन नहरों का निर्माण जिन जमीनों पर हो रहा था वह कृषि योग्य भूमि थी, आज धनाभाव के कारण काम बंद है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि एक समीक्षा होनी चाहिए और शीघ्र ही उसका काम पूरा होना चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई काम हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो जो जमीनें आज गड्ढे के रूप में परिवर्तित हो गई हैं, जिन पर आज खेती भी नहीं हो रही है, आपने किसान को जो मुआवजा दिया था उसको दे करके लौटा दिया जाए।

दूसरी बात में आपकी जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि जब कृषि की बात हो रही है तो किसानों की भी बात ही रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज गांवों में परिवार टूटते जा रहे हैं, हो सकता है कि आप आपत्ति करें लेकिन किसानों की पीड़ा है और हमने खुद देखी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज परिवार टूटते जा रहे हैं और इसके कारण भूमि संबंधी विवाद भी उत्पन्न होते हैं और उस भूमि विवाद का शीघ्र निपटान न होने के कारण जो परेशानी है वह तमाम हमारी जमीनों को धारा 145 के अंदर कुर्क करा देता है।

उन जमीनों पर खेती का काम बंद हो जाता है। मैं चाहूंगा कि कृषि नीति के तहत किसानों से संबंधित मुकदमों का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री आनंद रत्न मौर्य (चंदौली): अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि नीति के संबंध में सिर्फ दो बातें रखना चाहता हूं। आज यदि किसानों से पूछा जाए कि कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि अनुसंधान के जरिए क्या चीजें दी हैं तो वे सिर्फ 3 चीजों का नाम लेते हैं, ट्रैक्टर, पंपिंग सैट और थ्रेशर मिल, जिसका किसान उपयोग करता है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कृषि वैज्ञानिकों ने तमाम चीजों का आविष्कार किया है, लेकिन किसानों को उनकी जानकारी नहीं है। मक्का के दाने निकालने का एक 10-12 रूपए का औजार है, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी नहीं है, बहुत उपयोगी चीज है। मेरा सुझाव है कि इन उपकरणों को कृषि अनुसंधान केन्द्रों से गांवों तक पहुंचाने और जानकारी प्रदान करने का व्यवस्था की जाए।

आज देश में उत्पादन बढ़ाने का आवश्यकता है, लेकिन आज देश में टिशू कल्चर लैब उंगलियों पर गिनने लायक है। मेरा सुझाव है कि हर राज्य में 4-5 जिले में एक टिशू कल्चर लैब होनी चाहिए। इससे फलों का, फूलों का उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह पेज नंबर दो, प्वाइंट 9 में दिया हुआ है- फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नालाजी विल बी यूज्ड.

श्री आनंद रत्न मौर्य:

यह ठीक है कि लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा लेकिन ये चीजें हो नहीं रही है। साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात कही गई है, लेकिन गांवों तक यह कैसे पहुंचे, यह देखने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर राज्य में 10 टिशू कल्चर लैब स्थापित की जाएं, ताकि किसानों को समुचित मात्रा में पौधे मिल सकें।

एक बात लाइव स्टाक के बारे में कहना चाहूंगा कि यह खेतों में पड़ा रहता है, इसका रिटर्न किसानों को नहीं मिल पाता। इसके उपयोग के लिए बायो मास लैब स्थापित किए जाने चाहिए, जिसमें बायो मास ट्रांसफर करते हैं। इससे लाइव स्टाक का उपयोग होगा और किसानों को पैसा मिलेगा।

आज कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ये केन्द्र ठीकठाक काम नहीं कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों की कार्यवाही को किस प्रकार से ठीक प्रकार से चलाया जाए, इसको भी कृषि नीति में सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

अंत में, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आज किसानों को खाद बहुत महंगे दामों पर मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्वाइंट दूसरे सदस्यों द्वारा कह दिया गया है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री आनंद रत्न मौर्य: लेकिन मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, मुझे कहने दीजिये।

एक माननीय सदस्य: क्या आप सबसिडी बढ़ाने की बात कहना चाहते हैं?

श्री आनंद रत्न मौर्य: मैं सबसिडी की बात नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने कह दिया है।

श्री आनंद रत्न मौर्य: आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिये। धन्यवाद।

मैं बायो-फर्टिलाईजर की बात कह रहा हूं। आजकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे भारत में लगाये जा रहे हैं, उनसे जो मैन्योर निकलता है, उस पर आधारित कारखाने लगाए जाने चाहिये। बनारस में एक ऐसा कारखाना लगा है जिससे बहुत बढ़िया किस्म का बायो-फर्टिलाईजर निकल रहा है और वह किसानों के लिये बहुत सस्ता और उपयोगी भी है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी मौका दूंगा। क्या आप दोनों एक दफा ही बोलना चाहते हैं?

(**व्यवधान**)

श्री श्याम बिहारी मिश्र: कृषि नीति के संबंध में यहां बड़े भाषण हुये हैं, हम केवल दो बिन्दुओं को यहां रखना चाहते हैं। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम आपने बहुत पहले बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि किसानों को मंडियों में उचित मूल्य मिले, मंडियों में उनको सुविधायें मिले, उसमें यही व्यवस्था की गयी थी। वह बहुत पुराना हो चुका है और उसे रिवाइज करने की जरूरत है। देश के सारे राज्य इसके अंतर्गत, मंडी फीस के द्वारा राजस्व वसूली के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, किसानों को सुविधायों देने के उद्देश्य को लेकर नहीं चल रहे हैं। दो परसेंट या तीन परसेंट मंडी शुल्क मल्टीप्लाई करके लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, आप इसे व्यापारियों पर लगा रहे हैं परन्तु व्यापारी अपने पास से कोई टैक्स नहीं देता। यदि व्यापारी को टैक्स देना पड़ता है तो किसानों के मूल्य से उतनी राशि वह कम कर लेता हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सैन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: लेकिन एक्ट तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है जिसे स्टेट गवर्नमेट चालू करती है। वह सैन्ट्रल एक्ट है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, (अनुवाद) यह ठीक नहीं है।

(**हिन्दी**)

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मेरा एक बिन्दु यह है कि यह सैन्ट्रल एक्ट है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है। मैं यहां कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मेरा केवल एक बिन्दु है। विभिन्न खाद्यान्नों पर जो बिक्री कर लगाया जाता है, उससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बिक्री कर आजकल स्टेट गवर्नमेंट का सब्जैक्ट है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी नीति में, जिस प्रकार यहां लिखा है कि किसानों को कोई कर न देना पड़ेगा, उसी प्रकार सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने तमाम चीजों के ऊपर बिक्री कर की माफी कर रखी है, इसके स्थान पर आप कहिये कि धान पर न लगे, चावल मिल वाला दे, दलहन पर न लगे, दाल मिल वाला दे, तिलहन पर न लगे, तेल मिल वाला दे, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। यही मेरे दो बिन्दु है। मुझे कुछ और नहीं कहना है।

श्री कमला मिश्र मधुकर: मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि हम लोगों का संबंध कृषि-कर्म से जुड़ा हुआ है। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हुं, एक तो यह है जिस पर मैंने कई जगह प्रैस किया है कि कृषि नीति का निर्धारण जिस तरह किया गया है, उसका ओरियेन्टेशन, उसका उद्भव गरीब किसानों और मंझोले किसानों के हित में नहीं है क्योंकि इसमें जितनी बातें कहीं गयी है, मैं स्टैन्डिग कमेटी का मैम्बर रहा हूं, मेरा अनुभव है कि इससे गरीब किसानों और मध्यम दर्जे के मार्जिनल किसानों को फायदा नहीं होना है। अल्टीमेटली, आपकी नीति से ईख फार्मर लाभान्वित होंगे। कृषि नीति जो भी हो, अगर उसका ओरियेन्टेशन ठीक न हो, उस ओरियेन्टेशन न होने का मैं सख्त विरोध करता हूं। आप सोचिये और खुद जानते भी हैं कि हिन्दुस्तान में जो कृषि हो रही है, कुल किसानों के दो-तिहाई हिस्से जो मध्यम और निम्न किसान हैं, द्वारा हो रही है और उनकी संख्या अन्य किसानों से अधिक है, इसे हम ध्यान में रखना चाहिये।

दूसरी बात है कि कृषि के विषय में आप जो कुछ सोचते है, क्या ऐसा सोचते हैं कि हिन्दुस्तान में अमेरिका या दूसरे डैवलप्ड कंट्रीज की तरह मैकेनाइज्ड फार्म होने जा रहा हैं। अगर आपकी कल्पना ऐसी है तो बात दूसरी है लेकिन कृषि के विकास का मतलब है खेत-मजदूरों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन और इस दिशा में आपको सोचना चाहिये। कृषि नीति के वक्तव्य में खेत मजदूरों की उपेक्षा की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : आप जो बात कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपने पढ़ा नहीं है और ऐसे ही बोल रहे हैं।

श्री कमला मिश्र मधुकर: मैंने पढ़ा है और जो मैंने पढ़ा है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं। आप देखिये कि खेत-मजदूरों के बारे में इसमें क्या कहा गया है - कुछ नहीं कहा गया है। कई लोगों ने ध्यान दिलाया है कि हमारी उपलब्धियों, ज्ञान और शिक्षा का समुचित प्रसार गांवों तक नहीं हो रहा है, जो आपकी कृषि नीति में होना चाहिये और किसानों को कृषि क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में तमाम जानकारी मिलनी चाहिये, गांव-गांव तक जानकारी पहुंचाई जाये। कृषि विज्ञान केन्द्रों की बात हो रही है लेकिन हमने स्टैंडिग कमेटी में और कई दूसरी मीटिंगों में मांग की थी कि प्रत्येक जिले में ऐसा केन्द्र खोला जाये और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। कृषि वक्तव्य में इस बारे में आना चाहिये कि हर छोटे-बड़े किसान को विज्ञान

की उपलब्धियों की जानकारी दी जायेगी, यह मेरा आग्रह है। अन्य नीतियों में भी सुधार करने की दिशा में आप आगे बढ़े। धन्यवाद। ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को रोकता नहीं हूं। इसमें जो कुछ लिखा है, आप उसी पर बोलिये। आप पेज नं. 1, अनएम्पलायमेंट पर बोलें।

श्री कमला मिश्र मधुकर: देश में अनएम्पलायमेंट तो है।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर क्या है इसमें।

श्री कमला मिश्र मधुकर: उससे किसानों का, खेत मजदूरों का मसला हल नहीं हो रहा है। हम जानते हैं, हमने अनुभव किया है। सब कुछ जानते हुये हमने कहा है, अनजाने में हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि अनुभव की बात बोल रहे हैं, किताबी बात नहीं बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : दो पेज की पौलिसी है, उसे भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है और यहां बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि टाइम मिलना चाहिये।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बे समय के बाद इस देश में एक विस्तृत ऐग्रीकल्चर पालिसी सरकार के द्वारा लायी गई है। इस पालिसी पर सभी विषय जिन पर लोगों ने विचार प्रकट किये हैं, उनको क्रमबद्ध किया गया है। इसमें से 2-3 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यह है कि भूमि की सीमा कम हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह इसके अन्दर है।

श्री सत्यदेव सिंह: मैं जानता हूं और उसी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें लिखा है कि फ्रैगमैनटेशन को रखना चाहिये। पेज नम्बर 1 और पैराग्राफ नम्बर 4 में लिखा हुआ है। आपको इसके अंदर सुझाव देने हैं तो दीजिये।

श्री सत्यदेव सिंह: ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें सारी चीजें नहीं लिखी हुई है।

श्री सत्यदेव सिंह: आप हर चीज पढ़ रहे हैं। इसलिये हम लोगों का बोलना मुश्किल हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने पढ़ा नहीं है, इसलिये बोल रहे हैं।

श्री सत्यदेव सिंह: हमने पढ़ा है। हम प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। हम जमीन से जुड़े लोगों की बात कह रहे हैं। इसमें कितना व्यवहारिकता है, उस पर सवाल उठाये गये। मैं ड्राफ्ट रैजोल्यूशन में से कुछ पढ़ना चाहता हूं। पार्लियामैंटरी स्टैंडिंग कमेटी के अंतिम पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : अर्थात: भूमि को छोटी-छोटी जोतों में बांटने और उसके टुकड़े करने से प्रबंध विकल्प प्रतिबंधित होगें और आय का स्तर गिरेगा।

(हिन्दी)

श्री सत्यदेव सिंह: यह ठीक है। जो उन्होंने लिखा है, मैं उस पर नहीं बोलूगा क्योंकि सारी चीजें लिखी हुई है। ड्राफ्ट ऐग्रीकल्चर पालिसी रैजोल्यूशन 1992 में जो उन्होंने ऑबजरवेशन्स की हैं, वे कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

(अनुवाद)

मैं इसे कृषि मंत्रालय मंत्री के फायदे के लिए उद्धरित करना चाहता हूं।

''इसलिए समिति ने सरकार से यह पूछना सही समझा कि वह अपनी नीतियों को कैसे लागू करेगी और चुनौतियों से कैसे निपटेगी क्योंकि समिति की राय में यदि प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन के लिए कोई सभावना नहीं है तो कोई भी नीति केवल एक दस्तावेज बनकर रह जाएगी।''

(हिन्दी)

मेरा कहना यह है कि इसमें रिसोर्सिज क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन उसके लिये अच्छी भूमि दे देंगे। सारी पालिसी ले आये हैं, यह जमीन पर कितनी उतरेगी, यह बाद की बाते है। स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आ रही है, उसको कृपया पीस ऑफ डाक्यूमैंट मत बनाइये। इतना ही मुझे कहना है।

श्री अर्जुन सिंह (सतना): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे दो मिनट अपनी भावनायें व्यक्त करने का अवसर दिया। भारतवर्ष के कोने-कोने से हजारों लोग आज भारत की सार्वभौम संसद के सामने व्यथित ह्रदय से चिन्ता और भविष्य की शंकाओं के बारे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिये दस्तक देने आये थे। आज देश की जो हालत है, उसके बारे में चिन्ता प्रकट करने के लिये वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने आये थे। मुझे अत्यन्त खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोका गया और बल प्रयोग बिना किसी कारण के किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण दत्त तिवारी जी भी इसमें घायल हुए। वह थाने पर 24 घंटे के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसमें सैंकड़ों साथी ओर बहनें घायल हुई। हम न केवल इसकी भर्त्सना करते हैं बल्कि यह कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के आतंकवादी व्यवहार से लोगों की भावनाओं को नहीं दबाया जा सकता है।

जो आज भारत के भविष्य पर एक प्रश्नचिह्न लगा दिया गया है, वह प्रश्नचिह्न इस देश के लोग हटाएंगे। आप चाहे जितना दमन करें, चाहे जितना

लोगों को परेशान करें। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ऐलान करते हैं कि यह संघर्ष चलता रहेगा, जब तक हम इस देश की रक्षा के लिए उठाया गया संकल्प पूरा नहीं करते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह: इसके साथ-साथ 25 फरवरी की घटना की भी भर्त्सना करिये। हम भी इसी अधिकार के साथ आए थे। जो आपके साथ हुआ है, उसकी हम निन्दा करते हैं। इसके लिए लोकतंत्र में बिलकुल स्थान नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ 25 फरवरी की भी भर्त्सना करें।

श्री बलराम जाखड़: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। मैंने यही कहा था और प्रार्थना भी यही की थी कि यह जो नीति मैं सदन में पेश कर रहा हूं जिसको दो साल आठ महीने सदन के पटल पर रखे हुए हो गए हैं, वह मेरी या पार्टी की नीति नहीं है, वह किसान की नीति है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: क्या यह मसौदा नीति है अथवा अपनायी गई नीति है?

श्री बलराम जाखड़: यह एक नीति है और मैं इस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं।

(हिन्दी)

श्री सत्यदेव सिंह: महोदय आपको उन्हें मार्ग निर्देशन देने चाहिए।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: निश्चय ही मसौदा नीति और अपनायी गई नीति दोनों में अन्तर है।

(हिन्दी)

श्री बलराम जाखड़: बस यही तो एक ऐब है। ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा है। यह तो वही बात हो गई कि जैसे कहते हैं -

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का

जो चीरा तो कतराए खूं निकला"

तो जनाब थोड़ा सा गर्व होता, बात करते। मैंने तो सुझाव भी मांगे थे। हर चीज में सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय: यह मसौदा नीति है।

श्री बलराम जाखड़: यह मसौदा नीति है, हमने इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है ताकि हम सदस्यों के विचारों से अवगत हो सकें।

(हिन्दी)

यह हमने नहीं कहा है कि किस तरह से करना है, क्या करना है, तो यह मैंने अपने लिए या किसी एक वर्ग के लिए नहीं बनाई है। इसकी व्याख्या जिस ढंग से करनी है वह किसान के हित के लिए और देश के भावी कार्यक्रम के लिए जो कि कृषि पर आधारित है और यही नहीं, जैसे हरि किशोर जी यहां पर कह गए थे, यह ठीक था कि यह राष्ट्र-नीति है और यह भी ठीक बात है जिसमें हम सब समाहित हैं, सबका बराबर का हिस्सा है और यह भी नहीं है कि इस पर अकेला किसान ही निर्भर करता है जो कि 75 प्रतिशत है। इस पर शतप्रतिशत भारत का निवासी निर्भर करता है क्योंकि अगर अन्न ही पैदा नहीं होगा, तो हमारा स्वाभिमान नहीं रहेगा। जब हम मांगने जाते हैं, तो ठीक नहीं लगता है। आज हम सबल हैं। आज हमारा स्वाभिमान है। हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हम अपने खाने के लिए अपने आप पैदा कर रहे हैं और उसी पर निर्भर करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों ने, मेरे मित्रों ने दूसरे ढंग से कभी-कभी इस पर प्रहार किया है। उन्होंने अगर इसको समझने की चेष्टा की होती, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया होता, तो बात कुछ और होती और वह देखने की बात होती।

अध्यक्ष महोदय, उधर गोपाल जी हंस रहे हैं। नाम तो गोपाल है, मेरे भाई गोपाल, तो प्रिय का प्रियतम होता है, दोस्त होता है, मित्र होता है और आपने तो यहां पर ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया,..

श्री सत्यदेव सिंह: माननीय मंत्री जी, इस तरफ आपका कोई प्रियतम गोपाल नहीं है, आप किसको कह रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़: यह गोपाल बैठा है, मेरा तो यह है। इसको मैं ज्यादा चाहता हूं। मैंने तो हमेशा उन्हें अपना समझा है, क्योंकि संसद में विचारों का प्रहार एक दूसरे पर हो सकता है, विचारों में तो हम एक-दूसरे पर टकराव भी कर सकते हैं, लेकिन आपसी टकराव तो नहीं है। इन्होंने जिस प्रकार से कल कहा था, मुझे उससे थोड़ा सा दुख हुआ। मैंने कहा कि इतना तो नहीं है। नाम तो मोंगना और काम काफिराना, यह नहीं होना चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नहीं, मंत्री जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, यह तो मंत्री जी के देखने की बात है।

श्री बलराम जाखड़: नहीं, आपके कहने का अधिकार है, आप कहिए और मेरा सुनने का अधिकार है मैं सुनूंगा क्योंकि मैं इस पक्ष में बैठा हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सुनूं और उसमें सुधार करने की चेष्टा करूं।

मैं चाहता हूं कि यह राष्ट्र-नीति है, यह किसान नीति है, इसमें सब प्रकार का हमारा हित हो।

उसको किस प्रकार से लागू करना है। आप लोगों ने कहा कि बहुत देर कर दी, इतनी देर में तो पता नहीं क्या हो जाता। अब तो 6 महीने रह गये हैं, इलेक्शन आ गये हैं शायद इसलिए कर दी है। ये लोग उल्टे हमी को उलाहना दिये जा रहे हैं। इसे सभा पटल पर रखे हुए दो साल आठ महीने हो गये है और इतनी देर के बाद आपने इस पर कृपा की है। अगर आप इसे पहले कर लेते तो हम इस पर कुछ न कुछ कर लेते, सफर तय कर लेते। 10 मील, 20 मील, 50 मील या 100 मील तो आगे बढ़ते। यह सीधी सी बात है।

श्री सत्यदेव सिंह: मंत्री जी, यह चिन्ता आपको होनी चाहिये।

श्री बलराम जाखड़: उलूल-जलूल कामों में तो लगा रहा था। दंगा-फसाद में तो टाइम बीत गया लेकिन जो सार्थक काम था, उसमें ज्यादती की। ...(**व्यवधान**) यह गलत बात है। मैंने तीन दफा रखी थी।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): आप बहस मत कीजिये।

श्री सत्यदेव सिंह: आप ऐसा मत करिये। आप जिम्मेवारी तो लीजिये ओर जो काम करता है, उसको शाबाशी देने का एक फर्ज बनता है। मैं आपके लिए यह चाहता था कि आप हमारा साथ देंगे तो हम इस काम का नया काया-कल्प करेंगे और उसका कुछ बनायेंगे। उसमें कुछ गलती हो तो उसका शुद्धिकरण करें। आपको मैंने मदद के लिए पुकार था। ...(**व्यवधान**) मैंने यह नहीं कहा था।

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी हम लोगों पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसे विपक्ष इस बात के लिए जिम्मेदार है कि इनकी पालिसी जो दो साल आठ महीने से पड़ी है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय: दूसरे विषय पर बात होती रही।

श्री सत्यदेव सिंह: अगर ये इसकी गंभीरता को समझते तो इसके लिए आपसे अनुमति मांगते। ...(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़: अगर सब मिलकर करते तो यह हो जाता। इसमें सभी शामिल है। जहां तक ...

अध्यक्ष महोदय: उसको छोड़ दीजिये।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): यह ड्राफ्ट कैसे इम्पलीमेंट हो रहा है। यह फाइनल तो हुआ नहीं। यह तो ड्राफ्ट है, यह कैसे इम्पलीमेंट हो रहा है।

श्री बलराम जाखड़: आप वही बात कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय: यह ऐसी पालिसी है जिसमें कुछ कन्टीन्यूईंग चीजें हैं। इसमें इम्पलीमेंट हो सकता है।

श्री बलराम जाखड़: जो कुछ हो सकता है, वह चल रहा है। अगर आप कर देंगे तो वह अच्छा हो जायेगा। नीतिश जी ने कहा था कि हमने एग्रीकल्चर पालिसी पर आपकी स्टैंडिंग कमेटी में पूरा विश्लेषण किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और उनको और सारे सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने जो भी इसमें सुझाव दिये हैं :

(**अनुवाद**)

कृषि विभाग समिति की सिफारिशें को स्वीकार करता है और यह प्रस्ताव रखता है कि इन्हें इस नीति को तैयार करते समय शामिल किया जाए जो कि अधिक स्तर में होगी।

(**हिन्दी**)

जो हमारे बीच में फर्क पड़ा है, वह इतना ही है कि यह एक ऐसी चीज बना दें जिसमें हम आराम से पढ़ सकें, देख सकें और इसके पश्चात् जैसे मैंने पहले अपने विश्लेषण में कहा था कि मैं इसको अलेहदा-अलेहदा, जोन वाइज बना रहा हूं। इसी तरह पांच जोन बनाये गये हैं। दक्षिण का अलेहदा जोन, सैंट्रल का अलेहदा जोन, पूर्व और पश्चिम का अलेहदा है। उस तरीके से हम बता पायेंगे कि किस तरीके से, कौन-कौन सी किस्में, किन-किन चीजों पर जैसे मखाना की बात हो रही थी। मखाना वाले आज चले गये हैं ...(**व्यवधान**) मखाना की बात हो रही थी तो वह मखाना वाला उस क्षेत्र में आ जायेगा, वह इस क्षेत्र में नहीं आएगा। जूट वाला उस क्षेत्र में आ जायेगा, वह इस क्षेत्र में नहीं आएगा। ...(**व्यवधान**) इसलिए मैं कहना चाहता था कि हमारे पास उसके विषय में सारा कुछ है। हम क्या करना चाहते हैं? आप कह रहे थे, जेना साहब ने कहा ओर हमारे एक साथी जो चले गये हैं, वे कह रहे थे कि आप मझले किसानों की बात नहीं करते, गरीब की बात नहीं करते। मैं उन्हीं के लिए तो यह बना रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि भारत में मेरे पास जितना कृषि क्षेत्र है, उसमें से 57.8 परसेंट तो बिल्कुल मार्जनल किसानों के पास है, 18.4 परसेंट स्मॉल फार्मर्स के पास है और 8.2 मीडियम किसानों के पास है। आपको ज्ञात होगा कि भारत में हमने भूमि का एक सीमांकन कर दिया है, सीलिंग लगा दिया है। साढ़े 17 जो 100 फीसदी इरीगेटिड लैंड है और 54 एकड़ जो कि असीचित है, रेन फैड है, बरानी है, उस पर हमने लगाया है। उससे ज्यादा तो किसी के पास नहीं हो सकती और अगर है तो वह सरकार की गलती है। उसको हम ...(**व्यवधान**) यह गलती उनकी है जो कि सरकार में बैठे हैं और सरकार किसने बनाई है। उसे आपने और हमने बनाया है। यह उनका क्षेत्र है, उनका धर्म क्षेत्र है और अगर वह अपने धर्म क्षेत्र का निर्वाह पूरा नहीं करते तो वह जिम्मेवारी उनकी है। आप उसको देखें। आप और हम यहां बैठे हैं।

इसको हमें करना है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हम उन्हीं के लिए यह बना रहे हैं और वे ज्यादा समझदार हैं। कुछ राज्यों में मार्जीनल फार्मर्स जिस तरह से खेती

करते हैं, वे 40 किलोग्राम पर हैक्टेयर नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, 18 किलोग्राम पी.ओ. करते हैं और 20 क्विंटल आर्गेनिक करते हैं, स्माल फार्मर्स 36 और 16 करते हैं, सैमी 32 और 14 करते हैं मिडियम 30 और 13 करते हैं और जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनका 26 और 10 है। ऐसी बात नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है। हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं ताकि वे ऊपर उठें। गांवों में मीडियम और स्माल फार्मर्स ही तो हैं।

भोगेन्द्र झा जी ने कहा कि उन्हीं को खेती करने दो जो खुद जमीन पर बैठे हैं। अगर उनका लड़का आई.ए.एस. में आ जाए, फौज में आ जाए, डाक्टर बन जाए ...(व्यवधान) उसकी जमीन ले ली जाए। ...(व्यवधान) हमारा किसान जमीन से जुड़ा हुआ है। यदि हम यह नहीं करते तो आज हिन्दुस्तान भी वैसे ही भूखा मरता जहां क्लैक्टिविज्म किया है। आज इसलिए भूखे मर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर स्वाभिमान है, हम इस मां से प्रेम करते हैं, हमने इसको सिंचित किया है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमारे यहां पर जमीन के लिए कत्ल हो जाते हैं। ...(व्यवधान) जैसे वे कह रहे थे कि सूट पहनकर बैठे हैं। क्या हम फटीचर में रहना पसंद करेंगे? क्या हमारा लड़का फौज में नहीं जा सकता? ...(व्यवधान) कहां से दे देंगे उनको भूमि? वह नहीं देगा जिसकी जमीन है। जिसके पास 4 एकड़ है, वह भाइयों में बंटेगा। कोई ऐसा कानून आज तक नहीं हुआ और न ही यह अन्याय किया जा सकता है। मेरा किसान वहीं बैठा रहे और मर जाए। आपकी दकियानुसी पालिसी नहीं चलेगी। मैंने किसान को दास नहीं बनाना, वह सशक्त है। हम यह बात नहीं मानने वाले। ...(व्यवधान) यह गलत बात है। मेरा किसान इस तरह से नहीं मरेगा, उसको जिन्दा रहना है, उसे सशक्त बनाएंगे, लेबर को पैसा देंगे, उसका बराबर का पैसा आना चाहिए। ...(व्यवधान) अफसर हो गया तो वह वापस आएगा। नीतीश कुमार जी, आपका लड़का होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप इसका सामना करेंगे। वे आयेंगे ...(व्यवधान) देना चाहे तो दे दे, कोई ऐतराज नहीं है लेकिन यदि रहेगा तो उसकी जमीन का अधिकार आप छीन नहीं सकते, अन्याय नहीं कर सकते।

टैक्नोलौजी की बात करते हैं। कृषि नीति के हिसाब से टैक्नोलौजी करना चाहते हैं। किस तरह से करना चाहते हैं, इसका विश्लेषण होगा। हमारे एग्रीकल्चरल साईंटिस्ट्स बैठे हैं। किसी ने कहा कि पैसा कम लगता है। ठीक है, मैं भी आपके साथ सहमत हूं कि हमें अनुसंधान में और पैसा लगाना चाहिए। मैं मांग भी करता हूं और होना भी चाहिए। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि प्राईवेट सैक्टर पर कम्पलसरी लैवी लगानी चाहिए कि वह भी इसमें अनुदान दे क्योंकि बाहर के मुल्कों में ज्यादातर अनुसधान प्राईवेट वाले करते हैं। ...(व्यवधान) अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि उनको पहुंचता नहीं है। एक साथ छलांग मारकर नहीं पहुंचा जा सकता। ...(व्यवधान)

मैं आज आपके सामने रख रहा हूं और हुआ है। 26 कृषि विज्ञान केन्द्र खुले हैं। मैं मानता हूं और कुछ काम भी नहीं करते होंगे। यदि हमारे में काम करने की आदत पड़ गई होती तो सारा काम ठीक हो गया होता।

6.00 म.प.

आपने देख होगा, जमाने भर में एक वक्त वह था कि इसी भारत में मोटीवेशन था, आप अपना काम भी किया करते थे, जोहड़ भी खोदा करते थे, कैनाल भी साफ किया करते थे, हमने किया है, हमने अपने यहां अपने गांव में हमेशा मिट्टी डाली है, सारी सड़कें हमने बनाई हैं, सरकार ने उनको पक्का कर दिया, सिर्फ यह काम किया। लेकिन आज किसी से पूछ लो, कोई काम करके देखता है तो किसी जगह नहरें है, तो लोग सोचते हैं कि उनकी सफाई करने के लिए सरकार आ जाय, तो कुछ तो हममें भी मोटीवेशन होना चाहिए कि हम भी भारत के वासी है, हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है और यह प्रैक्टीकल करने की बात है।

नीतीश जी, कल आप ही बता रहे थे, आप गुजरता में गये थे, आपने उसका काम देखा। वह स्वावलम्बी हैं कि नहीं? उसने स्वार्थ त्यागकर के काम किया है कि नहीं? क्या हममें से कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हो सकती? क्या हमारे और आदमी इस बात को बिल्कुल सोच नहीं सकते कि यह और भी आगे काम हो सकता है। मैं उस चीज में काम करना चाहता हूं। एक तिहाई पैसा जो मुझे मिला है, उस एक तिहाई में से सबसे ज्यादा मैंने इसमें किया है, यही मैं करना चाहता हूं। जो मैं कह रहा हूं, यह एक स्थाई और सार्थक बात कह रहा हूं, उसको आपको करना है। वह जो कह रहे हैं, उसके लिए आपको मैं 1200 करोड़ रूपये दे रहा हूं। एलोकेशन का 1/3, क्योंकि यही भविष्य की बात है, जिस इर्रीगेशन की बात आप करते हैं। मैं जानता हूं कि बिना सिंचाई के खेती नहीं हो सकती। हजारों एकड़ भूमि पड़ी रही, यह आज बात कहते हैं कि उसको 10 एकड़ वेस्ट लैंड दे दो। आप वेस्ट लैंड को दे तो दोंगे, लेकिन बगैर पानी के उसमें वह सिर मारेगा? वह वेस्ट लैंड इसलिए पड़ी है कि उसमें पानी नहीं है। उसके पास लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए हमें बन्दोवस्त करना है। बिजली और पानी यह दोनों चीजें हैं। हम बिजली भी पैदा करेंगे, पानी भी देंगे। बिजली पैदा नहीं होगी तो पानी कहां से आयेग। यह सारी बातें इसके साथ में जुडी हुई हैं। इसीलिए हम चाहते है कि हम पानी के विषय में कुछ करें। हमने यही कहा है इर्रीगेसन का कि किस तरह से करना है। उसी के लिए एक नया कायाकल्प हमने करने की बात की है, 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत अनुदान ड्रिप्स के लिए मैं दे रहा हूं और यह मैंने करवाया है। उसके लिए हम यह बना रहे हैं और जो पानी हमारे पास आज है, उसका भी किस तरह से उपयोग कर सकें ...(व्यवधान)

आप बैठे रहिये। आप मेरी बात सुनते जाइये, मुझे बीच में मत टोकिये। तब आपकी बात मैंने सुनी, अब मेरी बात आप सुनिये। आप मेरी बात सुनिये, आप सुनते रहिये और ध्यान देकर काम करिये, जिससे हम मिलकर काम कर सकें और इस देश का उत्थान कर सकें।

इसमें आपका और हमारा एक ही उद्देश्य है, इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। आप चाहे कलकत्ता से होकर आइये और मैं बम्बई से आऊं, लेकिन गंतव्य स्थान तो दिल्ली है, तो कोई चिन्ता की बात नहीं है, आइये हम उस

दिशा में चलते हैं। सिर्फ इतनी बात करनी है कि इसको करना है और किस तरह से हमें करना है। एग्रीकल्चर पानी के बगैर नहीं होती और पानी का इन्तजाम करने के लिए हमने यह बनाया है कि किस तरह से हम पानी का विचार करें। इसीलिए साइंस सैण्टर के मार्फत, कृषि विज्ञान केन्द्र की मार्फत, दूसरों कीं मार्फत हमारे जो सैण्टर्स हैं, उसमें हम यह कर रहे हैं। अब टी वी को भी हम ले रहे हैं। हम यह कार्यक्रम बना रहे हैं कि सीधा प्रसारण लोगों से मिलकर कर सकें, उनसे सवाल पूछकर कर सकें। लेकिन यह धीरे-धीरे सारा काम होता है, एकदम छलांग लगाकर तो जाया नहीं जा सकता, इसलिए वह कर रहे हैं।

आज किसी साथी ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि पहे हरित क्रान्ति में बीज आया था, बाद में नहीं आया। कितनी विडम्बना है, हमारे वहां तो कायाकल्प कर दिया। हरित क्रान्ति में तो लाल काली गेहूं आई थी, आज दमकती हुई गेहूं है। उसमें हमने 2000 नई किस्में डाली है, कितने बीज नये बनाये हैं। हमने काटन का हाई ब्रीड सबसे पहले इस देश में पैदा किया, दुनिया भर में पहले हमने किया। आज हमने राइस का, पैडी का हाई ब्रीड पैदा किया, आज हम उसमें पूरे संसार में दूसरे नम्बर पर हैं। वह हमारा कायाकल्प करेगा। आप इन साइंटिस्टों को धन्यवाद दें, जो आपके और हमारे हैं और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे।

हमारा जितना भी मैनाज है, उसकी मार्फत हमने कितने आदमी ट्रेण्ड किये हैं, लेकिन इतना बड़ा देश है, उसके लिए और करेंगे और आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने कहा कि हर जिले में होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं, मैं तो एक के बजाय दो चाहता हूं, लेकिन कहते हैं कि कुछ पैसा तो होना चाहिए, जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं बराबर करना चाहता हूं।

हर एक क्षेत्र में एक प्लान होता है, एक एलोकेशन होता है। उस एलोकेशन के हिसाब से पैसा आता है। उसको बनाऐंगे और उसका करके मैं आपके लिए वह दूंगा। यह अनटैण्ड पोटेंशियल जैसा है, जो हम करना चाहते हैं, उनको लाना चाहते हैं। आपने बिहार का, ईस्टर्न यू.पी. का जिक्र किया, उड़ीसा का जिर्क किया। मैं वहां आपके कालाहाण्डी के एरिया में गया था, जो कि एक वक्त में बड़ा हरा भरा क्षेत्र था, जहां से बंगाल को चावल जाया करता था, लेकिन आज वहां भुखमरी की बात किया करते हैं, क्योंकि हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमें उसका प्रबंध करना हैं, हमें उसका वाटर शैड के हिसाब से, जो और पानी आ रहा है, उसके हिसाब से नये तरीके से और एफौरेस्टेशन के हिसाब से प्रबंध करना है। जब सूखा पड़ता है तो इसलिए पड़ता है कि हमने अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा। इस तरीके से यह सारी बातें हैं और डीग्रेडेशन का सवाल तब मालूम होगा, जब हम भूमि की रक्षा करेंगे और मिलकर काम करेंगे उसमें सारा गैलवनाइज करना पड़ेगा, सारे साधन जुटाने पड़ेंगे कि किस तरीके से करना चाहते हैं। जैसा कई सदस्यों ने कहा कि खेती बगैर पैसे के नही हो सकती, यह ठीक बात है। क्रेडिट के बिना काम नहीं चल सकता है, वरना किसान क्या करेगा। हम ज्यादा से ज्यादा काम करने की चेष्टा कर रहे हैं। रिजर्व बैंक से मैंने करवाया है। उन्होंने किया है और 17 अक्तूबर, 1994 को रिजोलुशन पास किया है कि 25 हजार तक वालों को 12 प्रतिशत पर दो, जो सिंचाई करते हैं और जो नहीं भी करते, जो पोल्टरी का, डेयरी का काम करते हैं। उसके बाद 25 हजार से दो लाख रूपये तक वालों को 13.5 प्रतिशत और दो लाख से ऊपर पर बैंकों को ब्याज की दर निर्धारित करने की छूट है। इसका हमने प्रबंध किया है। इसमें और सुविधायें भी करवाना चाहते हैं जिससे उसको मिल सके। इसमें गड़बड़ है, यह आपने सही कहा है, मैं भी मानता हूं। इसीलिए कथनी और करनी का अंतर मिटाना चाहता हूं, यह हमारा और आपका काम है।

1991-92 में 11½ करोड़ रूपये का था, इस साल 20 हजार करोड़ रूपये का है, लेकिन मैं 25 हजार करोड़ रूपये का तखमीना लगा रहा हूं। लेकिन इससे भी मुझे संतुष्टि नहीं है। मैं समझता हूं कि जितना पैसा इस देश में जमा है, वह किसान का है। किसान अपने पैसे को बैंक में जमा करता है और उद्योग वाले उसका इस्तेमाल करते हैं। जमा वह करता है और मौज वे लोग करते है। यहां पर किसी ने कहा कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए और किसी ने कहा कि नहीं मिलना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उद्योग का दर्जा दे देंगे। तो मामला गड़बड़ हो जायेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्योग बनाना एक बात है, लेकिन उसकी सुविधा देना दूसरी बात है। आप देखें कि उद्योग को क्या मिलता है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से पढ़कर बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्री और इसमें क्या अंतर है। उस अंतर को मिटाकर मैं वह सुख और सुविधायें देना चाहता हूं। यह ठीक है कि इंडस्ट्री वाले, जिसके पास पैसा है, वह लेता है, बाकी रह जाते हैं। मैं इसीलिए यह बंदोबस्त अपने भाई लोगों के लिए कर रहा हूं। हमने 13 जिलों में एग्रो बिजनेस कंशोर्सियम शुरू किया है। अगले साल उसको 50 तक करना चाहेंगे। जो छोटे किसान हैं उनको मैं इकट्ठा करना चाहता हूं, उनके जरिये प्रोसेसिंग करना चाहता हूं। आज आपने कहा कि लीची पैदा करो, आम पैदा करो या मखाना पैदा करो, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा, कहां करेगा? इसकी भी चिन्ता है। क्योंकि न हमारे पास ग्रेडिंग थी, न हमारे पास पैकेजिंग थी, न मार्केटिंग का प्रबंध था, न ट्रांसपोर्टेशन और फोरवर्डिंग थी, और न स्टोरेज था, जिसका सारा चक्कर पड़ा हुआ है। हमने शून्य से काम शुरू किया था। खेत में बीज लगे तो फल आने में चार-पांच साल तो लगते ही है। हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आप और हम सब मिलकर इसको खाद देंगे तो बूटा पनपेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं-

(अनुवाद)

हमारा प्रयत्न कृषि के लिए उद्योगों के बराबर व्यापार तथा निवेश की स्थिति उत्पन्न करना होगा। सरकार की नीति का उद्देश्य प्रभावी प्रणाली विकसित करना तथा कृषि को उद्योगों के समान सुविधाएं प्रदान करना होगा।

(हिन्दी)

जिन्होंने यह कहा था वह चले गये हैं। उन्होंने कहा था कि कृषि को

उद्योग बना दो, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इसको कर दूंगा तो कल किसान को पटियाला हाउस वाले रस्सी डालकर ले जायेंगे कि इनकम टैक्स दो। यह नहीं करना है। हर चीज में देश में सीलिंग हुई। धन और धरती में हुई। धरती तो बंट गई, लेकिन धन नहीं बंटा। किसान ने अपने आप को सम्भाल लिया, उसने समाजवाद को अपनाया है। उसको इसी में डाल दोगे तो क्या उसके कपड़े उतरवाओगे, इनकम टैक्स के लिए उसे भगाते जाओगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं -

(अनुवाद)

मैं उद्योगों को दी जा रही सुविधाएं कृषि को भी देने जा रहा हूं। फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कृषक सरकार की नियमन तथा कर संग्रहण प्रणाली पर रोक न करे। इससे हमारी आलोचना नहीं होगी।

(हिन्दी)

पहले एस्टेट ड्यूटी लगती थी। बाप मरता नहीं, इनकम टैक्स वाले उसको पकड़ लेते हैं, पांच एकड़ जमीन है, आ जाओ और बता दो। एक तमाशा सा हो गया था। न वैल्थ टैक्स, न कैपिटल गेन टैक्स, न एस्टेट ड्यूटी और न इनकम टैक्स - चारों चीजें किसान को माफ है। किसान अपना जी भर सके और देश के भण्डार भर सके ...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उद्योग का दर्जा देने का बाद यह सब हटाया जा सकता है। ...(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : मैं कहना चाहता हूं -

(अनुवाद)

''इसके अलावा कृषकों को पूंजीगत लाभ कर तथा अनिवार्य उपलब्धियों की अदायगी से छूट प्रदान की जाएगी।''

(हिन्दी)

मैंने कहा था, किसान जमीन नहीं बेचना मरजी से, एक्वायर की जाती है जबरदस्ती। जैसे नीतीश जी ने कहा, क्यों सिंचाई वाली जमीन, उर्वरा जमीन, क्यों खरीद रही है सरकार, जो बंजर पड़ी है, वह लो। ठीक बात है। उसी तरह से अगर यह दे और फिर उससे कहें कि तुम्हें मुनाफा होगा, तो एक तो जमीन जबरदस्ती ले ली और मुनाफा भी मांगते हो। इसलिए मैंने जब मनमोहन सिंह जी से कहा, तो उन्होंने ठीक माना और कहा आपका तर्क ठीक है, इसमें कैपिटल-गेन टैक्स नहीं होना चाहिए।

(अनुवाद)

''निर्धारित नगर पालिका सीमाओं के अंतर्गत उपर्युक्त कदम उद्योगों के समान कृषि व्यापार की शर्तों में परिवर्तन लाने और इस क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कोशिश के क्रम में है। योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार कृषि में निवेश कम हो रहा है।''

(हिन्दी)

कम हुआ है पैसा। एग्रीकल्चर में थोड़ा सा पैसा शायद इसलिए कम हुआ था, हम बढ़ गए और दूसरे इन्डस्ट्रीज ज्यादा फायदेमन्द हो गई और लोग उधर जाने लगे। मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूं। पिछले साल काफी ठीक किया है। अगली बात यह है कि

(अनुवाद)

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि ...(**व्यवधान**)

देखिए इन उद्योगों को क्या मिलता है। यह उन सुविधाओं की सूची है जो उद्योगों को लाभ के रूप में प्राप्त हैं और हमें नहीं मिला हैं।

''कृषकों को उद्योगों के अनुसार ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं है। एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण धारणा जो मैं सामने लाना चाहता हूं वह है कृषि पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए आधारभूत विकास सुविधाओं की संकल्पना को सामने लाना। उदाहरण के लिए प्रत्येक राज्य औद्योगिक सम्पदा बनाता है जिसमें वे उद्यमियों को रियायती दरों पर शेड प्रदान करते हैं। इन औद्योगिक परिसरों पर सामान्यत: वरिष्ठ स्तर के अधिकारी रखते है और वे ही औद्योगिक परिसर में आने वाले उन उद्यमियों की पहुंच हैं। इसका अर्थ है कि राज्य प्रत्येक उद्यमी की पानी, विद्युत, कच्चा माल, तथा ऋण इत्यादि की समस्याओं से निपटने के लिए मानव शक्ति के रूप में आधारभूत सुविधाएं प्राप्त करती है ताकि उसे स्वयं इन आधारभूत वस्तुओं को एकत्र करने के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। इस आधारभूत सुविधा के विकास के लिए केन्द्र सरकार क्षेत्रीय विकास संकल्पना के अंतर्गत राज्य सरकारों को काफी धनराशि ऋण के रूप में दे रही है।

कृषकों के लिए ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। उन्हें ऋण, खाद, बीज, विपणन तथा परिवहन आदि जरुरतों को स्वयं पूरा करना होता है। यहाँ तक कि इन क्षेत्रों में बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जा सकने वाली सुविधाओं को भी अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि वे कृषि कार्य को वित्त प्रदान करने के लिए आगे नहीं आते हैं। वास्तव में लघु उद्योग क्षेत्र संबंधी नायक समिति ने यह बताया है कि ----''

(हिन्दी)

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ): महोदय, जब मैंने चर्चा आरम्भ की थी, तो मैंने यह पूछा था कि एग्रोबेस इडंस्ट्री में जब एक तरफ मुफ्त आर्थिक

नीति की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ हम एग्रो पर आधारित उद्योग को लाइसेंस से क्यों बांध रहे हैं। एग्रीकल्चर उद्योग में जो आप सुविधायें दे रहे हैं, जैसा आपने अपनी नीति में कहा है, तो एग्रीकल्चर उद्योग को आप लाइसेंस प्रणाली से मुफ्त करेंगे या नहीं? दूसरी बात - बाढ़ और सूखे से बचने के लिए गारलैंड योजना की बात कही गई थी, इसका जबाव आपके पास क्या है? ...(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़: अमर जी, मैं सबको कंसीडर करूंगा। थोड़ा हम उड़ा रहे हैं उसको, स्टेप-बाई-स्टैप।

एक माननीय सदस्य: चीनी उद्योग की लाइसेंस प्रणाली कब समापत कर रहें हैं ...(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़: गुस्सा होने से बात नहीं बनती है। चावल के लिए यह हम करना चाहते हैं। यह काम सलोली-सलोली करेंगे। इसको रखेंगें और इसका हिसाब देखेंगे। ...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य: चावल पर तो हटा देना चाहिए, चावल पर जो रखे हुए हैं, वह ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़: बीच में मत बोलिए, जो कर रहे है, उसको करने दीजिए। ...(**व्यवधान**) इन्डस्ट्रीज सैक्टर के जो एडवांटेज हैं, वह हम दिलवाना चाहते हैं।

यह किस तरह से होगा और उसी के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इसमें बिल्कुल चिंता मत करिए। इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग का भी काम होगा, लोगों को मैं एग्रो बेस इंडस्ट्री में डालना चाहता हूं। आखिरी कंसेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं,

(अनुवाद)

उदारीकरण की वर्तमान परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था के पूर्ण पुनरनुकूलन की कोशिश की जा रही है। चूंकि विकसित देश कृषि छोड़ कर वन्य क्रिया-कलापों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं इसलिए इस देश की विकसित देशों के अन्नदाता के रूप में भूमिका अदा करने पर विचार करना होगा। उस संदर्भ में प्रथम कदम लघु कृषकों के कृषि-व्यापार सम्मेलन की संस्थापना करना होगा। यही हम कर रहे हैं।

(हिन्दी)

मैं इसको करना चाहता हूं, जरूरी है कि हम अपने इंडस्ट्रियल बेस को ठीक से मजबूत करें और यह भी कोई बात नहीं है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सारा कर दें, जब घर में ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे। इसलिए पहले हमें ज्यादा प्रड्यूस करना है। हमारा सरप्लस होगा तब हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उसी के लिए चिन्ता करनी पड़ेगी। यह भी जरूरी है कि हम एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैदा करें और हमने किया है। ... (**व्यावधान**) मैं वांशिगटन गया था, किसी ने कहा कि आपको इतना पड़ेगा। अरे भले आदमियों तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है हमारे हिन्दुस्तान में किसान बहुत तगड़ा है, हमारे साइंटिस्ट भी बहुत तगड़े हैं। हम उनको दिखा देंगे कि हमारे पास साधन भी रहेगा और हम उनको बनाना भी चाहेंगे। आपकी जो शुगर लाइसेंस की बात है अब मैं उस बारे में ही कह रहा हूं। ... (**व्यावधान**) अब भी मैं कोशिश करूंगा कि यह पैसे मिलें और ऐसा अनुबंध करें। (**व्याधान**) इस मामले पर मैं फूड मिनिस्ट्री से बात करूंगा। ...(**व्यावधान**)

श्री रामनगीना मिश्र : इसके दाम कौन दिलवाएगा? ... (**व्यावधान**)

श्री बलराम जाखड : आप बैठिए, पहले मेरी बात को सुनिए। यहां इस समय राजवीर जी नहीं हैं वह कह रहे थे कि आपके पास सारा कुछ नहीं है आप इसको मेगा इंडस्ट्री बना दो और अगर नहीं बना सकते हो तो इस्तीफा दे दो। मुझे कोई चाव नहीं है, मैं तो यहां इसलिए हूं कि अपने किसान की सेवा करूं और जिस दिन मुझे यह लगेगा कि मैं किसान की सेवा नहीं कर सकता हूं तो मेरा यहां रहने का धर्म नहीं है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मुझे तो यह है कि कैसे किसान की सेवा की जाए और उसके हितों की रक्षा कैसे की जाए, कैसे गरीब किसानों को ऊपर उठाएं। अभी एक मित्र कह रहे थे कि गांवों में रहता कौन है, वहां से पढ़े-लिखे तो यहां आ जाते हैं, वहां कौन रहेगा। अगर वहां उनको सुख-सुविधाएं दी जाएंगी तभी वे वहां रहेंगे। उनको बराबर की सुविधा देंगे तभी वे वहां रहें गे।

महोदय, अब हम सीड्स की बात करना चाहते हैं। अब हम यह बात करते हैं कि बगैर सीड्स के कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारा एक ऐसा प्रारूप तैयार हो जिससे हम सारा बाहर का भी काबू कर सकें, क्योंकि हमारे पास दक्षता है, आदमी हैं और हमारे पास हाथ हैं, उनके पास हाथ नहीं हैं। मैंने उस दिन भी कहा था और आज कहता हूं कि अगर अच्छा बीज होगा तो 5 से 7 टन होगा। अब जैसे हिमाचल में है वहां 5 टन सेब पैदा होता है, हम उसको 20 टन पैदा करना चाहते हैं, यह सब करना चाहते है तभी बात बनेगी। प्रोडक्शन कैसे ज्यादा होगा और कैसे एक्सपोर्ट होगा तो उसके लिए हम बंदोबस्त करना चाहते हैं। ...(**व्यावधान**)

श्री सत्येदेव सिंह : आपने सीड की बात कही है, मेरा यह करना है कि पूरे देश में गैट एग्रीमेंट के बाद किसानों के मन में बड़ी उत्तेजना है। आप सीड कहां प्रोडक्ट कर रहे हैं... (**व्यावधान**) आप मल्टीनेशनल्स को बुला रहे हो। ...(**व्यावधान**)

श्री बलराम जाखड़ : मल्टीनेशनल्स कहां से आ गए। ...(**व्यावधान**) हम अपना काम करेंगे, गैट ट्रीटी के आधीन हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो हमें नुकसान देंगे उसके अंतर्गत हम कुछ नहीं करेंगे। हमने अपना सुई-जेनेरिस सिस्टम बनाने का प्रबंध कर लिया है। सबसे पहले सारे देश में भारतवर्ष होगा जो अपना कानून बनाएगा उसके आधीन किसान को अपना बीज रखने की, अपना बीज साथी को देने की, अपना बीज बेचने की आजादी होगी,

लेकिन जो हमसे सर्टिफिकेट लेगा हमसे लाइसेंस लेगा वह उत्तरदायी होगा। अगर मैंने अपना बीज किसी से लिया और अपने किसी ऐसे साथी से ले लिया उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, लेकिन अगर सर्टिफाइड लेना होगा तो वह जिम्मेदार होगा। हम यह करना चाहते हैं।...(**व्यावधान**) आप पहले मेरी बात को सुनिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी मर्जी है आप चाहे जिससे मर्जी लें, सिफ अनुबंधित उसको करना चाहते है जो सर्टिफाइड बीज बेचेगा तो वह उसका जिम्मेदार भी होगा।

आप बेचेंगे तो ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं। यदि आपने भरोसा करके किसी से बीज ले लिया और खराब निकल गया तो उसको पकड़ नहीं सकते। यदि उसने लाइसेंस लिया हुआ है तो उसको पकड़ा जा सकता है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ टिशू कल्चर लैब के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। 24 करोड़ के बजाए इस वर्ष 1000 करोड़ रुपया आठवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, ताकि कोल्ड स्टोरेज की फेसिलिटी हो जाए, प्रिकूलिंग की ओर उसके साथ-साथ दूसरे काम भी हो जाए; फ्लोरीकल्चर है, मशरूम का है, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके। हथेली पर सरसो नहीं जमती सामान तैयार कर दिया है, इस पर महल बनाते जाइए और रहते जाइए।

इसी तरीके से फिशरीज की बात की गई, फिशरीज के साथ-साथ तालाब में अन्य उत्पादन करने की बात की गई, अच्छा सुझाव है, इस पर विचार किया जाएगा। दूध के बारे में काम किया जा रहा है, पोल्ट्री के बारे में किया जा रहा है। सबसे बड़ा साधन गरीब को रोजगार देने का, न्यूट्रीशन देने का यही है। यह आप सब के प्रयासों का परिणाम है कि दूध के उत्पादन में हम पिछली दफा के 17 मिलियन टन से 63 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं और हमारा लक्ष्य अगले 2 सालों में 71 मिलियन टन तक पहुंचने का है। इसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि गरीब आदमी को अच्छे नस्ल की गाय-भैंस मिले। हम पुरानी नस्लों की भी रक्षा कर रहे हैं, हमारे जनवरों की पुरानी नस्लें बहुत अच्छी हैं, इसके साथ-साथ संकरण भी कर रहे हैं, अच्छे बैल लाकर नस्ल सुधार भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। पहले के 400 करोड़ के बजाए इस बार 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सारे कामों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3500 करोड़ रुपया रखा गया है, जबकि आठवीं योजना में इन कामों के लिए 10000 करोड़ रुपया रखा गया था। फिशरीज के मामले में हम 7 लाख टन से 48 लाख टन उत्पादन तक पहुंच गए हैं। इस बारे में अभी और प्रशिक्षण और प्रचार की आवश्यकता है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों पर नजर रखने के लिए एक नोडल एजेंसी स्थापित की जाएगी, जो यह देखेगी कि कृषि विज्ञान केन्द्र ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। मेरे मित्र लट्ठ लेकर पीछे पड़े रहे कि इनके यहां का कृषि विज्ञान केन्द्र ठीक तरह से काम करे, लेकिन ये सफल नहीं हो सके। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कृषि विज्ञान केन्द्रों की व्यवस्था को ठीक बनाया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : जब मंत्री जी के यहां कृषि विज्ञान केन्द्र ठीक तरह से काम नहीं करता तो अन्य सांसदों के यहां क्या स्थिति होगी।...(**व्यावधान**)

श्री अमर पाल सिंह : आपने चीनी के बारे में लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने के बारे में जवाब दे दिया, लेकिन मेरे अन्य प्रश्नों का जवाब नहीं दिया।

श्री बलराम जाखड़ : मैने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन आपके सारे सुझाव मेरे पास लिखे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, जवाब पूरा होने के बाद कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।

(अनुवाद)

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : कृषि मूल्य आयोग ने नारियल के मूल्यों का निर्धारण बहुत देर से किया था।

श्री बलराम जाखड़ : यह एक समस्या थी।...(**व्यावधान**)

(हिन्दी)

अमर पाल सिंह जी, आपके जो सुझाव चीनी के बारे में, सीड के बारे में, आलू के बारे में, ये सारे मेरे पास लिखे हुए हैं और इन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से बीच में हर प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप मुद्दे से हट जाएंगे।

(अनुवाद)

मंत्री महोदय आप अपनी बात कहिए और अंत में आप उनका उत्तर दे सकते है।

श्री बलराम जाखड़ : कीमतें तय करते समय किसानों के दो प्रतिनिधि रखने की बात की गई है, यह इसमें दिया हुआ है। बगैर किसानों के प्रतिनिधित्व के कैसे यह काम हो सकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइज के बारे में कहा गया कि पूरे दाम नहीं मिलते हैं।

(अनुवाद)

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : वह कमी समय पर नहीं दिया गया।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपको बताऊंगा महोदया कि हम क्या कर रहे है।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : के रल एक उदाहरण है।

श्री बलराम जाखड़ : किस बात का?

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरामिंकिल) : नारियल के लिए।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने दिया है।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरामिंकिल) : सब कुछ मौसम के अन्त में दिया जाता है।

श्री बलराम जाखड़ : नहीं। इस बात का निर्णय देर से लिया गया था। लेकिन अब ऐसा किया जाएगा। कृपया घबराइए नहीं मैंने आपके लिए 150 रु. नियत किए है जो कि पहले से अधिक है।

हम खरीद रहे हैं...(**व्यावधान**) नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आप सभी बातें को शामिल नहीं कर सकते हैं।

देखिये, कीमतों की सिफारिश करते समय, सीएसीपी इन बातों को ध्यान में रखती है : उत्पादन लागत; आदान की कीमतों में परिवर्तनय आदान एवं उत्पादन मूल्य समानता; बाजार में कीमतों का रुख; मांग एवं आपूर्ति की स्थिति; अंतर्फसल मूल्य समानता; औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव; सामान्य मूल्य स्तर का प्रभाव; रहन-सहन की लागत पर प्रभव; अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति; व्यापार की दृष्टि से किसानों को प्राप्त होने वाली एवं दी जाने वाली कीमतों में समानता।

लेकिन, हमारा उद्देश्य कीमतों की गणना करना है। प्रचालन लागत की गणना हेतु, हम मानव श्रम-वैत्तिक, सम्बद्ध एवं परिवारिक श्रम : कुल मजदूर - किराये और अपने स्वामित्व वाले; मशीनी श्रम - किराये वाले अथवा अपने स्वामित्व वाले; माल आदान, बीज, उर्वरक, खाद, कीट नाश्क दवाइयाँ, सिंचाई प्रभार; कार्यकारी पूंजी पर ब्याज; विविध, शिल्पकारी, आदि को ध्यान में रखते हैं।

इसके अलावा, भूमि के किराये का मूल्य, भूमि के पट्टे हेतु दिया गया किराय, भू-राजस्व एवं करों की स्थिति, कृषि मंत्रों एवं फार्म भवनों पर मूल्यह्रास, स्थायी पूंजी, भूमि आदि आदि पर ब्याज का भी हम ध्यान रखते हैं।

उपबंधित कार्य विधि के अनुसार, मजदूरी का मूल्यांकन सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दर अथवा वास्तविक मजदूरी दर-जो भी अधिक हो - के आधार पर किया जा रहा है।

(हिन्दी)

अगर 50 रुपये है और आपकी 29-30 है तो वे 50 लेंगे। इस पॉलिसी के बाद कोई और बिंदु आप डालना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिये, वह भी डाल देंगे। कोई चीज अगर इनपुट में नहीं आई है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं जाकर उसमें एड करवा दूंगा कि यह चीज भी डाल दो। हमने करीब हर चीज इसमें डाल दी है।

श्री सत्यदेव सिंह : सब चीजें आ गई है लेकिन साहब इसका गणित ठीक लगाइयेगा। आपने कोई चीज छोड़ी नहीं है लेकिन इसके बाद भी लागत ठीक नहीं आ रही है।

श्री बलराम जाखड़ : (एफ.सी.आई.) खरीद करने के लिए जिम्मेदार है। इस साल अगर गेहूं की खरीद नहीं होती तो वह 250 रुपये में बिकता। तीन साल हो गय हैं, मैंने खुली छुट्टी दे रखी है कि जहां मर्जी हो आप पूरे हिंदुस्तान में एक कोने से दूसरे कोने में अपना अनाज ले जा सकते हैं जिससे वहां उपभोक्ता को ठीक रहे और बेचने वाले को भी ठीक रहे।

श्री श्याम बिहार मिश्र : मंजी जी, व्यवस्था आपको देखनी है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

श्री बलराम जाखड़ : ये लोकल चीजें होती है। इसके लिए आपको और हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर ऐसा है तो अनियमितता है, गलत है, अनैतिक है, इसको हमें देखना चाहिए। आपने डी.एम.एस. के बारे में मेरे से पूछा था उसकी मैंने पड़ताल करवा ली हैं। एक करोड़ लीटर हमने रिजेक्ट किया था। दूसरे सवाल का भी मेरे पास जवाब आ गया है, नैसले का नहीं था उसमें, बाकी कईयों का था उसमें। मैं आपको बता दूंगा। जो बेइमानी करेगा उसको हम पकड़ेंगे। बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे।

श्री नीतीश कुमार : एक करोड़ लीटर रिजेक्ट किया है...(**व्यावधान**)

श्री बलराम जाखड : हमारी तरफ से नहीं जायेगा। जो छोटी जोत होती जा रही है उसका एक तरीका हो सकता है कि हम कुछ भाइयों को कहें कि मिलकर खती कर लें। को ओपरेटिव्ज बहुत जगह बड़ा कामयाब हुआ है। इस समय हमारे पास लगभग एक करोड़ सत्तर लाख आदमी कोओपरोटिव्ज में हैं।

लेकिन ठीक ढंग से बुनियादी रूप से काम करें तो पैसा मिल सकता है। 18 हॉर्स पावर के छोटे ट्रैक्टर पर 30 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है। कल ही एक माननीय सदस्य पावर टिलर की बात कह रहे थे। उसके लिये 12 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है जिससे खेती करने वाला काम कर सके।

(अनुदान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या ग्रुप फार्मिंग हेतु कोई प्रोत्साहन दिया जाता है?

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपको ऐसा प्रोत्साहन दूंगा। यहां तक कि जिस किसान के पास एक अथवा दो एकड़ भूति है, वह भी अच्छा उत्पादक हो सकता है...(**व्यावधान**)

(हिन्दी)

ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकते हैं।

(अनुवाद)

ऐसे योजना उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। और हम उस पर 1200 रुपये दे सकते हैं। यह किसान की पहुंच से बाहर नहीं है। मैं इस बारे में गौर करूंगा।

(हिन्दी)

ये सारी बातें हमने देखी है। इरिगेशन, इम्पूण्ड वैराइटी और लोकल इंस्टीट्यूशन्स के बारे में मैंने बता दिया है। कम्युनिटी सैंटर्स का बता दिया। हम कम्युनिटीज को भी इनवाल्व कर रहे हैं जैसा कि गुजरात में हो रहा है। हम उसमें एन.जी.ओज. को डालना चाहते हैं। वाटर शैड मैनेजमैंट और वाटर रिचार्जिंग के बारे में भी मैं ने बता दिया है। आपने ठीक कहा कि प्रोजैक्ट्स की समाप्ति जल्दी होनी चाहिये। प्रोजैक्ट्स के पूरा न होने पर गलत बात हो रही है। मैं उड़ीसा गया था। मैंने वहां देखा कि डैम बन गया लेकिन नहर नहीं बनी।

श्री सत्येदेव सिंह : आप उत्तर प्रदेश भी पधारो। उत्तर प्रदेश में सरजू केनाल परियोजना है। आपके पास दुनिया भर की योजनायें हैं लेकिन वे क्लीअर ही नहीं हो रही हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मैं इसके बारे में वहां के मंत्री से बात करूंगा। ये सब बातें इसमें निहित हैं। सब बातें सोच समझ कर आपके सामने रखी हैं। जितनी भी बातें आपने बतायी हैं वे पूर्णरूपेण 2-3 प्वाइंट प्रोग्राम में मैं विस्तार पूर्वक डाल दूंगा जिससे गड़बड़ न हो। इसलिये मैंने आपकी राय ली, मुख्यमंत्रियों की राय ली, इकोनामिक एक्सपर्टस की राय ली और जितने फॉर्म लीडर्स हैं, जो संस्थायें हैं, सब को बुला कर पूछा। इसके बाद ही यह छोटा ड्राफ्ट तैयार किया है। यह बीज है। हम इसको पनपायेंगे और फल-फूल लगायेंगे। इससे हमारा काम बन जायेगा। आप निश्चिन्त रहिये।

डंकल की बात मैंने बता दी है। उसके लिये कानून आ रहा है। हमारे किसानों और वैज्ञानिकों को कोई बंदिश नहीं है। इससे कोई खतरा पैदा नहीं होगा। हमारे वैज्ञानिक काम में लगे हुए हैं। मैंने स्वामीनाथन जी, परोरा जी और दूसरे साथियों को बुला कर उनकी राय ले ली है। हमारी कोशिश थी कि कोई बिन्दु ऐसा न रहे जाये जिसमें हम मार खा जायें क्यों कि यह भविष्य से जुडी बातें है। मैं इससे पूरी तरह से परिचित हूं। आपकी सहायता से आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। आज आप सब ने हमारा साथ दिया, इसलिये आपको धन्यवाद करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमरपाल सिंह : नदियों को जोड़ने के बारे में आपने यहां कुछ नहीं कहा है। नदियों को जोड़ने से देश को बाढ़ और सूखे से बचाया जा सकता है।

श्री बलराम जाखड़ : आपका सुझाव बहुत अच्छा है और कल्पना बहुत सुन्दर है लेकिन इसके लिये लाखों-करोड़ों रुपया चाहिये और यह एक समस्या है। इसलिये चक्कर है।

कल हमारे एक साथी कह रहे थे कि नर्मदा सागर और टिहरी में गडबड़ किया है। जो इससे विस्थापित होते हैं वे देश के लिये बहुत कुर्बानी करते हैं। वे स्वतंत्रता सेनानियों से कम नहीं होते हैं। उनका बहुत नुकसान होता है जिस को कि पूरा किया जाना चाहिये लेकिन डैम भी बनने चाहिये। इससे खखेत लहलहायेंगे। गुजरात और आपका क्षेत्र बढ़िया हो जायेगा। उसे चलना चाहिये।

श्री नीतीश कुमार : अभी मंत्री जी जब जवाब देने के लिये अपनी बात शुरू करना चाह रहे थे उस समय आपने भी एक बात रखी थी। ड्राफ्ट ऐग्रीकल्चर पालिसी को आपने स्टैंडिंग कमेटी आन ऐग्रीकल्चर के सुपुर्द कर दिया। उसने रिपोर्ट दे दी। दोनों सदनों में ऐग्रीकल्चर पालिसी के रैजोल्यूशन पर चर्चा आज समाप्त हुई। जितनी राय आपके पास आई हैं, उसके आधार पर अंतिम रूप से ऐग्रीकल्चर पालिसी आप कब घोषित करने जा रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़ : मैं यह सम्मिलित करके छाप दूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि इसमें सब कुछ निहित है। उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जिस को न कहा गया हो।

श्री नीतीश कुमार : हम जानना चाहते हैं कि अभी कोई ऐग्रीकल्चर पालिसी देश में नहीं है और ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पालिसी पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, ऐग्रीकल्चर पालिसी कब हो रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह इम्प्रैशन देश में मत जाने दीजिये कि हमारी कोई ऐग्रीकल्चर पालिसी नहीं है। हमारी ऐग्रीकल्चर पालिसी है।

श्री नीतीश कुमार : इसके शुरू में ही लिखा हुआ है, हम लोगों की इसमें कोई बात नहीं है या गलत इम्प्रैशन की बात नहीं है...**(व्यावधान)**

अध्यक्ष महोदय : नेशनल लेवल पर नहीं है, ऐसा मत कहिये।

श्री नीतीश कुमार : हम आपसे विनती करेंगे कि आप इसे देख लीजिये क्योंकि अभी तक देश में कोई काम्प्रीहेंसिव ऐग्रीकल्चर पालिसी नहीं है और पहली बार ड्राफ्ट ऐग्रीकल्चर पालिसी के जरिये आपने प्रयास किया है। अंतिम रूप से ऐग्रीकल्चर पालिसी आप कब घोषित करने जा रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : आपके सुझावों को शामिल करने के बाद बनादेंगे, आपसे बात करके बना देंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एस.आर. सेन कमेटी की जो रिकमेंडेशन्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, सरकार को प्राप्त हुई थी, उनमें देश के ईस्टर्न जोन यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के एरियाज में जल-जमाव या वाटर लौगिंग के संबंध में अनुशंसाएं की गई हैं। उस संबंध में आप कौन सी पालिसी अख्तयार करने जा रहे हैं? इस कारण वहां कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है। आपने उसमें स्पष्ट जिक्र नहीं किया है।

श्री बलराम जाखड़ : सारी इसमें हैं, सब कुछ है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा दूसरा पाइंट है कि मोटे अनाज का

उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या आप कोई विशेष पहल कर रहे हैं, जैसे मक्का है, ज्वार है, जनेर है, महुआ है।

श्री बलराम जाखड़ : सारा कर रहे हैं और हुआ है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्य आप गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मारना चाहते हैं?

श्री बलराम जाखड़ : आपको पता है कि पिछले साल हमारा कितना अनाज तबाह हो गया था और ज्वार खाने वालों को परेशानी हुई थी ... **(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): मैंने फूलों की खेती के बारे में पिछली बार मंत्री जी से विनती की थी। आज हम दशमलव 3 परसेंट फूल ही एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें गुलाबा या रोज प्रमुख है। उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं?

श्री बलराम जाखड़ : इसमें सब कुछ निहित है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें दिया हुआ है।

श्री मोहन रावल: आपको महाराष्ट्र में एक सोसायटी बनानी चाहिये। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इसमें आप सबसिडी देने वाले हैं क्या ?

श्री बलराम जाखड़ : मैंने एक हजरा करोड़ दिया है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह अलग बात है। एक्सपोर्ट, हौर्टिकल्चर, फ्लोरीकल्चर ये सब वैजिटेबल में आते है।

श्री मोहन रावल: क्या वन खेती के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, जैसा चाइना में हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने सुझाव दे दिये हैं। मंत्री जी उन सबको देखेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मंत्री जी, आपने एग्रीकल्चर लेबर के बारे में कुछ नहीं बोला।

श्री बलराम जाखड़ : बोला तो है।

श्री हन्नान मोल्लाह: बोलने से कुछ नहीं होगा। श्रम मंत्री जी ने एश्योरेंस दी थी कि इस बारे में कानून बनायेंगे, वह काम कब होगा क्योंकि वर्तमान सैशन अब खत्म होने वाला है। कब कानून बनाया जायेगा। आप कुछ तो बोलिये। आपको पता है कि 25 करोड़ लोगों का शोषण हो रहा है। उनको बचाने के लिये कानून लाईये।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने बोला है, उसी का उदाहरण दिया है।

अध्यक्ष महोदय : बस, अब बहुत हो गया है। यह सब इर्रीगेशन पौलिसी, लेबर पौलिसी, इंडस्ट्रीज पौलिसी आदि पर एग्रीकल्चर पौलिसी डिस्कस करते वक्त ज्यादा बात नहीं हो सकती, थोड़ी चर्चा हो सकती है और जितनी हो सकती है, उतनी हो गयी है। अब इसे छोड़ दीजिये। एग्रीकल्चर पौलिसी पर डिस्कशन के बाद, अब हम दूसरे आईटम पर जाना चाहते हैं। ..**(व्यवधान)**

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री सुख राम के विधेयक अर्थात भारतीयतार संशोधन विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं।

(हिन्दी)

श्री सत्यदेव सिंह: यह बहुत सीरियस सब्जैक्ट है। टैलीग्राफ डिपार्टमेंट तो वैसे ही चौपट है ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत: इसमें विशेष चर्चा की आवश्यकता है, मान्यवर। इसे किसी दूसरे दिन लेना चाहिये और जल्दी में पास नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि देश में टेलीफोन सर्विस की स्थिति पहले ही बहुत खराब है। आप उसे प्राईवेट हाथों में देने जा रहे हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कभी सुन भी लीजिये। एक बार शुरू कर दिया तो फिर, कुछ सुन लीजिये ... **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार: मैं एग्रीकल्चर पौलिसी के बारे में कहना चाहता था। यहां जो कुछ बात हुई है, वह रेडियो और टेलीविजन पर तो जायेगी ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : रेडियो, टेलीविजन और अखबारों के बारे में भी कर रहे हैं। जब आप इतने एन्लाइटिन हैं फिर भी उसके लिये आप करते नहीं हैं।

...**(व्यवधान)**

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : आओ हम इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाले। मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं।

(हिन्दी)

मिनिस्टर साहब यहां पर है। शायद वे कुछ बोलना चाहें। उनको बोलने दीजिये।

छुट्टियों में आपको सोचने का मौका मिलेगा। आप बाद में भी बोल सकते है।

(अनुवाद)

हाँ, मंत्री महोदय।

6.40 म.प.

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

महोदय, यद्यपि इस विधेयक को लाने के उद्देश्य एवं कारण 'उद्देश्यों एवं कारणों के कथन' में दिये गये हैं, फिर भी मैं इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। यह विधेयक भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड 6 में उल्लिखित ''तार यंत्र प्राधिकारी'' की परिभाषा में संशोधन करने के लिए लाया गया है।

महोदय, यह विधेयक इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लाया गया है कि अब टेलिकाम नीति, 1994 को लागू करने से देश में मौलिक एवं इसके साथ-साथ मूल्य वर्धित सेवाओं दोनों ही में एक से अधिक आप्रेटर होंगे। अत:, हमें इन आप्रेटरों के कार्यकरण के विनियमन हेतु एक स्वतंत्र स्वायतशासी प्राधिकरण की जरूरत है।

वर्तमान परिभाषा के अंतर्गत, महानिदेशक (डाक) का पद विद्यमान है। लेकिन डाक एवं दूरसंचार दोनों ही विभागों के अलग-अलग हो जाने से, महानिदेशन (डाक) के पद का कार्यकरण कुल मिलाकर विद्यमान नहीं रह पायेगा। अत:, इस प्राधिकरण को जोड़ा जा रहा है। बल्कि, समान अवसर सुनिश्चित करने तथा निजी क्षेत्र निवेशकों जोकि इस देश में निवेश करने के लिए आ रहे हैं - मैं विश्वास की भावना जागृत करने के लिए इसकी परिभाषा का क्षेत्र भी विस्तृत किया जा रहा है।

फिलहाल हम इस सभा में इस प्राधिकरण को एक सांवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव लेकर नहीं आये हैं। हम इस प्राधिकरण का कार्यकरण एक अथवा दो वर्ष देखना चाहते हैं तथा उसके पश्चात्, हम इस सभा में इस प्राधिकरण को सांवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव रखेंगे।

महोदय, दुनिया में ऐसे देश हैं, उदाहरणार्थ कनाडा को ले, जहां दूरसंचार प्राधिकरण को सांविधिक/वैधानिक दर्जा दिया गया है। मोटे तौर पर हमने कनाडा में प्रचलित प्रणाली का अनुकरण किया है।

हमारे देश में बेहतर दूरसंचार प्राधिकरण हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मैंने अधिकारियों के एक दल को दुनिया के विभिन्न देशों के विनियामक कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा था। उस दल द्वारा किये गये अध्ययन का बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात हमने उनमें से जो यहां के माहौल के लिए उपयुक्त है, उसे अपना लिया है।

अब इस प्राधिकरण में तीन विशिष्ट व्यक्ति होंगे। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का वर्तमान अथवा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होगा। इस प्राधिकरण के शेष दो सदस्य भारत सरकार के वर्तमान अथवा अवकाश प्राप्त सचिव रैंक से अथवा वर्तमान अथवा अवकाश प्राप्त अपर सचिव रैंक से होंगे।

महोदय, इस प्राधिकरण में विशिष्ट व्यक्ति होंगे और इस प्राधिकरण को अलग से अधिकार एवं कार्य सौंपे गये हैं। वे इन अधिकारों का प्रयोग सरकार से अलग करेंगे। यहां तक कि सरकार भी इसमें फेर-बदल करने की स्थिति में नहीं होगी।

यद्यपि यह प्राधिकरण गैर सांविधिक/असंवैधामिक स्वरूप का है, फिर भी इसे हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि जिन परिस्थितिवों में इसे हटाया जा सकता है, वह निर्दिष्ट की गयी है। प्राधिकरण के हटाये जाने के लिए जिन कारणों को निर्दिष्ट किया गया है, वे निर्वाचन कानून के सदृश है जैसे कि किसी भी व्यक्ति को तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक कि वे दीवालिया न हो आदि। यदि सरकार विनियामक प्राधिकरण के निर्णयों से भी सहमत नहीं होती है तब इस मामले को उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को सौंप देना होता है। सरकार इस प्राधिकरण को अपनी स्वेच्छा से हटा नहीं सकती है। जैसा कि मैंने कहा है, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित विनियामक प्राधिकरण, एक स्वायत्त शासी निकाय होगा जिसके कृत्य उत्तरदायित्व एवं अधिकार विनिर्दिष्ट होंगे।

स्थायी समिति ने इस प्रस्तावित विधेयक की सर्व समिति से सिफारिश की है। अत: मैं समझता हूं कि यह सभा भी इस विधेयक को, जो कि सरकार को विनियामक प्राधिकरण को स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है, सर्वसम्मति से पारित करेंगी। निजी संचालक देश में प्रवेश कर अपनी स्थिति मजबूत कर लें इससे पहले हम एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने मौलिक एवं मूल्यवर्धित सेवाओं, दोनों के लिए निविदाएं आमंत्रित की है। माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि जहां तक मूल्वर्धित सेवाओं का संबंध है, निविदाओं की तकनीकी रूप से संवीक्षा की गई है। अब वित्तीय निविदाएँ खोली गई है और मैं समझता हूं कि दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जिन्होंने सबसे ऊँचे दाम दिये हैं, उनको मांगपत्र (लेटर ऑफ इन्डेण्ट) दिया जाएगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि किसी विशिष्ट देश के एकाधिकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि किसी विशेष संचालक को कितनी सर्किलें दी जानी हैं।

जहां तक प्राथमिक सेवाओं का संबंध है, मैं समझता हूं कि अगले एक माह के भीतर तकनीकी एवं वित्तीय संवीक्षा पूरी हो जाएगी और सितम्बर के अन्त तक मूल्यवर्धित सेवाओं और प्राथमिक सेवाओं के संचालक अस्तित्व में

आ जाएंगे और हम काम करना आरम्भ कर देंगे। महोदय, मेरी कामना है कि निजी क्षेत्र देश में प्रवेश कर अपनी स्थिति मजबूत कर ले, इससे पहले इस विनियामक प्राधिकरण को अस्तित्व में आ जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं ताकि हम विनियामक प्राधिकरण की स्थापना तुरन्त कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं सभा के विचारार्थ यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बोलना चाहेंगे।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं बोलना चहूंगा।...**(व्यावधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप आज बोलने के लिए तैयार है?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : जी, हां।

(हिन्दी)

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा सबमिशन यह है कि माननीय मंत्री जी ने दो बातें कहीं है - एक तो ये अथारिटी बनाने जा रहे हैं और उसके अनुभव के बाद उसको कानूनी शक्ल देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह स्टैटयूट में आ जाए तो क्या स्टैटूटरी अथारिटी नहीं होती है?

श्री सत्यदेव सिंह : अभी ये नहीं बना रहे हैं, सर।

अध्यक्ष महोदय : यदि लॉ में अथारिटी बनाने का आ जाए तो क्या स्टैटूटरी अथारिटी नहीं हो जाती?

श्री सुखराम : स्टैटूटरी भी बन सकती है, नॉन स्टैटूटरी भी बन सकती है। जैसे कनाडा में नॉन स्टैटूटरी है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : कानून पारित करके इसको अस्तित्व में लाया जा रहा है। क्या यह सांवैधानिक नहीं बन जाता है...

(व्यावधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सरकार उसे गैर-सांविधिक बनाने के लिए इस अधिनियम में से अधिकार प्राप्त करेगी।

अध्यक्ष महोदय : हमें यूं शब्दों से नहीं उलझानाचाहिए। हम इसका अर्थ बाद में ढूंढेंगे।

(हिन्दी)

श्री सत्यदेव सिंह : इसके कौन्सटीटयूशन में यह कहा है कि इसके एक अध्यक्ष होंगे जो रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। दूसरे इसके सदस्य होंगे जो सचिव होंगे और रिटायर्ड या काम करने वाले होंगे। उनको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन तीसरा इन्होंने कहा है कि उसमें एक एडीशनल सैक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा जो मेरा विश्वास है कि वह सर्विंग ही होगा। क्या उसको भी नहीं हटाने का प्रवधान आप कर रहे हैं क्योंकि उसको तो ट्रांसफर करके हटाया जा सकता है, बिना यह कहे कि हम आपको हटा रहे हैं। उनकी क्या ऐप्रीहैन्शन्स हैं? ये विदेशी कम्पनियों को वैल्यू ऐडेड सर्विस में बुला रहे हैं, बिना वैल्यू ऐडेड सर्विस में भी आ रहे हैं। उसके बारे में तो चर्चा अलग से होगी लेकिन मंत्री जी को किस बात की शंका है। कि यह बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह एथारिटी पहले क्रिएट हो जाय, इससे पहले कि प्राइवेट सैक्टर के लोग यहां काम करें। वह कौन सी ऐसी चिन्ताएें हैं, उनको बताकर सदन का यह विश्वास में लें कि इन चिन्ताओं को...

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं कि यहां एक स्वतंत्र निकाय हो।

श्री सत्यदेव सिंह : यह सच है। इसमें कोई हानि नहीं है। परन्तु मंत्री जी पूरे समय जोर देकर कहते रहे हैं कि वे चाहते हैं कि विदेशी कम्पनियों का देश में प्रवेश हो, इससे पहले यह प्राधिकरण स्थापित हो जाये। मैं जानना जाहता हूं कि वे कौनसी आशंकाये हैं। वह विदेश कम्पनियों से इतने डरे हुए क्यों हैं? यदि उन्हें इन कम्पनियों से इतना ही डर है तो फिर उन्होंने उन कम्पनियों को देश में प्रवेश करने ही क्यों दिया?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना चाहेंगे तो मैं आपको अनुमति दूंगा। यदि आप को इन्हीं मुद्दों को उठाना है तो मंत्री जी वाद-विवाद का उत्तर देते समय इनका उत्तर दे सकते हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो सांविधिक और गैर-सांविधिक दर्जे के बारे में है। इस विधेयक द्वारा मंत्री जी अपने अप को निकाय को सांविधिक अथवा गैर-सांविधिक बनाने का अधिकार दे रहे हैं। उसके बाद वे अभी उनके द्वारा जारी बायान/वक्तव्य में यह कहते हैं कि गैर-सांविधिक निकाय के कार्यकरण के अनुभव के बाद वह सभा में पुन: उपस्थित होंगे। यदि वे सदन में पुन:

उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने दोनों शब्द यहां क्यों कहे। मंत्री जी ने प्रस्तावित संशोधन में कहा कि दूरसंचार प्राधिकरण का अर्थ है दूरसंचार के महानिर्देशक, किसी भी सांविधिक अथवा गैर-सांविधिक प्राधिकरण को शामिल कर सकते हैं....

अध्यक्ष महोदय : खण्डूरी जी, वे इस कानून को पारित करके एक प्राधिकरण को अस्तित्व में ला रहे हैं और इस प्राधिकरण को कौनसा व्यापक अधिकार दिया जाएगा, इसका उल्लेख एक अलग कानून में किया जा सकता है अथवा अब जो कुछ किया जा रहा है उसका अनुसरण में किया जा सकता है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि यदि उनको पहले से ही अधिकार मिल चुका है तो उनको सभा में पुन: उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वह सभा में पुन: उपस्थित होंगे। इसका क्या मतलब है?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना चाहेते है तो आप बोल सकते हैं। अन्यथा...

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है....

श्री सुख राम : मैं आपकी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने इस सभा को आश्वासन दिया कि हम इस विनियामक प्राधिकरण का कार्य निष्पादन देखने के बाद, एक अथवा दो वर्षों के बाद पुन: इस संबंध में यहां उपस्थित होंगे और तब इस प्राधिकरण को भी हम सांविधिक दर्जा दे सकते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह: आप उसका कार्य निष्पादन देखने के लिए यहां नहीं होंगे।

श्री सुख राम : इसलिए तो हम आजकल इस सभा में उपस्थित हो रहे हैं। यह केवल गैर-सांविधिक है....

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : यहां पर इस सांविधिक शब्द को हटाया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : खण्डूरी जी, यह ठीक है।

(हिन्दी)

अगर आपको नहीं चाहिए तो आप एमेंड्मेंट दे दीजिए।

(अनुवाद)

श्री जार्ज फर्नान्डीज जी, अब आप बोलिए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मैं और एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। यदि आप को उस शब्द से आपत्ति है तो कृपया आप इसके लिए संशोधन प्रस्तुत कीजिए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मैं उस मुद्दे पर नहीं बल्कि दूसरे मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी कोई आवश्यता नहीं है। आप शब्दों से खिलवाड़ कर रहे हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मैं उस मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा मुद्दा यह है कि मंत्री जी ने कहा था कि प्राधिकरण के सदस्य एक न्यायाधीश आदि होंगे। मेरा अनुरोध यह है कि ऐसे कार्य के लिए उनके पास तकनीकीविदों का होना भी आवश्यक है। वह अपने आपको.....तक सीमित करके क्यों रख रहे हैं....

अध्यक्ष महोदय : जब आप बोलेंगे तब अपने वक्तव्य में यह बात कह सकते हैं।

(हिन्दी)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे यह जानना है, अभी खण्डूरी जी ने स्टेचुटरी, नॉन स्टेचुटरी पर कुछ खुलासा देने की कोशिश की, हम उस विवाद में अभी नहीं जायेंगे, लकिन जब यह एक नॉन स्टेचुटरी एथारिटी बना रहे हैं और आपने ही अभी वास्तविक दो शब्दों में कहा, निजी क्षेत्र आने के पहले हम उनके लिए सब चीज की इन्तजामी करा देना चाहते है।

आज आप क्या करने जा रहे हैं कि भारत सरकार, जो टैलीकम्युनिकेशंस की मालिक है, उसको भी आप उस निजी क्षेत्र के बराबर लाने के लिए कदम उठा रहे है।

(अनुवाद)

एक गैर-सांविधिक निकाय भारत सरकार के दूरसंचार सेवाओं संबंधी स्वामित्व एवं प्रशासन का पर्यवेक्षण करने लगेगा।

(हिन्दी)

और टेलीकम्युनिकेशन वाले मामले का मतलब केवल टेलीफोन नहीं है और यह मोटरगाड़ी में हैलो-हैलो करने तक की बात नहीं है। हमारा कम्युनिकेशन ग्लोबल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, हमारा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो यह सारा कम्युनिकेशन एक नॉन स्टेचुटरी एथारिटी के तहत, हाई कोट जर्ज, सुप्रीम कोर्ट जज, यह सब बातें तो बेकार

हैं, हम सब की इज्जत करते हुए कहना चाहते हैं कि हम लोग अन्ततोगत्वा सरकार के ऊपर निजी लोगों की देख रेख और निगरानी की बात यहां पर करने जा रहे हैं, यह मुझे इससे दिखाई दे रहा है।

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं ठीक प्रकार से समझ रहा हूं, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं, मुझे इस तथ्य की जांच करनी होगी, कानून द्वारा बनाये गये निकाय को सांविधिक निकाय कहते हैं। ऐसा मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता।...**(व्यावधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, इस संबंध में मैं आपके विचारों का आदर करता हूं।...**(व्यावधान)** मैंने इस प्रश्न के बारे में सोचा था। वास्तव में यह पहला प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उभर आया था जब उन्होंने कहा कि अधिनियम में संशोधन करके एक गैर-सांविधिक निकाय को बनाया जा रहा है। इससे एक नई बात भी समझ में आई है और यह नई बात तब समझ में आई जब मंत्री महोदय अपने विचारों को रख रहे थे और जब सम्पूर्ण मंत्रालय ने स्थायी समिति के समक्ष अपने विचारों को रखते हुए कहा था कि यह एक गैर-सांविधिक निकाय होगा। महोदय, मेरे पास स्थायी समिति की रिपोर्ट है।...**(व्यावधान)** उन्होंने अपने आरम्भिक टिप्पणियों में कहा था कि "दो-तीन वर्षों तक गैर-सांविधिक निकाय के कार्यकरण कार्य को देखने के बाद हम एक नया संशोधन लाएंगे।" यह सब कुछ रिकार्ड में है।...**(व्यावधान)**

(हिन्दी)

श्री सुख राम : ऐसा है मेरा ख्याल यह था कि माननीय सदस्य इस बात पर ज्यादा सट्रैस देंगे कि प्राइवेट सेक्टर के आने से पहले यह जो बाड़ी है, वजूद में आनी चाहिए। इस वास्ते टेलीकम्युनिकेशन बड़ी हाइली केपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है जो इसमें आयेगा उसके लिए लेबल प्लेयिंग फील्ड होना चाहिए, समानता का आधार होना चाहिए। जैसे हमने उनको कहा है कि अब रिवेनुशरिंग जो होगा सरकार के हाथ में नहीं होगा। इस अथोरिटी के हाथ में होगा। जब आप टैरिफ नीयत करेंगे तो उसके हाथ में नहीं होगा। जो सर्विंग या रिटायर हाई कोर्ट के जज या सर्विंग या रिटायर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन होंगे। आपने पाइंट उठाया कि सचिव, अतिरिक्त सचिव के या इस रैंक में रहने के पहले तीन वर्ष तक इस स्थिति में रहा हो, ऐसी एक बाड़ी जिसके क्लियर फंक्शन हमने डिफाइन किये हैं उसमें सरकार का कोई इंटरफियर नहीं होगा। हमने टेंडर काल करने से पहले यह आश्वासन दिया था। तभी लोग इसमें आये, क्योंकि इतनी केपिटल लगाने के बाद किसी को यह न हो कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अब तो सारा साफ हो गया है, मंत्रीजी ने सचाई बता दी है कि यह सब उनके लिए ही कर रहे हैं।...**(व्यावधान)**

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप संबद्ध अंश को पढ़ेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। "टेलीग्रफ प्राधिकरण का अर्थ है दूर संचार के महानिदेश और इसमें कोई भी सांविधिक अथवा गैर-सांविधिक निकाय शामिल है।"

(हिन्दी)

जो बाडी क्रिएट करनी है वह स्टेचुटरी की तरफ से नहीं कर रहे हैं, उसके सिवाय कर रहे हैं, उसमें उसको नान-स्टेचुटरी कहा है, वह ठीक है। डेफिनेशन आफ टेलीग्राफ अथोरिटी को बढ़ाकर स्टेचुटरी बाड़ी और नान-स्टेचुटरी है,

(अनुवाद)

उनका वक्तव्य सही है। लेकिन वह निकाय सांविधिक निकाय नहीं है। इसे कानून द्वारा अस्तित्व में नहीं लाया गया है। इसमें केवल परिभाषा को बदला गया है।...

(व्यावधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : इतना ही नहीं। और कई बातों के संबंध में पहले से ही निर्णय भी ले लिया गया है। निजी लोग और दूरसंचार विभाग के बीच किराये का बंटवारा कैसे किया जाये? यह पहले ही निर्णय कर लिया गया है कि निजी लोगों को 75 पैसे मिलेंगे और सरकार को 50 पैसे मिलेंगे। इससे दूरसंचार प्राधिकरण क्या करने वाला है? उन्होंने पहले ही इस संबंध में कुछ निर्णय ले लिये हैं।

श्री सुख राम : ऐसा किया जाना है। निविदाएं आमंत्रित करने से पहली इस बात का निणर्य कर लिया जाना चाहिए कि राजस्व-भागीदारी का अनुपात क्या होगा, उसके बाद ही उनके द्वारा निविदाएं प्रस्तुत की गई होती। अन्यथा, राजस्व साझेदारी के बारे में निर्णय किये बगैर वे उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? इसकी स्थापना के बाद यह निकाय इसकी समीक्षा, जांच करने में सक्षम होगा। आप यह कर सकते हैं...**(व्यावधान)**

श्रीमती सुशीला गोपालन : इसलिए तो हमने ऐसा कहा है। दूरसंचार प्राधिकरण बनाने से पहले निविदाओं को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए

क्योंकि वे भी प्राधिकरण के पास जाकर पूछेंगे कि किराया आदि का बंटवारा कैसे किया जाए। आपने कहा कि दूरसंचार प्राधिकरण ने निविदाएं आमंत्रित की थी। अब आप कह रहे हो कि आप दूरसंचार प्राधिकरण बनाने वाले हैं।

(हिन्दी)

प्रो. रासा सिंह रावत : सारी शर्तें तय कर ली हैं, क्या रेट होंगे, यह तय कर लिया है, फिर हाउस को विश्वास में लिया जा रहा है। वह कैसे करेगा जो अथोरिटी स्टेचुटरी बनाने जा रही है और नान-स्टेचुटरी बनाने जा रहे हैं।

(अनुवाद)

अब सभा 16 अगस्त, 1995 को 11 म.पू. पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.00 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा बुधवार, 16 अगस्त, 1995/25 श्रावण 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।